नवम माला, खंड 8, अंक 3

गुरुवार, 9 अगस्त, 1990
18 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

No. GR
Date 4-9-91

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

[नवम माला, खंड 8 तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 3 गुरुवार, 9 अगस्त, 1990/ 18 श्रावण, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ।		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 44		1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		20-243
तारांकित प्रश्न संख्या : 45 से 60	...	20-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 468 से 503, 505 से 684 और 686 से 704	...	30-243
कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में	...	243-253
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	269-272
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		270
सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
प्राक्कलन समिति		
पहला और चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	...	270
मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य	...	253-256 और 322
(एक) कुवैत में भारतीयों की स्थिति		
श्री इन्द्र कुमार गुजराल		267-268
(दो) 13 जुलाई, 1990 को सेंट मेरी कान्वेंट स्कूल, गजरौला (मुरादाबाद) जिला उत्तर प्रदेश की साध्वियों (नन्स) पर हमला		270-271
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

नियम 377 के अधीन मामले ... 272-276

(एक) तमिलनाडु में छोटे कस्बों के विकास सम्बन्धी योजना को सलेम जिले में तेजी से लागू किए जाने की मांग

श्री पी. आर. कुमारमंगलम ... 273

(दो) चीनी उद्योग के लिए गन्ने की शीघ्र पेराई प्रोत्साहन योजना का पुनरीक्षण किए जाने की मांग

श्री बालासाहिब विखे पाटिल ... 273

(तीन) महाराष्ट्र के मालेगांव क्षेत्र को "सूखा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किए जाने की मांग

श्री हरिशंकर महाले ... 273

(चार) नवम्बर, 1989 में पटियाला में आतंकवादियों द्वारा मारे गए चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग

श्री केशरी लाल ... 274

(पांच) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की नीति समाप्त किए जाने की मांग

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ... 274

(छः) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पान की टोकरियों की बुकिंग पर लगा प्रतिबन्ध हटाये जाने की मांग

श्री सत्यगोपाल मिश्र ... 274-275

(सात) शाहगंज-मऊछोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव ... 275

(आठ) हिमाचल प्रदेश में उत्पादित सेब तथा अन्य फलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने की मांग

श्री के. डी. सुल्तानपुरी ... 275-276

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक ... 276-379

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री दलपत सिंह परस्ते ... 276-277

श्रीमती गीता मुखर्जी	...	277-281
प्रो. एन. जी. रंगा	...	281-283
श्रीमती वसुन्धरा राजे	...	283-285
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	285-286
श्रीमती बासव राजेश्वरी	...	286-290
कुमारी उमा भारती	...	297-300
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	...	300-301
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	...	301-303
श्री जी एम. बनातवाला	...	303-307
श्री गुमान मल लोढा	...	307-311
श्री के. आर. नारायणन	...	311-313
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	...	313-317
श्री राम कृष्ण यादव	...	320-321
श्रीमती जे. जमुना	...	322-324
श्री पलाई के. एम. मैथ्यू	...	324-325
श्री रामेश्वर प्रसाद	...	325-327
श्री पी. सी. थामस	...	327
श्री राम विलास पासवान	...	327-330
खण्डवार विचार	...	330-339
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री राम विलास पासवान	...	339

लोक सभा

गुरुवार 9 अगस्त, 1990/18 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बमों का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरम्भ किये गये भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिन की आज 48वीं वर्षगांठ है। विदेशी दासता से अपनी मातृभूमि के मुक्त कराने के लिए जिन देश भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनकी स्मृति में हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन उच्च आदर्शों के प्रति हम अपने आप को पुनः समर्पित करते है जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया।

आज के दिन हमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बमों से हुए महा विनाश का भी स्मरण हो आता है। उस समय तो मानव जाति ने असीम दुख सहा ही लेकिन आज भी उनकी कई पीढ़ियां उसके दुष्परिणामों को भुगत रही हैं। इससे यह कटु सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है कि यदि कोई अन्य परमाणु युद्ध हुआ तो न कोई विजेता बचेगा और न ही विजित। इसलिए हम दो महाशक्तियों द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण और प्रलयंकारी परमाणु अस्त्रों के भंडारों को नष्ट करने की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वागत करते हैं।

अब सभा स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों तथा परमाणु विध्वंस के पीड़ितों की याद में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात सदस्यगण दो मिनट तक मौन खड़े रहे।)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पटसन तथा एच. डी. पी. ई. थैलों की खरीद

*41. डा. असीम बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से पटसन और एच. डी. पी. ई. थैलों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच का क्या परिणाम रहा,

(ख) क्या सरकार ने ऐसी खरीद की वर्तमान प्रणाली में कोई सुधार किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

केन्द्रीय क्रय समिति (सी. पी. सी.) के माध्यम से की गई जूट और एच. डी. पी. ई. के बोरों की खरीद के संबंध में लगाये गये आरोपों के अनुसरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारम्भिक जांच की और आगामी जांच के लिये प्रबन्ध निदेशक कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको), प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन. एफ. एल.), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर. सी. एफ.), भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन फारमर्स फर्टि-लाइजर्स कोआपरेटिव लि. और मैसर्स अशोक लेमिनेटरर्स हावड़ा के श्री महादेव खडकिया के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

केन्द्रीय क्रय समिति जिसे सार्वजनिक/सहकारी उर्वरक कम्पनियों के लिये जूट और एच. डी. पी. ई. के बोरों की खरीद की सिफारिश करने के लिये स्थापित किया गया था, को 16.1.90 को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनियां अब अपनी निर्धारित पद्धति के अनुसार जूट और एच. डी. पी. ई. के बोरों की खरीद प्रतियोगी दरों पर स्वयं करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि कुछ कम्पनियों के शीर्ष प्राक्के-गिकिविद कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आजकल, भ्रष्टाचार इतनी आम बात हो रही है कि लोग, यहां तक कि उच्च सरकारी अधिकारी भी इसे सामान्य बात की तरह ले रहे हैं। कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग के सचिव और औषध नियंत्रक ने कुछ लोगों पर हानिकारक और दूषित लवण पीने का आरोप लगाया था। हमने आई. डी. पी. एल. के अध्यक्ष को कई पत्र लिखे हैं परन्तु हमें कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा है। वे जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, यह मामला सी. बी. आई. के सुपुर्द है और सी. बी. आई. ने अपनी प्रारम्भिक जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर सम्बन्धित आफिसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और मेरी जानकारी में शायद यह पहला उदाहरण है कि पब्लिक सैक्टर के चीफ एक्जीक्यूटिव्ज को सस्पेंड किया गया है और वह भी एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 की संख्या

में सस्पेंड किये गये हैं। जिनमें से एक को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में 15 मई को एफ. आई. आर. लॉज करायी गयी और 11 मई को ये लोग सस्पेंड किये गये थे, 25 मई को उनके घरों की तलाशी ली गयी, जो इससे संबंधित थे। चूंकि जांच कार्य अभी चल रहा है इसलिये इससे अधिक कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पैकिंग में पालीथीन के थैलों का प्रयोग जीवन के लिए हानिकारक है। यदि हां तो क्या मन्त्री महोदय इनके बजाय पटसन के रेशे से बने थैलों के प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : असल में, माननीय सदस्य के प्रश्न का मूल प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है। इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिये।

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, कि जूट और एच. डी. पी. ई. के बोरों की खरीद में जो आरोप था, जिसके सिलसिले में कुछ लोगों का चार्ज-शीट किया गया, वह कितने रुपये की गड़बड़ी का आरोप था। जूट के बोरों और पौलिथीन के बैग्स का रेट ग्रॉउंड्स क्या था, कितना रेट तय हुआ था और इसकी वजह से कितने रुपये का फर्क पड़ा। यह एलीगेशन है इन तमाम पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले अनेक संस्थानों पर, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि रुपये की गड़बड़ी का या घोटाले का इसमें आरोप था।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : चूंकि अभी तक जांच कार्य चल रहा है और चार्ज शीट कोई है नहीं, इसलिये जहां तक बोरों की गड़बड़ी का सवाल है, वह राशि करीबन एक करोड़ रुपये आंकी गयी है, क्योंकि जिन कम्पनियों ने बोरा आपूर्ति की है, उन कम्पनियों को करीबन एक करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, फिर भी सही फीगर्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहा सकता क्योंकि सारे पेपर्स सी. बी. आई. के पास हैं।

श्री राजबीर सिंह : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने इस विषय पर पिछली बार भी यही सवाल उठाया था और उस समय मांग की थी कि उन अधिकारियों के खिलाफ सी. बी. आई. से जांच करायी जाये और जांच शुरू भी हो गयी। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सी. पी. सी. यानी सेन्ट्रल परचेजिंग कमेटी बनी थी, उसमें टोटल कितना भ्रष्टाचार पाया गया और जिन अफसरों के खिलाफ एफ. आई. आर. लॉज करायी गयी है और सी. बी. आई. ने उनके घरों की तलाशी भी ली है, उनके घरों से अब तक क्या-क्या बरामद हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के कारण यह सारा स्कैण्डल हुआ, क्या सी. बी. आई. की जांच के दौरान उन लोगों से भी पूछताछ और उनकी जांच करायी जा रही है या नहीं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : चूंकि जांच का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, जांच अभी चल रही है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिन लोगों पर प्रारम्भिक जांच में आरोप आये थे, उन सब अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफ. आई. आर. लॉज करा दिया गया है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मन्त्री जी को खत्म करने दीजिए।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : इसके अतिरिक्त उनके यहाँ जो सर्च कराया गया है, उसमें इस कांड से संबंधित कुछ कागजात बरामद हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप आये उन्हें तो आपने गिरफ्तार कर लिया सब कुछ कर लिया। परन्तु जिन लोगों के कारण, सेंन्ट्रल परचेजिंग कमेटी का निर्माण हुआ, जिन्होंने सी. पी. सी. गठित करायी, उन लोगों तक सी. बी. आई. के हाथ कब तक पहुंचेंगे और पहुंचने की संभावना है या नहीं, यही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : इसके बारे में, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्यों कि मामला अभी जांच में है। इतना अवश्य कह सकता हूं कि इसकी मूल जड़ में सी. पी. सी. है। सेन्ट्रल परचेजिंग कमेटी ही इसके मूल में है। अब सब कुछ सी. बी. आई. की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पायेगा, अभी तो जांच कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

डा. तम्बिदुरै : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल से हमारे अधिकांश साथियों ने पटसन के थैल, से संबंधित मामला इस सत्र में ही नहीं बल्कि पिछली लोक सभा में भी उठाया था। इतने वर्षों से वे इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अधिकांश उद्योग पटसन के थैलों की बजाय सिंथेटिक थैलों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यदि पटसन के थैलों में कहीं कोई कमी है तो क्या मंत्रालय ने पटसन के आधुनिक थले जो भारतीय उपभोक्ताओं के अनुकूल हों, बनाने के लिए कोई शोध कार्य शुरू किया है ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जहां तक पोलीथिन बैगस का सवाल है, उसकी जांच नहीं कराई गई है। जब तक सी. बी. आई. की जांच की रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती है हम कुछ नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछ रहे हैं कि आप जूट को छोड़कर सिनथेटिक क्यों खरीद रहे हैं ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जूट भी खरीदा जा रहा है और सिनथैटिक भी खरीदा जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : भारी मात्रा में पटसन उत्पादक क्षेत्र हैं, विशेषतौर पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भाग और असम। सरकार की एक प्रचलित नीति है। जिसके तहत एक विशेष अनुपात में केवल विभिन्न उद्योगों द्वारा ही नहीं अपितु भारतीय वायुसेना तथा थल सेना द्वारा भी पटसन के थैलों का प्रयोग किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वायुसेना के पास 7 लाख पटसन के थैले होते हुए भी उन्होंने 14 लाख पोलीथीन के

थैले खरीदे हैं और 5 लाख पोलीथीन के थैलों का आदेश दिया है। क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है, यदि हां, तो क्या उचित जांच कराने के बाद वह इस खरीद को रोक देंगे।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : रोसैंनतली अलग-अलग कम्पनियों ने अपने आदेश दिए हैं। जहां तक सी. पी. सी. का सवाल है सी.पी.सी. ने 154 लाख बोरे प्रतिमाह जूट और 153 लाख बोरे से कुछ अधिक प्रतिमाह के करीब पोलीथिन बैगस का आदेश दिया था, वह ले रहे थे।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया ठोस आरोप क्या है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पाये हैं और जिन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

दूसरे यह सच है कि चूंकि कई उद्योगों में पटसन के बोरों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के किसान, जो पटसन का उत्पादन करते हैं, बर्बाद हो गए हैं। सरकार को यह देखने के लिए एक नीति बनानी चाहिए कि अधिकांश उद्योग पटसन के बोरों का इस्तेमाल करें ताकि पटसन की खेती होती रहे और किसानों को लाभ हो।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : असल में जब सी. पी. सी. को ऐबोलिश कर दिया गया तो उसके बाद जितने यूनिटस हैं सबको यह आज दे दिया गया है कि वे स्वयं बोरे खरीदें। यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है और वे उस ढंग से काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि चार्ज क्या है ?

एक माननीय सदस्य : इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : यह बात सही है कि घोटाला है, यह बात भी सही है कि सी. बी. आई की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आने के तुरन्त बाद ही सम्बन्धित अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके घरों की तलाशी भी ली गई है, उन पर एफ. आई. आर. भी लॉज कर दिया गया है और जांच का काम आगे चल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी पब्लिक सेक्टर का यह पहला उदाहरण है हमारी जानकारी में कि एम. डी. रैंक के अफसर सस्पेंड किए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मेरा प्रश्न यह था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ठोस आरोप साबित नहीं किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, मैंने, माननीय मन्त्री को आपका प्रश्न दोहरा दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शिकायत क्या थी ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय प्रारम्भिक जांच की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन अफसरों ने बोरों की कीमत अधिक ली और जरूरत से ज्यादा ली जिस में करीबन एक करोड़ रुपया बोरों की आपूर्ति करने वालों को लाभ हुआ है।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस समय घाटाला हुआ, उस समय सेंट्रल परचेज कमेटी कौन से मन्त्री महोदय के अंतर्गत काम कर रही थी। इसके साथ ही मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह फर्स्ट इनफर्मेशन रिपोर्ट को भी यहां पढ़कर सुनायें और उसे सदन के पटल पर रखें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जैसा कि मैंने कहा कि अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है (व्यवधान)

श्री चाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तत्कालीन मन्त्री को बचा रहे हैं और उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं बता रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जायें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 27.12.88 को सी. पी. सी. के गठन के लिये आदेश हुआ और जनवरी 1989 में इसका गठन हो गया और इसको एबालिश (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मन्त्री कौन था ? कांग्रेस का था या जनता दल का था। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, वह मन्त्री जी का नाम भी बतायें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने पहले भी कहा है कि 27.12.88 को सी. पी. सी. के गठन के लिये आदेश हुआ और जनवरी 1989 में इसका गठन हो गया। उस समय राज्य मन्त्री श्री भजन लाल जी थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि भजन लाल जी का नाम कहां लिया गया है
(व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्य मन्त्री ही नहीं था। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल परचेज कमेटी की फाइल कृषि मन्त्री के पास आती है ?

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस बात को अभी स्वीकारा कि एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। चूंकि यह किसानों और मजदूरों से संबंधित मामला है इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सी. बी. आई. की जांच कितने दिनों में पूरी हो जायेगी और क्या इसको कोई समय सीमा सरकार ने निर्धारित की है ?

श्री हर गोविन्द सिंह : जब तक भजन लाल हैं तब तक कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब भजन लाल कहां हैं ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, जांच पूरी करने के लिए निश्चित तिथि तो निर्धारित नहीं

की जा सकती (व्यवधान) जो सफेद पोश होते हैं, जो कलम वाले अपराधी होते हैं वह पिस्तौल वाले अपराधी से ज्यादा खतरनाक और चालाक होते हैं और ये लोग अपने बचाव की पूरी कोशिश करेंगे इसलिए इनकी जांच में समय लगेगा, सी. बी. आई. के लोग गहराई में जा रहे हैं, उसमें समय लगेगा इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कितने समय में इसको पूरा कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, आप बार-बार उठते हैं, बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र : अभी अभी माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसलिए क्या आयकर विभाग सप्लाईकर्ताओं, सी. पी. सी. के सदस्यों तथा शासकों की सम्पत्ति की जांच करेगा ? हम इस बारे में चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा कि सी. बी. आई. वाले पूरी जांच कर रहे हैं और उनके घरों की तलाशी ली गई है और उनके घरों से इस सम्बन्ध में कुछ कागजात भी बरामद किये गये हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस संबंध में और कुछ नहीं कहा जा सकता।

मध्य प्रदेश के जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

*42. श्री लरंग साय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अम्बिकापुर, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में काफी संख्या में आवेदकों ने टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए राशि जमा करा दी है, लेकिन उनको टेलीफोन कनेक्शन अभी मंजूर किए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज देने का भी कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आवेदकों से अग्रिम धन राशि वसूल करने का क्या औचित्य है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 30.6.90 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची रायगढ़ जिला में 216, अम्बिकापुर (सरगुजा) जिला में 304 और बिलासपुर जिला में 938 है।

(ग) रायगढ़ जिले में 1990-91 के दौरान तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) और बिलासपुर जिलों में 1992-93 के दौरान प्रतीक्षारत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने की योजना है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री लरंग साय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप रायगढ़ में तो 90 और 91 में पूरा करने जा रहे हैं लेकिन अम्बिकापुर और बिलासपुर में 92 और 93 के बीच में करने जा रहे हैं तो क्या कारण है कि बिलासपुर और अम्बिकापुर के लोगों को आप एक साल बाद में कनेक्शन देंगे ? आपको यह कनेक्शन देने में दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है ? यह जानना चाहता हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन एक्सचेंज की जो मशीनें हैं, उनकी उपलब्धता का प्रश्न है। वह जैसे-जैसे मिलती जाती हैं, वह जिलों में एलाट होती हैं और उस हिसाब से जिस जिले का नम्बर आता है और वहां जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर किया जाता है तो उस हिसाब से रायगढ़ पहले आ रहा है और दूसरे एक साल बाद आ रहे हैं।

श्री लरंग साय : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने बताया है कि अम्बिकापुर में आप 304 कनेक्शन नहीं दे पाये हैं और बिलासपुर में 938 और रायगढ़ में 216 आपने कबूल किये हैं, इसमें जो पैसे जमा हुए हैं, उसका आप ब्याज देते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि रायगढ़ में आपने कितने कनेक्शन लेने वालों को उनकी जमा राशि पर ब्याज दिया है ? अम्बिकापुर में कितनों को दिया है और बिलासपुर में कितनी राशि का आप ने ब्याज दिया ?

श्री जनेश्वर मिश्र : ब्याज की स्पष्ट रकम तो मेरे साथ नहीं है लेकिन स्टेट बैंक में फिक्स डिपाजिट की जो ब्याज दर है उसी हिसाब से जिस तारीख से धनराशि जमा होती है और जब तक टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है, एक साल के हिसाब से उसका ब्याज दिया जाता है।

श्री हरीश रावत : टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची का मामला अत्यन्त गम्भीर है और यह प्रश्न केवल रायगढ़, अम्बिकापुर और बिलासपुर तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के छोटे-छोटे सारे शहरों में जहां टेलीफोन एक्सचेंज लगे हैं, जितने कनेक्शंस अभी तक मिल पाये हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो नई टेलीफोन पालिसी बनाई है, उसके अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में इन सारे प्रतीक्षा सूचीरत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने विषय में वह कुछ कह सकने की स्थिति में हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते, जो इस समय प्रतीक्षा सूची है, वह देश में 18 लाख है, सारे के सारे इलैक्ट्रोनिक हो जायेंगे।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना है कि अहमदाबाद जिले के अंदर भावनगर जिले के अंदर जो सिस्टम बदल दिया गया है, उससे वहां अच्छी सुविधा मिली है। लेकिन जब हम लोग डी. ई. टी. से मिलने जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं कि अभी तक हम को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, गुजरात के अंदर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की मांग कब तक पूरी हो जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत व्यापक स्तर पर चला गया है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का भी लक्ष्य है कि जितने भी मैन्युअल और क्रॉस बार एक्सचेंज स्ट्रोजर एण्ड क्रॉसबार एक्सचेंज हैं, वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे के सारे बदल दिए जायेंगे और सब जगह इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हो जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री माणिक सान्याल : यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। यह केवल रायगढ़, बिलासपुर और अम्बिकापुर से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि मेरे विचार में सम्पूर्ण भारत से संबंधित है। मेरे विचार में मन्त्री महोदय मेरे जिले जलपाईगुड़ी की स्थिति से भिज्ञ होंगे। नये टेलीफोन कनेक्शनों की दृष्टि से यह जिला बुरी तरह प्रभावित जिला है। टेलीफोन विभाग के पास कई आवेदन पत्र लंबित हैं। वे नये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कुछ निश्चित जगहों तक ही सीमित है।

श्री माणिक सान्याल : मेरे जिले में हस्तचालित बोर्ड ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। यद्यपि मंत्री महोदय मेरे जिले में एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, इसे 1991-92 तक स्थापित कर दिया जाना चाहिए। परन्तु मैं नहीं जानता कि वह कब तक स्थापित किया जाएगा। क्या वह वर्तमान हस्तचालित बोर्ड को बदलने पर विचार करेंगे ताकि मेरे जिले के लोगों जिनके आवेदन पत्र विभाग के पास नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित हैं को नये कनेक्शन मिल सकें ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने भी मैन्युअल एक्सचेंज हैं, वे सब बदल कर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज कर दिए जायेंगे, लेकिन जलपाईगुड़ी में यह काम 1992-93 में हो पाएगा और तब तक वेटिंग लिस्ट पूरी हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पेस्फिक सवाल था और मंत्री जी कोई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

यमुना पार क्षेत्रों में डी. टी. सी. बसों की सेवाएं पुनः चालू करना

[अनुवाद]

*43. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने यमुना पार के क्षेत्रों में, विशेषकर आनन्द विहार में सभी मार्गों पर बस सेवाएं पुनः आरम्भ कर दी हैं क्योंकि सड़कों/सीवर लाइनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यमुना पार क्षेत्र में अतिरिक्त डी. टी. सी. टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव है और क्या इस प्रयोजनार्थ आनन्द विहार में भूमि देने की पेशकश की गई है, और

(घ) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सड़कों और सीवरेज लाइनों का निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली परिवहन निगम के रूट संख्या 281 को छोड़कर सभी रूटों पर सेवाएं पुन: चालू कर दी हैं।

दिलशाद गार्डन और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बरास्ता आनन्द विहार चल रहे रूट संख्या 281 का मार्ग बदल कर आनन्द विहार के बाहर से समानान्तर सड़क से कर दिया गया था। सड़क के इस खण्ड पर यह बस रूट राम विहार, सूरजमल विहार, सैनी इन्क्लेव, बाहुबली इन्क्लेव और अन्य कालोनियों की सेवा कर रहा है जहां की आबादी इस अवधि के दौरान कई गुना बढ़ गई थी जब आनन्द विहार में अक्तूबर, 1984 से जुलाई, 1989 तक की अवधि के दौरान सीवरेज डालने का काम चल रहा था। अत: रूट संख्या 281 को बंद नहीं किया जा सका क्योंकि इसे बंद करने से अधिक बहुत से यात्रियों को असुविधा हो जाती। तथापि इसके स्थान पर आनन्द विहार और स्टेट्स मैन (कनाट सर्कस) के बीच रूट संख्या 281 पर एक पूर्ण विशेष शटल सेवा अक्टूबर, 1989 में शुरू की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से निम्नलिखित स्थानों पर टर्मिनलों के लिए भूमि निर्धारित करने का अनुरोध किया है :—

1. रोहिणी
2. आनन्द विहार
3. दिलशाद गार्डन
4. सिंघड़ीपुर/कल्लूपुरा
5. विवेक विहार
6. उत्तरी वजीराबाद रोड

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली परिवहन निगम के अनुरोध के उत्तर में अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा दिए जाने के बाद टर्मिनलों को विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा बशर्ते कि अपेक्षित निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर सभापटल पर रखा गया है, उससे ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। मेरा प्रश्न यह था कि आनन्द विहार में सीवर का काम हो रहा था, इस काम से पहले बस रूट संख्या 281, 313,

333, 342, 343 और 345 चल रही थी। यह आश्वासन दिया गया था कि जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर ये बस सेवायें शुरू की जायेंगी, लेकिन अभी तक ये सेवायें शुरू नहीं की गई हैं। इस वजह से वहां के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। उत्तर में यह कहा गया है कि बस रूट संख्या 313, 342, 343, 345 आदि बसें चालू की गई हैं। हमारा कहना यह है कि जिस वक्त सीवर बन रहा था, उससे पहले ये बसें चल रही थीं और पुन: इन सब बसों को चलना चाहिए था वह बसें अभी तक क्यों नहीं चल रही हैं ? मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जहां तक इस प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी की बात है, सड़कों और सीवर लाईन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद हमने सिवाय बस मार्ग संख्या 281 के, सभी मार्गों पर बसों को पुन: शुरू कर दिया है। निर्माण 1984 में शुरू हुआ और 1989 तक चला बस मार्ग संख्या 281 जो कि आनन्द विहार होते हुए दिलशाद गार्डन और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चल रही थी, को आनन्द विहार के बाहर ही बाहर एक समानान्तर सड़क पर चलाया गया। इस सड़क पर एक बस रूट राम विहार, सूरजमल विहार आदि जगहों और अन्य बस्तियों के लिए बनाया गया है जहां पिछले पांच वर्षों की अवधि में काफी जनसंख्या बढ़ी है। अत: मार्ग संख्या 281 को इस परिवर्तन के बाद नहीं हटाया गया क्योंकि इससे इस क्षेत्र के कई बस यात्रियों को असुविधा होगी। तथापि, आनन्द विहार और कनाट सर्कस स्टेट्समेन के बीच अक्टूबर, 1989 से पूरे दिन चलने वाली शटल सेवा शुरू की गई है।

जहां तक उन अन्य मार्गों का सम्बन्ध है, जिनका जिक्र किया गया है, एक मार्ग संख्या 333 थी जिसे वास्तव में बरसाती सेवा कहा जाता था। यहां जिस प्रश्न का जिक्र किया गया है, वह भिन्न है। यदि वह इसे दूसरी तरह से बनाते तो मैं इसका उत्तर देता। इस मार्ग पर कम भीड़ की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब यह जहांगीर पुरी और दिलशाद गार्डन के बीच चलती है। अत: मैं समझता हूं कि जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है हमने जो उत्तर दिया है वह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमें इसके विपरीत जानकारी प्राप्त हुई है। आनन्द विहार से चलने वाली बसें जो पुरानी दिल्ली, बस अड्डा आदि स्थानों के लिए चलती थीं, इनमें से एक भी बस अभी तक इन स्थानों से नहीं चल रही है। इससे लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है और मंत्री जी ने दूसरी बसों का एलान किया है। हमें जो दिल्ली परिवहन निगम से आश्वासन मिला था, उसकी कापी मैं आपके पास भेज रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जब सीवर बन जायेंगे तो पुन: इन बसों को चालू कर दिया जायेगा। इनके आश्वासनों के बावजूद भी अभी तक ये बसें चालू नहीं हुई हैं।

दूसरा, मेरा कहना यह है कि आनन्द विहार के बी ब्लाक के नाले के पास एक बहुत बड़ा भूखंड है और वह भूखंड स्टेशन के निकट है और डी. टी. सी. की यह नीति है कि स्टेशन के निकट टर्मिनल बना देंगे। अगर ऐसी नीति है तो क्या सरकार इसको बनायेगी ? हम चाहते हैं कि वह टर्मिनल उस जगह पर बने जो स्टेशन के निकट है। आनन्द विहार के बी ब्लाक के नाले के पास वह जमीन है, तो क्या सरकार उसके पास टर्मिनल बनाने का इरादा रखती है ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह निर्माण कार्य 26 अक्टूबर, 1984 में शुरू हुआ था और उस समय आनन्द विहार से एक बस सेवा प्रदान की गई थी यह बस मार्ग संख्या 345 पर आनन्द विहार से उद्योग भवन तक चलती थी और हमने इस मार्ग पर तीन बसें चलायीं। लेकिन प्रश्न आनन्द विहार से प्रारम्भ होने वाले बस मार्गों के बारे में था। आनन्द विहार से होते हुये अन्य बसें भी चलती थीं जैसे मार्ग संख्या 281 जो दिलशाद गार्डन से चलती थी मार्ग संख्या 313 जो विवेक विहार से शुरू होती थी, मार्ग संख्या 342 और 343 भी विवेक विहार से चलती थी। परन्तु वह आनन्द विहार से प्रारम्भ नहीं होती है। अतः जैसे ही ये सड़कें ठीक कर दी गयी वैसे ही हमने इन बसों को फिर से चलाया। बस मार्ग संख्या 313, 342, और 343 को 13 जुलाई, 1989 से पुन: चलाया गया था और जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट किया है, बस मार्ग संख्या 281 जिसे नई बस्तियों से होकर चलाने की बजाय कहीं और से परिवर्तित मार्ग पर चलाया गया था उसे उसी तरह बरकरार रखा गया क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा हो।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से 6 स्थानों पर टर्मिनलों के वास्ते जमीन देने के लिए निवेदन किया है, जिनके नाम इस तरह हैं :

कोंडली
आनन्द विहार
दिलशाद गार्डन
खिचड़ीपुर
विवेक विहार
वजीराबाद सड़क के उत्तर में

अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे आग्रह पर कोई जवाब नहीं दिया है और न ही हमें टर्मिनलों के लिए जमीन दी है। मैं इस बात को मानता हूं कि बसों की काफी कमी है और हम बस सेवा में सुधार करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यमुना पार, जो लाखों बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं, जिनमें अधिकतर मजदूर वर्ग के हैं, इनको काम के लिए प्रतिदिन दिल्ली आना होता है तथा बसों की कमी की वजह से काफी कष्ट होता है, इनकी सुविधा के लिए क्या आप और बसों की व्यवस्था करेंगे। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि डी. टी. सी. टर्मिनल बनाने के बारे में भी क्या शीघ्र व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को कठिनाई न हो :

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, मैं मानता हूं कि यमुना पार की

बस्तियों में पिछले कुछ वर्षों में या पिछले एक दशक में या पिछले तीन या चार वर्षों में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं यह भी मानता हूँ कि जहां तक परिवहन की बात है वहां यह समस्या काफी अधिक है और दिल्ली परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम इन सेवाओं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मुझे कहने की इजाजत दी जाय तो मैं कहूंगा कि यहां 7500 बसों की आवश्यकता के बावजूद केवल 4406 बसें चल रही हैं जिनमें दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली 550 निजी बसें हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि बसों की बहुत कमी है और सीमित संसाधन तथा उपलब्ध बसों की संख्या के बावजूद हम बस सेवायें जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पिछली डी. टी. सी. स्ट्राइक 16 मार्च 1988 को हुई थी, उस समय फार दी टाइम बीइंग, एक-आध महीने के लिए, जब तक स्ट्राइक है, जो प्राइवेट बसें अण्डर डी टी सी आप्रेशन थी, उनको "जितना कमाओ, उतना खाओ" यह कहा गया। डी टी सी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, जब तक स्ट्राइक थी। आज दो साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन पर डी टी सी का कोई कंट्रोल नहीं है। डी टी सी का कंडक्टर और टिकटें भी हटा ली गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह एडहाकिज़्म कब तक चलेगा और यह नीति कहां पर पास हुई, किस मीटिंग में इसकी स्वीकृति दी गई, जितना कमाओ, उतना खाओ, प्राइवेट बसेस के लिए यह नीति कहां पर तय हुई।

अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जब डी टी सी की हड़ताल हुई थी, उस समय डी टी सी में कुल कितनी बसें थीं, इन्कलूडिंग प्राइवेट बसेस और आज कितनी बसें हैं तथा सेवंथ प्लान में कितनी बसें चाहिए थीं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, इस वक्त हमें लगभग 7500 बसों की जरूरत है। जबकि हमारे पास 4406 बसे दिल्ली परिवहन निगम का है और 550 निजी बसे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : दो साल पहले, मार्च 1988 में कितनी थीं?

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : वर्ष 1989-90 में हम 506 बसें और चलाना चाहते। लेकिन, प्रक्रिया संबंधी कुछ विलम्बों की वजह से इसमें देरी हुई तथा 1990-91 में अकेले बसें बदलने पर हमें 528 बसों की जरूरत पड़ेगी और यह भी दिल्ली परिवहन निगम के उपलब्ध सीमित साधनों की वजह से स्थगित करना पड़ा हम पुनः कोशिश कर रहे हैं और संबंधित मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं। इसे शामिल करने के लिए अन्तर मंत्रालय चर्चायें चल रही हैं। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दिल्ली परिवहन निगम में कई प्रबन्ध सम्बन्धी खामियां हैं, और जब भी इस सम्बन्ध में हमसे प्रश्न किये जाते हैं, तो कार्यवाही की जाती है। हम बस सेवाओं में सुधार के साथ-साथ निकट भविष्य में और बस सेवा चलाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि मार्च 1988 से पहले प्राइवेट बसें अन्डर डी. टी सी चलती थी ...(व्यवधान) आज की वे बसें अन्डर डी टी सी चलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मुझे इसके लिए एक अलग नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली परिवहन निगम के माध्यम से जितनी भी बसें दिल्ली में चलती हैं उन बसों में किसी भी महिला यात्री को प्रवास करना सुविधाजनक नहीं है। बसों को जब हम देखते हैं तो यात्री बाहर दरवाजे पर लटक कर यात्रा करते हैं। क्या दिल्ली परिवहन निगम महिलाओं के लिए कोई विशेष बस व्यवस्था प्रारम्भ करेगा ? ये जो बसें चलायी जा रही हैं उनमें महिलाओं के लिए बैठने की कोई अलग से व्यवस्था और चढ़ने की कोई अलग व्यवस्था करेंगे, जैसे बम्बई में बी. एस. टी. की बसें चलती हैं, वहां यात्रा करने में महिलाओं को कोई कष्ट नहीं होता। क्या वैसे ही दिल्ली परिवहन निगम के माध्यम से महिला यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आज कोई भी महिला बसों में अच्छी तरह से यात्रा नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से वाकिफ हूं। महिला यात्रियों को परेशान किए जाने के बारे में बार-बार कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमने दिल्ली परिवहन निगम को निर्देश दिये हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह सब न हो। परन्तु जैसे कि मैंने स्पष्ट किया है मुम्बई का सामाजिक परिवेश दिल्ली से काफी भिन्न है और मैं नहीं समझता हूं कि खाली महिलाओं के लिए बस सेवायें शुरू करना ही इस समस्या का एक मात्र हल है। मैं समझता हूं कि स्वयं दिल्ली की बसों के डिजाईन में आधारभूत रूप से खामियां हैं। हम इन पर गौर कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महिला यात्रियों, वृद्धों, विकलांगों आदि को बसों में विशेष सुविधा दी जाय। इस वक्त दिल्ली में ऐसे कई यात्री है जो बिना किराया दिये उतर जाते हैं। ये सभी समस्यायें आयी हैं और हम इन पर गौर कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं उन सदस्यों में से हूं जो अक्सर इन सरकारी बसों में यात्रा करते हैं, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्हें मालूम है कि मैंने आधे घंटे की चर्चा में यह पूछा था कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में लगे बोर्ड स्पष्ट होने चाहिए। इस पर सहमति भी हुई थी और कुछ बोर्ड लगाये भी गये थे, लेकिन अब इन बोर्डों को पढ़ना बहुत कठिन है अर्थात वे बसें कहां जा रही हैं। या तो वे चॉक से लिखे होते हैं या पूरी तरह से अंधकारमय होते हैं। लोगों को सही बस मिलने में कठिनाई होती है। क्या मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा और इसे दूर करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब मैं समझता हूं बहुत कॉफिंग और कंफ्यूसिंग है मेरी समझ में ये बात नहीं आयी। इन्होंने कहा कि 1989-90 में 500 बसें ऐड करनी थी, लेकिन नहीं की। 1990-91 में 507 बसें ऐड करनी थी, उसके लिए पैसा नहीं है। दिल्ली में बसें कम हो रही हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मंत्री महोदय किस बात के लिए मंत्री हैं। इन्होंने डी. टी. सी. चलाने की जिम्मेदारी ली है और कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता दिल्ली में बसें क्यों नहीं बढ़ाई जाती। दिल्ली की सड़कों पर कारें बढ़ रही हैं तो बसें क्यों कम हो रही हैं। कब बसें चलायेंगे और इसके लिए क्या प्लान है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है सीमित संसाधनों को देखते हुए नई दिल्ली में बसों की खरीददारी में हो सकता है काफी धीमी प्रगति हुई हो, हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में कुछ कदम उठाये हैं तथा अन्तर मन्त्रालय चर्चाएं चल रही हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कब तक ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जितनी जल्दी संभव हो।

पंजाब में आतंकवाद समाप्त करने के लिए उठाए नए कदम

+

*44. श्री उत्तम राठौड़

श्री योगेन्द्र झा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवाद समाप्त करने और सामान्य स्थिति लाने हेतु वहां हाल ही के सप्ताहों में कोई नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और अभी तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार का पंजाब में चुनाव कब कराने का विचार है ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

पंजाब में स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा समय-समय पर आवश्यक नये उपाय/कार्यवाई की जाती है। तदनुसार मई, 1990 में कानून और व्यवस्था संबंधी अनेक उपाय,

सीमा व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन का पुनर्गठन तथा सीमावर्ती जिलों में विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए। हाल ही में, आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए एक बहु-उद्देशीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला उप-मण्डल तथा ब्लाक स्तर के विकास सम्मेलनों में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सभी सक्रिय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाना शामिल है। सरपंचों तथा हितैषी समूहों के सदस्यों, जैसे अध्यापकों/वकीलों भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी समस्याओं को सुनने और उनका क्रियात्मक स्तर पर हल निकालने के लिए उपस्थित होंगे। ग्राम स्तर से जिला स्तर तक खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विक्षुब्ध क्षेत्रों के युवकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय भी किए जा रहे हैं।

राज्य में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान समयावधि 10 नवम्बर, 1990 को समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य स्थिति में उस तारीख से पहले चुनाव कराना जरूरी होगा। यह आशा की जाती है कि विभिन्न राजनीतिक दल तथा समाज के सभी वर्गों के लोग राज्य में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उचित वातावरण पैदा करने में मदद करने के लिए आगे आएंगे।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : उत्तर की तीसरी पंक्ति में इस बात का जिक्र है कि मई, 1990 में उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं और आगे यह कहा गया है कि एक बहुउद्देशीय कार्य योजना शुरू की गई है। परन्तु मैंने देखा है कि यह केवल एक प्रस्ताव है मैं जानना चाहता हूं कि आप यह कब शुरू करेंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसमें भूमि सुधार, अन्तर राजकीय जल विवाद और चंडीगढ़ और पंजाबी बोले जाने वाले भागों का पंजाब को अन्तरण जैसे मुद्दों पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि जिले के चौतरफा विकास के लिए एक्शन प्लान बनाया है। अभी तक सरकार पुलिस एक्शन प्लान पर निर्भर करती रही है और मैं समझता हूँ कि पंजाब समस्या का समस्या का समाधान पुलिस एक्शन से नहीं होगा।

इसलिए हमने लिए एक्शन प्लान बनाया है। इस काम को करने का सवाल है तो चार जिलों के पंचों के सम्मेलन को विभिन्न स्तरों पर हमने सम्बोधित किया है और हरेक जिले के लिए एक कलैन्डर बनाया गया है। उस कलैन्डर में तारीख अंकित है और किस ब्लाक और किस प्रखंड का सम्मेलन होगा और वहां के लोग अपनी बात कहेंगे जिसमें पदाधिकारी उस सम्मेलन को प्रिजाइड करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न सचिवों को एक-एक जिले की जिम्मेवारी दी गई है। जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सब-डिवीजन और ब्लाक की जिम्मेवारी दी गई है, जो तीन-चार डिस्टर्ब जिले हैं, उसके लिए कमिश्नर की व्यवस्था की गई है जो खासकर अमृतसर और फिरोजपुर जैसे तीन-चार जिलों के विकास का काम देखेंगे। विकास के सचिवों को जिम्मेवारी दी गई है कि वे विभिन्न विभागों के फैसले कर पाएं। हम यह मानते हैं कि पंजाब की समस्या का समाधान जन-शक्ति के द्वारा होगा। पुलिस की गोली और आतंकवाद में जो फंसे हुए हैं तो उनसे अलग हटाकर वहां के लोगों को इस लड़ाई में आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जिला प्रशासन दो-तीन साल से निकम्मा हो गया था। इस प्रक्रिया में एक अफसर को

कम से कम चार महीने के बाद एक महीने का काम किया है। एक आदमी जो यूथ का लीडर बना था उसने पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है। वहीं नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिलों में उपाय नहीं किया गया है। वहां डिप्टी कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जिले के विकास के लिए सम्मेलन करना चाहता है तो विकास के पदाधिकारी जाएं और उनको जानकारी दें और सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। यह सारा काम शुरू कर दिया गया है और हरेक पन्द्रह दिन में डिस्ट्रीक्टवाइज मानिटरिंग की जाती है। यह सरकार की नीति है कि वहां कोई डेमोक्रेटिक सेन्टर बनाए जाएं ताकि कुछ फैसला हो।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठोड़ : महोदय, इंडियन एक्सप्रेस में मनोहा अरुणसूरी ने हाल ही में लिखा है कि पिछले 6 महीनों में पंजाब में केवल 1800 हत्यायें हुई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? क्या वह जो कुछ श्री अरूण सूरी ने लिखा है—उससे सहमत है या इससे असहमत है?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि अभी शौरी जी ने क्या लिखा है, लेकिन मैं बाइबल को एक पवित्र ग्रंथ मानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में सीमा पार से जो आतंकवादियों का बड़े पैमाने पर आर्म्स का प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब में सिविलियन किलिंग बढ़ी है और उसमे ज्यादा दुःखदाई चीज यह है कि पुलिस फोर्स और पैरा-मिलिटरी पर हमले हुए हैं। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इससे वहां पर विकास की गति रोकी नहीं जायेगी इसलिए हम ये सारे काम चलाते जा रहे हैं। पुलिस और पैरा-मिलिटरी फोर्स इनसे निपटने में बड़ी क्षमता से काम कर रही हैं। पंजाब की पुलिस इस प्रेशर का बड़ा बुलन्दी से मुकाबला कर रही है।

श्री योगेन्द्र झा : जब से सरकार बनी है वह राजनीतिक और प्रशासनिक दोनो कदम उठाने की बात करती आ रही है। कुछ प्रशासनिक कदमों का जिक्र वक्तव्य में है और मंत्री जी ने भी कहा है। मैं राजनीतिक पहलू को सामने लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुख्य मुद्दा यही है। जो फिरकापरस्ती का मामला चला है उसका यह आधार है इसलिए प्रचार से लोगों को समझा कर कि साम्प्रदायिकता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा और किसी भी सम्प्रदाय के मानने वाले हों वे भारत के नागरिक है और खास कर सिख तो अगली कतार में रहे हैं उनका भारत पर पूर्ण अधिकार है एक भारतीय के नाते जो साम्प्रदायिकता को कभी गर्म, कभी थोड़ा गर्म या छोटे बड़े रूप में देखते है उनको भी समझाया जाना चाहिए। इस मूल आधार पर भारत सरकार क्या राजनीतिक पहल करने जा रही है या नहीं कि वह कभी भी साम्प्रदायिकता से समझौता नहीं करेगी। पहली सरकार ने ऐसा समझौता किया था। आप एक राजनीतिक पहल करें जिससे असाम्प्रदायिक तत्व हिम्मत से उठ सकें और कहें कि हम भारतीय हैं, पंजाब की जो समस्या है उस पर पंजाबी के नाते हम विचार करें। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासनिक मामले में मैं जानना चाहूंगा कि वहां नये राज्यपाल गये है और जाते ही उन्होंने आपरेशन ब्लू स्टार की भर्त्सना की। इससे क्या संदेश देना चाहते है, क्या जितनी हत्यायें हुई हैं उनके इस वक्तव्य का कुछ असर हुआ है और

हत्याओं में कमी आई है, क्या आपरेशन ब्लू स्टार गलत था, क्या इसका मतलब यह है, (व्यवधान) जो राज्यपाल ने वक्तव्य दिया है क्या भारत सरकार की जो नीति है उसको प्रधान मन्त्री या गृह मंत्री नहीं बता सकते थे ? उन्हों से कहलाया है और कहलाया है तो उसका आगे क्या मतलब है ? मेरा कहना यह है कि यह खुला युद्ध नहीं है, यह लुका-छिपी है, इसका मुख्य आधार यह है कि गुप्त-तंत्र को ज्यादा मजबूत किया जाये। क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है ताकि निर्दोषों की हत्या न होने पाये, निर्दोष तबाह न हो और दोषी बचे नहीं। नहीं तो एक बम फेंका जाता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, आरक्षी बल पहुंचता है और अब वह मारता है तो उसमें निर्दोष मारे जाते हैं क्योंकि हत्यारे तो वहां से भाग चुके होते हैं और फिर गुप्तचर उन्हें पकड़ते हैं या नहीं ? चुनाव के पहले इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि मतदान स्वतन्त्र रूप से हो और उसमें जबरदस्ती नहीं हो। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ब्लू स्टार की घटना का सवाल है, उसमें इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के दृष्टिकोण में अगर कहीं लगता है कि कहीं कोई घटना हो रही है तो उस की रोकथाम करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि इसमें किसी की मानसिकता पर चोट होती है तो उसको भी देखना कहीं कहीं पर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सिक्ख समुदाय में उस घटना के ऊपर भावनायें हटी हुई हैं तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए था। अब रहा सवाल गुप्तचर विभाग को, तो इसके लिए अमृतसर में कंट्रोल रूम बनाये गये हैं जिसके अन्तर्गत पैरा-मिलिस्ट्री फोर्सेज, पंजाब फोर्स और गुप्तचर विभाग, ये सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 30 घंटे तक फांस-फायरिंग होने के बाद वहां पर आतंकवादी पकड़े गये और कुछ मारे गये। यह पंजाब में किसी तरह का कोई लकुना नहीं है, न कहीं कोई खिलाफत है। बाकायदा सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसमें अब प्रशासनिक विभाग, राजनैतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया गया है ताकि सब एक साथ शामिल हों जिससे समस्या का भीतरका हल ढूंढा जा सके।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : महोदय हर रोज कई लोगों की हत्या की जाती है। मैं पंजाब का हूं और मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : एक महीने तक पंजाब के पांच जिलों में गांव-गांव में यह चल रहा है। वहां के लोगों की समस्या यह है कि वहां के जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार हैं, एक एक के पास 200 एकड़ से लेकर हजार-बारह सौ एकड़ जमीन है जिसको लैंड सीलिंग के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। इस तरह से इस एक्ट का सबसे ज्यादा मजाक पंजाब में उड़ाया गया है। लोगों का धर्म परिवर्तन भी इस कारण हुआ है और जो अन्य समस्यायें हैं, उनमें भी मूल कारण यही है। एक बात और इससे बड़ी है कि वहां के जो बड़े-बड़े मिनिस्टर्स, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके पास भी इतनी ज्यादा जमीनें हैं जिस पर केन्द्रीय सरकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर हाथ डाल सकें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक एक दृढ़ निश्चय के साथ इस ज्यादा जमीन को लैंड सीलिंग एक्ट के अन्दर लेकर इसको इम्प्लीमेंट करके गरीबों में बंटवाने की ताकत आप में है या नहीं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब बात कही गयी है। समाज में तनाव का मुख्य कारण जमीन है और सरकार ने लैंड सीलिंग में लैंड डालकर इकतरफा फैसला कर लिया है कि देश भर में तमाम जगह पर लैंड सीलिंग लागू किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब वर्तमान पंजाब के राज्यपाल ने पद भार संभाला तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि पंजाब में चुनाव 10 नवम्बर से पहले कराये जायेंगे? इससे आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है तथा वाणिज्य और वित्त मन्त्री सरदार बलवन्त सिंह की हत्या के बाद और कई हत्यायें हुईं। उनके दाह संस्कार पर माननीय राज्यपाल ने एक वक्तव्य दिया था कि पंजाब में तब तक चुनाव नहीं होंगे जब तक कि वहां शान्ति नहीं हो जाती है। इसके अगले ही रोज केन्द्रीय विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि पंजाब में चुनाव निश्चित रूप से 10 नवम्बर 1990 से पहले होंगे। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार की भ्रान्ति को रोकने के लिए कुछ किया है? इस पर सरकार का रवैया क्या है?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि जब पंजाब पर अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा था जो उस समय तमाम पार्टियों के नेता भी यही मानते थे कि चुनाव कराये जायें, इनकी पार्टी के नेता भी यही चाहते थे, इसलिए हमने 6 महीने का टाइम मांगा था ताकि 6 महीनों में वहां ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके (व्यवधान) इन 6 महीनों में ही हमें तय करना होगा कि पंजाब में चुनाव कराये जायें या नहीं। इसलिए मेरा आप तमाम पार्टियों के सदस्यों से अनुरोध है कि ऐसा वातावरण तैयार करने में आप हमारा सहयोग करें जिससे कि वहां का प्रशासन और प्रदेश की जनता मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर पाये। आप सब पार्टियों को अपना सहयोग हमें देना होगा। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो चौतरफा हमले की तैयारी थी, उसी का नतीजा है कि आतंकवाद को वहां इतना ज्यादा बढ़ावा मिला. इस गंभीरता को भी आपको समझना होगा।

स. अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपना प्रथम भाषण देने का अधिकार मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्वेश्चन आवर है, इसमें आप केवल प्रश्न कीजिए।

स. अतिन्दर पाल सिंह : यहां पर अभी कांग्रेस बैंचेज की तरफ से आपरेशन ब्लू स्टार के मामले में कुछ सवाल उठाये गये, आतंकवादियों के संबंध में कुछ सवाल उठाये गये, कुछ दूसरे सवाल उठाये गये, मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है, इसका फैसला करने का अधिकार क्या किसी कानून को है, या यहां की पुलिस को वह अधिकार है। एक मैं आतंकवादी करार दिया गया, जो आपके सामने खड़ा है। सेडीशेटिव एगेन्स्ट एक्ट करके पूरे नेशन का पौने चार करोड़ रुपया इसी तरह के झूठे केसेज पर खर्च कर दिया गया। पौने चार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, वे सभी केसेज वापस ले लिये गये। मैंने अदालत में कहा कि केस वापस नहीं लिया जाना चाहिए, केस चलना चाहिए, ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि इस देश में

आतंकवादियों को कौन क्रिएट कर रहा है। मेरे ऊपर, अरेस्ट होने से पहले तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था लेकिन अरेस्ट होने के बाद मेरे ऊपर अनेक झूठे केस बनाये गये। मैं पूछना चाहता हूँ कि वे केस क्यों बनाये गये। आतंकवाद की परिभाषा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा, अभी आप बैठ जाइये। क्वेश्चन आवर ओवर।

(व्यवधान)

स. अतिन्दर पाल सिंह : मैं पूरे हाउस को अपने कान्फीडेंस में लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जाइये, मैं आपको बाद में समय दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-पाक वार्ता

[अनुवाद]

*45. श्री नकुल नायक :

श्री प्रभुमाई कैलोरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर पर वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर वार्ता हुई तथा इस वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(ग) पाकिस्तान का शिमला समझौते के प्रति क्या दृष्टिकोण था ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) और (ख) परस्पर विश्वास विकसित करने के एक समग्र प्रस्ताव के अनुसरण में, जो भारत ने 28 मई, 1990 को रखा था, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की एक बैठक 17 से 20 जुलाई, 1990 तक इस्लामाबाद में हुई थी जिसका उद्देश्य आपसी संबंधों के मौजूदा तनाव को खत्म करके अच्छे पड़ोसियों के से संबंध विकसित करने के बारे में विचार-विमर्श करना था। इस्लामाबाद की यह बातचीत एक अन्वेषी प्रकृति की थी। इस संदर्भ में आगे अब 9 और 12 अगस्त 1990 के बीच नई दिल्ली में बातचीत होगी।

(ग) पाकिस्तान यह कहता है कि वह शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है लेकिन व्यवहार में पाकिस्तान ने इसके कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

नई कृषि नीति

*46. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने कोई नई कृषि नीति बनाई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में योजना आयोग और राज्य सरकारों से परामर्श किया था, यदि हां, तो किन मुद्दों पर सहमति हुई; और

(ग) नई कृषि नीति के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है और इसे संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) एक कृषि नीति संकल्प तैयार किया जा रहा है।

(ख) कृषि मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गए कृषि नीति संकल्प के प्रारूप पर योजना आयोग और भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालयों तथा विभागों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और बाद में 15-6-90 को आयोजित एक सेमिनार में इस प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों और कृषि-प्रशासकों ने भाग लिया था। इन विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए नीति के प्रारूप में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) कृषि नीति संकल्प को संसद के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

भारत-नेपाल समझौता

*47. प्रो. रूपचन्द पाल :

श्री आर. एन. राकेश :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1990 के दूसरे सप्ताह में भारत के प्रधान मन्त्री और नेपाल के प्रधान मंत्री के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस भारत-नेपाल समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) नेपाल के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा की समाप्ति पर 10 जून, 1990 को भारत के प्रधान मंत्री तथा नेपाल के प्रधान मंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए थे। इस संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों के बीच एक अप्रैल, 1987 से पहले की स्थिति बहाल करने की व्यवस्था है द्विपक्षीय संबंधों के समग्र पहलुओं पर एक व्यापक प्रबंध को अन्तिम रूप देने तक के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसे क्रियान्वित करने के लिए दोनों सरकारें जो आवश्यक कदम उठाएंगी वे इस विज्ञप्ति के दो अनुबंधों में निर्दिष्ट हैं। दोनों पक्षों ने वचन दिया कि वे द्विपक्षीय सहयोग के एक युग में प्रवेश करेंगे, विशेष रूप से औद्योगिक एवं मानवीय संसाधन विकास, साझा नदियों के जल का उपयोग

और पर्यावरण की संरक्षा और प्रबंध के क्षेत्रों में। इस संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों पक्षों की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें दोनों पक्षों ने अपनी इस इच्छा की पुन: पुष्टि की है कि वे न सिर्फ भारत और नेपाल के संबंधों को सामान्य बनाएंगे बल्कि उन्हें नए-नए आयाम और गति भी प्रदान करेंगे।

कृषि विज्ञान केन्द्र

[हिन्दी]

*48. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, धन की कमी के कारण अगले दो वर्ष के लिए इस संबंध में निश्चित योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न का उत्पादन

*49. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1989-90 में रबी की फसल का देश में कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : वर्ष 1989-90 को रबी फसलों के उत्पादन के फाइनल अनुमान अभी सभी राज्यों से नहीं मिले हैं। लेकिन, इस विभाग में लगाए गए प्राथमिक अनुमानों के आधार पर रबी की खाद्यान्न फसलों के अनुमान इस प्रकार हैं :—

फसल	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1	2
गेहूं	52.50
ग्रीष्म चावल	7.20

1	2
ज्वार (रबी)	3.55
जौ	1.70
चना	4.70
रबी की अन्य दालें	3.10
कुल रबी खाद्यान्न	72.75

ये आंकड़े अनन्तिम हैं हैं और राज्यों से फाइनल अनुमान मिलने पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

बोडो समस्या

[अनुवाद]

*50. श्री चित्त बसु :

श्री संतोष मोहन देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडो प्रतिनिधियों तथा असम सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इस समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की दृष्टि से विचार-विमर्श अभी जारी है।

एल. टी. टी. ई. की गतिविधियां

*51. श्री एस. डेनिस :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में एल. टी. टी. ई. की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक एल. टी. टी. ई. उग्रवादियों ने कितने व्यक्तियों की हत्या की है;

(ग) कितने एल. टी. टी. ई. उग्रवादी पकड़े अथवा मारे गये हैं; और

(घ) एल. टी. टी. ई. उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल की घटनाओं में संदिग्ध एल. टी. टी. ई. उग्रवादियों द्वारा 17 व्यक्तियों को मारा गया और राज्य पुलिस ने 27 एल. टी. टी. ई. उग्रवादियों को गिरफ्तार किया ।

(घ) सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि एल. टी. टी. ई. उग्रवादियों सहित, उग्रवादियों द्वारा भारतीय भूमि पर कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करने दी जायेगी । तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि किसी भी श्रीलंकन तमिल उग्रवादी ग्रुप को राज्य में उग्रवादी गतिविधियां नहीं करने दी जायेंगी । उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें तटीय क्षेत्र के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस जांच चौकियों को स्थापित करना सम्मिलित है, जिनमें तमिलनाडु स्पेशल पुलिस बल के विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित कार्मिक तैनात होंगे ।

फलों और सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य

[हिन्दी]

*52. श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

श्री महेश्वर सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेब, आलू तथा अन्य सब्जियों और फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस वर्ष उन पर्वतीय राज्यों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है जहां फलों का उत्पादन होता है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए सरकार की मूल्य नीति फल और सब्जियों जैसी जिंसों को कवर नहीं करती । तथापि, सरकार कुछ चुनिंदा फलों और सब्जियों के लिए राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप योजना लागू करती है ।

जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना पर विचार किया जा रहा है ।

मण्डी हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत फलों और सब्जियों के लिए निर्धारित मण्डी हस्तक्षेप मूल्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की है।

विवरण

जिंस	राज्य	मण्डी हस्तक्षेप मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)	
		1989	1990
1. प्याज	महाराष्ट्र	60	70
	गुजरात	50	70
2. आलू	हिमाचल प्रदेश	110	
	मेघालय	140	
	उत्तर प्रदेश : सफेद	75	80
	लाल	65	70
3. अंगूर	पंजाब ｜ ग्रेड "क"	3/कि. ग्रा.	
	हरियाणा ｜ ग्रेड 'ख'	2.50/कि. ग्रा.	
4. अनन्नास	त्रिपुरा		70
5. किन्नू/माल्टा	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश ｜ ग्रेड "क"		3/कि. ग्रा.
	ग्रेड "ख"		2.50/कि. ग्रा.

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां

[अनुवाद]

*53. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री बी. एस. बासवराज :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान पंजाब आतंकवादियों द्वारा मारे गए/घायल किए गए नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों का अलग-अलग और सम्पत्ति को हानि का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गये/गिरफ्तार किये गये; और

(ग) सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1990 से जून, 1990 के बीच छ: महीनों दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों की संख्या तथा मारे गए आतंकवादियों की संख्या का महीने-वार ब्यौरा इस प्रकार :—

माह	मारे गए नागरिक	मारे गए पुलिस सुरक्षा कर्मचारी	आतंकवादी मारे गए	आतंकवादी गिरफ्तार किए गए
जनवरी	126	23	57	53
फरवरी	95	21	44	77
मार्च	178	26	83	120
अप्रैल	170	22	90	202
मई	195	13	93	216
जून	175	2[illegible]	101	182

इस अवधि के दौरान घायल हुए नागरिकों तथा पुलिस कार्मिकों और नष्ट हुई सम्पत्ति का महीने-वार ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनेक कदम उठाए गए है, जिनमें आतंकवाद विरोधी कार्यों को तेज करना, आतंकवादियों के छुपने के ज्ञात स्थानों की छानबीन करना और वहां छापे मारना, विशिष्ठ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, गश्त तेज करना, संवेदनशील गांवों में विशेष पुलिस टुकडियां तैनात करना और अधिक ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करना, ब्लाक स्तर तक विभिन्न स्तरों पर लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए समितियों का गठन करना, प्रशासन के पुलिस विंग और सिविल विंग के मध्य कारगर समन्वयन स्थापित करना और अयोग्य तथा अविश्वसनीय अधिकारियों की छंटाई करना शामिल है। इसके अलावा, सीमा के चुनिंदा संवेदनशील क्षेत्र में बाड़ तथा फ्लड लाइट लगाकर सीमा को मजबूत करने की कार्यवाई की गई है।

बांग्लादेश के नागरिकों की बिहार तथा पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में घुसपैठ

*54. श्री मन्नू थापा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश के नागरिकों की निरन्तर घुसपैठ हो रही है;

(ख) क्या इस प्रकार अवैध रूप से आने वाले विदेशी, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैल रहे हैं जिससे इन राज्यों में सामाजिक संतुलन एवं आर्थिक जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ग) क्या सरकार बांग्लादेश से लगे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को फोटो

उन्हें पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रही है ताकि विदेशी नागरिकों का आसानी से पता लगाया जा सके;

(घ) क्या सरकार का सीमावर्ती क्षेत्र में तीन किलोमीटर चौड़ी निर्जन पट्टी बनाने का विचार है जिससे घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोका जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत-बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों या सिक्किम में बड़ी मात्रा में प्रवाजन किए जाने की हाल में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा गया है ।

(घ) यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत और बंगलादेश के मध्य लम्बी, खुली सीमा के कारण घुसपैठी चोरी छुपे पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में घुसपैठ करने में सफल होते हैं । घुसपैठ को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं । सीमा पर गश्त के लिये सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है । सीमा सुरक्षा बल की संख्या में बढ़ोतरी करके, अतिरिक्त सीमा चौकियों को स्थापित करके, अधिक निगरानी बुर्जों इत्यादि का निर्माण करके सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है जो 1986-87 से शुरू हुआ । उन्हें बीट, नाइट विजन बिनोकुलर इत्यादि उपलब्ध कराकर सीमा गश्त को प्रभावकारी ढंग से बढ़ाया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ये स्थायी निर्देश भी दिए हैं कि बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगते ही उन्हें वापस भेज दिया जाय । इस प्रकार घुसपैठियों का पता लगाने के कार्य को आसान बनाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की रोकथाम (पी. आई. एफ.) योजना के तहत कुछ राज्यों में चलते-फिरते कार्य बलों का गठन किया गया है :

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मेहम घटना की जांच

*55. श्री हरीश रावत :

श्री बंसी लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहम (हरियाणा) में राज्य विधान सभा उप चुनावों के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या की घटना की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय, जांच ब्यूरो को यह मामला कब सौंपा गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अधीन सी. बी. आई. को इस मामले की जांच करने के अधिकार देने की सहमति दें। हरियाणा सरकार ने अभी तक अपनी अपेक्षित सहमति नहीं दी है। तथापि, भारत सरकार ने मेहम घटनाओं की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी. पी. मदान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग ने जांच आयोग अधिनियम की धारा 5क के अधीन सी. बी. आई. की सहायता मांगी है और इस मामले में आयोग को भारत सरकार की आवश्यक सहमति दे दी गई है।

बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि विवाद

[अनुवाद]

*56. श्री कल्पनाथ राय :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि विवाद हल करने के लिए कोई ऐसा सूत्र निकाला है जो दोनों पक्षों को सन्तुष्ट कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"फैक्स" सुविधा के लिए प्रभार

*57. श्री जे. पी. अग्रवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत में "फैक्स" सुविधा के लिए प्रभार की दरें अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन दरों को कम करने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। ऐसी कोई

शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, तथापि, ब्यूरोफैक्स सेवा के टैरिफ की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

माईक्रोवेव विस्तार योजनाएं और को-एक्सीयल केबल योजनाएं प्रारम्भ करने में विलंब

*58. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा "केन्द्रीय सरकार (डाक एवं दूर-संचार)" पर अपनी रिपोर्ट (वर्ष 1990 की संख्या 9) में तीन माइक्रोवेव विस्तार योजनाओं और तीन को-एक्सियल केबल योजनाओं को चालू करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में हुई 20 करोड़ रुपये की वृद्धि और 11 करोड़ रुपए की संभावित आय की हानि के संबंध में की गई टिप्पणियों पर कोई कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तीन सूक्ष्म तरंग और तीन समाक्ष केबल स्कीमों के चालू करने में मुख्यतया स्वदेशी उपस्कर न मिलने के कारण देरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप सभी 6 परियोजनाओं में लागत में वृद्धि हुई है। इससे बचने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(I) डिजीटल सूक्ष्म तरंग, आप्टिकल फाइबर और डिजीटल समाक्ष स्कीमों के उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक/राज्य क्षेत्र की कम्पनियों के लिए विदेशी सहयोग की व्यवस्था की गई है।

(II) स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश में तैयार किए गए उपस्कर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, जिन्हें नेटवर्क में समय पर लगाया जा सकता है।

(III) देश में विकास और उत्पादन सम्बन्धी गति-विधियों का विभाग में उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से मानीटर और समन्वय किया जा रहा है। इसे तिमाही प्रगति समीक्षा के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ सदस्य (उत्पादन) की देख रेख में किया जा रहा है।

कीटनाशकों के प्रयोग के खतरे

*59. श्री भवानी शंकर होटा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कीटों में डी. डी. टी, पाराक्वेट लिन्डेन और अन्य कीटनाशकों के प्रति रोधी क्षमता विकसित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कीटनाशकों के प्रयोग से किस प्रकार के पर्यावरणीय व अन्य खतरे पैदा हो गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हाँ।

(ख) बताया गया है कि भारत में 27 कीटों ने विभिन्न कीटनाशकों की प्रति रोधी क्षमता अर्जित कर ली है। इनमें से 14 कीट जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, 7 फसल सम्बन्धी कीट हैं और 6 भण्डारित अन्न से सम्बन्धित हैं।

(ग) कीटनाशियों के अन्तर्गत उपयोग से पैदा हुई कुछ समस्याएं हैं कीटनाशी प्रतिरोधिता का विकास, कीटों की उपनुवृद्धि और पर्यावरण को विभिन्न अवयवों में अत्यधिक कीटनाशी अवशेषों का होना।

जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्यवाही

[हिन्दी]

*60. श्री रामेश्वर प्रसाद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान किए जाने के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में तैनात सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर निरन्तर दबाव बनाए रखना होता है। सुरक्षा बलों द्वारा समय-समय पर निर्दोष लोगों को तंग किए जाने के आरोप प्राप्त हुए हैं। जब कभी इन आरोपों में कोई सच्चाई पाई जाती है तो उच्च अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराई जाती है और उचित कारंवाई की जाती है। सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से तो दृढ़ता और प्रभावकारी ढंग से निपटा जाए परन्तु इस बात का पूरा एहतियात बरता जाय कि निर्दोष व्यक्ति जख्मी न होने पाएं और उन्हें तंग न किया जाए।

डा. अम्बेडकर रोड को चौड़ा करना

[अनुवाद]

468. श्री छबिराम अर्गल: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाहदरा से लोनी स्थित डा. अम्बेडकर रोड को चौड़ा करने की कोई परियोजना योजना विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित परियोजना कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है, और

(ग) डा. अम्बेडकर रोड से हटाई गई दुकानों/मकानों के मालिकों का अन्य स्थानों पर पुनर्वास किस प्रकार किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नी कृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एम. सी. डी.) के अनुसार जो कि इस सड़क के विकास के लिए उत्तरदायी है, जी टी रोड से लेकर यू. पी. बार्डर तक के लोनी रोड (जो डा. अम्बेडकर रोड के नाम से जाना जाता है। को चौड़ा करने और इसमें सुधार करने का कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ग) ऐसी सूचना मिली है कि दिल्ली नगर निगम के पास दुकानों मकानों के मालिकों का पुनर्वास करने की कोई नीति नहीं है। तथापि जिन मामलों में सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया है उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाता है।

पारादीप बन्दरगाह पर एक कोयला और एक बहु-प्रयोजनीय सामान्य माल गोदी का निर्माण

469. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में पारादीप बन्दरगाह पर एक कोयला गोदी और एक बहु-प्रयोजनीय सामान्य गोदी का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है ताकि उड़ीसा से दक्षिण भारत के ताप बिजली घरों में प्रयोग के लिए कोयले की ढुलाई की जा सके तथा माल यातायात की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) कोयला बर्थ और बहु-उद्देशीय सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण की योजना को अनुमोदित वार्षिक योजना 1990-91 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) परामर्शदाताओं द्वारा अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रस्तावित कोयला हैंडलिंग योजना में 280 मीटर की कुल लम्बाई वाली एक कोयला बर्थ के निर्माण और यंत्रचालित कोयला हैंडलिंग प्रणाली के प्रावधान की परिकल्पना की है।

पारादीप पत्तन द्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण की योजना में, मौजूदा उर्वरक बर्थ के निकट 240 मीटर लम्बी बर्थ के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसकी निकर्षित गहराई 11.50 मीटर है।

दिल्ली में टेलीफोन लाइनों में हेर-फेर किया जाना

470. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एस. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में एम. टी. एन. एल. द्वारा की गई शिकायतों

के आधार पर प्राइवेट टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन लाइनों में बड़े पैमाने पर हेर-फेर करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने टेलीफोन लाइनों में हेर-फेर करने वाले टेलीफोन प्रयोक्ताओं और इस कार्य में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि टेलीफोन प्रयोक्ता भविष्य में ऐसी गतिविधियों में संलग्न न हों।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एम. टी. एन. एल. स्टाफ के साथ मिलकर 28.6.90 को एक छापा मारा था और ऐसे छः टेलीफोनों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी जिनमें मीटर रोकने वाले यंत्र लगे हुए थे। ऐसे यंत्र लगे हुए किसी नम्बर पर जब काल की जाती है, तो काल करने वाले उपभोक्ता का मीटर काम नहीं करता है।

(ग) सी बी आई और एम. टी. एन. एन. के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मारे गए छापे के दौरान जिन प्रयोक्ताओं के परिसरों में ऐसे यंत्र लगे हुए थे, उनके खिलाफ सी बी आई द्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 25 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें एम. टी. एन. एल. का कोई कर्मचारी शामिल नहीं था।

(घ) जहां तक ई-10 बी डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का संबंध है, उन पर यह यंत्र अप्रभावी है। इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों में इस यंत्र को अप्रभावी बनाने के लिए जहां आवश्यक है, परिवर्तन किए जा रहे हैं। अगस्त, 1990 के मध्य तक दिल्ली के सभी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। पेटेक्स एनालाग इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के संबंध में यह मामला टेलीकाम इंजीनियरिंग सेन्टर (टी ई सी) और आपूर्तिकर्ताओं को भेजा जा रहा है।

जहरीले कृषि रसायन

471. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में जहरीले कृषि-रसायनों की सूची बनाने संबंधी नियमों के आधार पर हमारे देश में भी ऐसी सूची है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) भारत में इन खतरनाक कृषि-रसायनों का प्रयोग कब से हो रहा है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की विशेषज्ञ सलाह के आधार पर तैयार किये गये कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कीटनाशकों, जिसे कृषि-रसायन भी कहा जाता है, की एक सूची है। इसमें

वे सभी कीटनाशक शामिल हैं जिन्हें इस देश में उपयोग के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। जहरीले कीटनाशकों की कोई पृथक सूची नहीं है, लेकिन ऐसे सभी कीटनाशक अपने रासायनिक स्वरूप के कारण जहरीले होते हैं। केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड, कीटनाशकों पर, ब्रिटेन सहित, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रकाशित साहित्य के आधार पर इस सूची में योग के किसी अनुरोध पर विचार करता है। हम इस उद्देश्य के लिए ब्रिटेन में अपनाये जाने वाले किन्हीं विनियमनों का विशेष तौर पर अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) भारत में उपयोग हेतु अनुमति प्रदान किये गये कीटनाशकों की सूची कीटनाशक अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद, अनुसूची में संकलित की गयी, लेकिन इनमें से कुछ कीटनाशक उसके पूर्व भी कुछ समय तक उपयोग में रहे थे।

डी. डी. सी. बस "क्यू शेल्टर"

472. श्री कृपाल सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राऊज एवेन्यू रोड की पूरी दूरी में कोई बस "शेल्टर" नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सड़क पर बस "शेल्टर" बनवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) राऊज एवेन्यू रोड के अंत पर पहले से मौजूद चार बस क्यू शेल्टरों को दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़क को चौड़ा करते समय गिरा दिया गया था। दि. न. नि. ने, इस कार्य के समापन को ध्यान में रखते हुए 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस सड़क पर बस क्यू शेल्टरों का निर्माण करने की योजना बनाई है।

महाराष्ट्र में अलग विकास बोर्डों की स्थापना

473. श्री राम नाईक :
श्री पुंडलिक हरी दानवे :
श्री डी. एम. बनातवाला :
डा. वेंकटेश काबडे :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 5 जुलाई, 1990 को महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठक के दौरान महाराष्ट्र में अलग विकास बोर्डों की स्थापना के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बोर्डों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) 5 जून, 1990 को केन्द्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के उपबंधों को लागू करने संबंधी कुछ संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जांच की जाएगी।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार उपरोक्त अनुच्छेद के उपबंधों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के बारे में रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है।

हावड़ा पुल की मरम्मत करना

474. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने वाला 2150 फुट केन्टीलीवर-कम-सस्पेंशन पुल जर्जर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकरण से इस पुल का सर्वेक्षण करने तथा इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू करने को कहा है; और

(ग) इस पुल की जरूरी मरम्मत का काम कब शुरू कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास ने जो कि राज्य सरकार के हावड़ा पुल अधिनियम, 1926 के अंतर्गत हावड़ा पुल का आयुक्त भी है, पुल का सम्पूर्ण स्थिति-सर्वेक्षण करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिस लि. (राईट्स) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है।

(ग) मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य चरणों में शुरू किए गए हैं और उनके 4 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है।

पेय जल की सप्लाई के लिए कर्नाटक को विश्व बैंक से सहायता

475. श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा तत्संबंधी अन्य ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार एक पूर्व-मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ठाणे जिला (महाराष्ट्र) में डाक, तार एवं टेलीफोन सुविधाएं

476. प्रो. राम गणेश कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ठाणे, कल्याण, कालवा, मा.रा, डोम्बीवली, उल्हासनगर, अम्बरनाथ, बदलापुर, भयन्दर, भिवंडी, बसई, पालघर, शाहपुर में डाक/तार/टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास उत्पादन की लागत

477. श्री सुदाम देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास के उत्पादन की क्या लागत आई;

(ख) इन वर्षों में कपास के समर्थन मूल्य क्या रहे; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कपास की विभिन्न किस्मों के लिए भारतीय रुई निगम द्वारा किस औसत खरीद मूल्य का भुगतान किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना क्रमश: संलग्न विवरण 1, 2, और 3 में दी गयी है।

विवरण-I

देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास के उत्पादन पर आने वाली लागत के नवीनतम उपलब्ध अनुमान

राज्य	वर्ष	उत्पादन की लागत (रुपए प्रति क्विण्टल)
1	2	3
गुजरात	1983-84	527.01
कर्नाटक	1985-86	414.95
हरियाणा	1987-88	488.46
मध्य प्रदेश	1986-87	486. 1

1	2	3
महाराष्ट्र	1983-84	446.32
पंजाब	1986-87	360.38

विवरण-2

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	मूल किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विण्टल)
1989-90	एफ-414/एच-777	570.00
	एच-4	690.00
1990-91	एफ-414/एच-777	620.00
	एच-4	750.00

विवरण-3

1988-89 और 1989-90 के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा भुगतान किये गये औसत खरीद मूल्यों का ब्योरा

राज्य	किस्म	भुगतान किया गया औसत मूल्य (रुपये प्रति क्विण्टल) 1988-89	1989-90
1	2	3	4
पंजाब	जे-34 एस जी	693	730
	एफ 414	761	771
हरियाणा	जे-34 एस जी	710	694
	एच-777	767	712
राजस्थान	जे-34 एस जी	663	692
	बगड़्टी	725	733

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	एच-4	815	811
	1007	743	734
	वाई-1	—	
आन्ध्र प्रदेश	एच-4	792	794
	जे के एच वाई-1	785	787
	एम सी यू-5	920	877
कर्नाटक	डी सी एच-32	1100	1094
गुजरात	एस-6	828	865

ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा

[हिन्दी]

478. श्री गुलाब चन्द्र कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन

[अनुवाद]

479. श्री बलवन्त मनवर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई टेलीफोन सलाहकार समितियों की अवधि समाप्त हो चुकी है और इनका पुनर्गठन नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार इनके पुनर्गठन की योजना बना रही है, और

(घ) यदि हां, तो टेलीफोन सलाहकार समितियों का पुनर्गठन कब किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका क्योंकि उनके गठन की नीति की समीक्षा की जा रही था। अब इन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन संबंधी कार्रवाई की जा रही है और इन्हें जल्दी पुनर्गठित किया जायेगा।

कुट्टीपुरम सड़क उपरि पुल को चालू करना

480. श्री ए. विजयराघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर 'कुट्टीपुरम' सड़क उपरि-पुल को कब तक चालू किए जाने की संभावना है, और

(ख) इस पुल को शीघ्र चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) रेलवे की भूमि के भीतर रोड ओवर ब्रिज पूरा कर लिया गया है। पुल (ब्रिज) सम्पर्क मार्गों के लिये दूसरी काल पर प्राप्त निविदाओं के आधार पर, क्योंकि जिस ठेकेदार को काम सौंपा गया था वह मुकर गया था, काम को दोबारा दिये जाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। पुल को 1992 तक चालू किये जाने का लक्ष्य है।

दिल्ली नगर निगम का सार्वजनिक शिकायत कक्ष

[हिन्दी]

481. श्री हरि शंकर महाले : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न जोनल कार्यालयों में सार्वजनिक शिकायत कक्षों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त और निपटान की गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा शेष लम्बित शिकायतों के कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समूचे शिकायत निवारण तन्त्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने टाउन हाल स्थित मुख्यालयों के अलावा अपने सभी 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक शिकायत कक्ष गठित किए हैं। 7123 प्राप्त शिकायतों में से 4762 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। शेष शिकायतें निपटाने की विभिन्न अवस्थाओं में है। चूंकि अधिकांशत: शिकायतें/कठिनाइयां सड़कों का सुधार और विकास, मल-जल निकासी' वाटर मेनस, स्वास्थ्य दशाओं, अवैध निर्माणों आदि से संबंधित हैं, उनके निपटान में अधिक समय लगता है क्योंकि निर्धारित पद्धति को पूरा करना पड़ता है तथा इसमें वित्तीय अड़चनें भी अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) विद्यमान तन्त्र को सुदृढ़ करने और उसमें सुप्रवाह लाने के अलावा उठाये गए अन्य कदमों में अपर उपायुक्तों क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों तथा विभाग-प्रमुखों द्वारा कठिनाइयां दूर करने के तन्त्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निश्चित किए गये समय आदि में लोगों की शिकायतों पर ध्यान देना शामिल है।

बाढ़ राहत कार्यों के लिए पंजाब को सहायता

[अनुवाद]

482. बाबा सुच्चा सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सितम्बर, 1988 में आई बाढ़ मे जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ख) पंजाब में 30 जून, 1989 तक मंजूर किये गये बाढ़ राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तव मे कितनी धनराशि जारी की गई है और राज्य सरकार द्वारा उनमें से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए कोई बकाया राशि देय है; और यदि हां, तो इसे न दिये जाने के क्या कारण हैं और यह राशि कब तक दे दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पंजाब में सितम्बर 1988 में आयी बाढ़ों से जान और माल की हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मृतकों की संख्या	—	699
(2) सार्वजनिक सम्पत्ति को हुयी अनुमानित क्षति	—	457.62 करोड़ रुपये

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देवगढ़ (उड़ीसा) में कामर कालेज के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 'बाईपास' के निर्माण की योजना का वैकल्पिक प्रस्ताव

483. श्री रवि नारायण पाणि : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देवगढ़ (उड़ीसा) में कामर कालेज के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 'बाईपास' के निर्माण के संबंध में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) हाल ही में

मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर कामर कालेज के नजदीक बाईपास के अनुमोदित संरेखन में मामूली परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है।

राजस्थान में मत्स्य-पालन का विकास

484. श्रीमति वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और राजस्थान में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या योजनाएं लागू की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान में टैंकों और जलाशयों में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिये तेरह जिला स्तरीय मछली पालक विकास एजेंसियां और दो राष्ट्रीय फिंगरलिंग फार्म व हैचरियां, जिनकी प्रत्येक की प्रतिवर्ष 10 मिलियन फिंग्लिंग उत्पादन करने की क्षमता है, स्वीकृत की गई हैं। मछली पालक विकास एजेंसियों ने मछली पालन के लिये अभी तक 2217 हैक्टेयर क्षेत्र में टैंक और जलाशय विकसित किये हैं और 3231 मछली पालकों को प्रशिक्षित किया है। राज्य में दोनों फिंग्लिंग फार्मों ने भी फिंग्लिंग उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

अमरीका से प्राप्त मक्का का दूषित पाया जाना

485. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा दान के रूप में भारत भेजा गया मक्का मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है और इसका पशुचारे और मुर्गी-चारे के रूप में प्रयोग किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उन पशुओं और मुर्गियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की है, जिन्हें दूषित मक्के से तैयार यह दूषित पशुचारा और मुर्गी-चारा खिलाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 1987 के सूखा की स्थिति में अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को यू. एस. स्टेट गवर्नमेंट पूर्वा कल्चर कमोडिटी फारेन डोनेशन एग्रीमेंट के तहत 4 लाख मीटरी टन अनाज दानस्वरूप दिया। ...मांगों इसमें 2 लाख मीटरी टन अनाज 1988 में और शेष 2 लाख टन अनाज 1989 में आए ...त को पूरा गया।

1989 में उक्त अनाज भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने पर भारतीय सर्वेक्ष

संकेत स्वरूप नमूना लिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रति बीलियन अनाज में एफ्लोटा-क्सिन का 40 हिस्सा था जब कि अमेरिकी मानदण्ड के अनुसार मनुष्य के उपभोग के लिये इसकी अनुज्ञेय मात्रा प्रति बीलियन अनाज का हिस्सा ही है।

भारत सरकार ने सरकार द्वारा नामजद प्रयोगशालाओं में पूरे अनाज का पुन: परीक्षण करवाने के लिये एक तकनीकी समिति का गठन किया था। क्योंकि भारत में मुर्गियां और पशु आहार के लिये कोई प्रतिरोधी सीमा निश्चित नहीं थी, अतः तकनीकी समिति ने सुझाव दे दिया कि मुर्गियों और पशु आहार क्षेत्र में प्रति बीलियन एफलोटाक्सिन का 100 भाग प्रतिरोधी सीमा हो सकती है।

कुल मिलाकर 95 नमूने लिये गये और उनकी सरकार द्वारा नामजद प्रयोगशालाओं में एफ्लोटाक्सिन के लिये जांच की गयी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी नमूनों के अनुसार प्रति बिलियन में एफलोटाक्सिन का हिस्सा 100 से कम विद्यमान था। इसलिये अनाज को मुर्गी एवं पशु आहार क्षेत्रों को वितरित कर दिया गया।

पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में मनुष्य के उपभोग के लिये उक्त अनाज का वितरण नहीं किया गया।

(ख) से (घ) चूंकि अनाज के पूरे भंडार में एफ्लोटाक्सिन की मात्रा तकनीकी समिति द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित सीमा, 100 भाग प्रति बीलियन से कम थी जो तकनीकी समिति द्वारा सुरक्षित सीमा निर्धारित की गयी। अत: पुन: जांच कराये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, न ही किसी उपभोक्ता इकाई से इसके विपरीत प्रभाव की शिकायत भी मिली है।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना

486. श्री वी. एन. रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने का विचार है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विभाग ने डाकघर खोलने संबंधी सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रूरल डिवलपमेंट के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आठवीं योजना के लिये मानदण्ड बनाये जाएंगे। इस सर्वेक्षण में आन्ध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है।

इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, आन्ध्र-प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में डाकघर खोलने के अगले कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना है।

दुर्गाचक (पश्चिम बंगाल) में एस. टी. डी. प्रणाली

487. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया की एस. टी. डी. प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि दुर्गाचक क्षेत्र में इसी एस. टी. डी. प्रणाली में शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गाचक में एक आटोमैटिक एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है। दुर्गाचक में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से दुर्गाचक और हल्दिया के बीच एक ऑप्टिकल फाइबर माध्यम चालू करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नये डाकघर खोला जाना

488. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खोले जाने वाले डाकघरों का ब्योरा क्या है,

(ख) केरल में ऐसे कितने डाकघर हैं जिन्हें उनका दर्जा बढ़ाये जाने के लिये गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चुना गया था,

(ग) क्या नये खोले जाने अथवा जीर्णोद्धार किये जाने वाले किसी भी डाकघर का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है/इसमें विलम्ब हुआ है और क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) माडल डाकघरों की योजना के अधीन 1989-90 में 23 डाकघर तथा चालू वर्ष के दौरान 30 डाकघरों को चुना गया है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण में दर्शाए गए डाकघरों को खोलने का काम अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था ताकि कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सके। तथापि अब डाकघरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। जहां तक इस बात का संबंध है कि क्या अस्थायी तौर पर डाकघर खोलने का काम स्थगित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी तथापि जीर्णोद्धार के किसी भी प्रस्ताव को स्थगित/उसमें विलंब नहीं किया गया।

विवरण

केरल (1990-91)

खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघर

शाखा डाकघर

क्रम सं.	स्थान	जिला
1	2	3
1.	मारोकोडामाला	कन्नानोर
2.	चोम्भोनवलप	कासरगोड
3.	उप्पिलकाई	—वही—
4.	पुम्वाकुन्नु	—वही—
5.	कमककायल्ली	—वही—
6.	पुषारमुक्का	—वही—
7.	पादुमल	—वही—
8.	कन्नाथाम कालोनी	कन्नानोर
9.	मुचियाड	—वही—
10.	थिलाकट्टर	—वही—
11.	मलायपाथी	—वही—
12.	किडाहानो	—वही—
13.	करा पेरवूर	—वही—
14.	अट्टाडाप्पा	—वही—
15.	थविचेरी	—वही—
16.	चोकून्नुमल वेस्ट	कोषीकोड
17.	वरोकोली	—वही—
18.	चप्पापोट्टम	—वही—
19.	स्वबेनचेरी	मापुरम
20.	कनमानम ठेक्कोमुरी	—वही—
21.	[illegible]	—वही—

1	2	3
22.	अमायूर मालापुरम	मापुरम
23.	मालापुरम	—वही—
24.	बोपल्ली कुन्नायुनाड	एर्नाकुलम
25.	गुडारकिला	इटीक्की
26.	पाडोकेप	—वही—
27.	एलामदेशम ईस्ट	—वही—
28.	पाडोकेप	—वही—
29.	मुकुडोल	—वही—
30.	पुषकमचामथाई	अलेप्पी
31.	कुमारकुडी	पठानमथिट्टा
32.	कुन्नामंगनम साउथ	अलेप्पी
33.	एजोअमन	पठानमथिट्टा
34.	मुत्थुपिलकाड	—वही—
35.	कुडायम	—वही—
36.	पेरिंगलम	क्वीलान
37.	विलावनोकोनम	—वही—
38.	कोडक्कोडे	—वही—
39.	कडापूर वार्ड	—वही—
40.	इंचावन्वाड	—वही—
41.	पानागोड	त्रिवेन्द्रम
42.	पानायम	—वही—
43.	वलियारा	—वही—
विभागीय उप डाकघर		
1.	प्रियदर्शिनी नगर	कोट्टायम

ड्रंक्टरों का आयात

[हिन्दी]

489. श्री कपिल देव शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों को राहत देने के लिए कम लागत वाले ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किस देश से आयात किया जायेगा और भारत में इसकी कीमत कितनी होगी;

(ग) विभिन्न प्रकार के स्वदेशी ट्रैक्टरों की उत्पादन लागत और उनका बाजार मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वदेशी ट्रैक्टरों तथा अन्य उपकरणों का मूल्य उनकी निर्माण लागत के आधार पर, जैसा कि कृषि के उत्पादन में किया गया है नियमित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार, विनिर्माताओं से ट्रैक्टरों की उत्पादन लागत से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं कर रही है। कुछ देशी ट्रैक्टरों के ज्ञात बाजार मूल्य विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

1 जून, 1990 को देशी ट्रैक्टरों के मूल्य

क्रम संख्या	विनिर्माता का नाम	माडल	मूल्य (रुपये में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड ए. ए. एस. नगर (चंडीगढ़)	स्वराज-720 (एच. एस. एम. डी. सी.)	62,300/-
		स्वराज 720 (एस. एस. ए. सी. डी. सी.)	68,200/-
		स्वराज 724	91,300-/
2.	मैसर्स वी. एस. टी. टिलर्स ट्रैक्टर लि. बंगलौर	मित्सुबीशी शक्ति 180 डी	92,500/-

1	2	3	4
3.	मैसर्स आइशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, फरीदाबाद	आइशर-241	82,820/-
		आइशर-242	84,285/-
		आइशर हीरा	87,835/-
		आइशर सोना	1,11,890/-
4.	मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	ई-325	97,860/-
		ई-335	1,15,200/-
		ई-345	1,18,750/-
		ई-355	1,38,310/-
5.	मैसर्स एस्कार्टस ट्रैक्टर लिमिटेड	फोर्ड-3600	1,51,796/-
		फोर्ड-3610	1,59,184/-
6.	मैसर्स गुजरात ट्रैक्टर निगम लिमिटेड, बड़ोदा	जी-312 | 1 मई,	1,00,200/-
		जी-453 | 1990	1,35,266/-
		एच. डब्ल्यू. डी-50 | को	136,860/-
		जी-614 |	1,94,607/-
7.	मैसर्स एच. एम. टी. लिमिटेड, पिंजोर (चण्डीगढ़)	2511	90,675/-
		3311	1,14,865/-
		5911	1,69,123/-
8.	मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड बम्बई	बी-255	96,700/-
		275	1,21,870/-
		444 सुपर	1,34,116/-
		495	1,48,513/-
9.	मैसर्स प्रताप स्टील लिमिटेड, बल्लभगढ़	पी. एस.-1027	79,265/-
		पी. एस.-3035	1,14,032/
		यू. एम. जेड-6 के. एम. 365	1,97,717/-
10.	मैसर्स ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड, मद्रास	एम. एफ.-1035	1,22,486/-
		एम. एफ.-245	1,52,951/-
		टी. ए. एफ. ई.-25	52,695/-

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आवंटितियों को स्टाम्प शुल्क की अदायगी से छूट

[अनुवाद]

490. श्री मदनलाल खुराना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के आवंटितियों को स्टाम्प शुल्क की अदायगी से छूट देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निम्न आय वर्ग/जनता फ्लैटों के आवंटितियों को सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय, दिल्ली प्रशासन में "म्यूटेशन विलेख" में पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय को इन दो श्रेणियों के आवंटितियों को पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट देने के संबंध में नये आदेश/आनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के थानों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

[हिन्दी]

491. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के थानों में अब तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उक्त सेवाएं प्रदान करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली में कुछ पुलिस थानों में सार्वजनिक टेलिफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सभी पुलिस थानों में यह सुविधा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल के एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा

[अनुवाद]

492. श्री पलाई के. मैथ्यू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कोट्टायम जिले में कुरविलंगडू टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) केरल में कुरविलंगडु, मरंगथुपल्ली, भरनांगम और पूवरनी एक्सचेंजों को पलाई एक्सचेंज के साथ जोड़ कर एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) उपर्युक्त एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कुरविलांगडु, मरंगथुल्ली, भरनांगनम् और पूवरनी एक्सचेंजों को कोट्टायम के प्रस्तावित डिजिटल टी. ए. एक्स के साथ जोड़ा जाना है जिसे 1991-92 के अंत तक चालू कर दिए जाने की आशा है।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक उपर्युक्त एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन में वाहनों की चोरी के मामले

[हिन्दी]

493. श्री तेज नारायण सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) नई दिल्ली में मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन में वर्ष 1989 से 31 जुलाई, 1990 तक वाहनों की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) इनमें सरकारी और निजी वाहनों की संख्या कितनी है और कितने मामलों में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और कितने मामलों में जांच अभी जारी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सभी वाहनों को शीघ्रता से तलाश करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोधकांत सहाय) । (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) आसूचना को बढ़ा दिया गया है । प्रभावित क्षेत्रों में सादी वर्दी में गश्त लगाई जाती है। चुराए गए वाहनों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बेतार संदेश भेजे जाते हैं।

विवरण

अवधि	शीर्ष	सूचित किया गया	रद्द किया गया	स्वीकृत	हल निकाला गया	चालान किया गया	सजा की गई	मुक्त किया गया	विचाराधीन	लंबित जांच पड़ताल	लापता
1.1.89 से 31.12.89 तक	सरकारी वाहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राईवेट वाहन	38	3	35	4	4	1	1	2	4	27
1.1.90 से 31.7.90 तक	सरकारी वाहन	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	प्राईवेट वाहन	23	1	22	3	1	1	—	—	15	6

गोआ में तार सेवा के कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार पेंशन

[अनुवाद]

494. प्रो. गोपालराव मायकर : क्या संचार यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार सेवाओं में तत्कालीन पुर्तगाली कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार पेंशन देने के काफी मामले अभी भी गोआ में लम्बित हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) नौ मामले लम्बित पड़े हैं।

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिये अपेक्षित नियमों का स्पष्टीकरण पेंशन और पेंशन-भोगी कल्याण विभाग से जुलाई 1990 में प्राप्त हुआ है। इन मामलों के निपटान के लिये महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल को भेजा गया है।

दिल्ली में डाकघरों के सफाई कर्मचारियों को दिहाड़ी

[हिन्दी]

495. श्री रामसागर (सैदपुर) : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने और किन-किन डाकघरों और शाखा डाकघरों में सफाई कर्मचारी दैनिक दिहाड़ी पर कार्य कर रहे हैं,

(ख) प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कितनी दैनिक दिहाड़ी दी जाती है,

(ग) क्या शाखा डाकघरों में दैनिक वेतन पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को समान दिहाड़ी नहीं दी जाती, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, और

(घ) इन सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को कब तक नियमित कर दिया जायेगा और वहां पर नियमित कर दिया जायेगा और वहां पर नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने के कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कृष्णा नगर प्रधान डाकघर, दिल्ली में केवल एक सफाई कर्मचारी दिहाड़ी पर कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) सफाई कर्मचारियों को समूह "घ" पद के न्यूनतम वेतन की दर से वेतन दिया जाता है जो रु. 750-940/-है और जिनमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। यह भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाता है।

(घ) सफाई कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण रिक्त पदों की उपलब्धता, उनके

द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा विनियमितीकरण के लिए उनकी बारी आने पर भी निर्भर करता है। अतः उनको, नियमित करने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

मत्स्यन विकास

[अनुवाद]

496. श्री सुधेन्दु झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मत्स्यन विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिए कौन-सी योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार किए हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को इन प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (1) मात्स्यिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें इस प्रकार हैं :—बड़े पत्तनों में मात्स्यिकी बन्दरगाहों का निर्माण, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज नोटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कोचिन में मात्स्यिकी कार्यों का प्रशिक्षण आयोजित करना, इन्टिग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट, कोचिन के माध्यम से मछलियों की गैर परम्परागत किस्मों का प्रासंस्करण करना तथा उनका विपणन, खारे पानी जल कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिशरी, बंगलौर द्वारा खारे पानी वाले क्षेत्रों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करना। मात्स्यिकी विकास के लिये प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें इस प्रकार हैं :—मत्स्य पालक विकास एजेंसियां, राष्ट्रीय मत्स्य बीज विकास कार्यक्रम, जलाशय मात्स्यिकी का विकास समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास, परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण जिसमें मोटरीकृत मत्स्य नौकाओं के लाभ के लिये डीजल पर से उत्पाद शुल्क को हटाने जैसी योजनायें भी शामिल हैं, उन्नत तट अवतरण जलयान और माध्यमिक जलयान चलाना, राज्य स्तर के संघों/निगमों को अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन, छोटे पाटों पर मत्स्य बंदरगाहों के निर्माण आदि के लिये सहायता देना आदि।

2. मछुआरों के लिये कल्याणकारी योजनायें इस प्रकार हैं :—

सक्रिय मछुआरों के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना और मछुआरों के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि।

3. 1990-91 के दौरान मछुआरों के कल्याण खर्च सहित मत्स्य विकास पर आने वाला कुल परिव्यय 30.60 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त डीजल पर से उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना के क्रियान्वयन पर 10.36 करोड़ खर्च किया जाना है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि निर्मुक्त कर दी गयी है। यह निर्मुक्ति योजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर की गयी है, अतः निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर एर्नाकुलम से अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

497. श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्नाकुलम जिले में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के उर्वरक कारखाने के जिप्सम नामक उप-उत्पाद अपशिष्ट का कोई उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) फैक्ट संयंत्रों से उप-उत्पाद अपशिष्ट (जिप्सम) के एक छोटे अंश की बिक्री सीमेन्ट एककों को की जाती है जो इसका उपयोग उनकी सीमेन्ट उत्पादन की प्रक्रिया में करते हैं। सम्पूर्ण जिप्सम को इससे अधिक लाभप्रद इस्तेमाल के लिए परिवर्तित करने के लिए फैक्ट के पास कोई अनुप्रवाह संयंत्र नहीं है।

कोट्टारक्कारा टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

498. श्री कोडीक्कुन्नील सुरेश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टारक्कारा टेलीफ़ोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ख) इन आवेदकों को कब तक नये टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कोट्टारक्कारा टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 710 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ख) कोट्टारक्कारा टेलीफोन एक्सचेंज में नए कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में से अधिकांश को मार्च 1991 तक नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के पंजाब में मारे गए छात्रों के निकट संबंधियों को मुआवजा

499. श्री केसरी लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के कितने छात्रों की नवम्बर, 1989 में पटियाला, पंजाब, में आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई;

(ख) क्या इन छात्रों के निकट संबंधियों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) इस संबंध में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और जितनी जल्दी संभव होगा सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में अग्निकांड

[हिन्दी]

500. श्री रामेश्वर यादव :
श्री आर. एन. राकेश :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में अनेक अग्नि कांड हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन अग्नि दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इससे कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है;

(ङ) अग्निकांड के पीड़ित व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मोतिया खान तथा पुराने जमुना पुल के निकट की झुग्गियों में लगी आग की घटनाओं की न्यायिक जांच कराई गई थी। अन्य घटनाओं की जांच पुलिस ने की थी।

(ग) अधिकांश मामलों में लापरवाही से धूम्रपान करने/जलती हुई अंगीठियों से लपटें उठने/शार्ट-सर्किट अथवा लटकते हुए ढीले बिजली के तारों आदि के कारण आग लगी।

(घ) 15 व्यक्ति मर गये। संपत्ति को हुए नुकसान का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1,50,000/- (10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से) अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 91,92,750/- रुपये अनुग्रह राहत के रूप में वितरित किये गये।

(च) दिल्ली प्रशासन ने झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगने से बचने के सुझावों का अनुपालन करने के लिए हिन्दी में लिखित अनुदेश वाले इश्तिहार वितरित किए हैं।

साम्प्रदायिक सदभावना और पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निदेश

[अनुवाद]

501. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा. ए. के. पटेल :

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक सदभावना को बढ़ावा देने और साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित लोगों को राहत और मुआवजा तथा विधवाओं को पेंशन देने के बारे में राज्यों को दिशा-निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये सुविधाएं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम आदि में आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों और जातिगत हिंसा से पीड़ित लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के समान होंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना समाज विरोधी तत्वों को बढ़ने से रोकने तथा लाउडस्पीकरों के प्रयोग को नियंत्रित करने जैसे निवारक उपायों को करना, प्रेस की भूमिका, पुलिस की भूमिका, सांप्रदायिक दंगों के मामलों आदि के मुकदमों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करना, शामिल है। उसमें यह भी सुझाव दिया दिया गया है कि कि 1.4.1990 के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामलों में निम्न आय समूह से संबंधित दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों की विधवाओं को मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम हो जाने के मामले में 50,000/- रु. की बढ़ाई हुई सहायता राशि तथा 500 रु. की मासिक पेंशन की राशि दी जाएगी।

(ग) सांप्रदायिक दंगों के मामले में भी उक्त उपाय लागू होते है।

राष्ट्रीय तेल और तिलहन ग्रिड

502. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और देश में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य तेलों का उत्पादन और भंडारण करने हेतु राष्ट्रीय तेल और तिलहन ग्रिड स्थापित करने की कोई योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क)

जी, हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन. डी. डी. बी.) की तिलहन उत्पादक सहकारी परियोजनाओं और इसके बाजार हस्तक्षेप कार्य के अधीन महत्वपूर्ण बाजार केन्द्रों और उत्पादक क्षेत्रों में खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टोरेज हेतु सुविधाएं निर्मित की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेल परियोजना कार्यक्रमों और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ. पी. पी.) के अधीन तिलहनों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों को पूरक समर्थन प्रदान करना है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा देशी खाद्य तेलों के तटीय आवागमन ने राष्ट्रीय तेल ग्रिड को दृढ़ता प्रदान की है।

(ख) और (ग) मुख्य तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन उत्पादक सहकारी परियोजनाओं के अंतर्गत सभी सात राज्यों में तिलहन उत्पादक यूनियनों और संघों द्वारा खाद्य तेलों के स्टोरेज की सुविधाएं निर्मित की गयी हैं। दिल्ली और कांडला में कार्य प्रगति पर है जहां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड खाद्य तेलों के भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने के लिये खाद्य तेल टैंक फार्मों का निर्माण कर रहा है।

मानव शरीर में कीटनाशक औषधों का प्रभाव

[हिन्दी]

503. स. अतिन्दर पाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों में कीटनाशक औषधों का प्रभाव, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से कीटनाशक औषध खाद्य पदार्थों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं शरीर में रहकर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे कीटनाशक औषधों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लोगों को, इन कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय अपनाने का सुझाव दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/संगठनों द्वारा सब्जियों, अनाजों, दालों, तिलहनों, मांस, मछली आदि जैसी वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण किया गया है और कुछ अध्ययनों में डी. डी. टी. और बी. एच. सी. जैसे कुछ स्थायी कीटनाशकों की विद्यमानता की सूचना मिली है। ये कीटनाशक भोजन की नलियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और कुछ टिशुओं में जमा हो जाते हैं। फिर भी, लोगों के स्वास्थ्य पर उनके विपरीत प्रभाव का कोई अध्ययन निर्णायक नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने पहले से ही कृषि में डी. डी. टी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल प्रतिबंधित परिमाण की अनुमति दी है, जबकि बी. एच.

डी.टी. के उपयोग पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाये गये हैं। सुरक्षित और सस्ते स्थानापन्न की अनुपलब्धता तथा इस देश में विद्यमान विशेष जन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं हो पाया है।

(ङ) सरकार इस बारे में जागरूक है कि जहां तक संभव हो, उपभोग और पर्यावरण की वस्तुओं में कीटनाशी अवशेषों के कारण होने वाले जोखिम को कम करने के लिये कीट नियंत्रण में कम स्थायी और आसानी से जैव रूप से विखंडित कीटनाशकों का प्रयोग किया जाय। सरकार पौध संरक्षण नीति के मुख्य थ्रस्ट के रूप में समेकित कीट प्रबंध (आई. पी. एम.) को कार्यान्वित कर रही है जिसमें कीटों और रोगों के प्रबंध के लिए कल्चरल यांत्रिक और जैविक तकनीकें शामिल करने का वर्णन है। इस नीति को अपनाने से कीटनाशकों के विवेकपूर्ण और आवश्यकता पर आधारित प्रयोग में मदद मिलती है।

गुजरात में दूध और तेल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की योजना

[अनुवाद]

505. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गुजरात में दूध और तेल क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का काम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली कुल धनराशि के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या ठोस कार्यक्रम और प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड-3 के अन्तर्गत डेयरी के क्षेत्र में 53.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है और राज्य में वृहत डेयरी विकास परियोजनायें शुरू करने के लिए 147 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूर किया जाना है। तेल के क्षेत्र में, गुजरात सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मई, 1990 तक परियोजनाओं, जिनमें पेराई, विलायक निष्कर्षण परिष्करण और वनस्पति विनिर्माण सुविधायें भी शामिल हैं, के लिये 61 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये हैं। तेल वाली परियोजनाओं के लिये 77 करोड़ रुपये, जिसमें पहले निर्मुक्त की गई राशि भी शामिल है, का बजट रखा गया है।

अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए सर्वेक्षण

506. श्री आनन्द सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान घाघरा नदी में अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस को संचालन कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार की योजना क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान गंगा और घाघरा नदियों में नदी परिवहन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) घाघरा नदी में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की मूल जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। घाघरा नदी में बांकीघाट से फैजाबाद तक जलराशिक सर्वेक्षणों और तकनीको आर्थिक अध्ययन से संबंधित एक योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 56 लाख रु. की लागत से अक्तूबर, 1989 में शुरू की गई थी। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पंजाब में अन्य राज्यों से आये श्रमिकों की उग्रवादियों द्वारा हत्या

507. श्री सुधीर गिरि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अन्य राज्यों से आये कितने श्रमिकों की उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1989 के दौरान और 1990 में अब तक हत्या की गई है;

(ख) ये श्रमिक किन राज्यों के हैं;

(ग) क्या उग्रवादियों के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अभी तक मुआवजे की कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 1989 और 1990 के दौरान आतंकवादियों द्वारा बिहार से आए 29 मजदूर मारे गये।

(ग) पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार आतंकवादी हिंसा में मारे गए निरपराध व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में पंजाब सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

श्रीलंका में तमिलों की हत्या रोकने के लिए की गई पहल

508. श्री टी बशीर :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती बेम्नुपति बिशा :

श्री मंजय लाल :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री कुसुम कृष्णामूर्ति :

प्रो. के. वी. थामस :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट :

श्री एस. कृष्ण कुमार

श्री ए. सी. के. कुप्पुस्वामी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री यदुनाथ पाण्डेय :

श्री इरा अम्बारासु :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :

श्री गोपाल पचेरवाल :

क्या विदेश मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में हाल की घटनाओं में श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए मिलिटरी आपरेशन में भारी संख्या में भारतीय मूल के तमिल मारे गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने, श्रीलंका के सुरक्षा बलों और लिट्टे के बीच बढ़ते हुए भारी संघर्ष और श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी राज्य में बढ़ती हुई जातीय हिंसा के कारण तमिलों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाने की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका के उत्तरी-पूर्वी राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कोई नई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में श्रीलंका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हाल की लड़ाई में मारे जाने वाले नागरिकों के बारे में ठीक-ठीक यह बताना तो मुमकिन नहीं है कि इन मरने वालों में कितने किस जाति के थे लेकिन हाल के भारतीय मूल के तमिलों के मारे जाने की कोई खबर नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सरकार श्रीलंका की सरकार पर बराबर इस बात के लिए जोर देती रही है कि इस संघर्ष का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। बातचीत के माध्यम से राजनैतिक समाधान के जरिए ही न्यायोचित और स्थायी शान्ति लाई जा सकती है। श्रीलंका की सरकार ने संकेत तो इसी बात के दिए कि वे भी बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस दिशा में कोई प्रगति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि लिट्टे बराबर हिंसा के रास्ते पर चल रहा है।

फिजी में भारतीय दूतावास बन्द करना

509. श्री पी. एम. सईद :

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री प्रतापराव बी. भोसले :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी में भारतीय दूतावास बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मूल के लोगों को, जो जातीय भेदभाव के शिकार हैं, राहत पहुंचाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। फिजी स्थित भारत का राजदूतावास को 24 मई, 1990 को बन्द कर दिया गया था।

(ख) भारत सरकार ने फिजीवासियों के, जिनमें जाति के आधार पर भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला द्विपक्षीय आधार पर सम्बद्ध देशों के साथ उठाया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और समन्वय समिति से अनुरोध किया है कि वह अपने 1992-97 की मध्यावधि योजना में फिजी में उभर रहे जातिवाद का अध्ययन करे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के भेदभाव निरोधक और अल्पसंख्यक संरक्षण संबंधी उप आयोग की अगली बैठक में इस मामले को उठाने का निश्चय किया है और वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे मामलों के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ायेगा। हम महासभा की आगामी बैठक में भी इस मामले को उठायेंगे। हम राष्ट्रमण्डल में फिजी के पुनः प्रवेश का उस समय तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि वह राष्ट्रमण्डल के सिद्धान्तों को नहीं मानता जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जातीय आधार पर भेदभाव न बरतने की बात भी कही गई है।

इस समय हम फिजी में चल रहे लोकतांत्रिक आन्दोलन को नैतिक और राजनयिक समर्थन दे रहे हैं। हम फिजी के विद्यार्थियों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, विशेषकर उन लोगों को जिनके साथ जातीय आधार पर भेद-भाव किया जा रहा है। हमने फिजी के निकटवर्ती देशों में अपने मिशनों को निर्देश दिये हैं कि वे भारतीय मूल के लोगों को उनके अनुरोध पर दीर्घकालिक और बहुप्रवेशीय बीजा प्रदान करें।

मणिपुर में बर्मा के नागरिकों का बसाया जाना

510. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री मणिपुर के उखरूल के सीमावर्ती जिले में कसंग और थाम्सू गावों में बर्मा के नागरिकों की बस्तियां बन रही है जिससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और भी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो बर्मा के नागरिकों द्वारा बनाई गई नई बस्तियों से कितने क्षेत्र का अधिक्रमण हुआ है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चीन के भूभाग में परमाणु परीक्षण की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान का चीन से अनुरोध

511. **श्री येदंवेन्द्र दत्त :**

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जानकारी में यह बात आई है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का भूमि पर परीक्षण करने हेतु चीन से लोपनौर स्थित परमाणु सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) पाकिस्तान को अपने परमाणु बम का भूमिगत विस्फोट करने के लिए चीन की सुविधाएं कितनी बार प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उन्होंने यह मामला चीन के विदेश मंत्री के साथ उनके हाल के भारत दौरे के दौरान उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चीन के विदेश मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाभिकीय क्षेत्र में चीन पाकिस्तान को सहायता दे रहा है लेकिन प्रश्न में जिन मामलों का संदर्भ है उनकी पुष्टि के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के प्रच्छन्न स्वरूप और उसके शस्त्रोन्मुखी स्वरूप के बारे में सरकार की आशंकाओं से सभी संबंधित पक्ष सुपरिचित हैं जिनमें चीन की सरकार भी शामिल है। इसके कारण बहुत से अन्य देशों भी चिन्तित हैं।

प्रधान डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

[हिन्दी]

512. श्री गुमान मल लोढा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किये गये मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूषा गांव के शाखा डाकघर को प्रधान डाकघर में बदलने के लिए इन मानदण्डों का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक प्रधान डाकघर बना दिया जायेगा;

(घ) क्या इसे प्रधान डाकघर में बदलने में कोई अन्य कठिनाइयां हो रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे प्रधान डाकघर में बदल दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जनरल पोस्ट आफिस या जी. पी. ओ. प्रथम श्रेणी के उस हैड पोस्ट आफिस को कहा जाता है जो सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित होता है। जहां एक से अधिक हैड आफिस होते हैं, वहां मुख्यालय से सम्बद्ध हैड पोस्ट आफिस को जी. पी. ओ. का नाम दिया जाता है। जनरल पोस्ट आफिस खोलने के लिए कोई अन्य मानदंड निर्धारित नहीं किए गए।

(ख) से (च) भूषा नाम का कोई शाखा डाकघर नहीं है। तथापि, पाली जिले में फुल्सा में एक शाखा डाकघर है। इस शाखा डाकघर को विभागीय उप डाकघर में बदलने के मामले की जांच की गई है। लेकिन इसका औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि इस शाखा डाकघर में इस समय प्रतिदिन 5 घंटे निर्धारित न्यूनतम कार्यभार नहीं है और इसका दर्जा बढ़ाए जाने पर होने वाला घाटा 2000/- रु. प्रति वर्ष की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने की भी संभावना है।

कश्मीर मामले पर अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने हेतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस्लामी देशों का दौरा

[अनुवाद]

513. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कश्मीर के मामले पर इस्लामाबाद के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने हेतु इस्लामी देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हमने संबंधित सरकारों को यह बता दिया कि काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान की कारंवाईयां और उसके बयानात शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सभी मतभेद शान्तिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जायेंगे। इन सरकारों को यह बात भी पूरी तरह बता दी गई है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों का समर्थन और प्रोत्साहन दे रहा है।

अगस्त, 1989 के बाद आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

514. श्री प्यारे लाल हांडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में अगस्त, 1989 के बाद आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गये हैं;

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमें दायर किये जा चुके हैं; और

(घ) ये मामले जिन न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से इस बारे में सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

सूरत जिले में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

515. श्री सी. डी. गामित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1989 तक की अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन के लिए सूरत जिला दूरसंचार विभाग में कितने आवेदकों के नाम दर्ज थे;

(ख) जून, 1990 तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(ग) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 43392।

(ख) 1985 और जून, 90 की अवधि के बीच 22350 कनैक्शन प्रदान किये गए।

(ग) शेष आवेदकों को टैलीफोन कनैक्शन 8वीं योजना अवधि के दौरान, योजना को मंजूरी मिल जाने, समय पर उपस्कर के उपलब्ध हो जाने और नए टैलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण हो जाने की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है।

बाढ़ और वर्षा से प्रभावित राज्य

[अनुवाद]

516. श्री गोपीनाथ गजपति :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार :
श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या :
श्री रोपत सिंह मक्कासर :
श्री रघुनाथ पाण्डेय :
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गोपाल पचेरवाल :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं जो हाल ही में बाढ़, भारी वर्षा और भू-स्खलन से प्रभावित हुए हैं;

(ख) इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सम्पत्ति, फसलों, मानव जीवन और पशुओं की कितनी-कितनी क्षति हुई है तथा कितने व्यक्ति बेघर हुए हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ग्यारह राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश से भारी वर्षा, बाढ़, भू-स्खलन आदि से हुई हानि की सूचना प्राप्त हुई है। जीवन और सम्पत्ति की हुई क्षति का ब्यौरा जैसा कि प्रभावित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश ने दिनांक 7.8.90 को सूचित किया है, संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) राहत व्यय की वित्तीय सहायता करने की वर्तमान योजना के अनुसार, 1.4.1990 से लागू हुई, प्रत्येक राज्य को राशि आवंटित करके एक विपदा राहत कोष स्थापित किया गया है। गैर योजना अनुदान के रूप में विपदा राहत कोष को केन्द्र सरकार का अंशदान 75% है और शेष 25% की पूर्ति सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से की जाती है, संलग्न विवरण-2 में विभिन्न राज्यों को विपदा राहत कोष के अन्तर्गत आवंटित राशि और विपदा राहत कोष में केन्द्र के अंशदान की अब तक निर्मुक्त राशि दर्शाई गई है।

विवरण 1

दक्षिण-पश्चिम मानसून-1990 के दौरान अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि से हुई हानि (राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित) (अनन्तिम)

7.8.1990 को

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	फसलों को हुई हानि (लाख हैक्टेयर में)	मकानों को हुई हानि (संख्या)	मृत मानवों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	लोक सेवाओं को हुई हानि (लाख)
1.	असम	14	1245	1.53	7.37	0.48	13324	7	2	सू.न.
2.	बिहार	14	1815	3.44	21.46	1.43	2035	4	3	94.50
3.	गुजरात	8	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	4380	39	317	0.05
4.	हरियाणा	5	106	0.65	2.82	0.35	14742	11	967	90.35
5.	हिमाचल प्रदेश	6	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	38	सू.न.	सू.न.
6.	मणिपुर	6	120	0.23	0.56	0.20	6384	3	5618	929.59
7.	उड़ीसा	1	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1	सू.न.	सू.न.

8.	पंजाब	1	131	सू.न.	सू.न.	सू.न.	2987	2	256	सू.न.
9.	राजस्थान	6	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	95000	93	17000	सू.न.
10.	उत्तर प्रदेश	40	7629	12.16	50.89	6.60	46101	219	2147	सू.न.
11.	पश्चिम बंगाल	9	सू.न.	1.32	सू.न.	0.27	सू.न.	18	सू.न.	सू.न.
12.	पाण्डिचेरी	1	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1	सू.न.	सू.न.

सू.न. = सूचित नहीं किया गया।

विवरण 2

राज्यों के विपत्ति राहत कोष (सी. आर. एफ.) को आवंटित राशि एवं केन्द्र सरकार निर्गमित अंशदान

7.8.1990 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	विपदा राहत कोष में 1990-91 के लिए कुल राशि।	केन्द्र द्वारा विपदा राहत कोष में निर्गमित अंशदान ×
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	86.00	64.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2 00	0.38
3.	असम	30.00	5.62
4.	बिहार	35.00	6.56
5.	गोवा	1.00	0.19
6.	गुजरात	85.00	15.94
7.	हरियाणा	17.00	3.19
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	3.38
9.	जम्मू और कश्मीर	12.00	2.25
10.	कर्नाटक	20.00	5.06
11.	केरल	31.00	5.81
12.	मध्य प्रदेश	37.00	6.94
13.	महाराष्ट्र	44.00	8.25
14.	मणिपुर	1.00	0.19
15.	मेघालय	2.00	0.38
16.	मिजोरम	1.00	0.19
17.	नागालैंड	1.00	0.19
18.	उड़ीसा	47.00	8.81
19.	पंजाब	28.00	5.25

1	2	3	4
20.	राजस्थान	124.00	23.25
21.	सिक्किम	3.00	0.56
22.	तमिलनाडु	39.00	14.62
23.	त्रिपुरा	3.00	0.56
24.	उत्तर प्रदेश	90.00	16.87
25.	पश्चिम बंगाल	40.00	7.50
	कुल	804.00	206.44

×आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों को पहली तिमाही से संबंधित। आन्ध्र प्रदेश को चारों तिमाहियों के लिए और तमिलनाडु को दो तिमाहियों के लिए राशि निर्मुक्त की गई है, जैसा कि इन राज्यों ने अनुरोध किया था।

आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान 52 लाख अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों का प्रावधान

517. श्रीमती वेन्नुवति विश्ला : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व घोषणा के अनुसार आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान 52 लाख अतिरिक्त टेलीफोन लाइन उपलब्ध कराने के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) बड़े मध्यम और लघु आकार के एक्सचेंजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। जहां तक मध्यम और लघु आकार के एक्सचेंजों का संबंध है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त विनिर्माण क्षमता उपलब्ध है। बड़ी क्षमता के एक्सचेंजों के मामले में इस समय नजर आने वाले आंशिक अन्तर को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है और इस स्तर पर अतिरिक्त क्षमताएं, उपलब्ध प्रौद्योगिकियां अथवा देश में विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को सम्मिलित करना

518. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को सम्मिलित करने की मांग के बारे में मणिपुर के लोगों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जालना जिले के लिए पृथक डाक प्रभाग

[हिन्दी]

519. श्री पुंडलिक हरी दानवे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालना जिले लिये पृथक डाक प्रभाग न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या औरंगाबाद डाक प्रभाग को तीन भागों में विभक्त करके औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिले और जालना जिले में पृथक प्रभाग स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार जालना जिले के लिए अलग से डाक मंडल का सृजन करने का औचित्य नहीं बनता ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

[अनुवाद]

520. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) 30 जून, 1990 तक कुल कितने आरक्षित पद पहले से ही रिक्त थे और इन पिछली बकाया रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कुल कितने अधिकारी प्रशिक्षण के लिए तथा सम्मेलनों, गोष्ठियों में भाग लेने हेतु व निरीक्षणों के लिए विदेश भेजे गये, और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी थे ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं —

वर्ग/समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	1543	131	25
ख	1298	103	12
ग	2767	339	155
घ	160	27	2
	5768	600	194

(ख) 30 जून, 1990 को आरक्षित पदों की कुल पिछली बकाया रिक्तियां नीचे दर्शायी गई हैं—

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
क	3	3
(प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थी)	16	12
ख	शून्य	शून्य
ग	3	3
घ	4	7

समूह "क" में उपर्युक्त पिछली बकाया रिक्तियों में से छः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की पिछली बकाया रिक्तियों के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार अगस्त, 1990 के अन्तिम सप्ताह में होगा।

समूह "ग" के लिए छः आरक्षित रिक्तियों में से दो व्यक्तियों ने पहले ही सेवा आरम्भ कर ली है और शेष पदों के लिए अगस्त, 1990 के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।

समूह "घ" में सभी आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और शीघ्र ही कार्य आरम्भ करेंगे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण सम्मेलन, विचार गोष्ठियों तथा निरीक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	प्रशिक्षण/सम्मेलन तथा निरीक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण, सम्मेलन तथा निरीक्षण के लिए विदेश भेजे गए अनुसूचित जाति अ. ज. जा. के अधिकारियों की संख्या
1987-88	23	3
1988-89	15	1
1989-90	4	शून्य

सऊदी अरब "रुबत" अधिकारी की नियुक्ति

521. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब में एक "रुबत" (होस्टलस) अधिकारी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के कार्य और शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारी को भारतीय दूतावास में तैनात किया जाएगा या वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा; और

(घ) उक्त अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जाएगी।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) रबात अधिकारी ने दिनांक 29.5.1990 से जेद्दा स्थित भारत का प्रधान कौंसल का कार्य सम्भाल लिया है। वह प्रधान कोंसलावास का ही एक अंग है। रबात अधिकारी सऊदी अरब स्थित विभिन्न भारतीय रबातों की मोजूदा दशाओं की विस्तृत जांच करेगा। जिससे इन रबातों को पुन: अपने कब्जे में लिया जा सके अथवा उनका जीर्णोद्धार किया जा सके ताकि इन्हें अपने हज यात्रियों के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

किसानों को कृषि मशीनों का वितरण

[हिन्दी]

522. श्री मदन लाल :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री जनार्दन तिवारी :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के छोटे किसानों को रियायती मूल्य पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप श्रेणीवार कितने किसानों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

1. ट्रैक्टर के लिए ऋण लेने हेतु स्वामित्व वाली कृषि की सीमा को घटाकर 8 से 4 एकड़ कर देने का प्रस्ताव है। तथापि ऐसा 18 से कम हार्स पावर वाले छोटे ट्रैक्टरों के मामले में ही किया जायेगा।

2. 4 से 8 एकड़ की जोत वाले वर्ग से किसानों को ऐसे ट्रैक्टरों के लिए बैंकों द्वारा ब्याज की कम दर पर ऋण दिया जाना चाहिए।

3. ऐसे ट्रैक्टरों तथा उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 30,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर सेट के हिसाब से 30 प्रतिशत राजसहायता 4 से 8 एकड़ की जोत वाले किसानों को दी जायेगी और यह केवल 18 हार्स पावर से कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों के लिये दी जायेगी। इस राशि का उपयोग सीमित मामलों के लिये प्रयोग में की गई विद्यमान फसलों से किये जाने का प्रस्ताव है।

1 और 2 में दिये गये निर्णयों पर वित्त मन्त्रालय विचार कर रहा है और 3 के बारे में स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस नई योजना पर संबंधित मन्त्रालय विचार कर रहा है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय जारी कर दिया जायेगा।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 500 ट्रैक्टरों हेतु 4 से 8 एकड़ की जोत वाले समसंख्यक किसानों के लिए राज सहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की स्थापना

5 3. श्री नन्दलाल मीणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमांत किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान में जिलेवार कितने प्राथमिक ग्रामीण बाजार चल रहे हैं,

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की स्थापना और उनके रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और इस प्रयोजन हेतु दी गई राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में अतिरिक्त प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग विकास में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) भारत सरकार ने राजस्थान की राज्य सरकार को 427 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों में आधारभूत ढांचे की सुविधाएं विकसित करने हेतु केन्द्रीय सहायता दी है। राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दे दी गई है कि 280 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों का कार्य पूरा हो चुका है, 33 प्राथमिक बाजारों का कार्य प्रगति पर है तथा 52 प्राथमिक बाजार कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में कार्य कर रहे प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में नये प्राथमिक बाजार स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई थी। उपयुक्त स्थानों के अभाव में 114 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों को विकसित करने हेतु पहले ही प्रदान की गई 113 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपयोग न की गई 113 लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता को कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास के नये प्रस्तावों के लिए समायोजन करने के राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राजस्थान में कार्य कर रहे प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की जिलावार संख्या

क्र. संख्या	जिले का नाम	राजस्थान में कार्य कर रहे प्राथमिक ग्रामीण बाजारों की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	4
2.	जोधपुर	1
3.	श्री गंगा नगर	9
4.	चित्तौड़गढ़	3
5.	डूंगरगढ़	1

1	2	3
6.	कोटा	19
7.	झालावाड़	3
8.	बूंदी	3
9.	सवाई माधोपुर	2
10.	अजमेर	2
11.	टोंक	1
12.	भीलवाड़ा	4
	कुल योग	52

साम्प्रदायिक दंगे

[अनुवाद]

524. प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री मित्रसेन यादव :
प्रो. यदुनाथ पाण्डेय :
श्री जर्नादन तिवारी :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाड़िया :
श्री जी. एम. बनातवाला :
श्री रामेश्वर प्रसाद :
डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :
क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत: छ: महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल हुए और कितनी अनुमानित सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या उक्त मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और इन दंगों के कारणों की जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो दंगा पीड़ितों के लिए किए गए राहत और पुर्नवास उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर, देश के विभिन्न भागों में पिछले छः महीनों के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों का एक आंकड़ेवार विवरण संलग्न है।

(ङ) देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए तथा साम्प्रदायिक और विघटनकारी बलों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्दता को बढ़ावा देने साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम करने के लिए दिशा निर्देशों की पुनरीक्षा की है तथा उनको विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में दिनांक 23 अप्रैल, 1990 को परिचालित किया है। इसके अलावा, जब कभी अनुरोध किया जाता है तो राज्य सरकारों को अर्ध-सैनिक बल तथा उपकरण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है, बशर्ते कि वे मैदानी दगों को प्रभावकारी ढंग से काबू करने और रोकने के लिए उपलब्ध हों। केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ अपनी आसूचना सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी 11 अप्रैल 1990 को हुई बैठक में सभी राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक तथा धर्म निरपेक्ष ताकतों से अपील की है कि वे हिंसा, अलगाववादी, साम्प्रदायिकता और रूढ़िवादिता की चुनौती का सामना करने के लिए एक जुट हो जाएं।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार 01 फरवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों के कारण जान-माल के नुकसान, घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा दंगों के कारणों को दर्शाता आंकड़ेवार विवरण

जगह का नाम और तारीख	व्यक्तियों की संख्या			दंगे का कारण	सम्पत्ति के नुकसान का ब्योरा	किए गए राहत उपायों का ब्योरा
	मारे गए	घायल गए	पकड़े गए			
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश :						
हैदराबाद शहर (6-9 जुलाई, 1990)	8	31	2:9	भूमि विवाद पर दो समुदायों के समाज विरोधी तत्वों के बीच झगड़े	2 दुकानों और एक स्कूटर को आग लगा दी गई।	उ. न.
बिहार						
बड़ी जुमामी (जिला नवादा) (12·3·1990)	5	10	62	एक धार्मिक स्थल के समीप से गुजर रहे होली के जुलूस पर पथराव	45 कुटीर/दुकानों को जला दिया गया/नुकसान पहुंचाया	मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को एक लाख रुपए का अनुग्रह पूर्वक राशि/पुलिस की गोली

1	2	3	4	5	6	7
						बारी में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 25 हजार रुपये । गुटीस और दुकान में नुकसान पर 82,000/- रु.
पंजीवपुर : (14-15-3-1990)	3	6	81	एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ एक फल विक्रेता द्वारा अभद्र व्यवहार	लूटपाट के कारण 28 टीमों तथा गुन्टियों को नुकसान पहुँचा ।	उसी दर से अनुग्रह सहायता स्वीकृत कराई गई जैसे कि बड़ी गुलामो के मामले में, तथा घायल हुए व्यक्तियों और ठीलों तथा गुन्टियों के नुकसान के लिये उचित मुआवजा स्वीकृत किया गया ।
मुबारक (जिला [illegible]) (10-3-1990)	5	52	229	सिनेमा टिकटों के काला बाजार करने जैसी छोटी सी बात के लिये दो समुदायों के असामाजिक तत्वों के बीच कथित झगड़ा ।	40·37 लाख रुपये	1·65 लाख रुपये

आणंद (जि. खेड़ा) (27·3·1990)	2	16	606	अन्य समुदायों के कुछ लोगों द्वारा खेड़ा जिले के विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष की कथित हत्या।	21·35 लाख रुपये	1·33 लाख रुपये
भड़ौच (29·3·1990)	1	12	252	दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा एक लड़की से कथित दुर्व्यवहार।	0·70 लाख रुपये	0·69 लाख रुपये
अहमदाबाद (3-8·4·1990)	38	118	1649	3·4·1990 को घटित घातक हत्या के परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक मुठभेड़ें।	101·16 लाख रुपये	17·17 लाख रुपये
बड़ौदा (6-7·4·1990)	12	74	738	कश्मीर की घटनाओं के सम्बन्ध में आयोजित रैलियां।	39·49 लाख रुपये	9·43 लाख रुपये
तमिलनाडु डिंडीगुल कॅद-ए-मिलात (24·3·1990)	2	32	91	अन्ना जिले का नाम बदल कर डिंडीगुल क़ैद ए-मिलात रखने के विरोध में दंगे।	0·32 लाख रुपये	मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 10,000 रुपये की अनुग्रह पूर्वक राशि।

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
कानपुर (18·4·1990)	5	17	279	दो विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच हुई मामूली सड़क दुर्घटना	16 घर तथा 3 दुकानों को जला दिया गया/नुकसान पहुंचाया गया।	मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपये/प्रत्येक घायल व्यक्ति को 5,000 रुपए।

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

नासिक से एस. टी. डी. सेवा की मांग

525. डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक जिले (महाराष्ट्र) में मालेगांव, सिन्नेर, सेताना, दिण्डोरा, चन्दौर और पिम्पलगांव से एस. टी. डी. सेवा उपलब्ध कराने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को कब तक पूरा किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने सम्बन्धी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इन स्थानों को निकटतम ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों से जोड़ने के लिए विश्वसनीय पारेषण माध्यम की योजना भी बना ली गई है।

(ग) 8वीं योजना अवधि के दौरान।

तम्बाकू और गन्ने के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

526. श्री दसई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रोसेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र में भारी मात्रा में पैदा होने वाली तम्बाकू और गन्ना वहां अनुसंधान केन्द्र न होने के कारण नष्ट हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तम्बाकू और गन्ना उत्पादकों के हित में इस क्षेत्र में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं,

(ख) जी नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार को गन्ने के लिए अनुसंधान सम्बन्धी पर्याप्त सहायता प्रदान की है। तम्बाकू के लिए भा. कृ. अ. परिषद के केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के तहत पूसा बिहार में एक उप-केन्द्र है, जो इस क्षेत्र के तम्बाकू उगाने वाले उत्पादकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

इस समय बिहार के रोसेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र में तम्बाकू और गन्ने के लिए अतिरिक्त अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरी बिहार के सहरसा क्षेत्र और दिल्ली के बीच एस. टी. डी. सेवा

527. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के सहरसा क्षेत्र और दिल्ली के बीच टेलीफोन एस. टी. डी. सेवा

ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसके फलस्वरूप लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने टेलीफोन सेवा के इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका से आए शरणार्थी

[अनुवाद]

528. **डा. वेंकटेश काबडे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान श्रीलंका के उत्तर-पूर्व राज्य में "लिट्टे" और सुरक्षा बलों में संघर्ष होने के परिणामस्वरूप श्रीलंका से भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर श्रीलंका की सरकार से उनको वापस लेने और उनकी सुरक्षा के बारे में बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) श्रीलंका सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की देख-रेख में श्रीलंका में ही शरणार्थी शिविर स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है।

मुम्बई में टेलीफोनों की शिकायतें

529. **प्रो महादेव शिवनकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में मई जून, 1990 के दौरान कितने टेलीफोन लाइनें/कनेक्शन खराब पड़े रहे;

(ख) टेलीफोन खराब पड़े रहने की कितनी शिकायतों को छः घंटे से भी अधिक समय में दूर कर दिया गया था ; और

(ग) टेलीफोन लाइनें/कनेक्शन ठीक करने में विलम्ब के क्या कारण है और सरकार ने इस प्रकार का विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कश्मीर छोड़कर आए लोगों के लिए सुविधाएं

530. श्री मदन लाल खुराना :

श्री कड़िया मुण्डा :

श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री डी. एम. पुट्टे गौडा :

श्री जनकराज गुप्त :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर छोड़कर आए लोगों को गत तीन महीनों के दौरान, महीनेवार, दी गई वित्तीय सहायता और संरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कश्मीर छोड़कर आये लोगों के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है और कश्मीर छोड़कर आता लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं;

(ग) क्या कश्मीर छोड़कर आए लोगों को वही सुविधाएं देने का विचार है जोकि पंजाब में आतंकवादियों से पीड़ित लोगों को और दिल्ली में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) कश्मीर के प्रवासियों को मई, 1990 से दो जा रही आर्थिक तथा अन्य सहायता का प्रकार तथा मात्रा का एक विवरण संलग्न है। दिल्ली के शिविरों में ठहरे हुए प्रवासियों को लगभग उसी समान दर से सहायता दी जा रही है जो पंजाब के प्रवासियों और दिल्ली के 1984 के दंगों से पीड़ितों को दी जा रही है।

विवरण

सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों को दी गई सहायता का प्रकार और मात्रा

प्रवासी परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये राहत उपाय निम्नलिखित हैं :—

सामान्य सहायता

उन प्रवासी परिवारों के बच्चों को जो घाटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते हैं, घाटी से बाहर के विभिन्न व्यवसायिक और अन्य कालेजों में दाखिले के लिये निर्देश जारी किए गए हैं। घाटी से बाहर, बैंक खातों का स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन की अदायगी, पेंशन, एल. आई. सी. की किस्त की अदायगी जैसे सुविधाएं भी प्रवासी परिवारों को दी गयी है।

जम्मू में

(I) चार या इससे अधिक सदस्यों के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1,000 रु. की नकद सहायता देना।

(II) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर मुफ्त राशन की आपूर्ति अर्थात् 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक किलो चीनी, प्रति परिवार प्रति माह।

(III) उपलब्ध सरकारी भवनों या टेन्टों में, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास।

(IV) मुफ्त चिकित्सा सहायता कोष

(V) जरूरतमन्द परिवारों को कम्बलों की आपूर्ति।

दिल्ली में

प्रति व्यक्ति प्रति माह 125 रु. की दर से नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार सदस्यीय प्रति परिवार प्रतिमाह '00 रु. से अधिक न हो।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित तेरह शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों को नकद राहत के अलावा खाना बनाने के बर्तनों कोचन किट/बिस्तर और मासिक राशन भी दिया जाता है। राशन पर प्रति परिवार होने वाला प्रति माह का व्यय लगभग 500 रु. है। शिविरों में चिकित्सा दल द्वारा नियमित दौरे किए जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

जम्मू और कश्मीर और पंजाब में विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन

531. डा. ए. के पटेल :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर और पंजाब के उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विदेशों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार को इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग की कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जम्मू और कश्मीर और पंजाब में एफ. सी. आर. ए. के अन्तर्गत पंजीकृत संगठनों की सूची विवरण के रूप में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1345/90] पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई धन राशि निम्न प्रकार से थी :

राज्य		वर्ष	राशि (लाखों में)
	1986	1987	1988
पंजाब	436.57	468.97	646.19
जम्मू और	78.94	153.26	177.77

वर्ष 1989 के लिये अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन

532. श्री बबनराव ढाकणे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कुल 16 लाख नए कनेक्शन।

(ख) कुल 16.93 लाख नये कनेक्शन।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि लक्ष्य से अधिक नए टेलीफोन कनेक्शन स्थापित कर दिये गए हैं।

पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल में करुणामूलक आधार पर रोजगार

533. श्री अनिल बसु : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार निदेशालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में दूरसंचार कर्मचारियों के अनेक आश्रितों को करुणामूलक आधार पर अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है जबकि इसके लिये विशेष स्वीकृति पहले ही जारी कर दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आवश्यकतानुसार दूरसंचार निदेशालय से छूट प्राप्त करने के बाद मृत कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति का नियमानुसार अनुमोदन किया जा रहा है।

जब भी और जहां कहीं भी उपयुक्त रिक्त पद उपलब्ध होते हैं, अनुकम्पा पर आधारित वास्तविक नियुक्तियां की जाती हैं। इसीलिये कुछ अनुमोदित मामलों में आश्रितों की नियुक्ति में विलंब हो सकता है।

विदेशियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक दिन तक ठहरना

534. **श्री आर. गुंडूराव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी, देश छोड़ने के लिए उनके वीजा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद, यहां रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में निर्धारित अवधि से अधिक दिनों तक ठहरने वाले विदेशियों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन्हें इनके देश वापस भेजने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) कुछ विदेशियों, अधिकांशतः पाकिस्तानी और बंगलादेशी, के देश में समय से अधिक ठहरने के समाचार है।

(ख) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का देश में समय से अधिक समय तक रहरने को स्थिति का 31.12.89 तक का राज्य-वार विवरण संलग्न है। जहां तक देश में बंगलादेशी और अन्य राष्ट्रिकों का अधिक समय तक ठहरने का सम्बन्ध है, इस बारे में किसी प्रकार के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) जब कभी कोई विदेशी अधिक समय तक ठहरता है तथा उसका पता लगता है तो राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों द्वारा विदेशी अधिनियम के तहत उन पर अभियोग चलाया जाता है अथवा उनको वापस भेजने की कार्रवाई की जाती है।

(घ) राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशियों का पता लगाने और वापस भेजने के लिए प्रभावकारी उपाय करें।

भारत में समय से अधिक समय तक ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का 31 दिसम्बर, 1989 तक का राज्यवार ब्योरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	39

1	2	3
2:	बिहार	147
3.	दिल्ली	127
4.	गुजरात	408
5.	हरियाणा	31
6.	कर्नाटक	105
7.	केरल	454
8.	मध्य प्रदेश	1093
9.	महाराष्ट्र	1796
10.	उड़ीसा	44
11.	पंजाब	253
12.	राजस्थान	1300
13.	तमिलनाडु	94
14.	उत्तर प्रदेश	1150
15.	पश्चिम बंगाल	520
16.	जम्मू और कश्मीर	116

मध्य प्रदेश के त्योहार जिले में अष्टा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

535. श्री एस. सी. वर्मा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के त्योहार जिले में, अष्टा में 200 टेलीफोन कनेक्शनों से अधिक कनेक्शनों के चालू होने के बावजूद एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना नहीं की गई है,

(ख) एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु क्या-क्या शर्तें हैं, और

(ग) अष्टा में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज और एस. टी. डी. सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 8 वीं योजना के उद्देश्य के अनुसार 8वीं योजना के दौरान तहसील/खंड विकास मुख्यालयों के समतुल्य उप-मंडल मुख्यालयों के मेनुअल एक्सचेंजों को आटोमैटिक बनाने की योजना है।

(ग) मथुरा में 1991-92 के दौरान आटोमैटिक एक्सचेंज और एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि एक्सचेंज उपस्कर और स्थायी अंतःस्थल माध्यम उपलब्ध हों।

जी-15 शिखर सम्मेलन का परिणाम

536. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1990 से 4 जून, 1990 तक मलेशिया में हुए जी-15 (15 विकासशील देशों का समूह) शिखर सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(ख) क्या सम्मेलन में विकासशील देशों की सामूहिक आत्म निर्भरता के लिए यूरोपीय साझा बाजार की भांति एक प्रकार की साझा बाजार प्रणाली के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई थी ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी-15 के पहले शिखर सम्मेलन ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पारित की जिसमें उन्होंने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया और उसमें विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण सहयोग के संवर्धन के लिए निर्णय शामिल थे। इसने जी-15 के भावी क्रिया-कलापों को समन्वित करने के लिए अनुवर्ती उपायों का भी फैसला लिया। बैठक में जी-15 के सदस्य देशों ने भाग लिया, यथा-अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इण्डोनेशिया, जमैका, मलयेशिया, मेक्सिको, नाइजेरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, युगोस्लाविया और जिम्बाब्वे।

(ख) जी नहीं। साझा बाजार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। तथापि, यह निर्णय किया गया कि इच्छुक विकासशील देशों के बीच बहु पक्षीय भुगतान निकासी व्यवस्था स्थापित करने की सम्भावना का पता किया जाए। दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं पर हुई चर्चा से विकासशील देशों की सामूहिक आत्म-निर्भरता को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी।

भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की यूनिटों को कार्यक्षम बनाना

[अनुवाद]

537. श्री ए. के. राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की घाटे में चलने वाली यूनिटों को कार्यक्षम बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक यूनिट का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और इससे नाइट्रोजन के रूप में कितने टन अतिरिक्त उर्वरक का उत्पादन हो सकेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन दोनों ने अपने एककों के पुनर्वास और पुनरुद्धार हेतु योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

कम्पनी/एकक का नाम	निवेश की राशि (रु./करोड़)	अतिरिक्त उत्पादन नाइट्रोजन (000 मी. टन)
क. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.		
I. गोरखपुर (प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण/उन्नयन)	66.65	29.90
II. रामागुण्डम (कैपटिव पावर प्लांट सहित फेस-1 का नवीकरण)	102	62.16
ख. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.		
1. दुर्गापुर (नवीकरण)	3[illegible].66	36.8
2. बरौनी (नवीकरण)	26.65	13.8
3. नामरूप-I (नवीकरण)	9.10	1.7
4. नामरूप-II (नवीकरण)	26.43	18.4

उपरोक्त प्रस्तावों में से फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के गोरखपुर एकक के लिए 66.65 करोड़ रुपए की लागत पर नवीकरण का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

विभागेतर कर्मचारियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

538. प्रो. प्रेम धूमाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विभागेतर कर्मचारियों के लिए अंशानुपात व्यवस्था लागू करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विभागेतर कर्मचारियों को अब क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार, विभागेतर एजेन्टों को यथानुपात मजदूरी देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) सरकार यथानुपात मजदूरी देने के अलावा विभागेतर एजेन्टों को निम्नलिखित सुविधाएं देने पर भी विचार कर रही है :—

(i) अनुग्रह उपदान की राशि को वर्तमान सीमा को 3000/-रु. से बढ़ाकर रु. 6000/- करना।

(ii) जीवन बीमा निगम को सामूहिक बचत से जुड़ी हुई बीमा योजना के अन्तर्गत बीमे की रकम को रु. 10,000 तक बढ़ाना। यह राशि विभागेतर एजेंट की मृत्यु पर देय होगी।

(iii) विभागेतर एजेन्टों को उस अवधि के लिए निर्वाह भत्ता प्रदान करना, जबकि उन्हें सेवा से पृथक रखा जाता है।

(iv) यदि विभागेतर एजेन्ट का चयन किसी विभागीय संवर्ग में हो जाता है तो उसके द्वारा की गई सेवा को 25% अवधि को पेंशन आदि की सुविधाओं के लिए गिनना।

आम का निर्यात

[अनुवाद]

539. श्री के. एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सबसे अधिक और सबसे अच्छी किस्म के आम की पैदावार करने वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो विश्व में आम की पैदावार करने वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में अनुमानतः कितने भूमि-क्षेत्र में आम पैदावार होती है;

(ग) आम के अन्य निर्यातक देशों की तुलना में भारत ने आम के विश्व बाजार में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितने मूल्य के आम का तथा कितनी मात्रा में निर्यात किया;

(घ) जहां तक पैदावार की मात्रा और उसकी किस्म का सम्बन्ध है, क्या विश्व को आम का निर्यात करने में भारत को शीर्ष स्थान दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रीय कृषि संस्थानों में उद्यान विशेषज्ञों द्वारा कोई अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) भारत में आम की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का कोई सरकारी प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। विभिन्न देशों में भी इसकी खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकलन के अनुसार विश्व में आम के कुल उत्पादन

में भारत का हिस्सा सबसे अधिक है। अल्फान्सो किस्म भारत के सर्वोत्कृष्ट आमों में से एक है और इसे देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है।

(ग) आम के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय आम का निर्यात अन्य आम निर्यातक देशों की तुलना में नगण्य है। 1985-86 से 1987-88 के दौरान निर्यात किये गये ताजे आमों की मात्रा और इसका अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1985-86	16539	1944
1986-87	10500	1200
1987-88	14900	1230

(घ) और (ङ) विश्व में आम के निर्यात में भारत के लिये अग्रणी स्थान हासिल करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्व विद्यालयों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के केन्द्रों के द्वारा निम्न उद्देश्यों के साथ उप उष्णकटिबंधीय फलों से संबंधित आम के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है :—

1. नियमित रूप से फल देने तथा स्पंजी टिशू से रहित एवं निर्यात के योग्य अच्छे रंग वाली उपयुक्त किस्मों का उत्पादन करना;
2. देश के विभिन्न जलवायु सम्बन्धी क्षेत्रों में उच्च उत्पादन के लिये पैकेज पद्धतियों को विकसित करना;
3. प्रमुख कीट और रोगों के नियंत्रण के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का मानकीकरण करना।
4. फसल को उत्तरवर्ती हानियों को कम करने तथा परिसंस्करण के लिये उचित प्रौद्योगिकी विकसित करना।

मक्का में भगदड़ में मारे गए भारतीय हज यात्रियों की संख्या

540. प्रो. के. वी. थामस :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज यात्रा के दौरान मक्का में हुई भगदड़ में कितने भारतीय हज यात्री मारे गए; और

(ख) सरकार द्वारा मृतक भारतीय हज यात्रियों के परिवारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) मुझे यह बताते हुए दुख है कि इस भगदड़ में हमारे 10 नागरिकों की जान चली गई।

(ख) यह सूचना मिलने के तुरन्त बाद संबद्ध राज्य हज समिति से दिवंगत व्यक्तियों के परिवारों से सम्पर्क करने और यह मालूम करने के लिए कहा गया कि उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।

संयुक्त तार घर और पी. बी. एक्स. टेलीफोन केन्द्र

541. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा कितने संयुक्त तारघर और पी. बी. एक्स. टेलीफोन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, और

(ख) इन से प्राप्त राजस्व किस अनुपात में दोनों विभागों में बांटा जाता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1.10.1989 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा संचालित संयुक्त डाक व तार घरों की संख्या 36722 है। डाक विभाग द्वारा किसी पी बी एक्स का संचालन नहीं किया जाता।

(ख) संयुक्त डाक व तारघर में संचालित तार के लिए डाक विभाग को (दूरसंचार विभाग द्वारा) 3.60 पैसे प्रति तार एजेंसी प्रभार के रूप में दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में भू-संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

54 . श्री सूबेदार प्रसाद सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही भू-संरक्षण सम्बन्धी विशेष योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी के पिछड़े जिलों में कृषि विकास हेतु कोई नई योजनायें शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में मृदा तथा जल संरक्षण की केन्द्रीय सहायता प्राप्त निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं —

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(2) इन्डो-गेंजेटिक जलक्षेत्र में बाढ़ प्रवण नदियों के लवण क्षेत्रों में समेकित जलविभाजक प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(3) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बकैती प्रवण क्षेत्रों में तंगघाटियों का सुधार; और

(4) क्षारीय मृदा के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिलों में सेना को तैनात करना

[अनुवाद]

543. श्री. डा. एम. पुट्टे गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिले आतंकवादी गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित है;

(ख) क्या पंजाब के इन जिलों में सेना तैनात करने की निरंतर मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के बारे में अन्य क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोधकांत सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजाब के 3 जिले अमृतसर, फिरोजपुर तथा गुरदासपुर, आतंकवादियों की गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ सुझाव थे कि इन जिलों में सेना तैनात की जाय। इन क्षेत्रों में तथा पंजाब के अन्य भागों में की सुरक्षा व्यवस्था की सरकार द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जाती है तथा आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय किये जाते हैं। सीमा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसमे अर्धसैनिक बलों को सेना द्वारा वांछित सहायता दी जाती है।

केरल में क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए विचाराधीन आवेदन

544. श्री एस. कृष्णकुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदनों की आयतन स्थिति क्या है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान इस जिले में उपलब्ध कराये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का तालुक-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) विचाराधीन आवेदनों के आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 30.6.90 की स्थिति के अनुसार क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार है :—

ओ वाई टी	441
विशेष	668
सामान्य	7878
कुल	8987

(ख) 1.1.90 से 30.6.90 की अवधि के दौरान क्विलोन जिले में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तालुक वार नीचे दी गई है :

क्विलोन तालुक	50
कोटरक्करा ,,	10
पथनापुरम ,,	294
करुनागपल्ली ,,	57
कुन्नाथुर ,,	शून्य

(ग) आठवीं योजना के दौरान यदि उपस्कर उपलब्ध हुई तो मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके बकाया आवेदनों को उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है।

सरकारी रेलवे पुलिस, फिरोजपुर के शस्त्रागार तथा तरन तारन पुलिस चौकी में लूट

245. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों ने जून, 1990 के अन्तिम सप्ताह में फिरोजपुर स्थित सरकारी रेलवे पुलिस के शस्त्रागार एवं तरन तारन पुलिस जिले में एक पुलिस चौकी को लूटा है;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों द्वारा लूटी गई सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लूटी गई सामग्री को बरामद करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पट्टी पी. डी. तरनतारन के साडके स्थित पी. एस. ई. बी ग्रिड सब स्टेशन के सुरक्षा गार्ड से 135 कारतूसों सहित तीन 303 राइफलें लूटी। वे फिरोजपुर कैन्ट स्थित जी. आर. पी. पुलिस स्टेशनों से तीन एस. एल. आर., पांच स्टेनगनें, बीस 303 राइफलें, पांच

7.62 राइफलें, एक वायरलेस सेट और विभिन्न दूरी तक मार करने वाले 1670 कारतूस ले गये।

(ग) और (घ) राज्य सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई कर रही है।

5000 टेलीफोन लाइनों से कम टेलीफोन लाइनों वाले एक्सचेंज में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना

546. श्री वी. कृष्ण राव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के नए प्रारूप में 5000 टेलीफोन लाइनों से कम लाइनों वाले एक्सचेंजों में व्यवहारिक रूप में टेलीफोन मांग पर और बड़े एक्सचेंजों में एक वर्ष के अन्दर उपलब्ध कराने का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है जबकि नगरों में बड़ी लम्बी प्रतीक्षा सूची है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के नये मसौदे में प्रतीक्षा समय को यथासमय कम करने का प्रस्ताव है। दूरसंचार विभाग के आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में यह शामिल है कि 5000 लाइनों से कम की क्षमता वाले एक्सचेंजों में 31.3.95 तक की मांगों को तथा 5000 या इससे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में 31.3.1994 तक की मांगों को आठवीं योजना अवधि के अन्त तक पूरा किया जाएगा बशर्ते कि सामग्री एवं वित्तीय दोनों संसाधन उपलब्ध हों।

काउन्सिल फार एडवांसमेंट आफ पिपुल्स एक्शन एण्ड टेक्नालोजी (कापार्ट) द्वारा स्वयं-सेवी संगठनों को सहायता

[हिन्दी]

547. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काउन्सिल फार एडवान्समेंट आफ पिपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालोजी (कापार्ट) द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता संबंधी नीति क्या है और इन सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गयी और उनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि की सहायता दी गयी;

(ग) इन संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और यह कार्य किन-किन स्थानों पर किया गया;

(घ) ऐसी संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है और चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी संस्थाओं को सहायता दी जा रही है और

(ङ.) उन कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है, जिनके लिए इन संस्थाओं को ऐसी सहायता दी जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) सामान्यतः ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 3 वर्ष अथवा अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं। मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया यह है कि जिन संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, उन्हें प्रत्येक छः महीने में एक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। इसके अतिरिक्त कापार्ट अपने अधिकारियों और लेखा तथा गैर-लेखा पर्यवेक्षकों को नामित करता है जो परियोजना के सही कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट देते हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में उन स्वयंसेवी संगठनों जिन्हें कापार्ट द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है, के नाम और उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के नामों के साथ-साथ प्रत्येक परियोजना के लिये स्वीकृत राशि का दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1346/90]

(घ) चालू वर्ष के दौरान उन संगठनों की, जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई है कुल संख्या, 224 है और मध्य प्रदेश में ऐसे संगठनों की संख्या 5 है।

(ङ.) कापार्ट स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है :—

1. ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी कार्यों को बढ़ावा देना, (पी.सी.)
2. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास योजना (ड्वाकरा)
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.)
4. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)
5. ग्रामीण तकनीकी विकास योजना (आर्टम)
6. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)
7. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)
8. जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

दिल्ली में पासपोर्ट जालसाजों का गिरोह

[अनुवाद]

548. श्री डी. प्रासत : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पासपोर्ट स्टार्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) गत छह महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोधकान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 28.6.1990 को दिल्ली पुलिस द्वारा सदा शिवम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 5 पास पोर्ट बरामद किए गए जिन पर नकली तरह के जाली वीजा की मोहर लगी थी और जाली आप्रवास 8 मोहरें बरामद की गई। राजौरी गार्डन पुलिस थाने में भा.द.सं. की धारा 420/467/468/पासपोर्ट अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 485/90 पर एक मामला दर्ज किया गया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली में उसके किराए के मकान से बड़ी संख्या में जाली पासपोर्ट, जाली डिग्रियां, प्रमाण-पत्र आदि भी बरामद किए गए। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने उसके सहयोगी बशीर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से भी कुछ जाली दस्तावेज बरामद किए।

(ग) 10

(घ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस थाना स्तर के आसूचना एकत्र करने वाले स्टाफ को सक्रिय बनाया गया है। जब कभी भी ऐसी शिकायतें/सूचना जानकारी में आती है, तो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

देश में उग्रवादियों की गतिविधियां

549. **श्री के. चोक्का राव :**

श्री बल गोपाल मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के उग्रवादी सेना द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले आधुनिक हथियारों से अपनी आतंकवादी कार्रवाही कर रहे हैं;

(ख) क्या उग्रवादियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले हथियारों की प्रहार क्षमता राज्यों के पुलिस द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले हथियारों की प्रहार क्षमता से बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का हथियारों के मामले में उग्रवादियों का सामना करने के लिए पुलिस बलों का पुनर्गठित करने हेतु राज्यों को सहायता करने के संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) ऐसे उदाहरण

मिले हैं, जिनमें यह बताया गया कि उग्रवादियों ने उच्च आग्नेय शक्ति के हथियारों का प्रयोग किया है।

(ग) मसले के ग्रेड को बढ़ाने और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है और इस बारे में सफलता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को हर सम्भव सहायता दे रही है।

सड़कों का निर्माण

550. श्री के. प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की सड़कों का निर्माण करने के लिए, जिसे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आरंभ नहीं किया जा सकता, एक नई योजना आरंभ करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उन लम्बी दूरी की सड़कों का किस प्रकार निर्माण किया जायेगा अथवा इन्हें पूरा किया जायेगा जिन्हें ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था जो अधूरी पड़ी हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.4.89 से जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ होने से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बकाया कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इन कार्यों पर इस्तेमाल करने हेतु जिलों का उनके पहले कार्य के रूप में 20 प्रतिशत संसाधन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्यों को अपनी उपयोग न की गई शेष धनराशि को भी इन कार्यों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। चालू वर्ष के दौरान भी राज्यों को यह अनुमति दी गई है कि जहां कहीं आवश्यक हो, एन.आर.ई.पी./आर.एल.ई.जी.पी. के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध राशि के 20 प्रतिशत का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दो अथवा अधिक जिले ग्राम पंचायतें सामान्य लाभ के कार्यों को शुरू करने हेतु अपने संसाधनों को मिला कर खर्च करने का निर्णय ले सकती हैं।

मध्य प्रदेश में पशु पालन केन्द्र

[हिन्दी]

551. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में नए पशु पालन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार विद्यमान पशुपालन केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी के विस्तार के माध्यम से राज्यों में पशु प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में प्रजनन की सुविधाओं को सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है ।

विकलांग व्यक्तियों की जनगणना

[अनुवाद]

552. श्री वामनराव महाडीक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों की कोई जनगणना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का आगामी जनगणना में विकलांग लोगों की संख्या का ब्यौरा एकत्र करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : पूर्णतः अन्धे, अपंग तथा पूर्णतः गूंगे व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बारे में एक प्रश्न 1980 में मकान सूची बनाने के कार्य के दौरान पूछ कर सूचना एकत्र की गई ।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

बुजुर्ग स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन

[हिन्दी]

553. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1987 में कदमा सब डिवीजन के ग्रामबाग्य क्षेत्र के 18 बुजुर्ग स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेन्शन मंजूर की थी;

(ख) क्या पेन्शन के मामलों में लगाए गए कतिपय आरोपों की जांच में ये आरोप निराधार पाए गए थे और उक्त रिपोर्ट अगस्त 1989 में प्रस्तुत कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट के बाद भी इन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) संभवतः माननीय संसद सदस्य बिहार के हजारी बाग जिले के उन 18 व्यक्तियों के मामलों का उल्लेख कर रहे हैं जिनको जुलाई, 1987 में स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई थी, जिसे बाद में इस आशय की शिकायत मिलने पर रोक दिया गया था कि वे स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित नहीं हैं। निःसंदेह राज्य सरकार की रिपोर्ट जनवरी, 1990 में प्राप्त हो गई थी, परन्तु न तो राज्य सरकार ने ही और न ही संबंधित व्यक्ति ने उन मामलों के ब्यौरे दिए हैं जिनसे यह बात साबित होती हो कि वे स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के कारण छः महीने या उससे अधिक समय तक गायब रहे। अतः उनकी पेंशन फिर से चालू करना अभी तक संभव नहीं हुआ है।

पाकिस्तान को कश्मीर मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने की चाल को असफल करने के उपाय

[अनुवाद]

554. श्रीमती उमा गजपति राजू :

श्री एदुआर्डो फलेरो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार द्वारा हाल ही में कश्मीर मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने हेतु शुरू किये गये गहन प्रचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस चाल को असफल करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) हमने विश्व समुदाय को बता दिया है कि कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की कार्रवाईयां और उनके बयानात शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सभी मतभेद शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे। संबद्ध सरकारों को यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों को समर्थन और प्रोत्साहन दे रहा है।

पंजाब में आतंकवादियों से पीड़ित लोगों को सरकारी नौकरी

555. श्री सुखबंस कौर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों से पीड़ित कितने व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी गई है;

(ग) 1 जून, 1990 को ऐसे कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लंबित पड़े थे; और

(घ) सरकार का सभी आवेदनकर्ताओं को कब तक नौकरी देने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों को एकमुश्त राहत देने के तहत, आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्ति के परिवार के किसी भी एक पात्र सदस्य को रोजगार दिये जाने की गारंटी है, चाहे तत्काल रोजगार उपलब्ध हो अथवा नहीं। ऐसे पात्र व्यक्तियों का जिला-वार एक पूल बनाया जाएगा तथा उनको 1,000 रु. प्रति माह, पंजीकरण की तरीख से लगातार उस समय तक दिये जाएंगे जब तक व्यक्ति नियमित रूप से सरकारी विभाग में पूर्णतः खप नहीं जाते।

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिये आवेदन किया था, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो दिनांक 1.6 1990 तक लम्बित है, के बारे में राज्य सरकार से सूचना आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिये विदेशी प्रौद्योगिकी

[हिन्दी]

556. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने और इस प्रयोजन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने और इस प्रयोजन के लिए विदेशी ठेकेदारों की सेवाएं प्राप्त करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए किसी विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात का इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण सहायता के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं के लिये ऋण शर्तों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई. सी. बी.) के आधार पर बोलियां (बिड्स) लगाई जाती है। आई. सी. बी. प्रक्रिया के अधीन विदेशी ठेकेदार अपनी ओर से अथवा भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त प्रयास के रूप में बोली लगा सकते है, और यदि वे सफल हो जाते है तो देश में आधुनिक निर्माण उपकरण इत्यादि लाते है। तथापि, नीति की समीक्षा की जा रही है।

पूर्वी बंगाल और बर्मा से आये लोगों का पुनर्वास

[अनुवाद]

557. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल और बर्मा से विस्थापितों को उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर मेरठ में बसाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शर्तें क्या थीं;

(ग) क्या बाद में अधिकांश परिवारों को बदायूं (उत्तर प्रदेश) और उड़ीसा में पुनः बसाना आवश्यक समझा गया;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इन परिवारों की नई जांच करने का अनुरोध किया था; और

(च) यदि हां, तो हस्तिनापुर में बचे हुए परिवारों बसाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने मदन इंडस्ट्री लिमिटेड हस्तिनापुर जिला मेरठ को 1.4.1974 तक 94.04 लाख रुपये का उधार इस शर्त पर दिया कि मदन इंडस्ट्रीज विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा इसीलिये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये अप्रवासियों और बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को मदन इंडस्ट्री लिमिटेड में रोजगार दिया गया ।

(ग) और (घ) लगातार हानि होने के कारण मदन इंडस्ट्री लिमिटेड ने 8.8.1984 से कार्य बंद कर दिया अतः अप्रवासी/प्रत्यावर्तित परिवार परिवार बेरोजगार हो गए और उन परिवार बेरोजगार हो गए और उन परिवारों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक हो गया जिन्हें प्रायोजित किया गया था और जो मदन उद्योग के बन्द होने की तारीख को उस उद्योग में नौकरी पर थे । इन परिवारों को उड़ीसा में दण्डकारण्य परियोजना में कृषि क्षेत्र में और जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) गुन्नार परियोजना में पुनर्स्थापित किया गया ।

(ङ) और (च) कुछ परिवारों को, मदन उद्योग के बन्द होने की तारीख से पहले चिकित्सा या अन्य आधारों पर सेवा से हटाया गया । इन परिवारों ने अपने पुनर्वास के लिए सरकार को बार-बार अभ्यावेदन भेजे । अक्तूबर 1989 में इस प्रकार के परिवारों की जांच की गई । जांच के परिणाम स्वरूप 32 परिवारों को पात्र पाया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार से इन परिवारों को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया गया था ।

डा. बी. आर. अम्बेडकर को जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

[हिन्दी]

558. श्री सत्य नारायण जटिया :

श्री नन्द कुमार साय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्मारक डाक टिकटों के जारी करने का आधार, प्रक्रिया और विधि क्या है,

(ख) वर्ष 1990 के दौरान अब तक जारी करने की गई तथा आगे जारी की जाने वाली स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या डा. भीमराव अम्बेडकर को जन्म शताब्दी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सुविख्यात व्यक्तियों के सम्मान में, घटनाओं के स्मरणोत्सव तथा विशेष अवसरों एवं अन्य विषयों पर स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी किये जाते हैं। ऐसे डाक टिकटें जारी करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की विभाग में जांच की जाती है और ऐसी डाक टिकटें जारी करने के लिये निर्धारित मार्गनिर्देशों फिलैटली सलाहकार समिति की सिफारिशों और विभिन्न अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए डाक टिकट जारी करने के निर्णय लिए जाते हैं।

डाक टिकट जारी करने के लिये प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर, डाक टिकट का डिजाइन तैयार करने के लिए प्रस्तावक या अन्य स्रोत से सामग्री प्राप्त की जाती है, उपयुक्त डिजाइन तैयार किया जाता है और चुने गये डिजाइन के मुताबिक इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस नासिक डाक टिकट मुद्रित करता है।

सारे देश में फैले फिलैटलिक ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से जारी की गई स्मारक/विशेष डाक टिकटें जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। ये टिकटें छः माह तक ऐसे फिलैटलिक ब्यूरो पर बेची जाती हैं और तत्पश्चात शेष बची डाक टिकटें सामान्य डाकघरों के काउंटरों पर बिक्री करने के लिये भेज दी जाती हैं।

(ख) 1990 के दौरान पहले ही जारी किये गये और 1990 वर्ष के शेष भाग में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित स्मारक/विशेष डाक टिकटों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं।

(ग) डा. भीम राव अम्बेडकर पर दो डाक टिकटें क्रमशः 14.4.66 और 14.4.1973 को पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इन पर एक और डाक टिकट जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है।

विवरण-1

वर्ष 1990 के दौरान जारी किए गए स्मारक/विशेष डाक टिकटों की सूची

क्र. सं.	विषय	जारी करने की तारीख	मूल्य वर्ग
1	2	3	4
1.	डा. एम. जी. रामचन्द्रन	17.1.90	60 पैसे
2.	सुखना झमदान, चंडीगढ़	29.1.90	100 पैसे

1	2	3	4
3.	बम्बई स्टैम्प्स प्रदर्शन समारोह, 1990	21.2.90	60 पैसे
4.	एशियाई विकास बैंक	02.5.90	200 पैसे
5.	पहले डाक टिकट की 150वीं वर्षगांठ	06.5.90	600 पैसे
6.	हो चि मिन्ह	17.5.90	200 पैसे
7.	चौधरी चरण सिंह	29.5.90	100 पैसे
8.	भारतीय शांति सेना	30.7.90	200 पैसे
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	31.7.90	200 पैसे

विवरण-2

1990 के दौरान जारी किये जाने के जाने के लिये प्रस्तावित स्मारक/विशेष डाक टिकटों की सूची

व्यक्ति		जारी करने की संभावित तारीख
1		2
क्र. सं.	विषय	
1.	खुदीराम बोस	11.8.90
2.	के. केलप्पन	24.8.90
3.	सुन्दर लाल शर्मा	28.9.90
4.	ए. के. गोपालन	01.10.90
5.	सूर्यमल्ल मिश्रण	19.10.90
6. 7.	कमला देवी चट्टोपाध्याय	29.10.90
8.	भक्त कनकदास	10.90
9.	गोपीनाथ बारदोलोई अन्य विषय	—

1		2
10-11.	भारत सोवियत मैत्री	16.08.90
12-13.	कलकत्ता शहर की त्रिवार्षिकी	24.08.90
14.	बच्चों को देख भाल	9.90
15.	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष	8.9.90
16-17.	एशियाई खेल	20.09.90
20-21.	वन्य जीवन	—
22-23.	अभिवादन/उत्सव	10.90
24.	बाल दिवस	14.11.90
25.	ज्ञानेश्वरी	15.11.90
26.	नशीली दवाओं से हानि	11.90
27.	जनजातीय/लोक नृत्य	11.90
28-29.	इंपेक्स "90	12.90
33-35.	भारत के शहर	12.90

खोपरा का समर्थन मूल्य

[अनुवाद]

559. श्री एच. सी श्रीकान्तय्या : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, 1990 के दौरान खोपरा का बिक्री मूल्य क्या रहा और वर्ष 1988 और 1989 में मई, जून और जुलाई के दौरान यह बिक्री मूल्य कितना था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक के नारियल उत्पादकों से खोपरा का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊंचा समर्थन मूल्य निश्चित करने तथा कर्नाटक में मजबूरन बिक्री को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) खोपरा का वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान थोक मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

(रु./क्विंटल)

माह	1988	1989	1990
मई	1990	1420	1530-1600
जून	1995	1460	1620-1680
जुलाई	1995	1460-1500	1700-1730

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार खोपरा सहित विभिन्न कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। खोपरा को 1989 से समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लाया गया था तथा 1989 में उचित औसत क्वालिटी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500/-रु. क्विंटल निर्धारित किये गये थे तथा 1990 में उसे बढ़ाकर 1600/-रु. प्रति क्विंटल किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. को मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

उपलब्ध अद्यतन के अनुसार (जुलाई 1990 के अंत तक) मूल्य समर्थन योजना के तहत 24502 मी. टन खोपरा की खरीद की गई है जिसमें से 61 मी. टन कर्नाटक से खरीदा गया है। कर्नाटक से खोपरे की मजबूरी में बिक्री की कोई सूचना नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

560. श्री राजवीर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी तक टेलीफोन करने के लिए कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये हैं और आठवीं योजनावधि के दौरान ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है, और

(ख) इस संबंध में जून, 1990 तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लम्बी दूरी के 769 सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए थे। 8वीं योजना अवधि के दौरान लम्बी दूरी के 69088 सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना है।

(ख) 1.4.90 से 30.6.90 की अवधि के दौरान लम्बी दूरी के कुल 5 सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए थे।

लाइबेरिया में भारतीय मूल के लोग

561. श्री रामचन्द्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार लाइबेरिया में भारतीय मूल के कितने लोग रह रहे थे;

(ख) क्या हाल ही में लाइबेरिया में भारतीय मूल के नागरिकों पर देश छोड़ने के लिए दबाव डाला गया है;

(ग) यदि हां, तो अब कितने व्यक्ति लाइबेरिया छोड़ चुके हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने लोगों के इस पलायन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं; तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) लगभग 7,000।

(ख) जी हां।

(ग) देश में गृह युद्ध की स्थिति होने के कारण लगभग 6,500 नागरिकों को निकाल लिया गया है।

(घ) इस निष्कासन को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ङ) मई, 1990 के बाद से सरकार भारतीय मूल लोगों को लाइबेरिया को छोड़ने की सलाह दे रही है। इस बात की संभावना थी कि वर्ष के प्रारम्भ से जो लड़ाई चल रही थी उसके और तेज हो जाने से देश में रह रहे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। भारतीय समुदाय के लोगों को देश छोड़ने की सलाह देने के अतिरिक्त सरकार ने उन्हें ठीक समय से बाहर निकालने में भी मदद की है।

सेन समिति की सिफारिशों को लागू करना

562. श्री जनार्दन यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास संबंधी सेन समिति की सिफारिशें लागू करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सेन समिति की सिफारिशें कब लागू की जाएंगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता पर डा. एस. आर. सेन समिति की रिपोर्ट, दिसम्बर, 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति द्वारा संस्तुत किए गए पूर्वी राज्यों के विकास के प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ नलकूपों, पम्पों का व्यापक प्रावधान, सिंचाई का नियंत्रित उपयोग, समुचित जल प्रबंध तकनीक, पर्याप्त जल निकास नेटवर्क, सूक्ष्म जलधारा विकास,

छोटे और सीमान्त किसानों के लिये प्रादान सेवाओं तथा विस्तार सहायता की नई दिशा, भूमि सुधार, ऋण तथा सहकारी संस्थानों का पुनरुत्थान शामिल हैं । समिति ने संस्तुत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये कितने प्रयास किये जाएं, इसका मोटा संकेत देने के लिये सार्वजनिक परिव्ययों तथा ऋण की आवश्यकताओं का मोटा अनुमान भी तैयार किया है ।

8 जनवरी, 1986 को पटना में, केन्द्रीय कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में हुए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था । चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिये संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे इन सिफारिशों को राज्य के प्लान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में कार्यान्वित करें, जिसके लिये उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के तहत धनराशि उपलब्ध है। राज्यों को कृषि प्रबंध के स्वरुप को सुधारने, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करने तथा बैंकिंग प्रणाली से ऋण की सप्लाई को दुगुना करने के लिए ऋण नियमावली लागू करने पर बल देने को भी कहा गया । राज्य समिति की सिफारिशों को अपनी राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिये सहमत हो गये ।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा शुरु की गई अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में अब तक प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि समिति की कई सिफारिशों को प्रायः उनके चल रहे विभिन्न तथा नए कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है ।

सूरत टेलीफोन एक्सचेंजों को टेलीफोन लाइनें प्रदान करना

563. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूरत शहर के टेलीफोन एक्सचेंजों को कितनी-कितनी लाइनें प्रदान करने का प्रस्ताव है,

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी-कितनी लाइनें उपलब्ध करने का विचार है,

(ग) लेवल 2 और 3 को बदलने के लिये क्या व्यवस्था की गई है, और

(घ) इस संबंध में अब तक किये गये उपायों के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सूरत टेलीफोन नेटवर्क में लगभग 1,00,00 लाइनों को जोड़े जाने की संभावना है ।

(ख) जोड़े जाने वाली प्रस्तावित लाइनें निम्नानुसार है :—

1990-91	1,000 लाइनें
1991-92	22,000 लाइनें

(ग) और (घ) लेवल "2" और लेवल "3" के एक्सचेंजों को क्रमशः 1993-94 और 1994-95 के दौरान बदल दिये जाने की संभावना है ।

1. दो एक्सचेंजों के लिए भूमि प्राप्त की जा गई है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भवन बन जाने की संभावना है।

2. और एक्सचेंजों के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्यवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।

3. उपस्कर आबंटित कर दिये गए है।

इराक के भूकम्प पीड़ितों को सहायता

564. प्रो. यमुनाथ पांडेय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इराक में प्राय हाल के विध्वंसक भूकम्प में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार ने 21 जून, 1990 को ईरान के उत्तरी प्रदेश गिलान और जंजल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ईरान को एक करोड़ रु. की मानवीय सहायता दी है। आपात राहत सामग्री के रूप में आवश्यक दवाईयां कम्बल, चादर लालटेन, तौलिए, साबुन, दूध का पाउडर और मोमबत्तियां दी गई थीं, ये आपूर्तियां 26, 28 और 30 जून, 1990 को हवाई जहाज से ईरान भेजी गई थी।

बीस प्रमुख औद्योगिक घरानों को टेलीफोन कनेक्शन

565. श्री हरीश पाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बीस प्रमुख औद्योगिक घरानों को कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये हैं,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) देश के औद्योगिक घरानों को प्रदान किए गये टेलीफोन कनेक्शनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। औद्योगिक घराने सहित आवेदकों को सामान्य प्रतीक्षा सूची में उनकी बारी आने पर ही टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि यूनिसेफ के अधिकारियों की सुरक्षा

[अनुवाद]

566. श्री अशोक कुमार पोजा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के, कलकत्ता

पश्चिम बंगाल में उक्त निधि के अधिकारियों पर शारीरिक प्रहार और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए भारत में इसके अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में स्वदेशी डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

567. प्रो· विजय कुमार मल्होत्रा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 1990 तक कितने स्वदेशी डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये,

(ख) क्या दिल्ली मे टेलीफोनों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार का आगामी वर्षों के दौरान और ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(घ) क्या दिल्ली में इन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु कोई धनराशि निश्चित की गई है, और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव

568. श्रीमती बिमल कौर खालसा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली दफा शिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के आम चुनाव अन्तिम बार कब हुये थे,

(ख) नये चुनाव कब कराए जाने थे;

(ग) अब तक चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आम सभा (जनरल हाउस) के चुनाव कब कराए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के पिछले आम चुनाव 31.3.1979 को हुये ।

(ख) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अगले चुनाव मई, 1984 में होने थे ।

(ख) और (ग) सरकार का यह मत है कि पंजाब की स्थिति अभी चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है।

1991 की जनगणना

[हिन्दी]

569. श्री जनार्दन तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी 1991 जनगणना में ग्रामीण पिछड़ापन, बेरोजगारी तथा ग्रामीण और शहरी लोगों के प्रति व्यक्ति आय में अन्तर का पता लगाने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है :

(ख) क्या इस जनगणना में भूमि के प्रति व्यक्ति/प्रति परिवार स्वामित्व के बारे में भी कोई सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(ग) गत जनगणना की तुलना में इस जनगणना की क्या विशेषताएं हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने के लिए 1991 में होने वाली आगामी जनगणना में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, 1991 की जनगणना में साक्षरता-दर, साक्षरता-स्तर, प्राथमिक, गौण और तृतीय आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में एकत्रित जानकारी से पिछड़ेपन के कुछ आंकड़े उपलब्ध होंगे जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन का पता चल सकता है। बेरोजगारी जैसे विषय पर कोई सीधा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि "काम की खोज में/काम करने के इच्छुक हैं" नामक प्रश्न से बेरोजगारी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1991 की जनगणना की कुछ विशेष बातें निम्नानुसार हैं :

(1) 1981 की जनगणना में व्यक्तिगत पर्ची और परिवार अनुसूची वास्तवत: गणना ब्लाकों के 20 प्रतिशत सैम्पल ब्लाकों में ही भरी गई थी लेकिन 1991 की जनगणना में व्यक्तिगत पर्ची और परिवार अनुसूची सभी क्षेत्रों में भरी जाएगी।

(2) 1981 की जनगणना में शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में केवल नगरीय क्षेत्रों में ही प्रश्न पूछा गया था। 1991 की जनगणना में यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूछा जाएगा।

(3) मकानसूची में खाना पकाने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन के बारे में एक नया प्रश्न शामिल किया गया है जिससे उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म और खाना पकाने के लिये बेहतर ईंधन की आवश्यकता का पता चलेगा जो कि परिवार की बुनियादी जरूरत है।

(4) 1991 की जनगणना की व्यक्तिगत पर्ची में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में नया प्रश्न जोड़ा

गया है और यह भी पता किया जा रहा है कि क्या भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगी है या ग़ैर पेंशनभोगी।

(5) क्या काम की खोज में है/काम करने के इच्छुक हैं, नामक प्रश्न के अलावा यह प्रश्न पूछना भी प्रस्तावित है कि क्या व्यक्ति पहली बार काम की खोज में है/काम करने का इच्छुक है। इससे रोजगार की तलाश में नए व्यक्तियों के बारे में बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

(6) 1981 की जनगणना में काम करने वालों की चार मुख्य श्रेणियों के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार तैयार किया गया था। यह एक मुख्य सारणी है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में ग्राम स्तर तक के और नगरीय क्षेत्रों के मामले में वार्ड स्तर तक के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। 1991 की जनगणना में प्राथमिक जनगणना सार को काम करने वालों की मोटे तौर पर नौ औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(7) 1981 की जनगणना में 0-4 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या को निरक्षर माना गया था। यह निर्णय लिया गया है कि 1991 की जनगणना में 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना जाए। कुल जनसंख्या में से 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या को घटा कर साक्षरता दर निकाली जाएगी जिसे साक्षरता का विकास के लिए संकेतक माना जाएगा।

(8) विभिन्न महिला संगठनों की सिफारिशों पर, कार्य में भागीदारी के बारे में प्रश्न 14-क को यथोचित तौर पर संशोधित किया गया है ताकि सामान्यत: फार्म पर या घरेलू उद्यम में बिना मजदूरी के काम करने वाली महिलाओं का पता लगाया जा सके। संशोधित प्रश्न 14-क अब निम्नानुसार है :

"क्या गत वर्ष किसी भी समय काम किया ? (फार्म पर या घरेलू उद्यम में बिना मजदूरी के काम सहित)।"

(9) 1981 की जनगणना में पूर्व निवास स्थान छोड़ने के सम्बन्ध में 5 कारण अर्थात रोजगार, शिक्षा, परिवार का स्थान परिवर्तन, विवाह और अन्य निर्धारित किये गए थे। 1991 की जनगणना में स्थान परिवर्तन के दो और कारण अर्थात व्यवसाय और प्राकृतिक विपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ आदि जोड़े गए हैं।

(10) परिवार को उपलब्ध सुविधाओं/आवास के बारे में 1981 की मुख्य जनगणना के समय एकत्रित जानकारी के बारे में 1981 की मुख्य जनगणना के समय एकत्रित जानकारी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समय मकानसूची का विस्तार किया गया है। इससे प्रावासीय विशेषताओं और परिवार को उपलब्ध सुविधाओं संबंधी सारणियों को पिछली जनगणना की तुलना में काफी पहले प्रकाशित करने में सहायता मिलेगी।

(11) मैगनेटिक टेपों, डिस्कों, फ्लोपियों आदि जैसे मशीनी पठनीय तरीकों के माध्यम से

जनगणना सारणियों और बुनियादी आंकड़ों के प्रचार प्रसार से नीतिकर्ताओं, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और विभिन्न/सरकारी/स्वायत्त निकायों जैसे इच्छुक आंकड़े प्रयोक्ताओं को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिये एक समानान्तर और पूरक तंत्र बन जाएगा। 1991 की जनगणना में ऐसा करना प्रस्तावित है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के लिये यह एक बड़ी टेप लाइब्रेरी और आंकड़े प्रयोक्ता सेवा सेल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 1991 की जनगणना के आंकड़ों के मुख्य सारणीकरण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात, 2001 तक शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाने का भी प्रस्ताव है।

प्रधान मंत्री का मालदीव का दौरा

[अनुवाद]

570. कुमारी उमा भारती : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने दिनांक 22 जून, 1990 को मालदीव का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो मालदीव के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) "सार्क" देशों द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होकर कार्यवाही करने पर मालदीव की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी हां, । प्रधान मंत्री 22.6.90 से 24.6.90 तक मालदीव की यात्रा पर गए थे।

(ख) इस यात्रा के फलस्वरूप दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और सहयोग के नए क्षेत्रों पर सहमति हुई जिनमें मालदीव में भारत की सहायता से एक होटल प्रशिक्षण संस्थान और एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी शामिल है।

(ग) इसके बारे में बातचीत नहीं हुई।

किसानों को रियायती दरों पर कृषि आदान उपलब्ध कराना

571. श्री हरा सन्कारामु :

श्री सी. के. कुप्पु स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल हो में किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों तथा कृषि उपकरणों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) शुष्क भूमि पर कृषि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कृषि आदान राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विभिन्न प्रकार के बीजों के उत्पादन, मिनिकटों के वितरण, पौध रक्षण रसायनों, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम, पाइराइट्स आदि की सप्लाई के लिए भी सहायता की व्यवस्था है। किसानों को उर्वरक भी राजसहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(ग) बारानी खेती में सुधार लाने के लिए कन्टूर बांधों, कन्टूरों पर वानस्पतिक घेरों, रोध बांधों, पानी जमा करने के बांधों आदि जैसे कई उपाय किए गए हैं ताकि भूमि और जल का प्राकृतिक संसाधन आधार संरक्षित रहे। इसके अलावा, कृषि-वानिकी, चरागाह विकास, शुष्क भूमि बागवानी विकास आदि जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पाकिस्तान और बंगलादेश से भाग कर आये भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या

[हिन्दी]

572. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान पाकिस्तान से भारतीय मूल के कितने व्यक्ति भाग कर भारत में आये;

(ख) इस अवधि के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश से अलग-अलग कितने शरणार्थी भारत में आये;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें वापस लेने के लिए संबंधित देशों के साथ बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जो विदेशी बिना यात्रा-कागजातों के भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हें घुसपैठिया माना जाता है। चूंकि ये व्यक्ति छुपकर प्रवेश करते हैं और भूमिगत हो जाते हैं, अतः यह निश्चित करना संभव नहीं है कि कितने व्यक्ति पाकिस्तान/बंगलादेश से भारत आए।

(ग) और (घ) चकमा शरणार्थियों की वापसी के संबंध में मामला, बंगला देश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बार-बार उठाया गया है। भारत के अनुरोध पर बंगला देश सरकार ने मई, 1990 में शरणार्थियों को उनके घर चिटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में वापस जाने को कहने के लिए त्रिपुरा में चकमा शरणार्थियों के शिविरों का दौरा करने के लिए एक शिष्टमण्डल भेजा। परन्तु इसमें स्पष्टतः कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई।

पंजाब से पलायन कर गए लोगों की संख्या

[अनुवाद]

573. श्री कमल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्रों से जिले-वार अब तक कितने लोगों ने पलायन किया है;

(ख) इनमें से कितने लोगों ने जिले-वार दिसम्बर, 1989 से अब तक पलायन किया है;

(ग) इन विस्थापित लोगों पर प्रतिदिन कुल कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(घ) इन्हें वापिस अपने राज्य में भेजने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)
जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विस्थापित परिवारों को पंजाब वापिस आने के लिए मानने के लिए पंजाब सरकार ने प्रोत्साहनों की एक योजना तैयार की है। इसमें निम्नलिखित सहायता/रियायतें शामिल हैं।

(I) अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि : अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि 5000 रुपये से 2000/रुपये तक पंजाब वापसी के प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिये।

(II) यातायात भत्ता : वापसी यात्रा के लिए यातायात खर्च को पूरा करने के लिए 500/रुपये से 2500/रु. का यातायात भत्ता।

(III) किराया भत्ता : पुर्नस्थापित स्थान पर किसी मकान किराये पर लेने के लिए 300/रु. प्रतिमाह किराया भत्ता।

बैंक ऋण

बिना प्रतिभूति के 25,000/रुपये तक प्राथमिक सैक्टर योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण की सुविधा या बैंकों की ऋण नीति के अनुसार 20% सब्सिडी, जो अधिकतम 5000/रु. होगी।

उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुविधा दी जाती है और उन्हें एल. आई. जी. मकानों/रिहायशी क्षेत्रों और व्यापारिक प्लाटों के आबंटन में आरक्षण दिया जाता है।

द्विभाषिक रूप में सरकारी प्रकाशन

574. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि सभी सरकारी प्रकाशन द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदेशों के बावजूद, सभी सरकारी प्रकाशन अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग प्रकाशित किए जाते हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 11 में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जायेगा। अगस्त, 1976 में सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश भी जारी किए गए थे कि वे अपने सभी कोडों, मैनुअलों और फार्मों को द्विभाषी (डिगलाट) रूप में मुद्रित करवाएं, चाहे वे भारत सरकार के प्रेसों में छपवाएं जाते हैं या निजी प्रेसों से अथवा विभागीय प्रेसों से 1 मई 1988 में शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रकाशन निदेशालय को निर्देश दें कि कोडों/मैनुअलों इत्यादि को मुद्रण के लिए तभी स्वीकार किया जाए जब वे द्विभाषी रूप में भेजे गए हों जैसा कि उपर्युक्त नियम में अपेक्षित है।

(ख) अधिकतर सरकारी कोडों/मैनुअलों और फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी (डिगलाट) रूप में मुद्रित किया जा रहा है। दूसरे प्रकाशनों के बारे में भी भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों को आदेश हैं कि वे इन्हें मुद्रण के लिए तभी स्वीकार करें जब इनके हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही के पाठ मिल जायें।

(ग) कोड/मैनुअल आदि को द्विभाषी रूप में छपवाने से संबन्धित नियम और आदेशों का मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा बैंकों/उपक्रमों आदि में अनुपालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से जुलाई, 1990 में सभी मंत्रालयों/विभागों को नियम की अनिवार्यता और आदेश पुनः दोहराए गए हैं।

बिहार में गावों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

575. श्री युवराज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में कटिहार जिले में मधेपुर और बारसोई ब्लाक में कालियाडांगी, बोधातोला तथा बलरामपुर ब्लाक में मधेपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) कालियाडांगी ग्राम के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि निकटतम मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी से संबंधित शर्त पूरी नहीं की थी।

अन्य ग्रामों के मामले में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गुणवत्ता प्रोत्साहन एकक

[अनुवाद]

576. श्री मान्धाता सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु गुणवत्ता प्रोत्साहन एककों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान राशियां दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या इन एककों में नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति का उत्तर प्रदेश मे पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) 10 00 लाख रु.

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता प्रोत्साहन एकक राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आता है क्योंकि वे इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि इस एकक में नियुक्तियां मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक फैक्टरियां

[हिन्दी]

577. श्री एम. एस. पाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धराजन समिति ने उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस आधारित उर्वरक फैक्टरियां स्थापित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसी कितनी उर्वरक फैक्टरियां स्थापित की गई हैं और शेष फैक्टरियां कब तक स्थापित की जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी दिल्ली में दुग्ध डिपो खोलना

578. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के निवासियों को उनकी आवश्यकतानुसार दूध की सप्लाई नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के और डिपो खोलने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली अपनी स्थापित क्षमताओं का पर्याप्त इस्तेमाल करते हुए अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के निवासियों को दूध सप्लाई कर रहे है। इस क्षेत्र में और अधिक डिपो खोले जाने की इस समय कोई अपेक्षा नहीं है।

पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र

[अनुवाद]

579. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय परिषद

580. श्री गंगाचरण लोधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से निपटाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद के संरचनात्मक/क्रियात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अन्तर्राज्यीय परिषद में निम्न लोग होंगे

(क) प्रधान मंत्री।

(ख) सभी राज्यों के मुख्य मंत्री।

(ग) विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री तथा बगैर विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक।

(घ) केन्द्रीय मंत्री परिषद से मंत्री मण्डल स्तर के छः मंत्री, जिनको प्रधान मंत्री नामित करेंगे।

प्रधान मंत्री अन्तर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे तथा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

2. परिषद एक सिफारिशें करने वाली निकाय होगी जो उस अवस्था में निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात

(क) परिषद के समक्ष लाए गए मामलों के ऐसे विषयों की जांच और चर्चा करेगी जिसमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का सामान्य हित हो।

(ख) विषय से संबंधित किसी भी विषय पर सिफारिशें करना तथा नीति और कार्यवाई के बेहतर समन्वय के लिए विशेष तौर पर सिफारिशें करना;

(ग) अध्यक्ष द्वारा परिषद को भेजे गए राज्यों के आम हित के अन्य ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना।

जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज को अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों से स्थानान्तरित किए जाने वाले टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची

531. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज को स्थानान्तरित किए जाने वाले टेलीफोनों की कोई प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों से जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज को स्थानान्तरित किए जाने वाले टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में कुल कितने टेलीफोन हैं;

(ग) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली में सभी ब्लाकों में "केबल पेयर्स" उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो केबल पेयर्स की व्यवस्था करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विलम्ब के कारण राजकोष को कुल कितने राजस्व का घाटा हुआ है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। 26-7-90 की स्थिति के अनुसार जनकपुरी एक्सचेंज में 242 टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए बकाया पड़े हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) केबिल बिछाने का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

न्हावा शेवा पत्तन पर माल की चढ़ाई-उतराई

582. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा शेवा पत्तन पर स्थापित क्षमता की तुलना में कम मात्रा में माल की चढ़ाई-उतराई होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पत्तन की कमियां दूर करने हेतु धातु खनिज व्यापार निगम द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन का उद्घाटन 26.5.89 को किया गया था। डिजाइन सम्बन्धी दोष, कारीगरी, अपर्याप्त सामग्री विनिर्देश आदि अनेक प्रचालन सम्बन्धी जटिल समस्याएं देखने में आए। सामान्य तौर पर ऐसे उपकरणों के पूर्ण रूप से चालू होने में एक से दो वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन में कार्गो की हैंडलिंग प्रतिष्ठापित क्षमता से कम रही है।

(ख) और (ग) एम. एम. टी. सी. की रिपोर्ट न तो पत्तन को प्राप्त हुई है और न ही मंत्रालय को। लेकिन एम. एम. टी. सी. प्रयोक्ताओं एवं अन्य स्रोतों से दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों/सुझावों की जांच की जा रही है और यांत्रिक उपकरणों के दोषों में सुधार, स्टोरेज के लिए खाली समय में अस्थाई छूट आदि जैसे सभी सम्भव उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 31 की मरम्मत

[हिन्दी]

683. श्री राजमंगल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोपाल गंज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और बरौनी से लागायत कटिहार तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की विशेष मरम्मत कराने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई,

(ख) इन सड़कों की मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गई,

(ग) क्या उक्त सड़कों पर पड़ी खरोंचों की मरम्मत कर दी गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन सड़कों का मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) रा. रा.-28 (गोपाल गंज से गुजरता हुआ पिपराकोठी-बिहार/यू. पी. बार्डर खंड) और रा. रा. मार्ग—31 बरौनी से पूर्णिया तक पर विशेष मरम्मत कार्य। बाढ़-क्षति मरम्मत कार्य करने के लिए 1989-90 में क्रमशः 7.80 लाख रु. और 55.64 लाख रु. की राशि के प्राक्कलनों को स्वीकृति दी गई थी।) लागायत-कटिहार भाग राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा नहीं है।)

(ख) उपयुक्त स्वीकृतियों में से 1990-91 में 2 लाख रुपए रा. रा. मार्ग 28 के लिए और 11.39 लाख रु. रा. रा. मार्ग 31 के लिए जारी किए गए थे। बकाया रकमें हाल ही में जारी की गई हैं।

(ग) और (घ) राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मरम्मत कार्य प्रगति पर है और वे उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

वरागूत टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[अनुवाद]

584. श्री के. मुरलीधरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरादूर में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृषक संरक्षण समिति, वरागूत केरल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वरादूर टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा तथा मानपेट्टा सुल्तान्त बैटरी, मोननगड़ी, पनामरम, केनीचिरा और पारलोमुकू के साथ इंटर डायलिंग, ग्रुप डायलिंग सुविधाएं कब से शुरू कर दी जायेगी ;

(ग) वरादूर से कालीकट के लिए एस. टी. डी. चैनल कब से खोल दिया जायेगा;

(घ) क्या वरादूर एक्सचेंज को मोननगड़ी एक्सचेंज से नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) (1) 91-92 तक वरादूर में टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(II) 8वीं योजना अवधि के अन्त तक ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

(ग) 9 वीं योजना तक सम्भावित।

(घ) और (ङ) वरादूर में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज मोनांगड़ी एक्सचेंज के सभी उप-मण्डल अधिकारी तार अर्थात एस डी ओ टी कलपेट्टा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में कपास की उत्पादन लागत

585. श्री वसंत साठे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 के दौरान कपास की उत्पादन लागत कितनी थी;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कितने लाभकारी मूल्य की सिफारिश की थी;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 का कपास का समर्थन मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य के लिए तैयार प्रपत्र (प्रोफोर्मा) में किसानों के "विपणन मूल्य" को भी शामिल करने का है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार): (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 के लिए कपास के उत्पादन की लागत के अभी अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि हमेशा लागत के अनुमान उपलब्ध होने में कोई 2 वर्ष का समयान्तराल रहता है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के स्तर पर कपास की खरीद के लिए गारंटीशुदा मूल्य निर्धारित करती है। फिर भी, किसानों को अग्रिम बोनस के तौर पर अतिरिक्त मूल्य भी अदा किए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 मौसम के लिए दिया गया बोनस निम्नानुसार था :—

(i)	एफ. ए. क्यू ग्रेड	न्यूनतम समर्थन मूल्य का 20 प्रतिशत।
(ii)	एस. यू. पी. ग्रेड	न्यूनतम समर्थन मूल्य का 20 प्रतिशत।
(iii)	साफ (फेयर)	एफ. ए. क्यू. का 50 प्रतिशत

(ग) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए कच्चे कपास की मूल किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल किस्म	समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
1989-90	एफ-414/एच-777	570
	एच-4	690
1990-91	एफ-414/एच-777	620
	एच-4	750

(घ) और (ङ) वैचारिक तौर पर, उत्पादन की लागत के अनुमान विपणन लागत में शामिल नहीं होते।

महाराष्ट्र में फसलों की उत्पादन-लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य

586. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फसलों की उत्पादन लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो फसलों की सूची में किन फसलों के नाम हैं तथा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में इनकी उत्पादन लागत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत में विपणन लागत भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि उत्पादनों के समर्थन मूल्यों में विपणन लागत को शामिल करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग को सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र में खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए अनुमानित तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग को दिए गए फसल उत्पादन लागत निम्नानुसार हैं :—

फसल	उत्पादन लागत (रुपये प्रति क्विटल)		
	1988-89	1989-90	1990-91
धान	277.85	311.63	328.32
खरीफ ज्वार	191.39	178.78	224.08
बाजरा	312.47	275.36	276.65
कपास (एच-4)	803.57	800.16	855.75
मूंगफली	604.28	594.08	637.68
तुर (अरहर)	403.44	502.76	532.56
मूंग	511.31	646.16	669.93
गेहूं	339.31	364.54	376.15
चना	509.33	591.16	545.53
कुसुम	—	—	540.66

(ग) और (घ) वैचारिक तौर पर, उत्पादन की लागत के अनुमान विपणन लागत में शामिल नहीं होते हैं।

प्रवास नगर (महाराष्ट्र) में एस. टी. डी. सुविधा

[हिन्दी]

587. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रवास नगर एक्सचेंज से संबद्ध प्रवास नगर (महाराष्ट्र) और आश्वी और डी. गांव एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : 1990-91 के दौरान प्रवास नगर को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

इस समय बासदी और सो. गांव को प्रकाश नगर से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मन्जूर की गई सहकारी कताई मिलें

[अनुवाद]

588. श्री एस. वी. थोराट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1990 तक कितनी सहकारी कताई मिलों को मंजूरी दी गई है;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऐसी प्रत्येक कताई मिल में 31 मार्च, 1990 तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) इन मिलों में निवेश की गई शेयर पूंजी के प्रतिफल सम्बन्धी योजना क्या है ; और

(घ) ऐसी मिलों से अब तक कितनी धनराशि का प्रतिफल प्राप्त किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने, इसके प्रारम्भ से 31 मार्च, 1990 तक 62 नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने, 30 का विस्तार करने तथा 9 मौजूदा सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 31 मार्च, 1990 तक 260.81 करोड़ रुपये की कुल सहायता की मंजूरी दी गई थी, जबकि 195.14 करोड़ रुपये निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ऐसी कताई मिलों की सहायता के लिए निर्मुक्त किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऋण के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करता है ताकि वे सहकारी कताई मिलों में शेयर-पूंजी के भाग के तौर पर अंशदान कर सकें। इसलिए, ऐसी मिलों में राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गई शेयर पूंजी की क्षतिपूर्ति योजना राज्य सरकारों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है, जो प्रत्येक राज्य में उपलब्ध स्थिति तथा पैटर्न पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का ऐसी योजनाओं से कोई संबंध नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना

[हिन्दी]

589. डा. बंगाली सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास हेतु कोई नई योजना शुरू करने का विचार,

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के लिए पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना नाम का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रयास यही है कि गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को आय सृजन की गतिविधियां उपलब्ध कराकर उन की पारिवारिक आय बढ़ाना तथा उन्हें अन्य कार्यक्रमों के लाभों जैसे पोषण, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, शिशु देखभाल आदि को प्राप्त करने हेतु भी समर्थ बनाना है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 187 जिलों को कवर किया गया है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तक इस कार्यक्रम को सारे जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण महिलाएं अन्य कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों के लिए भी पात्र हैं। इसलिए इस समय, ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

[अनुवाद]

590. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार कितने हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं; और

(ख) उन्हें स्वचालित एक्सचेंजों में कब तक बदले जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अनुसूची के अनुसार उपस्कर उपलब्ध होने पर 8वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इन एक्सचेंजों को आटोमैटिक किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	रंगारेड्डी	5
2.	महबूबनगर	3
3.	संगारेड्डी	6
4.	निजामाबाद	4

1	2	3
5.	इलूरु (पश्चिम गोदवरी)	5
6.	गुन्टूर	7
2.	ओंगोल (प्रकासम)	5
8.	अनन्तपुर	3
9.	कुड्डापाह	6
10.	कुरनूल	6
11.	नेल्लोर	5
12.	तिरुपति (चित्तूर)	2
13.	आदीलाबाद	5
14.	करीमनगर	9
15.	खम्मान	4
16.	नालगोंडा	4
17.	वारंगल	6
18.	राजमुंद्री (पश्चिम गोदावरी)	6
19.	श्री काकुलम	6
20.	बिजियानगरम	5
21.	विशाखापटनम	5
22.	विजयवाड़ा (कृष्णा)	7

दिल्ली में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करना

591. **श्री प्रताप राव बी. भोसले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र निःशुल्क जारी किये जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा भी इस संबंध में इसी नियम के पालन किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मांग की जाने पर नई दिल्ली नगर पालिका जन्म एवं मृत्यु की वास्तविक घटनाओं के बारे में क्रमशः फार्म नं. 9 एवं 10 में मुफ्त प्रमाण-पत्र जारी करती है। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड अपने नियमों के अन्तर्गत लोगों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र मुफ्त जारी करता है।

उड़ीसा में डाक और तार घर खोलना

592. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने नए डाकघर और तार घर खोले जायेंगे; और

(ख) इन्हें जिले-वार किन-किन स्थानों पर खोले जाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1990-91 में उड़ीसा में खोले जाने वाले नए तार घरों और डाक घरों की संख्या क्रमशः 410 और 88 है।

(ख) 1990-91 में जिन जिलों में तार घर और डाक घर खोलने की योजना बनाई गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा में जिलेवार खोले जाने वाले तारघर और डाकघर, जिनकी योजना बनाई गई है।

क्र. सं.	जिले का नाम	तार घरों की संख्या
1	2	3
1.	बालासोर	15
2.	बोलांगिर	15
3.	कटक	100
4.	ढेनकानाल	15
5.	गन्जाम	20
6.	कालाहांडी	15
7.	क्योंझार	30
8.	कोरापुट	100

1	2	3
9.	मयूरभंज	15
10.	फूलबनी	15
11.	पुरी	20
12.	सम्बलपुर	30
13.	सुन्दरगढ़	20
		410

उड़ीसा

1990-91 के दौरान खोले जाने वाले डाकघर (शाखा डाकघर)

क्र. सं.	जिला	स्थान
1	2	3
1.	बालासोर	गोबिंदपुर
2.	—वही—	बरसेर
3.	—वही—	रुघांगा
4.	—वही—	बैयटा
5.	बोलांगीर	अंकोरिया पावर
6.	—वही—	कान्धन खुला
7.	—वही—	हिरापुर
8.	—वही—	मुंडमहल
9.	—वही—	गवापोखरी
10.	कटक	रिगडोल
11.	—वही—	सिकल
12.	—वही—	पालकी
13.	—वही—	बलान्दी

1	2	3
14.	कटक	बखरबीपुर
15.	—वही—	बरोभी
16.	—वही—	बैबे
17.	—वही—	सुसुंदी
18.	—वही—	जगयानपुर
19.	—वही—	कन्हे
20.	—वही—	महुलिया
21.	ढेनकानाल	बांकुबल
22.	—वही—	बाबुरिया
23.	—वही—	कामपुर
24.	—वही—	कन्दागाव
25.	—वही—	रेटठाना
26.	—वही—	घूम्पूबोली
27.	कालाहांडी	गुनांगोबेडा
28.	—वही—	गुंडिलगुडा
29.	—वही—	एकतारा
30.	—वही—	केम्पलीकारा
31.	—वही—	तुरलखमन
32.	—वही—	कुंडबंधा
33.	—वही—	बेंगकरलबुंटा
34.	—वही—	बुगसेपटना
35.	—वही—	ललबहल
36.	—वही—	पंडाडर
37.	भुवनेश्वर	खामागिरी
38.	सेंट्रल बेकारी	कटक
39.	—वही—	बाबर बानी
40.	—वही—	सिमीरीकुंडा

1	2	3
41.	ढेंकानाल बेकारी	कोंडरीकाला
42.	—वही—	धनूरेपुर
43.	—वही—	बरगोडा
44.	—वही—	साकला
45.	—वही—	मुक्तापुर
46.	कोरापुट	मेटापका
47.	—वही—	घेटापाई
48.	—वही—	ढुंबुरुनेली
49.	—वही—	भटलपुर
50.	—वही—	मुंडाकोटे
51.	—वही—	पेरुपंगा
52.	—वही—	बादपरकला
53.	—वही—	रत्नेगाडा
54,	—वही—	केरा
55.	—वही—	पेंगकन
56.	—वही—	बिलोगुमा
57.	—वही—	लक्ष्मीपुर गामुंडा
58.	—वही—	तबलगुडा
59.	—वही—	बहालदा
60.	सम्बलपुर	तारामारा
61.	—वही—	तम्तरगढ़
62.	—वही—	सरगिदोही
63.	—वही—	गरगदबहल
64.	—वही—	ऐनकेपाली
65.	—वही—	महालिंगकुर
66.	—वही—	मोहुलपुली
67.	—वही—	निलेश्वर
68.	—वही—	जामजोरी

1	2	3
69.	सम्बलपुर	मलाजीपाड़ा
70.	—वही—	मंगलाबरहा
71.	—वही—	हरिकेला
72.	सम्बलपुर	रोल्बगलाल
73.	—वही—	बिलासपुर
74.	गन्जम	कोदूडी
75.	—वही—	जगन्नाथपुर
76.	—वही—	बाडापल्ली
77.	फूलबनी	बालकिया
78.	सुन्दरगढ़	बड्डावली
79.	पुरी	रामलेंका
80.	—वही—	गोरबाबाडी
81.	—वही—	चमुद्रडीपली
	उपडाकघर	
82.	बालासोर	उत्तर बाहिनी एस. डी. टी. एस. ओ.
83.	कोरापुट	भरतीगुडा
84.	—वही—	बरोमीपुट
85.	—वही—	आर. ए. डी. सुनबेड़ा डी. एस. ओ.
86.	पुरी	चन्द्रशेखर
87.	—वही—	हाउसिंग बोर्ड कालोनी
88.	सम्बलपुर	आई. आर. डी. विशेष भुवनेश्वर ओरिएण्ड कोलरी बजराज

भारत में प्रयुक्त कीटनाशकों संबंधी जानकारी (पाइप)

593. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस की जानकारी है कि बी. बी पी. सी. और सी. ए. बी. इन्टर-नेशनल द्वारा प्रकाशित की गई बी. के. कीटनाशकों, विशेष खरपतवारों, रोगों, कीटों तथा प्रत्येक फसल पर लगने वाले कीटों पर नियंत्रण के लिए सभी किस्म के रसायन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/सरकार द्वारा इसी तरह की जानकारी (गाइड) प्रकाशित की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस तरह की जानकारी भारत में उपलब्ध नीम जैसे पौधों से बनने वाले कीटनाशकों का विशेष उल्लेख किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कीटनाशकों से सहौषधों के प्रयोग पर नियंत्रण

594. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड आदि के समान कीटनाशकों में सहौषधों के प्रयोग पर कोई नियंत्रण रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग

595. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संबंधित एजेंसियों द्वारा धन कम किए जाने पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं,

(ग) क्या महिला ग्रुप बनाने में वास्तविक उपलब्धियां प्रत्येक लक्ष्य से कम रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार का आवर्ती निधि की राशि के न केवल उचित उपयोग को सुनिश्चित करने वरन् कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए भी क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

(ग) सातवीं योजना के दौरान ड्वाकरा के अन्तर्गत महिला ग्रुप बनाने में उपलब्धि 80 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी। कमी का कारण यह है कि लाभार्थियों के चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, ग्रुपों को बनाना, कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा (अथवा) आय सृजन गतिविधियों का चयन अधिक समय लेने वाले साबित हुए हैं। इन मुख्य समस्याओं के कारण प्रत्येक वर्ष में बनाए गए महिला ग्रुपों की संख्या लक्ष्य से कम रही है।

(घ) निधियों के इस्तेमाल तथा ग्रुपों के गठन के रूप में कार्यक्रम की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जब भी त्रुटियां ध्यान में आती हैं, उनको दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों से इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।

ग्रामीण विकास हेतु कर्नाटक को विश्व बैंक से ऋण

596. श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने कर्नाटक को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने कर्नाटक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु कोई राज्य विशिष्ट ऋण नहीं दिया है। लेकिन इसने नाबार्ड ऋण परियोजना-1 की मार्फत सहायता प्रदान की है। जिससे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक में भी ऋण वितरण के लिए पुनः वित्त पोषण हेतु संसाधनों का एक भाग उपलब्ध कराया जाता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या

597. श्री जनार्दन पुजारी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर को पासपोर्टों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कार्यालय ने कितने पासपोर्ट जारी किए; और

(ख) इस कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में दक्षता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में मई, जून और जुलाई, 1990 के दौरान कुल 18431 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और इस अवधि के दौरान 17185 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर ने जून, 1990 से आरम्भ हुई नई सत्यापन प्रणाली

के अनुसार केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें प्रतिकूल रिपोर्ट मिली हुई है, इन सभी बकाया मामलों को शीघ्र निपटने के लिए कदम उठाए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की यू-स्पेशल बसें

598. श्री छविराम अर्गल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में चालू शिक्षा सत्र हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की कितनी यू-स्पेशल बसें आरम्भ की गई हैं, और

(ख) पिछले शिक्षा सत्र के दौरान ऐसी कितनी बसें चलाई गई थीं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) यू-स्पेशल ट्रिप्स दि. प. नि. का बसों के दिन भर के प्रचालन कार्यक्रम का ही एक हिस्सा होते हैं। निगम ने पिछले शिक्षा-सत्र के दौरान 975 यू-स्पेशल ट्रिप्स प्रचालित किए। चालू शिक्षा सत्र के दौरान भी उतने ही ट्रिप्स प्रचालित किए जा रहे हैं।

बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारी

599. श्री छवि राम अर्गल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस होम गार्डस तथा अन्य पुलिस कर्मी दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही बसों में बिना टिकट यात्रा करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बार-बार बिना टिकट यात्रा कैसे करते हैं; और

(घ) बिना टिकट बार-बार यात्रा करने को प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्) : (क) से (घ) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) विनियम 1952 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम, 1.9.1952 को अथवा इसके बाद भर्ती किए गए अपने श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को आवास स्थान से दफ्तर तक आने-जाने की यात्रा के लिए निःशुल्क ड्यूटी पास उपलब्ध करवाता रहा है। यही सुविधा उन सभी दैनिक और मासिक दर पर मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को भी दी जा रही है जो 1.9.52 से पहले नियुक्त किए गए थे और जिन्हें निःशुल्क आल रूट पास प्राप्त थे। ड्यूटी पर तैनात श्रेणी I तथा II के अधिकारियों और जहां आवश्यक हो सभी श्रेणियों के प्रचालन स्टाफ को भी आल रूट पास दिए जाते हैं।

कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के पद के तो वर्दी पुलिस कार्मिक प्रत्येक बस के हिसाब से निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।

वि.प.नि. द्वारा होम गार्डों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नहीं दी जाती है।

कोचीन शिपयार्ड को हुआ घाटा

[हिन्दी]

600. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कोचीन शिपयार्ड को कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या इस शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्) : (क) 27.71 करोड़ रु. (अनन्तिम)

(ख और ग) क्वे-1 के विस्तार के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत एक स्पिल-ओवर योजना से, जो इस समय कार्यान्वित की जा रही है, जहाज मरम्मत की आय में प्रति वर्ष 6 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि होने की आशा है। इसके अलावा आठवीं योजना के लिए नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज-मरम्मत इत्यादि से संबंधित कार्यदल ने शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अभि-प्रेत निम्नलिखित स्कीमों के लिए 140.00 करोड़ रु. के कुल परिव्यय की सिफारिश की है।

(करोड़ रु. में)

	स्कीम का नाम	कुल अनुमानित लागत	8वीं योजना की आवश्यकताएं
1.	अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाएं	50.00	50.00
2.	नौ-निर्माण के लिए सुविधाएं	15.00	10.00
3.	आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रतिस्थापन	5.00	5.00
4.	अतिरिक्त जहाज-निर्माण सुविधाएं	100.00	75.00

इन स्कीमों का वास्तविक कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें अन्तिम रूप से आठवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए अनुमोदित किया जाता है अथवा नहीं।

कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

601. श्री बलवन्त मनवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में कितने और किन-किन स्थानों पर कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ग) गुजरात में इस समय स्थापित कृषि पर आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं । केन्द्र सरकार का देश में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) कृषि उद्योग निगम, गुजरात से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके राज्य में निम्नलिखित कृषि पर आधारित उद्योग हैं :—

(i) फल परिसंस्करण एकक, गंडवी तथा जूनागढ़ ।

(ii) कास्टर सीड्स प्रासेसिंग काम्प्लेक्स, जगना ।

(iii) चावल की भूसी निकालने का संयंत्र, बरेजा ।

(iv) ऊर्जा खाद्य संयंत्र, बावला ।

(v) कीटनाशी दवा विनिर्माण संयंत्र, नरोदा तथा गोंडल ।

सहकारिता क्षेत्र में गुजरात में 253 कृषि पर आधारित उद्योग चलाए जाते हैं जिनमें से 62 इकाइयों, जैसे कि 7 चीनी फैक्टरीयां, 22 तेल परिसंस्करण एकक, 3 फल तथा सब्जी परिसंस्करण एकक, 26 चावल मिलें, 3 दाल मिलें तथा 1 गन्ना और कागज मिल, को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता दी गयी है । निजी क्षेत्र में भी कृषि पर आधारित कई उद्योग हो सकते हैं, जिनका भारत सरकार कोई रिकार्ड नहीं रखती है ।

डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं का देरी से पहुंचना

602. श्री ए. विजयराघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक द्वारा भेजी गई वस्तुएं अधिक देरी से पहुँचती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने डाक द्वारा वस्तुएं जल्दी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाक वितरण में कभी-कभार ही विलंब होता है ।

(ख) डाक को एकत्र करने, छंटाई करने और उनको भेजने के कार्य की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। किसी प्रकार की कमी को तुरन्त दूर कर दिया जाता है।

बिहार में अन्य मातृ भाषा वाले लोग

[हिन्दी]

603. श्री योगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना के अनुसार, विशेषकर बिहार में, राज्य की राजभाषा के अलावा अन्य मातृ भाषा भाषी लोगों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1950 की जनगणना के कार्य में जुटे हुए अधिकारियों को कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं कि लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही उनकी मातृ-भाषा लिखा जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे अनुदेश जारी करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार बिहार में विभिन्न मातृ-भाषा-भाषियों की संख्या संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

(ख) जी, हां। 1981 में की जाने वाली जनगणना के लिए प्रगणकों को यह अनुदेश दिए जा रहे हैं कि वे उसी भाषा को ही मातृ-भाषा के रूप में दर्ज करें जिस भाषा को सम्बन्धित व्यक्ति अपनी मातृ-भाषा बताता है।

(ग) इस सम्बन्ध में 1991 में होने वाली जनगणना के लिए दिए गए विस्तृत अनुदेशों में से उद्धरण संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं (प्रत्येक के अधीन समूहबद्ध मातृ-भाषा की उप-भाषाओं/बोलियों सहित) को बिहार में बोलने वालों की संख्या—1981 की जनगणना के अनुसार

क्रम सं.	भाषा	बोलने वालों की संख्या
1	2	3
1.	असमिया	977
2.	बंगला	8,224,512
3.	गुजराती	25,977

1	2	3
4.	हिन्दी	55,471,663
5.	कन्नड़	2,266
6.	कश्मीरी	182
7.	मलयालम	17,555
8.	मराठी	9,809
9.	उड़िया	379,866
10.	पंजाबी	107,510
11.	संस्कृत	1,745
12.	सिन्धी	5,299
13.	तमिल	18,431
14.	तेलुगु	38,395
15.	उर्दू	7,286,870

विवरण-2

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं से भिन्न भाषाओं (जहाँ भी समूहबद्ध हैं, मातृ-भाषा की उप भाषाओं/बोलियों सहित) में से बिहार में भाषाओं/मातृ-भाषाओं को बोलने की संख्या 1981 की जनगणना के अनुसार

क्र. सं.	भाषा	बोलने वालों की संख्या
1	2	3
1.	आदि	394
2.	अंगामी	140
3.	अरेबिक/अरबी	8,397
4.	बाल्ती	5
5.	चीनी/चिनोकी	542
6.	भूमिज	8,847

1	2	3
7.	बोडो/बोरो	35
8.	चंग	14
9.	कुल्ली/कोडागू	125
10.	डोगरी	2,238
11.	अंग्रेजी	4,9.0
12.	गारो	56
13.	गोंडी	867
14.	गोर्खाली/नेपाली	23,692
15.	हलम	30
16.	हो	529,031
17.	कताबु	5
18.	कच्चा नागा	5
19.	खम्बेसी	56
20.	खरिया	99,308
21.	खासी	15
22.	खेजा	5
23.	खोंड/कोंड	12
24.	किसान	52
25.	कोच	5
26.	कोडा/कोरा	1.523
27.	कोलामी	5
28.	कोन्डा	15
29.	कोंकणी	277
30.	कोरकू	54
31.	कोर्वा	882
32.	कुई	5
33.	कुकी	13

1	2	3
34.	कुरुख/ओरॉन	686,762
35.	लद्दाखी	6
36.	लाहौली	15
37.	लाहुन्डा	74
38.	लेपचा	5
39.	लिम्बु	40
40.	लुसाई/मीझो	14
41.	माल्टो	90,791
42.	मणिपुरी/मोयेई	209
43.	माओ	45
44.	मिकिर	227
45.	मिश्मी	185
46.	मोघ	5
47.	मोम्पा	5
48.	मुण्डा	47,050
49.	मुण्डारी	611,193
50.	नागा	5
51.	राभा	5
52.	सैंगताम	5
53.	सन्थाली	2,161,032
54.	सवरा	71
55.	शिमा	5
26.	टमंग	5
57.	टंग्सा	65
58.	थाडो	20
59.	तिब्बती	172
60.	तुलु	30
61.	यिम्चुंग्रे	10
62	अन्य भाषाओं का योग	43,659

विवरण-3

प्रगणकों के लिए अनुदेशों से उद्धरण

मातृभाषा वह बोली/भाषा है जो किसी व्यक्ति के बचपन में उसकी माता ने उससे बोलने के लिए प्रयोग की हो। यदि सम्बन्धित व्यक्ति के बचपन में ही माता का देहान्त हो गया हो तो उसकी मातृ-भाषा वह होगी जो उसके बचपन में उसके घर पर मुख्यतः बोली जाती हो। छोटे बच्चों और गूंगों की मातृ-भाषा वह मानी जाएगी जो उनकी माताएं आम तौर पर बोलती हैं। यदि कोई शंका हो तो उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा को दर्ज करें।

उत्तरदाता जिस भी भाषा को अपनी मातृ-भाषा बताए उसका पूरा नाम लिखिए, संक्षिप्त रूप का प्रयोग न करें। कृपया नोट करें कि—

(i) आपको यह निर्णय नहीं लेना है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा बताई गई मातृ-भाषा किसी अन्य भाषा की बोली है अथवा नहीं,

(ii) आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति के धर्म और उसकी मातृ-भाषा में कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं,

(ii) आपको उस भाषा का नाम लिखना जरूरी है जिसे सम्बन्धित व्यक्ति अपनी मातृ-भाषा बताता है। इस बारे में आप कभी भी किसी प्रकार की बहस में न पड़ें और जो मातृभाषा बताई जाए उसे ज्यों का त्यों लिख दें, और

(iv) यदि आपको यह संदेह हो कि किसी क्षेत्र में किसी संगठित आन्दोलन के कारण मातृ-भाषा के बारे में सही सूचना नहीं दी जा रही है तो आप उत्तरदाता द्वारा वास्तव में बताई गई भाषा को मातृ-भाषा दर्ज करें और इस बारे में अपने वरिष्ठ जन-गणना अधिकारी को रिपोर्ट दें ताकि वे इसकी जांच कर सकें। आप स्वयं किसी भी प्रकार की शुद्धियां करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

उत्तरदाता द्वारा बताई गई मातृ-भाषा का पूरा नाम लाइन पर लिखें। इस प्रश्न के सामने दिए गए चार बिंदोवार खानों में कुछ भी दर्ज न करें।

चूंकि परिवार ऐसे व्यक्तियों का हो सकता है जिनका आपस में रक्त सम्बन्ध हो अथवा आपस में कोई सम्बन्ध न हो या दोनों प्रकार के व्यक्ति हों। अतः प्रत्येक सदस्य से उसकी मातृ-भाषा पूछना आवश्यक है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि परिवार के सभी सदस्यों की मातृ-भाषा एक ही हो। परिवार के विभिन्न व्यक्तियों की अलग-अलग मातृ-भाषा हो सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों का मूल्यांकन

[अनुवाद]

604. श्री भवानी शंकर होता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रत्येक संस्थान का पांच वर्ष में एक बार मूल्यांकन करने का आदेश है और क्या ऐसा हर मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की कमियों की समीक्षा करने के लिये कोई समिति गठित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की प्रगति का मूल्यांकन हर पांच वर्ष बाद एक पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा किया जाता है जिसमें बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। दिनांक 31.12.1989 तक 46 संस्थानों में से 38 संस्थानों ने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है जिसके लिए पंचवर्षीय समीक्षा दल के गठन की जरूरत है। इस तरह 36 संस्थानों के लिए दल गठित कर दिए गए हैं और शेष दो संस्थानों ने पांच वर्ष का कार्यकाल दिसम्बर, 1986 में समाप्त कर लिया है। लेकिन जो पंचवर्षीय समीक्षा दल इनके लिए गठित किये गये थे, वे समय पर अपनी रिपोर्ट देने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इन दो पंचवर्षीय समीक्षा दलों को फिर से गठित किया जाए।

27 पंचवर्षीय समीक्षा दलों की रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है।

(ग) जी नहीं।

यमुना पार क्षेत्रों के लिए अधिक बसों का प्रावधान

605. श्री जे. पी. अग्रवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यमुना पार क्षेत्रों में काफी बसों के चक्कर न लगाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यमुना पार क्षेत्रों तथा नई दिल्ली में बसों के चक्कर न लगाए जाने का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यमुना पार क्षेत्र में और अधिक बसें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के.पी. उन्नीकृष्णन्) : (क) से (ङ.) यमुनापार क्षेत्र से दिल्ली परिवहन निगम की लगभग 900 बसें चलाई जाती हैं जो उस क्षेत्र को दिल्ली शहर के विभिन्न भागों से जोड़ती हैं। पूर्वी क्षेत्र से, जिसमें यमुनापार का क्षेत्र शामिल है, निर्धारित चक्करों की संख्या प्रतिदिन औसतन 10,500 से अधिक है। प्रचालनात्मक दक्षता 90 प्रतिशत है। शहरी प्रचालनों में दि. प. नि. की कुल प्रचालन दक्षता जोकि 87% है, की तुलना में यह काफी बेहतर है।

जब भी कोई चक्कर (ट्रिप) रह जाते हैं, तो ऐसा अधिकतर बसों के यातायात की भीड़ में फंस जाने के कारण होता है जिसकी वजह से चक्कर लगाने का समय बढ़ जाता है। यमुनापार से दिल्ली/नई दिल्ली पहुंचने के केवल चार मार्ग हैं अर्थात वजीराबाद, पुराना यमुना पुल, आई टी ओ पुल और निजामुद्दीन पुल। सभी आटो मोबाइल्स अथवा व्यक्ति चालित वाहनों को इन्हीं 4 पुलों से ही गुजरना होता है। दिल्ली के स्थानीय यातायात के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से आने व जाने वाला यातायात भी इन पुलों का प्रयोग करता है जिस कारण ये पुल ठसाठस भरे रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने यमुनापार के यातायात को सुलझाने व्यवस्थित का एक तरीका अपनाया है। आई टी ओ पुल पर 4 लेनों में से 3 लेन प्रातः 0800 से 1000 बजे तक यमुना पार से दिल्ली तक आने के लिए खोली जाती है और शाम को वापसी यात्रा के लिए वे 1700 बजे से 1900 बजे तक 3 लेन खोल देते हैं। इस पद्धति से यमुनापार क्षेत्र से शहर में आने वाले यातायात को कुछ राहत मिलती है लेकिन दि.प.नि. की बसें जो सुबह दिल्ली आती हैं, वे वापसी यात्रा के लिए समय पर वापसी नहीं आ सकतीं क्योंकि वापस यमुनापार अथवा गाजियाबाद जाने वाले सारे यातायात के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होती है। इसी तरह शाम को भी चक्कर लगाने का समय प्रभावित होता है।

1990-91 की वार्षिक योजना में दि.प.नि. द्वारा 700 नई बसें खरीदे जाने का प्रावधान शामिल है। नई बसें खरीदने के बाद शहर में उनकी प्रभावकारी तैनाती के एक भाग के रूप में पूर्वी क्षेत्र में सेवाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी।

नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विशेष श्रेणी

606. **श्री जे.पी. अग्रवाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए टेलीफोन कनेक्शनों की विशेष श्रेणी के लिए पात्र व्यवसायियों (प्रोफेशनल्स) और अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस श्रेणी में निर्यातकों को भी शामिल करने पर विचार करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जो वाई टी-विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग दर्ज कराने के लिए निर्यातक पहले से ही पात्र हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विशेष श्रेणियों के लिए पात्र उपभोक्ता :

गैर-ओ वाई टी "एस एस श्रेणी :

(i) विदेशी मिशन और राजदूतावास

(ii) संयुक्त राष्ट्र संगठन

(iii) संसद सदस्य, सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद, नगर पार्षद और कैन्टोनमेंट बोर्ड के सदस्य

(iv) विशिष्ट व्यक्ति जो पूर्णत अधिपत्र में दर्शाए गए हों।

(v) केन्द्र तथा राज्य सरकार के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी, और

(vi) सरकारी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक सेवा निवृत होने पर विश्वविद्यालयों के कुलपति

गैर ओ वाई टी "विशेष श्रेणी" :

(i) चिकित्सक जिनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो,

(ii) अर्हताप्राप्त नर्सें और दाईयां जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो,

(iii) पंजीकृत समाचार पत्र, जर्नल और पत्रिकाएं,

(iv) पंजीकृत समाचार एजेंसियां,

(v) प्रत्याभित प्रेस संवाददाता और प्रेस फोटोग्राफर

(vi) सार्वजनिक संस्थाएं,

(vii) लघु उद्योग,

(viii) सरकारी विद्यालय और कालेज,

(ix) स्वतंत्रता सेनानी

(x) पंजीकृत और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें,

(xi) कानूनी सहायता समितियां, और

(xii) प्रतिष्ठित व्यक्ति

(xiii) प्राकृतिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक और व्यवसायिक चिकित्सक जिनके पास राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर दी गई मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा हो।

3. ओ वाई टी "विशेष श्रेणी" :

(i) सरकारी विभाग,

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सांविधिक निकाय,

(iii) संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम,

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी,

(v) विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले,

(vi) एल. पी. जी. गैस वितरक,

(vii) मुक्त व्यापार अंचलों के उद्यमों,

(viii) 100% निर्यात उन्मुख यूनिटें,

(ix) प्राइवेट स्कूल और कालेज, तथा

(x) सिनेमाघर और होटल।

हज यात्रियों को सुविधाएं

607. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष हज यात्रियों को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष हज करके लौटने वाले यात्रियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार ने इस वर्ष हज यात्रियों को नीचे दी गई सुविधाएं प्रदान की थीं,

1. सरकार ने समुद्र से जाने वाले लगभग 4685 तीर्थयात्रियों के समुद्री किरायों में आर्थिक मदद दी।

2. हज यात्रियों को ले जाने वाले जहाज एम. वी. अकबर की इस वर्ष को हज से पूर्व पूरी तरह से धुलाई-सफाई और मरम्मत की गई जिससे समुद्री मार्ग से जाने वाले तीर्थ-यात्रियों की यात्रा और आरामदायक हुई।

3. हालांकि इस वर्ष हज के लिए विमान किराए में मामूली वृद्धि की गई, फिर भी संबंधित विमान कम्पनियों के दबाव के बावजूद इसे आई. ए. टी. ए. के सामान्य अनुमोदित वाणिज्यिक विमान किराए से कम रखा गया।

4. प्रत्येक तीर्थ-यात्री को 4600/-सऊदी रियाल (लगभग 21,620 रुपये के बराबर) के बराबर विदेशी मुद्रा दी गई।

5. हज समिति की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जाने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए पूर्व व्यवस्थित आवास का प्रबंध किया गया। हज 1990 के दौरान तीर्थयात्रियों के पास तीन प्रकार के आवास का विकल्प था जबकि पिछले वर्ष केवल दो प्रकार के ही आवास थे। सरकार ने भारत के प्रधान कोंसलावास में कम्प्यूटर प्रणाली का दर्जा बढ़ाने की अनुमति दी जो पूर्व व्यवस्थित आवास योजना के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हुई।

चिकित्सा सुविधाएं

—मक्का में स्थायी औषधालय (इसमें एक डाक्टर और दो फार्मेसिस्ट पूरे वर्ष कार्य करते हैं)।

—मक्का में स्थायी औषधालय के परिसर में 10 बिस्तरों वाले हज हस्पताल ने भी प्रभावी ढंग से कार्य किया।

—सऊदी अरब में 22 डाक्टरों और 23 पराचिकित्सक स्टाफ का एक चिकित्सा मिशन तैनात किया गया ताकि हज यात्रियों की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

—मक्का में तीन और मदीना में एक हज शाखा औषधालय खोले गए। इसके अतिरिक्त मीना/अराफत तथा बन्दरगाह और हवाई अड्डे पर चिकित्सा शिविर कार्यालय खोले गए ताकि इन स्थानों पर हमारे तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके।

—सरकार ने लगभग 5 लाख रुपये की दवाइयां सप्लाई की।

7. हज लिपिकों की व्यक्ति माह संख्या को 247 से बढ़ाकर 260 कर दिया गया।

8. हज मौसम के दौरान भारतीय रेलवे ने हज यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की।

9. हज अवधि के दौरान आकाशवाणी ने हज यात्रियों के लाभ के लिए सऊदी अरब तक के लिए विशेष प्रसारण सेवा दी।

(ग) केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से जाने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में संबद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हज 1990 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हज को जाने वाले तीर्थयात्री		
		विमान द्वारा	समुद्र मार्ग द्वारा	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	686	250	936
2.	असम	401	263	664
3.	बिहार	232	539	771
4.	गुजरात	1254	166	1420
5.	दिल्ली	415	26	441
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1259	202	1461

1	2	3	4
7. कर्नाटक	922	239	1161
8. केरल	2008	297	2305
9. मध्य प्रदेश	917	160	1077
10. महाराष्ट्र	2480	357	2837
11. उड़ीसा	56	19	75
12. राजस्थान	1064	145	1209
13. तमिलनाडु	996	135	1131
14. उत्तर प्रदेश	5925	1088	7013
15. पश्चिम बंगाल	515	647	1162
16. हरियाणा	220	32	252
17. लक्षद्वीप	51	26	77
18. अण्डमान निकोबार	10	4	14
19. चण्डीगढ़	—	8	8
20. हिमाचल प्रदेश	10	2	12
21. पांडिचेरी	25	2	27
22. पंजाब	62	10	72
23. त्रिपुरा	27	5	32
24. मणिपुर	39	6	45
25. गोआ, दमन और दीव	28	2	30
कुल	19602	4625	24,227

टिप्पणी : भारत से प्रत्येक वर्ष लगभग 40,000 तीर्थयात्री जाते हैं। इनमें से हज समिति ने हज 1990 के लिये 24,227 यात्रियों के लिये व्यवस्था की।

कर्नाटक के गांवों में पानी की कमी

608. श्री वी. एस. [illegible] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में जून, 1990 के दौरान पानी की अभूतपूर्व कमी हो गई थी,

(ख) यदि हां, तो कुल कितने गांवों में पानी की भारी कमी थी,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक में पेयजल की कमी वाले गांवों का नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है,

(घ) कर्नाटक में पानी की कमी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है, और

(ङ) कर्नाटक में सभी गांवों को पानी उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक में समस्याग्रस्त गांव नहीं हैं। 1990-91 की कार्य योजना के अनुसार आंशिक रूप से कवर किए गये 5,278 गांवों तथा अन्य समस्याग्रस्त श्रेणी के गांवों को कवर करने का प्रस्ताव है। 1990-91 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत कुल 21.16 करोड़ रुपये के वार्षिक आबंटन के मुकाबले, 10.58 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई है। पेयजल पर तकनीकी मिशन के अन्तर्गत कर्नाटक में तीन मिनी-मिशन हैं अर्थात गुलबर्गा, धारवार और रायचूरा इन मिनी मिशन क्षेत्रों के लिए 400.00 लाख रुपये की प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया जा चुका है जिसके मुकाबले अब तक 837.00 लाख रुपये रिलीज किए जा चुके हैं।

तिलहनों का उत्पादन

609. श्री जी. एस. बासवराज : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग ने सरकार को देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन सुझावों किस सीमा तक व्यावहारिक पाया है; और

(घ) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सुझाव इस प्रकार हैं :—

(i) वनस्पति के निर्माण में सरसों का निष्कर्षित तेल इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को उनके उत्पादन के लिये अच्छे दाम मिल सकें।

(ii) वनस्पति के निर्माण में कुछ गैर-परम्परागत तेलों तथा पेड़ और वन मूल के तेलों के

इस्तेमाल पर उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में सरकार द्वारा दिए जाने वाले राजस्व प्रोत्साहनों में वृद्धि करना ताकि निर्माता के लिये तेलों की उपलब्धता बढ़ सके।

(iii) वनस्पति में तिल का तेल मिलाने की कानूनी अपेक्षा की सीमा में कमी करना।

(ग) सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है तथा उन पर उचित कार्रवाई की गई है।

(ग) देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये तिलहन उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आदानों की सप्लाई तथा किसानों के लिए सहायक सेवाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उड़ीसा के गांवों में पेयजल

610. श्री नकुल नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेष रूप से पिछड़े जिलों फूलबनी, कालाहांडी और बोलनगीर में अनेक गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) उक्त राज्य में सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इसके लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां। 1.4.90 को उड़ीसा में 1320 समस्याग्रस्त गांव थे जिनमें फूलबनी के 53 गांव तथा कालाहांडी जिले के 14 गांव शामिल हैं। बोलनगीर जिले में कोई गांव समस्याग्रस्त नहीं है।

(ख) 1 अप्रैल 1985 से 13123 समस्याग्रस्त गांवों को कवर किया गया है। शेष 1320 गांवों को कवर किया जा रहा है।

(ग) उड़ीसा के 1990-91 के लिए कार्य योजना में शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) 31 मार्च, 1991 तक शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों, जिनमें 3800 आंशिक रूप से कवर किए गये गांव भी शामिल है, को कवर कर लिया जाएगा।

अनुसंधान निकायों में उच्च पदों में रिक्तियां

611. डा. असीम बाला :

श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में भी अभी तक नियमित निदेशक नियुक्त नहीं किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इन पदों को शीघ्र भरने हेतु क्या कदम उठाये है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) महोदय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के (डेयर) के सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का भी काम देख रहे हैं। इस समय कृ. अ. शि. विभाग (डेयर) के सचिव पद पर कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह कार्य अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपा गया है।

(ग) और (घ) इस समय केवल राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के निदेशक का पद खाली है और इस पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

612. श्री नकुल नायक :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

खाद्यान्नों का उत्पादन

राज्य	खाद्यान्नों का लक्ष्य/उत्पादन (लाख टन में) 1986-87		1987-88		1988-89	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	123.5	91.63	129.66	99.00	134.77	129.92
अरुणाचल प्रदेश	2.08	1.87	2.18	1.94	2.24	1.94
असम	35.41	35.88	38.30	28.99	36.90	26.28
बिहार	125.00	109.10	133.00	96 27	146.68	116.97
गोवा	1.72	0.74	1.80	1.12	1.80	1.30
गुजरात	56.80	30.96	59.20	13.68	60.50	53.31
हरियाणा	77.65	76.35	81.80	63.02	83.55	94.78
हिमाचल प्रदेश	13.36	11.73	13.82	8.72	14.10	11.35
जम्मू और कश्मीर	15.25	13.73	15.26	9.99	15.98	13.10
कर्नाटक	88.00	76.25	88.47	63.53	91.01	67.20
केरल	14.30	11.57	14.40	10.61	14.44	10.37
मध्य प्रदेश	168.15	135.22	170.30	147.58	169.45	159.00
महाराष्ट्र	118.40	71.44	121.00	110.64	123.40	110.78
मणिपुर	4.30	2.59	4.56	2.86	4.77	3.32
मेघालय	2 04	1.31	2.12	1.42	2.16	1.38
मिजोरम	0.60	0.53	0.64	0.54	0.70	[illegible]
नागालैंड	1.78	0.93	1.83	0.99	1.83	1.53
उड़ीसा	77.40	63.88	78.50	50.21	80.00	69.24
पंजाब	162.00	162 92	165.70	170.92	168.45	170.75

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	94.00	67.91	102.05	47.82	104.85	106.43
सिक्किम	1.01	0.99	1.08	0.99	1.19	1.12
तमिलनाडु	92.00	71.56	97.00	76.10	100.10	72.37
त्रिपुरा	4.32	3.90	4.46	4,42	4.65	4.68
उत्तर प्रदेश	334.00	302.49	367.80	286.85	355.00	357.45
पश्चिमी बंगाल	97.50	96.10	100.45	103.05	99.00	115.15
अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह	0.33	0.28	0.33	0.20	0.35	0.24
दादर नागर हवेली	0.40	0.27	0.40	0.24	उ. न.	0.24
दिल्ली	1.57	1.39	1.60	1.20	उ. न.	0.50
दमन और दीव	×	0.02	×	0.02	उ. न.	0.02
पाण्डेचरी	1.29	0.63	1.30	0.59	उ. न.	0.66

× गोवा में शामिल

उ. न. :—उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी :—लक्ष्य, कृषि से संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित है।

उड़ीसा में नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना

613. श्री नकुल नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में नक्सलवाद ग्रस्त क्षेत्र के लिये एक कार्यवाही योजना केन्द्रीय सरकार की अनुमति और उससे सहायता प्राप्त करने हेतु भेजी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कार्यवाही योजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए धनराशि देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना केन्द्र सरकार, कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) को प्राप्त हुई है। केन्द्र सरकार, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उड़ीसा में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अधिकारियों के एक दल को भेजने पर विचार कर रही है। केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भेजी गई कार्य योजना पर कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में मूंगफली की खेती के अन्तर्गत भूमि

614. श्री नकुल नायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कुल कितने हैक्टेयर भूमि को मूंगफली की खेती के अंतर्गत लाया गया है,

(ख) क्या सरकार ने और अधिक क्षेत्र में मूंगफली की खेती करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उड़ीसा में 1988-89 के दौरान मूंगफली के तहत कुल क्षेत्र 3.76 लाख हैक्टेयर था।

(ख) और (ग) तिलहन उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में मूंगफली सहित तिलहनों के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। उड़ीसा राज्य भी इस योजना के अन्तर्गत आता है। किसानों को मूंगफली और अन्य तिलहनों की खेती अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में करने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके हेतु उनके खेतों में उन्नत प्रौद्योगिकी के बड़े आकार के प्रदर्शन आयोजित करने के वास्ते इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) योजना आयोग ने 1990-91 के लिए उड़ीसा में कुल तिलहनों के 8.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शुष्क भूमि कृषि संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, सन्तोष नगर, हैदराबाद में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना

615. श्री हनुमान मोहलाह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क भूमि कृषि संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, संतोष नगर, हैदराबाद में 20 वर्षों से कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं, की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें निर्धारित दरों पर निम्नतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या व्यवहारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) (क) जी, नहीं। बीस वर्ष से अधिक सेवा करने वाले आकस्मिक मजदूरों को पहले ही नियमित किया जा चुका है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय तारघर नई दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

[हिन्दी]

616. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य महाप्रबन्धक (रख-रखाव) नई दिल्ली और केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, जो टाईप-I और टाईप-III के क्वार्टरों में रहने के हकदार है, वह अनेक वर्षों से टाईप-I के क्वार्टरों में रह रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को जिन क्वार्टरों के आवंटन के वे हकदार है उन क्वार्टरों का आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) अलाटमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी पात्रता के मुताबिक क्वार्टर आवंटित किये जाते है यद्यपि उसी क्वार्टर में रहते हुए वे उच्च टाइप का क्वार्टर पाने के पात्र हो जाते है परन्तु रहते उसी क्वार्टर में हैं ।

(ग) कर्मचारियों को उनकी पात्रता के मुताबिक क्वार्टर आवंटित किए गए है और उनके अनुरोध एवं क्वार्टर उपलब्ध होने पर शिफ्ट किया गया है ।

कश्मीर से विस्थापित परिवार

617. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
डा. वेंकटेश काबड़े :
श्री आर. एन. राकेश :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री जनक राज गुप्त :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री बाल गोपाल मिश्र :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर से कितने विस्थापित परिवारों ने दिल्ली तथा अन्य राज्यों में, राज्यवार, शरण ली है;

(ख) अक्तूबर, 1989 से औसतन ऐसे कितने व्यक्ति प्रति माह वहां से स्थानांतरित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को भरण-पोषण के लिए प्रतिदिन कितनी धनराशि दी जा रही है;

(घ) कश्मीर छोड़कर आए लोगों का पुनर्वास करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और इन विस्थापित परिवारों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) कितने व्यक्ति वापिस कश्मीर लौट आए हैं; और

(च) कश्मीर में रह रहे लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए और राज्य में सामान्य स्थिति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (च) भारत के विभिन्न स्थानों में कश्मीर से आए प्रवासियों के परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है तथा जम्मू और दिल्ली में प्रवासियों को दी जा रही राहत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर सरकार तथा दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने सहायता उपायों पर क्रमश: 10 करोड़ रुपये तथा 40 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है।

जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य में आतंकवाद को रोकने तथा शांति तथा व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

विवरण-I

भारत में विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत और कश्मीर से आए परिवारों की संख्या

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 31.7.1990 तक जम्मू क्षेत्र में 48,894 प्रवासी परिवार पंजीकृत किए गए। इसी प्रकार दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके पास 31.7.1990 तक जम्मू और कश्मीर से 11,439 प्रवासी परिवार पंजीकृत किए गए। उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर से देश के अन्य भागों में ठहरे प्रवासी परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	राज्य का नाम	परिवारों की सं.
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	857

1	2	3
2.	राजस्थान	61
3.	हरियाणा	94
4.	महाराष्ट्र	39
5.	पंजाब (चण्डीगढ़ को छोड़कर)	1293
6.	चण्डीगढ़	216
7.	मध्य प्रदेश	75
8.	कांगड़ा सहित हिमाचल प्रदेश	66
9.	गुजरात	54

विवरण-II

सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा

प्रवासी परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राहत उपाय निम्नलिखित हैं :

सामान्य सहायता

उन प्रवासी परिवारों के बच्चों को जो घाटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते हैं, घाटी से बाहर के विभिन्न व्यवसायिक और अन्य कालेजों में दाखिले के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। घाटी से बाहर, बैंक खातों का स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन की अदायगी, पेंशन, एल. आई. सी. की किस्त की अदायगी जैसी सुविधाएं भी प्रवासी परिवारों को दी गई हैं।

जम्मू में

(I) चार या इससे अधिक सदस्यों के प्रत्येक परिवार को प्रतिमा 1,000 रु. की नकद सहायता देना।

(II) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर मुफ्त राशन की आपूर्ति अर्थात 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक किलो चीनी, प्रति परिवार प्रति माह।

(III) उपलब्ध सरकारी भवनों या टेन्टों में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास।

(IV) मुफ्त चिकित्सा सहायता और

(V) जरूरत मंद परिवारों को कम्बलों की आपूर्ति

दिल्ली में

प्रति व्यक्ति प्रति माह 125 रु. की दर से नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार सदस्यीय प्रति परिवार प्रतिमाह 500 रु. से अधिक न हो।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित तेरह शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों को नकद राहत के अलावा खाना बनाने के बर्तनों की कीचन किट/बिस्तर और मासिक राशन भी दिया जाता है। राशन पर प्रति परिवार होने वाला प्रति माह का व्यय लगभग 500 रु. है। शिविरों में चिकित्सा दल द्वारा नियमित दौरे किए जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

ग्राम पंचायतों को डाकघर और टेलीफोन सुविधाएं

618. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान योजना अवधि के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाक सुविधाएं :—13.3.1990 को स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,40,987 डाकघर काम कर रहे हैं।

टेलीफोन सुविधाएं :—31.3.1990 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज और लम्बी दूरी के 28,5-5 पब्लिक टेलीफोन काम कर रहे थे।

(ख) डाक सुविधाएं : आठवीं योजना अवधि में सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) टेलीफोन सुविधाएं : जी हां।

(ग) डाक सुविधाएं : उन ग्राम पंचायतों की अनुमानित संख्या 90,000 है जिनमें इस समय डाकघर नहीं है जबकि पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष खोले गए डाकघरों की औसत संख्या केवल लगभग 800 प्रतिवर्ष बैठती है। अतः कोई वास्तविक समय सीमा नहीं बताई जा सकती। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत होने के अलावा न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम अनुमानित राजस्व जैसे अन्य मानदंड भी हैं जो ग्रामीण डाकघर खोलते समय ध्यान में रखे जाते हैं। तथापि, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर नहीं होने का यह अर्थ नहीं है कि वह क्षेत्र डाक सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र में डाक वितरित की जाती है और जब वितरण एजेंट उस क्षेत्र में जाता है तब वह डाक टिकट और स्टेशनरी बेचता है तथा रजिस्टर्ड वस्तु बुक करता है। तथापि, मनी आर्डर और बचत बैंक कार्य के लिए काउंटर सुविधाओं की व्यवस्था स्थानीय डाकघर प्रदान किए जाने पर ही निर्भर है।

टेलीफोन सुविधाएं : प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री लंका के तमिल शरणार्थियों का भारी संख्या में भारत में प्रवेश

[अनुवाद]

619\. श्री चित्त बसु :

सं. प्रतिन्दर पाल सिंह :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री गोपाल पचेरवाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका के तमिल शरणार्थी भारी संख्या में लगातार भारत में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में तमिल शरणार्थियों की, राज्यवार संख्या सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन्हें राहत तथा आश्रय देने के लिए पर्याप्त उपाए किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए काम का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में तमिलनाडु सरकार को दी जा रही आर्थिक सहायता का ब्योरा क्या है; और

(छ) तमिल शरणार्थियों को भारत मे आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 2 अगस्त, 1990 को 1,43,532 तमिल शरणार्थी तमिलनाडु और उड़ीसा के शिविरों में रह रहे थे (तामलनाडु 1,43,099 और उड़ीसा 433) ।

(ग) और (घ) भारत सरकार उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकारों को पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है ताकि राज्य सरकार द्वारा शरणार्थियों को राहत और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। शरणार्थियों को अस्थाई-आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने भी तमिलनाडु सरकार को 552 टैन्ट दिए हैं ।

(ङ) राहत और आवास आदि पर राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले खर्चे को भारत सरकार वहन कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा इस पर 472.21 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वर्षवार ब्योरे निम्न प्रकार है :

वर्ष	किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
1987-88	315.04
1988-89	83.64
1989-90	73.53
	472.21

(ख) इस खर्चे के लिए तमिलनाडु सरकार को जुलाई, 1990 के दौरान 2 करोड़ रुपये की "वाम अकाउन्ट" नामक अग्रिम सहायता अनुदान राशि जारी की गई है।

(ग) सरकार ने तमिलों की सुरक्षा, नागरिकों के मारे जाने तथा उसके परिणामस्वरूप शरणार्थियों का भारत में आगमन के बारे में श्रीलंका के प्राधिकारियों से चिन्ता व्यक्त की है। श्रीलंका सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में श्रीलंका में ही शिविर स्थापित करें, जिससे कि शरणार्थियों को भारत में आने से रोका जा सके।

उन्नत किस्म के बीजों का वितरण

620. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल मौसम के दौरान समूचे देश में धान तथा अन्य अनाजों के उन्नत किस्म के बीजों का कितनी मात्रा में वितरण किया गया;

(ख) क्या इन पर राज-सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए दी गई राज-सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार खरीफ 90 मौसम के दौरान क्रमश: 13.21 लाख क्विंटल तथा 6.80 लाख क्विंटल धान तथा दूसरे अनाज/मोटे अनाजों के उन्नत बीज वितरित किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के लिए धान तथा दूसरे अनाजों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर सब्सिडी की व्यवस्था की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फसल	सब्सिडी (रु. प्रति क्विंटल)	
	किस्में	संकर
1	2	3
धान	200	—

1	2	3
मक्का	400	500
ज्वार	400	500
बाजरा	400	500
रागी	400	—

बीजों पर सब्सिडी के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है तथा राज्य सरकारों को इस बात की छूट दी गई है कि वे निर्धारित सीमाओं के भीतर राशि का पुनर्विनियोजन करें। मक्का तथा ज्वार के लिए राज्यों को किए गए कुल आबंटन में से बीज संघटकों पर सहायता 30 प्रतिशत है तथा बाजरा और रागी के संबंध में न्यूनतम सीमा 20 प्रतिशत है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के लिए भारत सरकार के शेयर का राज्यवार कुल आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के लिए भारत सरकार के शेयर का राज्यवार कुल आबटन (लाख रुपये में)

राज्य का नाम	मक्का	ज्वार	बाजरा	रागी	धान
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	80.00	75.0	—	40.0	560.04
2. असम	—	—	—	—	646.20
3. बिहार	120.0	—	—	—	1378.56
4. गोवा	—	—	—	—	43.08
5. गुजरात	40.0	—	75.0	—	172.32
6. हरियाणा	60.0	—	60.0	—	258.48
7. हिमाचल प्रदेश	140.0	—	—	—	86.18
8. जम्मू व कश्मीर	60.0	—	—	—	43.16
9. कर्नाटक	40.0	90.0	—	50.0	473.88
10. केरल	—	—	—	—	172.32

1	2	3	4	5	6
11. महाराष्ट्र	—	135.0	—	30.0	387.72
12. मध्य प्रदेश	120.0	90.0	—	—	646.20
13. उड़ीसा	—	—	—	20.0	560.04
14. पांडिचेरी	—	—	—	—	43.08
15. पंजाब	—	—	—	—	387.72
16. तमिल नाडु	—	45.0	—	20.0	387.72
17. त्रिपुरा	—	—	—	—	129.24
18. उत्तर प्रदेश	200.0	60.0	45.0	40.0	1593.96
19. पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	689.28
20. राजस्थान	140.0	—	120.0	—	—
कुल—	1000.0	495.0	300.0	200.0	8659.08

असम और मेघालय में नेपालियों के आवागमन

621. श्री मन्नू थापा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के नागरिकों को असम तथा मेघालय में आने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गृह मंत्रालय से राज्य सरकारों को दिये गये मार्गदर्शन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय नेपालियों की भी चैक पोस्टों पर जांच की जाती है तथा उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है और उन्हें असम और मेघालय राज्यों में जाने नहीं दिया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नेपाली राष्ट्रिकों सहित सभी विदेशी राष्ट्रिकों को प्रतिबन्धित या संरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों में जाने और वहां ठहरने के लिए विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत अनुमति लेनी अपेक्षित है। असम और मेघालय दोनों ही प्रतिबंधित क्षेत्र हैं।

(ग) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

622 श्री हरीश रावत: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31 मार्च 1990 तक उत्तर प्रदेश में आवेदकों की श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :

ओ वाई टी	—	4417
ग़ैर-ओ वाई टी	—	4917
सामान्य	—	67729
		76062

(ख) विस्तार कार्यक्रमों के प्रस्ताव किए गए हैं ताकि 8 वीं योजना के अन्त तक 5000 लाइनों से कम की क्षमता वाले एक्सचेंजों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन दे पाना सम्भव हो सके तथा 5000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को औसतन एक साल तक सीमित किया जा सके। यह व्यवस्था योजनाओं को मंजूरी मिलने एवं उपस्कर के समय पर उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करेगी और यह मौजूदा मांग पर आधारित है ।

(ग) 1990-91 के दौरान 35500 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ।

संसद सदस्यों के फोन टेप करने के मामले की जांच

623. श्री हरीश रावत :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री के. चोक्का राव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के फोन टेप करने के मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी इसकी जांच की जा रही है।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की यात्रा

624. श्री हरीश रावत :

प्रो. महादेव शिवनकर :

श्री मानी भट्टाचार्य :

श्री शंकर सिंह वघेला :

प्रो. के. वी. थामस :

श्री एस. कृष्ण कुमार :

श्री जे. चोक्का राव :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्रीमती उमा गजपति राजू :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री जनार्दन तिवारी :

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल के सदस्यों को भारत, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों का दौरा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लगाया गया प्रतिबंध इस बीच उठा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) एमनेस्टी इन्टरनेशनल के प्रति अपनी नीति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने निर्णय किया कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल के सदस्यों को निजी यात्राओं के लिए और सरकार के साथ मुलाकातों के लिए भारत आने की इजाजत दे दी जाए। एमनेस्टी इन्टरनेशनल से पंजाब अथवा जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

नीति की समीक्षा सरकार की इस दृढ़ धारणा पर आधारित थी कि मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में लोकतांत्रिक भारत किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं है। अतः भारत के लिए रक्षात्मक रवैया अपनाने की कोई वजह नहीं है।

झारखण्ड के मामलों सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

625. श्री कल्पनाथ राय :

श्री सूर्य नारायण सिंह :

श्री तेज नारायण सिंह :

श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

श्री ए. के. राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या झारखण्ड मामलों संबंधी समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कारंवाई करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) झारखण्ड मामलों पर गठित समिति ने 18.5.1990 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) और (ग) समिति किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हालांकि समिति के विशेषज्ञ सदस्यों ने छोटा नागपुर और बिहार के संथाल परगना क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता देने और क्षेत्र में झारखण्ड जनरल काउंसिल नामक एक उच्च स्तरीय निकाय स्थापित करने का सुझाव दिया है, लेकिन समिति में विभिन्न झारखण्ड ग्रुपों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधियों ने पृथक राज्य की अपनी मांग दुहरायी है। समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के दौरान, बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने, जो कि समिति के सदस्य भी थे, राज्य सरकार से निदेशों के अभाव में विशेषज्ञों के मतों पर अपनी टिप्पणी प्रमाणिक रूप से देने में असमर्थता प्रकट की। तथापि, उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद अपनी सरकार की प्रतिक्रियाओं से समिति को अवगत कराने का आश्वासन दिया। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति बिहार सरकार को उसके विचार जानने के लिए भेजी गई। बिहार सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है। बिहार सरकार के विचार प्राप्त होने पर संसद सदस्यों विधायकों और बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र के अन्य स्थानीय नेताओं के विचार जानने के लिए एक मीटिंग बुलाई जायेगी। इस बैठक में जिस बात पर आम सहमति होगी उसके आधार पर भारत सरकार रिपोर्ट पर अपना विचार बनायेगी।

भूमिगत केबिलों को बिछाने और आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के विरुद्ध

626. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट "संघ सरकार (डाक और दूरसंचार)" (1990 का संख्या-9) में उल्लेख किया है कि विभाग भूमिगत केबलों को बिछाने के आधे लक्ष्य को भी पूरा करने में असफल रहा है और आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी आरम्भ करने में कोई प्रगति नहीं की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी टिप्पणियां का आधार लक्ष्यों का गलत अर्थ लेकर बनाया है। 4 वर्षों अर्थात 1985 से 89 के दौरान केबल बिछाने का वास्तविक लक्ष्य 94.5 लाख पेयर कि. मी. था और उपलब्धियां 89.17 लाख पेयर कि. मी. थी जो कि लक्ष्य का 94.4% है।

(ख) इन चार वर्षों के लिए भूमिगत केबल बिछाने की उपलब्धियां बहुत अच्छी है।

आप्टीकल फाइबर प्रौद्योगिकी आरम्भ करने के सम्बन्ध में एक अच्छी शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। 7वीं योजना में ही लगभग 12372 कि. मी. आप्टीकल फाइबर प्रणालियां चालू की जा चुकी है।

राष्ट्रीय कीटनाशक कार्य समिति से अभ्यावेदन

627. श्री भवानी शंकर होटा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कीटनाशक कार्य समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बिना रसायनों के उपयोग के कृषि के लक्ष्य को प्राप्त के लिए नई तकनीक और विचारों को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रीय कीटनाशक नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जी हां। सरकार को राष्ट्रीय कीटनाशक कार्य समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

केरल में काली मिर्च की खेती का विकास

628. श्री टी. बशीर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में काली मिर्च की खेती के विकास के बारे में केरल राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार से "केरल में काली मिर्च के विकास सम्बन्धी परियोजना" प्राप्त हुई थी। इस परियोजना में काली मिर्च के वर्तमान बगीचों के नवीकरण के लिए लम्बी अवधि और छोटी अवधि के कार्यक्रमों और क्षेत्र के विस्तार, अर्थात काली मिर्च की उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री का व्यापक उत्पादन और वितरण, परम्परागत क्षेत्रों में विद्यमान बगीचों का बेहतर प्रबन्ध और काली मिर्च को वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य विस्तार सम्बन्धी उपायों, की परिकल्पना की गई है। कुल परियोजना लागत 212.39 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना की मन्त्रालय में जांच की गई है और केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह को गई टिप्पणियों के आधार पर परियोजना में संशोधन करे। संशोधित परियोजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मशीनों से खेती करना

629. श्री पी. एम. सईद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीनों से खेती के काम को प्रोत्साहन देने की कोई विशेष योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं,

(ग) इस सम्बन्ध में किसानों की सहायता के लिए ऐसे क्या विभिन्न कदम उठाने का विचार किया गया है, जिससे कि किसान खेती करने की पारम्परिक प्रणाली को छोड़कर मशीनों से खेती कर सकें, और

(घ) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने और इसे कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित नई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(I) ट्रैक्टर के लिए ऋण हेतु भूमि के स्वामित्व की सीमा को 8 एकड़ से कम करके 4 एकड़ करने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसा केवल 18 पावर टेक आफ अश्व शक्ति से कम छोटे ट्रैक्टरों के लिए किया जाएगा।

(ii) 4 से 8 एकड़ जोत के वर्ग में आने वाले किसानों को ब्याज की घटी हुई दरों पर ऐसे ट्रैक्टर के लिए बैंक ऋण दिया जाना चाहिए।

(iii) 4 से 8 एकड़ के बीच वाले पात्र किसानों को और 18 पावर की टेक आफ अश्व शक्ति से नीचे के ट्रैक्टरो के लिए इस धनराशि का सीमित संख्या में मामलों के लिए विद्यमान फसल योजनाओं से उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

I और II में दिए गए निर्णयों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और III पर संस्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) यन्त्रीकृत खेतों के सम्वर्धन के लिए अब किसी अन्य योजना का प्रस्ताव नहीं है, परन्तु फार्म उपकरणों की खरीद के सम्बन्ध में राज सहायता हेतु अनेक विद्यमान योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(घ) नई योजना सम्बन्धित मंत्रालयों के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय शीघ्र जारी किया जाएगा।

दिल्ली में मिलावटी सीमेंट का पता लगाना

630. श्री पी. एम. सईद :

प्रो. महादेव शिवनकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में दिल्ली में एक ऐसी फैक्ट्री का पता लगाया है जिसमें सीमेंट में मिट्टी मिलाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और मिलावटी सीमेंट बेचने के तरीके सहित इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 29.6.90 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मारे गए छापे के दौरान 5 व्यक्तियों को सीमेंट में मिट्टी मिलाते हुए पाया गया। मंगोलपुरी थाने में आवश्यक पदार्थ अधिनियम की 7/10/55 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत एक मामला दर्ज किया गया। सभी 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और नमूना लेने के बाद सारी सीमेंट जब्त कर लिया गया इन व्यक्तियों की कार्य प्रणाली दीवारों के निर्माण में काम आने वाले 10 बोरी सीमेंट के साथ 3 बोरी मिट्टी मिलाने और छतों के निर्माण में काम आने वाले 10 बोरी सीमेंट के साथ 3 बोरी मिट्टी की थी।

ऐसे मिलावट वाले अधिकांश सीमेंट को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के ठेकेदारों को बेचा गया।

विदेशियों और विदेश यात्रा एजेन्सियों को मल्टी एन्ट्री वीजा

631. श्री पी. एम. सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशियों और विदेश ट्रेवल एजेन्सियों को 5 वर्ष के लिए "मल्टी एन्ट्री वीजा" लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने का मुख्य कारण क्या है; और

(ग) क्या यह सुरक्षा की दृष्टि से निरापद है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विदेशों में भारतीय मिशनों में वीसा सेवाओं में सुधार लाने और भारत आने वाले पर्यटकों के लिए इसे और आसान बनाने के लिए ।

(ग) निर्णय लेते समय इस पहलू पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया ।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए फिजी की उम्मीदवारी का भारत द्वारा विरोध

632. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए फिजी सरकार की उम्मीदवारी के विरोध का इरादा त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) बैंकाक में एशिया और प्रशांत सम्बन्धी अमरीका और सामाजिक आयोग के 46वें अधिवेशन के पूर्णाधिवेशन में भारत सरकार ने फीजी में वर्तमान शासन के प्रति और जातिगत भेदभाव को संस्थागत रूप देने के उसके प्रयासों के अपना विरोध दोहराया था । हमने अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए फीजी की उम्मीदवारी का विरोध किया था । हमारे विरोध के कारण उत्पन्न प्रक्रियात्मक मसलों के कारण चर्चा के ठोस पहलुओं में काफी देर हुई । अन्ततः उम्मीदवारी के प्रश्न का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया । फिर भी हमने प्रक्रिया के चलते अपना कड़ा विरोध जताया था ।

जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबलों की ड्यूटी से अनुपस्थिति

633. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा. ए. के. पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस के काफी कान्स्टेबल मई, 1990 में ड्यूटी से अनुपस्थित थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

1984 के दंगा पीड़ितों का पुनर्वास

634. श्री कृपाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून के इंडियन एक्सप्रेस में "रिहेबिलिटेटिंग 84 राएट विक्टिम्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपाय सुझाने हेतु समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) क्या सरकार दंगा पीड़ितों की विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 2000/- रु. प्रति माह करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो पीड़ितों को बढ़ी हुई पेंशन किस तारीख से दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत रूप से 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को दी जा रही सहायता और पुनर्वास उपायों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घ) और (ङ) वर्तमान सरकार ने विधवाओं और 60 वर्ष की अधिक आयु वाले उन व्यक्तियों को ग्राह्य पेंशन की राशि में 15.3.1990 से 400 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. कर दिया गया है जिनकी आजीविका कमाने वाले अथवा भावी आजीविका कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु हो गई है । 18.6.90 को सरकार ने घोषणा की कि 16.?.90 से प्राप्त पेंशन के अलावा विधवाओं को तब तक 1000 रु. प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी जब तक की उनका कोई लड़का या लड़की आजीविका कमाने लायक नहीं बन जाता ।

उर्वरक कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का निलंबन

635. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री हेतराम :

श्री राम बहादुर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में कुछ उर्वरक कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलंबित किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कोई जांच की गई है, और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय खरीद समिति को सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की फर्टिलाइजर कम्पनियों के लिए जूट और एच.डी.पी.ई. बोरियों की खरीद की सिफारिश करने के लिए बनाई गयी थी, के माध्यम से की गई जूट और एच डी.पी.ई. बोरियों की खरीद के संबंध में गम्भीर आरोप लगाये गये थे। सी. बी. आई. से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय खरीद समिति के सदस्य आपराधिक षडयन्त्र में सम्मिलित हुए जिसके अनुसरण में उन्होंने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और गैर सरकारी आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्ष लिया इस प्रकार सार्वजनिक/सहकारी उर्वरक कम्पनियों को भारी आर्थिक हानि पहुंचाई। सी.बी.आई. द्वारा पुनः जांच किये जाने तक सरकार ने प्रबन्ध निदेशक, कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको), प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.) जो सभी केन्द्रीय खरीद समिति के सदस्य थे के निलंबन का आदेश दिया।

2. सी.बी.आई. ने भी उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ नियमित मामला दर्ज कर लिया है। मामला जांच पड़ताल के अधीन है।

पत्तन प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करना

636. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री हेतराम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य पत्तनों पर माल चढ़ाने और उतारने के कार्य में समग्र रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने पत्तन प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने की संभावना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के के लिए उपयुक्त पाया गया है और इस भागीदारी की शर्तें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पत्तन क्षेत्र में निजी पूंजी को लगाए जाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक अन्तर मंत्रालयी दल गठित किया गया है।

पाकिस्तान के युद्ध पोतों का कोलम्बो जाना

637. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्रीमती उमा गजपति राजू :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान के दो युद्ध पोतों के सैन्य सहायता सामग्री लेकर कोलम्बो जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान के दो जहाज कोलम्बो गए तो थे किन्तु ये न तो युद्धपोत थे और न ही उनमें श्रीलंका के लिए सैनिक सामग्री थी।

गुजरात में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

638. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सात बड़े शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बड़ोदा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सेवित कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के आवंटिती को कितना कमीशन दिया जाता है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिए कमीशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात के निम्नलिखित बड़े शहरों में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या इस प्रकार है।

	शहर का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
	1	2
1.	अहमदाबाद	136
2.	बड़ोदा	6

1		2
3.	सूरत	2
4.	राजकोट	16
5.	जामनगर	11
6.	जूनागढ़	4

(ख) स्थानीय टेलीफोन घर के किराएदार को 40 पैसे प्रति काल का कमीशन दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के एक-मुश्त प्रस्तावों के बारे में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

639. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को दोनों देशों में तनाव कम करने तथा मैत्रीपूर्ण संबंध पुनः स्थापित करने के लिए एक-मुश्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत ने पाकिस्तान को 28 मई, 1990 को परस्पर विश्वास सृजन का जो समग्र प्रस्ताव दिया था उसमें सैन्य तथा असैन्य दोनों तत्व शामिल थे जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों में मौजूदा तनाव को कम करना और पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन के बारे में भारत की चिंता को दूर करने के लिए विश्वसनीय और ठोस उपाय करने के लिए पाकिस्तान को राजी करना था। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने इस्लामाबाद में 17 से 20 जुलाई, 1990 तक हुई बैठक में अन्य बातों के अलावा इन प्रस्तावों पर विचार किया था। विदेश सचिव स्तर की बातचीत का दूसरा दौर 9 से 12 अगस्त 1900 तक नई दिल्ली में होगा।

दिल्ली में हुए बम विस्फोटों की घटनाओं की जांच

640. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अप्रैल, 1990 के दौरान हुई बम विस्फोट की घटनाओं की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम दिल्ली में 1 जून, 1990 को एक बम विस्फोट हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(घ) क्या इन सभी मामलों मे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार और दंडित किया जा चुका है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) अप्रैल, 1990 में हुए बम विस्फोट के मामलों की जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) 1.6.1990 को मोती नगर मेन मार्किट की एक दुकान के एक कर्मचारी ने पास की एक दुकान के सामने लावारिस पड़े हुए एक दुपहिए स्कूटर को देखा। जिस समय वह इसके बारे में चौकीदार से पूछताछ कर रहा था, तो एक विस्फोट हुआ। इसके परिणामस्वरूप छः व्यक्ति जख्मी हुए। मोती नगर पुलिस स्टेशन में धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4 टी.ए.डी.ए. एवं और 307 भा.द.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 315 दिनांक 1.6.1990 को एक मामला दर्ज किया गया था।

(घ) अप्रैल, 1990 में हुए बम विस्फोट के मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 1.6.1990 को हुए बम विस्फोट मे अन्तर्ग्रस्त एक दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।

पंजाब में केन्द्रीय सहायता से सड़कों का निर्माण

641. बाबा सुच्चा सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में केन्द्रीय सहायता से बन रही सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सहायता द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता उपलब्ध की गई;

(ग) क्या पंजाब को सड़कों पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए वहां सड़कें पर्याप्त हैं, और

(घ) सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) संवैधानिक रूप से, यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए ही उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों की जिम्मेवारी अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्रीय सड़क निधि के

अन्तर्गत शुरू की गई राज्य सड़कों की स्कीमों के अलावा अंतर्राज्जीय या आर्थिक महत्व की राज्य-सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय केन्द्रीय सड़क निधि/अंतर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की स्कीमों के रूप में निम्नलिखित तीन निर्माण कार्यों पर काम चल रहा है :—

	निर्माण कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	संस्वीकृति की तारीख
1.	राजपुरा-चण्डीगढ़ सड़क को मजबूत बनाना	67.185	1.3.85
2.	रोपड़ बेला सड़क पर बुधकी नदी पर पुल का निर्माण।	148.00	8.1.89
3.	अमृतसर-महता-टांडा-होशियारपुर सड़क पर श्री हरगोबिंदपुर क्रॉसिंग पर ब्यास नदी पर एच एल पुल का निर्माण।	499.00	18.11-86

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि और अंतर्राज्जीय एवं आर्थिक महत्व के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पंजाब को क्रमशः 1.50 लाख रु. और 154.00 लाख रु. जारी किए गए थे।

(ग) पंजाब में बढ़ते हुए यातायात के संदर्भ में राज्य सड़कों की पर्याप्तता के प्रश्न का संबंध राज्य सरकार से है। जहां तक पंजाब से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, केन्द्र सरकार पारस्परिक प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर उनमें निरंतर सुधार कर रही है।

(घ) पंजाब सरकार ने संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 130 करोड़ रु. की राशि की 75 सड़क स्कीमें परियोजित की है जिन पर अभी विचार नहीं किया गया है क्योंकि निधि में वास्तव मे अभी वृद्धि नहीं हुई है। पंजाब मे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए 124.15 करोड़ रु. की लागत की 87 मदों को वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 में शामिल किया गया है।

पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग

642. बाबा सुच्चा सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का ब्योरा क्या है;

(ख) किसी सड़क को राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग घोषित करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पंजाब में ऐसी सड़कों के लिए कितनी धनराशि आवंटित/स्वीकृत की गयी है;

(घ) क्या पंजाब में और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) पंजाब राज्य में सात राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ते हैं अर्थात रा. रा. स. 1, 1-क, 10, 15, 20, 21 और 22 जिनकी कुल लम्बाई 892 कि. मी. है। राज्यीय राजमार्गों की संख्या 21 है जो इस प्रकार है, अर्थात 8, 9, 10,11, 12, 12-क, 13, 14, 15, 16, 16-क, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 राज्यीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 1963 कि. मी. है।

(ख) राज्यीय राजमार्गों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि उनका वर्गीकरण किया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मानदण्ड और राज्यीय राजमार्गों के लिये वर्गीकरण का एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्थिति इस प्रकार है :

	कुल कार्य (करोड़ रु.)	मरम्मत/रख-रखाव
राष्ट्रीय राजमार्ग	28.00	3,58
राज्यीय राजमार्ग	16.10	24.62

(घ) चूंकि 8वीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, अतः इस स्तर पर ब्योरे बता पाना कठिन होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदण्ड निम्न प्रकार है :—

(I) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कें।

(II) समीपस्थ देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(III) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(IV) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(V) अति महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(VI) वे सड़कें जिनके पर बहुत सघन यातायात चलता हो, और

(VII) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी होगी और उससे काफी बचत होगी।

(ख) राज्यीय राजमार्गों के लिए वर्गीकरण निम्न प्रकार है :—

"राज्यीय राजमार्ग किसी राज्य की वे आर्टीरियल सड़कें होती हैं जो जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा समीपस्थ राज्यों के राजमार्गों से जुड़ी होती हैं। वे राज्य के भीतर महत्वपूर्ण शहरों को भी जाती हैं।"

सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

643. श्री गुमान मल लोढा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष से विभिन्न राज्यों को सड़कों के विकास एवं रख-रखाव हेतु दी गई राशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है,

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ये निर्देश कब जारी किये गये हैं,

(घ) क्या उक्त निर्देश जारी करने से पहले इन क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या पाली (राजस्थान) को भी इसमें शामिल किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से विभिन्न राज्यों को आवंटन के लिए निर्धारित राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। केन्द्रीय सड़क निधि संकल्प में संशोधन के बाद 3.1.89 को मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनमें राज्य सरकारों से, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, अपनी के. स. नि. कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया है :

(1) मिसिंग पुलों के निर्माण, क्रास ड्रेनेज कार्य और पुलों के जीर्णोद्धार पर बल देते हुए भारी यातायात वाले राज्यीय राजमार्गों एवं जिले की मुख्य सड़कों का विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित बाईपासों पर समानान्तर सेवा सड़कों का निर्माण (न्यूनतम 65 प्रतिशत)।

(II) सड़क सुरक्षा के इंजीनियरिंग पहलू जिनमें यातायात जंक्शनों में सुधार, सड़क चिन्ह सिगनलिंग, उपमार्गों और ओवरब्रिजों का निर्माण शामिल है (न्यूनतम 5 प्रतिशत)।

(III) अनुसंधान और विकास तथा डाटावेस का विकास (न्यूनतम 2 प्रतिशत)।

(IV) अन्य जिला एवं ग्राम सड़कों का विकास (15% से अधिक नहीं)।

(V) सुदृढ़ीकरण की विधि द्वारा निवारक रख-रखाव (हैवी डेंसिटी कारीडोर्स)।

(VI) राजमार्ग-अभियंताओं को प्रशिक्षण।

(ख) सामान्य प्रकृति के इन मार्गनिर्देशों को जारी करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1990-91 के दौरान निर्धारित की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	—
4.	बिहार	—
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	75.00
7.	हरियाणा	50.00
8.	हिमाचल प्रदेश	9.81
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	7.00
11.	केरल	100.00
12.	मध्य प्रदेश	59.00
13.	महाराष्ट्र	14.00
14.	मणिपुर	10.00

1	2	3
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	1.19
18.	उड़ीसा	—
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	100.00
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	—
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	150.00
25.	पश्चिम बंगाल	5.00
	कुल	583.00

पाली जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

644. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाली जिले के लिये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर किये हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इनके लिए मांगी गई धन-राशि जमा करा दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो पाली जिले में अब तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं तथा अभी कितने केन्द्र स्थापित किये जाने बाकी हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने के संबंध में पाली शहर के तीन आवेदकों से 1000/-रु. डिमाण्ड मनी के तौर पर जमा कराये गये हैं।

(ग) (i) मैसर्स भैरवा एजेंसी, सत्यनारायण मार्ग, पाली के आहाते में 30.4.1990 को एक स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर संस्थापित किया गया है।

(ii) दो स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर अभी संस्थापित किये जाने हैं।

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश रोकने के लिये कार्य-योजना

[अनुवाद]

645. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में, विशेष रूप से पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश रोकने के लिये एक कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य-योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे आतंकवादियों की गतिविधियों और भारत में उनके अवैध प्रवेश पर रोक लगी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये सीमा सुरक्षा बल को कि भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा कर रहा है को सुदृढ़ किया गया है, अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई है और घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। सीमा सुरक्षा बल को गहन गश्त के लिये अतिरिक्त वाहनों और घुसपैठियों का पता लगाने के लिए दूर तक देखने वाली दूरबीन जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। पंजाब सीमा के चुनिन्दा संवेदनशील क्षेत्रों में कंटीली तारों की बाड़ और फ्लड लाईटिंग उपलब्ध करायी गयी है। कश्मीर क्षेत्र में सीमा पर चौकसी को मजबूत करने के अलावा, घुसपैठ विरोधी उपाय भी किए गए हैं।

(घ) यह उम्मीद की जाती है कि भारत में घुसपैठियों के प्रवेश को रोक कर और सीमा पार से शस्त्र और गोलाबारूद की तस्करी पर रोक लगाकर इन उपायों से आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगेगी।

बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

646. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई,

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरे किये गये निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है और समेकित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम पर बिहार सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च गई, और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने श्रम-दिवसों के कार्य के अवसर पैदा किये गये ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि नीचे दर्शायी गई है :—

(लाख रुपये में)

	1988-89	1989 90
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4177.48	3789.20
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना	62 6.75	30969.53

बिहार सरकार ने बाढ़ सहायता हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये कोई ज्ञापन नहीं दिया है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे किए कार्यों तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1988-89	1989-90
खर्च की गई धनराशि (लाख रुपये मे)	9104.66	9366.77
सहायता किए गए कुल परिवार	471599	449033
सहायता किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	220107	217789
सहायता किए गए महिला लाभार्थी	82630	84269

(ग) 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 432.22 लाख तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1989-90 में 907.31 लाख श्रमदिन सृजित किए गए।

दिल्ली परिवहन निगम की लिमिटेड स्टाप वाली बसों में भिन्न प्रकार की "नेम प्लेट" लगाना

647. श्री तेज नारायण सिंह : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिमिटेड स्टाप वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों में स्टाप पहले से ही निर्धारित किये जाते है,

(ख) यदि हां, तो क्या इन बसो में लिमिटेड स्टापों के उचित "नेमप्लेटों" के न लगे होने के कारण दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा होती है,

(ग) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों मे भिन्न प्रकार की "नेम प्लेट" लगाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । ऐसे मार्ग पर चलने वाली प्रत्येक बस पर उपयुक्त सीमित स्टाप के नाम पट्टे/बोर्ड होते हैं ।

(ग) सीमित स्टाप वाली बसों पर "सीमित" (एल. टी. डी.) शब्द के अत्यन्त स्पष्ट नाम पट्ट लगे होते हैं ।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नही उठता ।

भूमिहीन किसानों को परती तथा बंजर भूमि का आवंटन

648. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में खेती योग्य बनाई गई बंजर भूमि का ब्योरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का भूमिहीन किसानों को परती तथा बंजर भूमि आवंटित करने की कोई योजना है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कश्मीर से पलायन

[अनुवाद]

649. श्री प्यारे लाल हांडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर से राम बाग तहसील, उधमपुर तहसील, जम्मू, आर. पोग, कुसना, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, जालंधर, अमृतसर, हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) तथा देश के अन्य स्थानों के लिये अब तक कितने लोक पलायन कर चुके हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : कश्मीर से भारत के विभिन्न भागों को पलायन करने वाले परिवारों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कश्मीर से पलायन कर गये परिवारों तथा भारत में विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत किये गये प्रवासी परिवारों की संख्या

जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 31.7.90 तक जम्मू में 48,894 परिवारों को दर्ज किया गया गया। इसी प्रकार दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उनके पास 31.7.90 तक जम्मू और कश्मीर से आये 11,438 प्रवासी परिवार दर्ज किये हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर से देश के अन्य भागों को जाने वाले परिवारों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	राज्य का नाम	परिवारों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	857
2.	राजस्थान	61
3.	हरियाणा	94
4.	महाराष्ट्र	39
5.	पंजाब	1293
6.	चण्डीगढ़	216
7.	मध्य प्रदेश	75
8.	हिमाचल प्रदेश	66
9.	गुजरात	54

कच्छ विकास बोर्ड की स्थापना

650. श्री बलवन्त मनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ विकास बोर्ड की स्थापना के लिये गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) गुजरात सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने की फसल के रोग

[हिन्दी]

651. श्री सी. डी. गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की फसल पर कुम्हलाने और "व्हाइट फलाई" कीटों के रोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार द्वारा गन्ने की फसल को इन रोगों से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इन रोगों से फसल को बचाने हेतु प्रयोग की जा रही कीटनाशक औषधों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन रोगों की रोकथाम के लिये कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का विचार किया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) (क) और (ख) जी, नहीं । गन्ने पर इन कमियों के व्यापक अथवा भारी प्रकोप की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, हाल ही में गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मुरझान का हलका अथवा छुट-पुट प्रकोप और गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में व्हाइट फ्लाई की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) विल्ट और व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण हेतु किसानों के लिए निम्न पद्धतियां सुझाई गई हैं :—

मुरझाना

(i) प्रतिरोधी किस्मों को उगाना और रोग-मुक्त सेटों का उपयोग ।

(ii) दो वर्षों के लिए सनई चावल और हरी खाद जैसी फसल के साथ फसल परिवर्तन।

(iii) पेड़ी फसल पद्धति से बचना।

(iv) उपयुक्त कीटनाशियों का मुचा उपयोग।

व्हाइट फ्लाई

व्हाइट फ्लाई से ग्रस्त पत्तों को हटाने के पश्चात् पाक्षिक अन्तराल पर एंडोसल्फेन, मोनो-क्रोटोफोस और मलाथियन जैसी कीटनाशियों का छिड़काव करने की सिफारिश की गई है।

(ख) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुछ संस्थायें और राज्य के कृषि विश्वविद्यालय विशेष रूप से इन कृमियों पर अनुसंधान कार्य में कार्यरत हैं। इस प्रयोजन के लिए अलग से एक अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

सूरत में मांडवी टेलीफोन एक्सचेंज में एस. टी. डी. और एम. एस. टी. डी. सुविधा

652. श्री सी. डी. गामित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत जिले में मांडवा टेलीफोन एक्सचेंज में एस. टी. डी. और एम. एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) माण्डवी में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने की योजना बना ली गई है।

माण्डवी में मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है। सूरत-माण्डवी के बीच एक नरो-बैण्ड माइक्रोवेव लिंक स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है।

(ग) माण्डवी में एस. टी. डी. सुविधा मार्च, 1991 तक सुलभ होगी बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

आन्ध्र प्रदेश में तूफान पीड़ित लोगों को विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

653. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में राहत तथा पुनर्वास कार्य आरम्भ करने के लिये विश्व बैंक से राज्य सरकार को सहायता देने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता राशि की मांग की है,

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा भी केन्द्रीय सरकार अथवा विश्व बैंक से किसी सहायता की मांग की गई है क्योंकि उत्तरी उड़ीसा विशाल क्षेत्र विशेष रूप से गंजम जिला, भयानक तूफान से प्रभावित हुआ है जिसके कारण फसलों, पशुओं और सिंचाई परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात पुनर्निर्माण परियोजना प्रस्तुत की है जिसमें 2800.74 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता मांगी है। विश्व बैंक मिशन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कुल 660 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया। इस मिशन ने केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ भी विचार-विमर्श किया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से अथवा विश्व बैंक से कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी गई है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1990-91 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए आपदा राहत निधि के अन्तर्गत 47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि का 75 प्रतिशत चार तिमाही किस्तों में गैर-योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष धनराशि का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने 12.7.1990 को 8.81 करोड़ रुपये की प्रथम तिमाही की किस्त निर्मुक्त कर दी है ताकि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत उपलब्ध करा सके।

मुर्गी पालन

654. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुर्गीपालन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है,

(ख) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना आरम्भ की गई है,

(घ) क्या उड़ीसा में मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कोई योजना आरम्भ की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए निम्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिए बैकयार्ड कुक्कुट उत्पादन एककों की स्थापना करना और पिछड़े, आदिवासी और दूरदराज के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना;

(2) विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम;

(3) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) में सूचित योजनाओं के अन्तर्गत लाभानुभोगियों को राजसहायता/ऋण दिया जाता है।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के विस्थापितों द्वारा अपर्याप्त राहत और मुआवजा दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन

655. **श्रीमती वेंगुपति विद्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के विस्थापितों द्वारा अपर्याप्त राहत और मुआवजा दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापितों को उचित सुविधाएं देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कुछ संगठनों ने जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब से आए प्रवासियों को सहायता देने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है। जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के प्रवासियों को पहले से दी जा रही सहायता उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा

प्रवासी परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राहत उपाय निम्नलिखित हैं :—

सामान्य सहायता

उन प्रवासी परिवारों के बच्चों को जो घाटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते हैं, घाटी से बाहर के विभिन्न व्यावसायिक और अन्य कालेजों में दाखिले के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। घाटी से बाहर, बैंक खातों का स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन की अदायगी, पेंशन, एल. आई. सी. की किस्त की अदायगी जैसी सुविधाएँ भी प्रवासी परिवारों को दी गयी हैं।

जम्मू में

(i) चार या इससे अधिक सदस्यों के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1,000 रु. की नकद सहायता देना,

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर मुफ्त राशन की आपूर्ति अर्थात् 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक किलो चीनी, प्रति परिवार प्रति माह।

(iii) उपलब्ध सरकारी भवनों या टेन्टों में, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास।

(iv) मुफ्त चिकित्सा सहायता और

(v) जरूरतमंद परिवारों को कम्बलों की आपूर्ति।

दिल्ली में

प्रति व्यक्ति प्रति माह 125 रु. की दर से नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार सदस्यीय प्रति परिवार प्रतिमाह 500 रु. से अधिक न हो।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित तेरह शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों को नकद राहत के अलावा खाना बनाने के बर्तनों का कीचन किट, बिस्तर और मासिक राशन भी दिया जाता है। राशन पर प्रति परिवार होने वाला प्रति माह का व्यय लगभग 500 रु. है। शिविरों में चिकित्सा दल द्वारा नियमित दौरे किए जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

पंजाब से आए हुए लोगों को अस्थायी रूप से निम्नलिखित सहायताएं दी जा रही हैं:—

(i) प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 रु. की दर से आहार/भोजन के लिए विशेष सहायता जिसकी प्रति परिवार प्रतिमाह अधिकतम राशि 1000 रु.

(ii) उपलब्ध होने पर मुफ्त एक कमरे (अर्द्ध पक्का-पक्का) का आवास।

(iii) मुफ्त बिजली पानी आदि।

(iv) नियंत्रण दरों पर राशन की वस्तुएं।

(v) मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं।

(iv) पुस्तकालय, टी.वी., सेट आदि जैसी मनोरंजनात्मक कार्यकलापों की सुविधाएं।

(vii) स्कूलों में उनके बच्चों के प्रवेश में सहायता।

(viii) प्रत्येक शिविर में पुलिस सुरक्षा।

सड़क निर्माण तकनीक का आधुनिकीकरण

656. श्री जी. एस. बासवराज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में सड़क निर्माण कार्य में आधुनिकीकरण लाने के लिए नई तकनीक तथा नए दृष्टिकोण को अपनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में होने वाले कुल व्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना एक क्रमिक प्रक्रिया है। मंत्रालय सुधार लाने के सतत प्रयास कर रहा है। इनमें निर्माण-विनिर्देशों का संशोधन, ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता, अपेक्षित मशीनरी का अनिवार्य उपयोग, स्वदेशी उपकरणों की प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, इत्यादि शामिल है। चूंकि इन सुधार-कार्यों में कोई प्रत्यक्ष व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है, इसलिए लागत की रकम बता पाना संभव नहीं है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

657. श्री जी. एस. बासवराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जून, 1990 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा इसमें क्या निर्णय लिए गए ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 11 व 12 जून, 1990 को दिल्ली में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री, भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री तथा कुछ अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया था। सम्मेलन के एजेंडा में शामिल मदें थी पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना, भूमि सुधार कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने हेतु भूमि सम्बन्धी कानूनों में संशोधन। सम्मेलन के समापन के अवसर पर यह निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में संशोधन हेतु विधेयक को लोक सभा के मानसून सत्र में लाया जाए। सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई है भूमि सुधार उपायों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

658. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों से ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की राशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पेंशन की मात्रा में बढ़ोतरी करने के बारे में सरकार को समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरों को हाल ही में अगस्त, 1989 में बढ़ाया गया था।

गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन

659. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के दायरे में सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को उक्त पेंशन दिए जाने की क्या शर्तें हैं; और

(ग) क्या गोवा की स्वतंत्रता के लिए समूचे देश से स्वयं सेवकों द्वारा प्रसिद्ध अखिल भारतीय सत्याग्रह में भाग लिया जाना उक्त पेंशन की प्राप्ति हेतु एक सक्षम मानदण्ड होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) 1955 के गोवा मुक्ति आंदोलन को स्वतंत्रता सैनिक पेंशन की मंजूरी के लिए 1972 की पुरानी योजना तथा 1980 की उदार योजना के प्रधान पहले ही मान्यता दी गई है। उसमें दिए गए पात्रता मापदण्ड उन सभी स्वतंत्रता सैनिकों पर लागू होते हैं जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए नवीन प्रयास

660. श्री कैलाश मेघवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराकी नेताओं के साथ हुई अपनी बैठक के दौरान उन्होंने महाशक्तियों के बीच मतभेदों में कमी को ध्यान में रखते हुए गुट-निरपेक्ष आंदोलन की नई दिशा देने पर बल दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस 'नई दिशा' की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि विश्व में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों को देखते हुए अर्थात् दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की समाप्ति और यूरोप में दिखायी दे रहे मौजूदा परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में 'नाम' को इन परिवर्तनों को उजागर करना चाहिए और एक नई नवीन दिशा में बढ़ना चाहिए। यह महसूस किया गया कि गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है यह सहयोग न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी होना चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि यह सहयोग विकसित और विकासशील देशों के बीच में अन्तर को कम करने में भी सहायक होगा।

विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों को भरना

661. **श्री अनादि चरण दास :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों में 30 जून, 1989 और 30 जून, 1990 तक कुल कितने पिछले बकाया आरक्षित पद भरे जाने थे, और

(ख) वर्ष 1989 के विशेष भर्ती अभियान के दौरान इन पिछली आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये और अब इन पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अयोध्या में मन्दिर का निर्माण

662. **श्री जी. एम. बनातवाला :**

कुमारी उमा भारती :

श्री कमल चौधरी :

श्री ववकम पुरुषोत्तमन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व हिन्दू परिषद और अन्य लोगों ने घोषणा की है कि 30 अक्तूबर, 1990 से अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर मन्दिर का निर्माण आरम्भ करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस गम्भीर मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सरकार को 30 अक्तूबर, 1990 को अयोध्या में मंदिर संबंधी 'कर-सेवा' शुरू करने के विश्व हिन्दू परिषद की योजना की जानकारी है।

(ख) सरकार का, न्यायालय का निर्णय आने तक, बिना किसी जल्दबाजी के मामले को बातचीत के माध्यम से हल करने का दृढ़ संकल्प है। सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले से उत्पन्न होने वाली स्थिति को नियंत्रित करने और देश में हर कीमत पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

डाक और तार विभाग की केन्द्रीय और राज्य स्तर सेवाओं का विकेन्द्रीकरण

[हिन्दी]

663. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग की केन्द्रीय और राज्य स्तर की सेवाओं के विकेन्द्रीकरण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं,

(ख) इस समय किन-किन जोनों और स्थानों के लिए मुख्य महाडाकपाल और महाडाकपाल के पद सृजित किए गए हैं और उनकी संख्या कितनी है,

(ग) क्या नए जोनों में भी सभी महाडाकपाल कार्यालय चालू हैं,

(घ) यदि नहीं, तो किन जोनों में महाडाकपाल कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं किये गए और यदि हां, इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) ये कार्यालय कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

डाक विभाग

(क) और (ख) 7300-7600 के वेतनमान में पोस्टमास्टर जनरल के छः पद और 5600-6700 के वेतनमान में पोस्टमास्टर जनरल के 20 पद सृजित किए गए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ उपमहानिदेशक के एक पद को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर अंतरित कर दिया गया है।

(ग) जी हां, हालांकि पोस्टमास्टर जनरलों के पद अभी शिष्ट होने हैं।

(घ) जिन क्षेत्रों में अभी पोस्टमास्टर जनरलों को ज्वाइन करना है, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) गोवा

(ii) गोरखपुर

(iii) राजकोट

(iv) बरहामपुर (गंजाम)

विवरण

निम्नलिखित सर्किलों के लिए 5900-6700 रु. के वेतनमान में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के 7 पद सृजित किए गए हैं जिसमें से वर्तमान पोस्टमास्टर जनरल के 6 पदों को उन्नयन करके बनाये गये हैं।

क्र. सं.	सर्किल का नाम	मुख्यालय का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद

1	2	3
2.	महाराष्ट्र	बम्बई
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
4.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
5.	तमिलनाडु	मद्रास
6.	बिहार	पटना
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल/मुख्यालय से वरिष्ठ उप महानिदेशक का एक पद अंतरित करके।

पोस्टमास्टर जनरल के 20 पद निम्नलिखित क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय निदेशक के पद का उन्नयन करके सृजित किए गए हैं :—

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का मुख्यालय
1	2	3
1.	कुरनूल	कुरनूल
2.	विशाखापत्तनम	विशाखापतनम
3.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
4.	बड़ोदा	बड़ोदा
5.	नार्थ कर्नाटक	धारवाड़
6.	कोचीन	कोचीन
7.	इन्दौर	इन्दौर
8.	पुणे	पुणे
9.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
10.	असम	गुवाहाटी
11.	जोधपुर	जोधपुर
12.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर
13.	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली

1	2	3
14.	इलाहाबाद	इलाहाबाद
15.	गोरखपुर	गोरखपुर
16.	हावड़ा	हावड़ा
17.	गोवा	गोवा
18.	बेरहामपुर (गंजम)	बेहरामपुर (गंजम)
19.	आगरा	आगरा
20.	बरेली	आगरा

(ङ) ये कार्यालय काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल का कार्य निदेशक कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग

(क) तत्कालीन डाक तार विभाग का दो अलग-अलग विभागों में पुनर्गठन हो जाने के परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और अनेक क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और विकेन्द्रीकरण के उपायों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

राजस्थान में नये डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना

664. प्रो. रासा सिंह रावत :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने नये डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोलने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या सरकार के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान में यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

(क) डाकघर :

सातवीं योजना के कार्यक्रम का अब मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि आठवीं योजना के लिए उपयुक्त मानदण्ड तैयार किए जा सकें। इस कार्य के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य/जिले में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का अन्तिम रूप दिया जाता है।

टेलीफोन एक्सचेंज :

राजस्थान में आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक जिले में औसतन 10 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर और संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

तारघर :

जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक पंचायत में उत्तरोत्तर एक सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है बशर्ते कि संसाधन हों।

कृषि विश्वविद्यालय

665. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इस समय कितने कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर लोग बेरोजगार हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा कितनी अनुदान-राशि दी गई है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में सूचना सलग्न विवरण-I में दी गई है।

कृषि शिक्षा राज्य का विषय है तथा विश्वविद्यालय की स्थापाना राज्य सरकार के नियमों के द्वारा की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को केवल माडल एक्ट प्रारूप प्रदान करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास कृषि स्नातक बेरोजगारों की सूची नहीं है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) राज्य कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजना, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जैसे प्रथम स्तर के विस्तार कार्यक्रम चलाकर किसानों को कृषि सलाहकार सेवाएं और प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता प्रदान करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय किसानों को नयी फार्म प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देने के लिए अल्प-अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान मेले, कृषि प्रदर्शनी, क्षेत्र दिवस आदि भी आयोजित करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत विषय-वस्तु विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली एकमुश्त कृषि क्रियाएं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जाती हैं और इस राज्य के कृषि अधिकारियों

के परामर्श से उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ये सभी विस्तार सेवाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त आय पैदा करने में किसानों की मदद कर रही हैं।

विवरण-I

वर्ष 1987 के अन्त तक भारत में राज्यवार कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या और स्थिति

क्र. सं.		राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या	राज्य कृषि विश्वविद्यालय के नाम और स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	एक	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
2.	असम	एक	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट।
3.	बिहार	दो	(क) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। (ख) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची।
4.	गुजरात	एक	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय दांतीवाड़ा
5.	हरियाणा	एक	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार।
6.	हिमाचल प्रदेश	दो	(क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (ख) डा. वाई. एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन।
7.	कर्नाटक	दो	(क) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर। (ख) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़।

1	2	3	4
8.	केरल	एक	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर।
9.	मध्य प्रदेश	दो	(क) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर। (ख) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
10.	महाराष्ट्र	चार	(क) कोंकन कृषि विद्यापीठ, दपोली। (ख) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी। (ग) मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी। (घ) पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला।
11.	उड़ीसा	एक	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
12.	पंजाब	एक	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।
13.	राजस्थान	एक	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14.	तमिलनाडु	एक	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।
15.	उत्तर प्रदेश	तीन	(क) चन्द्रशेखर आजाद कृषि और टेक्नोलाजी विश्वविद्यालय, कानपुर। (ख) जी. बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।

1	2	3	4
			(ग) नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
16.	पश्चिम बंगाल	एक	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर।
17.	जम्मू और कश्मीर	एक	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर।
	कुल :	छब्बीस	

विवरण-2

पिछले तीन सालों के दौरान "कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास" योजना के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दिया गया

क्र. सं.	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	दिये गये अनुदान की राशि रु. लाख में				
		1987-88	1988-89	1989-90	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी वेतनमान 1988-89	89-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	ए. पी. ए. यू., हैदराबाद	54 00	30.50	15.103	345 00	—
2.	ए. ए. यू. असम	—	44 30	—	80.00	—
3.	आर. ए. यू. पूसा	27.60	33.70	31.20	—	—
4.	जी. ए. यू. दंतीवाड़ा	46.00	—	29.00	—	197.00
5.	बी. ए. यू. रांची	14.00	14.105	32.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	एच. ए. यू. हिसार	36.88	23.33	35.203	124.95	79.37
7.	एच. पी. के. वी. वी. पालमपुर	39.80	33.10	21.70	41.00	—
8.	डा. वाई. एस. पी. यू. और एफ., सोलन	14.00	—	18.30	19.25	—
9.	यू. ए. एस. बंगलोर	28.20	23.69	13.53	78.20	—
10.	यू. ए. एस. धारवाड़	35.00	—	27.33	23.00	—
11.	जे. ने. के. वी. वी. जबलपुर	6.00	—	69.30	185.00	—
12.	आई. जी. के. वी. वी., रायपुर	85.00	35.00	25.10	35.00	—
13.	के. ए. यू. मन्नुथी	54.60	16.22	33.29	—	—
14.	एम. ए. यू. परभणी	13.64	—	—	163.00	—
15.	एम. पी. ए. यू. राहुरी	22.74	—	—	—	100.00
16.	के. के. वी. दपोली	24.28	5.50	—	176.00	—
17.	पी. के. वी. अकोला	20.84	18.50	10.23	—	100.00
18.	राज. ए. यू. बीकानेर	100.00	60.00	27.27	—	—
19.	पी. ए. यू. लुधियाना	20.00	29.903	64.30	83.45	—
20.	ओ. यू. ए. टी. भुवनेश्वर	—	13.00	—	—	—
21.	टी. एन. ए. ए. यू., कोयम्बूटर	56.70	23.51	19.325	200.00	—
22.	सी. एस. ए. यू. टी. कानपुर	21.00	25.00	17.00	101.00	—
23.	जी. बी. पी. यू. ए. टी., पंतनगर	25.95	10.00	13.44	75.00	—
24.	एन. डी. यू. ए. टी., फैजाबाद	27.00.	15.70	27.37	26.85	—

1	2	3	4	5	6	7
25.	बी. सी. के. वी. वी. मोहनपुर	—	49.90	—	—	95.50
26.	एस. के. यू. ए. टी., श्रीनगर	50 00	17.503	—	22.75	—
	कुल :	823.23	522.461	529.991	1779.41	571.87

कृषि भूमि अधिकतम सीमा

666. सतिन्दर पाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि भूमि अधिकतम सीमा को 7½ हैक्टेयर से घटाकर 5½ करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) देश में राज्य-वार 5½ 7½ और 7½ हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के स्वामित्व वाले किसानों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) राज्य-वार, 2 हैक्टेयर से कम तथा 2 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर के बीच कृषि भूमि के स्वामित्व वाले किसानो की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। विभिन्न श्रेणियों से संबंधित भूमि पर कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस समय, उड़ीसा, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में पहले ही पैदावार में सक्षम दो संभावी फसलों की सिंचित भूमि के लिए अधिकतम सीमा 5.06 हैक्टेयर से कम है। यह निर्णय अन्य राज्यों को लेना है कि वे अपने राज्य में भूमि की इस श्रेणी के लिए अधिकतम सीमा को 7.28 हैक्टेयर की वर्तमान की अधिकतम सीमा से कम करना चाहेंगे।

(ग) कृषि गणना में 5.5 तथा 7.5 हैक्टेयर के बीच की कृषि जोतों की संख्या के बारे में आंकड़े संकलित नहीं किए जाते है। तथापि, 1985-86 की कृषि गणना के अनुसार 5.0-7.5 हैक्टेयर आकार श्रेणी (साइज क्लास) की कृषि जोतों की राज्यवार संख्या तथा 7.5 हैक्टेयर से अधिक कृषि जोतों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(घ) 1985-86 की कृषि गणना के अनुसार 2 हैक्टेयर से नीचे की आकार श्रेणी (साइज क्लास) भूमि जोतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

2 हैक्टेयर तथा 5.5 हैक्टेयर के बीच की कृषि जोतों की संख्या को कृषि गणना में नहीं

जोड़ा गया है। तथापि, 2.0-5.0 हैक्टेयर आकार वर्ग की भूमि जोतों की राज्य-वार संख्या भी विवरण-2 दी गई है।

विवरण-I

(आंकड़े अनन्तिम हैं)
(संख्या इकाइयों में)

	राज्य	5/7.5 हैक्टेयर आकार भूमि जोतों की संख्या	7.5 हैक्टेयर से अधिक उपर आकार श्रेणी वाली भूमि जोतों की संख्या
1		2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	280328	272668
2.	अरुणाचल प्रदेश	9893	9380
3.	असम	37222	12437
4.	बिहार	143645	121960
5.	गुजरात	311257	289374
6.	गोवा	794	1079
7.	हरियाणा	106506	110754
8.	हिमाचल प्रदेश	15634	11144
9.	जम्मू और कश्मी	8063	4299
10.	कर्नाटक	287494	283291
11.	केरल	8510	6449
12.	मध्य प्रदेश	571222	662606
13.	महाराष्ट्र	601525	484025
14.	मणिपुर	880	394
15.	मेघालय	4369	1798
16.	मिजोरम	295	148
17.	नागालैंड	18446	49980
18.	उड़ीसा	77936	47201
19.	पंजाब	99340	130114

1	2	3	4
20.	राजस्थान	470364	743236
21.	सिक्किम	2196	2292
22.	तमिलनाडु	112371	80303
23.	त्रिपुरा	776	214
24.	उत्तर प्रदेश	251543	137258
25.	पश्चिम बंगाल	30278	4649

विवरण-2

(आंकड़े अनन्तिम हैं)
(संख्या इकाइयों में)

	राज्य	2-5 हैक्टेयर आकार श्रेणी वालों भूमि जोतों की संख्या	2 हैक्टेयर से नीचे की आकार श्रेणी वाली भूमि जोतों की संख्या
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1506159	6125567
2.	अरुणाचल प्रदेश	35750	29771
3.	असम	372290	1989995
4.	बिहार	1141792	8949571
5.	गुजरात	1006964	1530223
6.	गोवा	5321	68108
7.	हरियाणा	363225	766316
8	हिमाचल प्रदेश	107390	602342
9.	जम्मू और कश्मीर	110293	1015912
10.	कर्नाटक	1262969	3081406
11.	केरल	117950	4275576
12.	मध्य प्रदेश	2023770	4259306
13.	महाराष्ट्र	2424107	4523783

1	2	3	4
14.	मणीपुर	22912	115327
15.	मेघालय	54266	110664
16.	मिजोरम	11889	39566
17.	नागालैंड	25136	27644
18.	उड़ीसा	682699	2764746
19.	पंजाब	395078	463898
20.	राजस्थान	1251637	2260030
21.	सिक्किम	10575	22141
22.	तमिलनाडू	756018	6594858
23.	त्रिपुरा	29346	281372
24.	उत्तर प्रदेश	1850256	16337088
25.	पश्चिम बंगाल	57[illegible]268	5518041

विदेश मंत्री की विदेशों की यात्रा

[अनुवाद]

667. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उन्होंने कश्मीर मामले पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जून के महीने में अनेक अरब देशों की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की;

(ग) कश्मीर के संबंध में भारत के रूख पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन देशों की उनकी यात्रा के दौरान कश्मीर के मामले के संबंध में सरकार किस हद तक पाकिस्तान के पक्ष का विरोध करने में सफल हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) 18 से 20 जून 1990 तक मैंने इराक की यात्रा की थी। यह यात्रा द्विपक्षीय थी जो इराक के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर की गई थी। कश्मीर के संबंध में हमने इराक की सरकार को अपनी स्थिति बताई। इस संबंध में उनका उत्तर रचनात्मक रूप से सद्भावपूर्ण और समर्थनकारी था।

आतंकवादियों से बरामद हथियारों का उपयोग

668. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का विचार गत दस वर्षों के दौरान आतंकवादियों से बरामद आधुनिक हथियारों का उपयोग आतंकवाद के विरुद्ध करने का है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आतंकवादियों से कितनी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद हुए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और आतंकवादियों से बरामद इन हथियारों की उपयोगिता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) आतंकवादियों/उग्रवादियों से बरामद किए गए हथियार न्यायालय में चल रहे मामले में सम्पति का हिस्सा बन गया है। उसके बाद इन हथियारों का निपटान न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष कोटा

669. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस बल में महिलाओं की भरती के लिए विशेष आरक्षण कोटे का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन

670. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और अन्य राज्यों में नारियल उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) क्या नारियल उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में नारियल उत्पादकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या सहायता देने पर सहमत हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) नारियल विकास बोर्ड कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जोकि नारियल उत्पादक 14 राज्यों और कर्नाटक सहित 2 संघ शासित क्षेत्रों में नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इन योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसाकि इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित है 1990 91 के दौरान नारियल

विकास बोर्ड द्वारा 140 लाख रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक योजनाओं की सूची सभा के पटल पर रख दी गई है। बोर्ड द्वारा राज्यवार आवंटन किया जा रहा है।

चालू मौसम के लिए भारत सरकार ने भी गरी के लिए 1600 रुपए/क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

विवरण

योजना का नाम	1990-91 हेतु परिव्यय (लाख रुपये में)
1	2
1. नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए परियोजना : (नारियल के तहत नव पौधरोपण राजसहायता के प्रावधान के जरिये क्षेत्र विस्तार की योजना)	45.00
2. फसलोपरान्त परिसंस्करण और भारत में नारियल के विपणन में सुधार के लिए नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र हेतु परियोजना	20 000
3. गुणवत्ता पौधरोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण :	
1. टी × डी संकर कलमों का उत्पादन और वितरण	10.500
2. बोर्ड के मुख्यालयों से जुड़े बीज अधिप्राप्ति एककों की स्थापना	1.000
3. प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म, मांड्या, कर्नाटक से जुड़े नारियल नर्सरी की स्थापना	7.000
4. तमिलनाडु में संकर बीज उद्यान और 12 पायलट संकर परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.000
5. नारियल के लिए प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना (1) 20 हेक्टेयर डी. एस. पी. फार्म, मांड्या	25.090

1	2
(2) मध्य प्रदेश, बिहार, असम और त्रिपुरा प्रत्येक राज्य में 40 हेक्टेयर डी. एस. पी. फार्म	
4. प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए परियोजना	
1. उत्पादकता में सुधार के लिए केरल के छोटे नारियल के जोतों में समेकित खेती	10.500
2. कर्नाटक और उड़ीसा फलीभक्षक सूंडी का समेकित नियंत्रण	5.000
3. नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाएं	5.000
5. विस्तार इत्यादि सहित बोर्ड के अंतर्गत ख्याति तथा प्रचार एकक की स्थापना के लिए परियोजना	10.000
6. बाजार अनुसन्धान इत्यादि सहित सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए परियोजना	1.000
कुल :	140.090

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि होना

[हिन्दी]

671. श्री संजय लाल :
श्री आर. गुंडुराव :
श्री आर. एन. राकेश :
श्री डी. एम. पुट्टे गौडा :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री गुलाब चन्द कटारिया :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री कमल चौधरी :
श्री पी. नरसा रैड्डी :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में पिछले छः महीने के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मारे गए व्यक्तियों की संख्या का महीने-वार ब्योरा क्या है तथा इस अवधि के दौरान लूटी गई और नष्ट हुई सम्पत्ति का ब्योरा क्या है;

(ग) 1 जुलाई, 1990 तक पकड़े गए तथा मारे गए आतंकवादियों की संख्या का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(घ) क्या अलगाववादी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के भी प्रमाण पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या का, श्रेणीवार ब्योरा क्या है; और

(च) जम्मू और कश्मीर में पिछले छः महीने के दौरान आतंकवादियों और अलगाववादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (च) जम्मू एवं कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पहली फरवरी से 31 जुलाई, 1990 के दौरान मारे गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और आतंकवादियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से कुछ सरकारी कर्मचारियों का अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का पता चला है और इसके परिणामस्वरूप 39 पुलिस कार्मिकों सहित 113 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। राज्य प्रशासन घाटी में आतंकवाद को रोकने और कानून एवं व्यवस्था को बहाल करने के सभी सम्भव प्रयास कर रहा है।

विवरण

जम्मू एवं कश्मीर में पहली फरवरी से 31 जुलाई, 1990 के दौरान मारे गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों/आतंकवादियों की संख्या

I. महीने-वार मारे गए व्यक्तियों की संख्या

अवधि	उग्रवादियों द्वारा कथित रूप से मारे गए व्यक्तियों की संख्या
फरवरी, 1990	20
मार्च, 1990	41
अप्रैल, 1990	42
मई, 1990	89
जून, 1990	85
जुलाई, 1990	70

II. चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1990 तक मारे गए/गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या

(क) मारे गए	182
(ख) गिरफ्तार किए गए	
(i) उग्रवादी	473
(ii) विघटनकारी	964

राजस्थान में सिंचित और गैर-सिंचित भूमि

672. श्री नन्द लाल मीणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी भूमि पर खेती हो रही है और सिंचित और गैर-सिंचित भूमि कितनी-कितनी है;

(ख) राजस्थान के लिए बढ़िया बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों का उत्पादन करने वाले एकक कहां-कहां स्थित है;

(ग) राजस्थान में कृषि अनुसंधान केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं और गत तीन वर्षों में किन-किन फसलों पर सफल अनुसंधान किया गया है; और

(घ) क्या राजस्थान में एक नया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राजस्थान में खेती, सिंचाई और गैर-सिंचाई के तहत आने वाला कुल भू-क्षेत्र इस प्रकार है :

	(हजार हैक्टेयर में)
निवल बुवाई क्षेत्र	11514
निवल सिंचित क्षेत्र	3327
निवल गैर-सिंचित क्षेत्र	6187

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) राजस्थान में कृषि अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और उनके क्षेत्रीय स्टेशनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों में किया जा रहा है। ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान जिन फसलों पर अनुसंधान किया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रस्ताव मंजूर किया गया और इस केन्द्र के बीकानेर, राजस्थान में आरम्भ हो जाने की संभावना है।

विवरण-1

राजस्थान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले (क) बीज (ख) उर्वरक, और (ग) कीटनाशियों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के स्थान

(क) बीज

(1) केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

(2) केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़

(3) केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर

तथापि, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम आदि तथा गैर-सरकारी क्षेत्र भी राजस्थान को बीजों की आपूर्ति कर रहे हैं।

ख. उर्वरक

1989-90 मौसम के दौरान, राजस्थान को निम्नलिखित विनिर्माताओं ने ई. सी. ए. के वहत उर्वरकों की आपूर्ति की :—

1. श्रीराम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोटा
2. गुजरात नर्मदा वेली फर्टिलाइजर्स कम्पनी, लिमिटेड, भडोच
3. गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड, बड़ोदा
4. इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड कोलाल एण्ड कान्डला।
5. कृषक भारतीय कोआपरेटिव लिमिटेड, हजारिया।
6. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिण्डा विजयपुर और मंगल।
7. इण्डियन पोटाश लिमिटेड।
8. भारत केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अलवर।
9. हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, खेतरी।
10. लिबर्टी पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, उदयपुर।
11. मधुवन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उदयपुर।
12. सीकर
13. श्रीगंगानगर
14. उदयपुर
15. जालौर-सुमेरपुर
16. जैसलमेर
17. गंगानगर

18. कुम्हेर (भारतपुर)

19. डिग्गी (टोंक)

20. तबीजी (अजमेर)

21. प्रतापगढ़

22. गोगोलाओ (नागपुर)

23. नोहर (गंगानगर)

विवरण-2

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों/एन.ए.आर.पी.एस. की सूची

क. संस्थान

1. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।

2. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर।

ख. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र :

1. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।

ग. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन

1. सी. ए. जेड. आर. आई. रीजनल स्टेशन, बीकानेर।

2. सी. ए. जे. आर. आई. रीजनल स्टेशन, राजस्थान।

3. सी. ए. जेड आर. आई. रीजनल स्टेशन, पाली।

4. एन. बी. पी. जी. आर. रीजनल रिसर्च स्टेशन, जोधपुर।

5. सी. ए. एण्ड डब्ल्यू. सी. आर. आई रिसर्च स्टेशन, कोटा।

6. गुणवत्ता मूल्यांकन एकक-सी. टी. आर. एस, श्रीगंगानगर।

घ. राज्य कृषि विश्वविद्यालय

1. अजमेर	2. अगिया
3. बांसवाड़ा	4. बीकानेर
5. भीलवाड़ा	6. दुर्गापुर
7. फतेहपुर	8. जयपुर
9. जोबनर	10. कोटा
11. मन्दोरे	12. नौगांव

13. फास्फेट इण्डिया लिमिटेड, उदयपुर।

14. सुख कलर केमिकल्स लिमिटेड, उदयपुर।

15. उदयपुर फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, उदयपुर।

राजस्थान में कीटनाशियों का विनिर्माण फार्मूला तैयार करने वाली इकाइयां।

1. विनिर्माण करने वाली इकाई

1. मैसर्स पेस्टिसाइडस इण्डिया, उदयपुर।

2. फार्मूला तैयार करने वाली इकाई (फार्मूलेटिंग यूनिट)

1. मैसर्स पेस्टिसाइड्स इण्डिया, उदयपुर।
2. मैसर्स हर्बिसाइड्स (इण्डिया)- जयपुर।
3. मैसर्स जय एग्रोस, जयपुर।
4. मैसर्स बी. एल. इण्डस्ट्रीज, जयपुर।
5. मैसर्स गोयनका इण्डस्ट्रीज, जयपुर।
6. मैसर्स प्रकाश पुल मिल्स, अलवर।
7. मैसर्स भारत मिन्लर्स एंड केमिकल्स, अलवर।
8. मैसर्स इण्डियन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर।
9. मैसर्स सह. कीट नाशक दवाई फैक्ट्री, जयपुर।
10. मैसर्स एग्रो केमिकल्स, जयपुर।
11. गुप्ता केमिकल्स, जयपुर।

विवरण-3

फसलें, जिन पर अनुसंधान किया गया है।

क. दाल—चना, अरहर, उड़द की फली, मूंग की फली, छोटी मटर, मोठाबीन, ग्वार

ख. चारा फसलें : सोरघम, दीनानाथ घास, लोभिया, बेट्स, बाजरा, करसेथ, बुल्लल ग्रास

ग. खाद्य फसलें : ज्वार, चुकन्दर, कपास, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, पीयर्ल मिल्लेट

घ. तिलहन : मूंगफली, तोरिया, अलसी, तिल, रामतिल, सोयाबीन

ङ. बागवानी फसलें : बैंगन, लोभिया, फूलगोभी, बन्दगोभी, खरबूजा, मटर, टमाटर, तरबूज, आलू, सिट्रस, अमरूद, खजूर बेर, पोमग्रेनेट, गुलाब, कार्नेशन, ग्लेडियोलस

च. मसाले : बड़ी सौंफ मेथी, धनिया

ख. दवाई अथवा एरोमेटिक पौधे — अफीम, पोपी, गुग्गल, वत्सीदर, सफेद मूसली।

कृषि नीति के मामलों संबंधी सलाहकार समिति

673. श्री मन्नलाल ओझा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि नीति के मामलों संबंधी समिति कब गठित की गई थी और उसमें किन-किन राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है,

(ख) इसकी बैठक किन-किन तारीखों को आयोजित की गई थी और इसने सरकार को क्या सुझाव दिये, और

(ग) इस समिति पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि नीति मामलों संबंधी स्थाई सलाहकार समिति का गठन 14 मार्च, 1990 को हुआ था। इस समिति में निम्नलिखित विख्यात व्यक्ति है :—

1. श्री शरद जोशी	अध्यक्ष
2. श्री भानु प्रताप सिंह	सदस्य
3. श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव	सदस्य
4. डा. कृष्ण कानूनगो	सदस्य
5. श्री कुम्भा राम आर्य	सदस्य
6. श्री वीरेन्द्र वर्मा	सदस्य
7. श्री अगजीत सिंह घुंघराना	सदस्य

(ख) इस स्थाई सलाहकार समिति ने अब तक 10 बैठकें की हैं। बैठकों की तारीखों और उनमें दिए गए सुझावों को दर्शाने वाली एक संक्षिप्त टिप्पणी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस स्थाई सलाहकार समिति का उत्तरदायित्व कृषि और सहकारिता विभाग निभाता है और इसकी कार्य-प्रणाली पर होने वाले सकल खर्च को कृषि और सहकारिता विभाग के समग्र व्यय के एक अंश के रूप में बुक किया जाता है। इस स्थाई सलाहकार समिति के व्यय के लिए कोई अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

विवरण

इस स्थायी सलाहकार समिति ने अब तक निम्नलिखित तारीखों को बैठकें की हैं :—

1. 26 मार्च, 1990

2. 9 और 10 अप्रैल, 1990

3. 17 अप्रैल, 1990

4. 25 और 26 अप्रैल, 1990

5. 10 और 11 मई, 1990

6. 21 और 23 मई, 1990

7. 12 और 13 जून, 1990

8. 30 जून और 2 जुलाई, 1990

9. 17 से 19 जुलाई, 1990 तक

10. 27 जुलाई, 1990 से 1 अगस्त, 1990 तक

इस स्थाई सलाहकार समिति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :—

1. कार्यसूचिव शैली में सुधार लाना।

2. फसलों के उत्पादन की लागत की प्रणाली व्यवस्था में संशोधन करना।

3. कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 की कमियों को दूर करना।

4. खाद्य तेलों में बाजार हस्तक्षेप कार्यों में आने वाली रुकावटों को दूर करना।

5. चावल को लाने-ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को समाप्त करना।

6. समर्थन मूल्यों और निर्गम मूल्यों में वृद्धि को लागू करना और उसी दौरान जनता के मन में समर्थन मूल्यों में वृद्धि के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया से बचना।

7. गोदामों और भांडागारों का इस्तेमाल करने के लिए अच्छे मूल्य का आश्वासन देना ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।

8. गन्ने के लिए समर्थन मूल्यों की जरूरत।

9. कृषि जिन्सों का निर्यात बढ़ाना।

10. राष्ट्रीय कृषि नीति संकल्प के प्रारूप पर टिप्पणियां।

कृषि उत्पादों के लिए भांडागारों का निर्माण

674. श्री नन्दलाल मीणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है,

(ख) राज्यों में भांडागारों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति क्या है,

(ग) क्या राजस्थान में भांडागारों के न होने के कारण किसानों का शोषण हो रहा है, और

(घ) यदि हां, तो उन्हें शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग विकास में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) कृषि उत्पादों के लिए ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान बजट प्रावधान 4.00 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आबंटन परियोजना वित्त पोषण समिति द्वारा उनकी परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिए जाने के बाद किया जाता है।

(ख) ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना का उद्देश्य किसानों विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का जाल बिछाना है। गोदामों का आशय खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पाद जिनमें शीघ्र नष्ट होने वाले और पशु उत्पाद भी शामिल हैं, के संबंध में भंडारण की आवश्यकताओं को पूरा करना है उवरक और बीज जैसे अन्तर्निविष्ट वस्तुओं को भी इन गोदामों में रखा जा सकता है। योजना का मूल उद्देश्य कटाई के तत्काल बाद चल रही कम कीमतों पर खाद्यान्नों और अन्य कृषि वस्तुओं की घाटे की बिक्री से रोकना है। प्रत्येक गोदाम की क्षमता 200 से 3000 हजार मीटरी टन तक हो सकती है। [illegible] गोदामों के निर्माण की लागत की 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। [illegible] केन्द्र और [illegible] सरकारों में बराबर के आधार पर वहन किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा सिक्किम में केन्द्रीय सहायता का स्तर निर्माण लागत का 50 प्रतिशत है और शेष को [illegible] रोजगार योजना निधियों में से पूरा किया जा सकता है। देश के अन्य समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता का स्तर निर्माण लागत का 50 प्रतिशत है, राज्य का अंश 25 प्रतिशत है और शेष 25 प्रतिशत को जवाहर रोजगार योजना निधियों में से पूरा किया जा सकता है।

(ग) राजस्थान सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन निगम में प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यर्थियों को छूट

675. **श्री नन्दलाल मीणा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को "डेक कैडेटों" के प्रशिक्षण के लिए आयु और योग्यता के मामले में कोई छूट दी जाती है,

(ख) भारतीय नौवहन निगम में नौटिकल अधिकारी तथा अन्य उच्च प्राधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है,

(ग) क्या विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं में इन श्रेणियों के व्यक्तियों को कोई छूट दी जाती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री पी. उन्नीकृष्णन) : (क) डैक केडेट्स के रूप में प्रशिक्षण के लिए भर्ती करते समय भारतीय नौवहन निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की आयु में 5 वर्ष की छूट और अर्हक स्तर पर प्राप्त अंकों के न्यूनतम प्रतिशत में 10% की छूट दे रहा है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम में नाटिकल अधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों के रूप में काम कर रहे अनु. जाति/अनु. जन जात के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुपात निम्न प्रकार है :—

अनुसूचित जाति	7.06%
अनुसूचित जन जाति	1.20%

(ग) दोनों प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात टी एस राजेन्द्र और समुद्री इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय अनु. जाति/अनुसूचित जन जाति की श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उन्हें साक्षात्कार में अर्हक अंकों के संबंध में भी छूट दी जाती है। सामान्य श्रेणी के मामले में 50 प्रतिशत उत्तीर्णांकों की तुलना में अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उत्तीर्णांक 35 प्रतिशत है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"क्विक-विल्ट" रोग के कारण काली-मिर्च के उत्पादन पर प्रभाव

[अनुवाद]

676. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "क्विक विल्ट" रोग के कारण काली मिर्च, के उत्पादन में काली मिर्च उत्पादकों को कितनी वार्षिक हानि हो रही है,

(ख) क्या इस रोग की रोक थाम के लिए "रिडोमिल" नामक फफूंदनाशी को प्रभावकारी पाया गया है,

(ग) क्या काली मिर्च उत्पादकों ने इस फफूंदनाशी पर आयात-शुल्क में कटौती करने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केरल, देश के काली मिर्च के सकल उत्पादन का लगभग 98 प्रतिशत उत्पादन करता है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार "क्विक-विल्ट" रोग से केरल राज्य में उत्पादन की दृष्टि से काली मिर्च के उत्पादकों को हुई औसत वार्षिक हानि 30 प्रतिशत है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में शत प्रतिशत हानि होने की सूचना मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) रिडोमिल नामक फफूंदनाशी को अभी कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत कराया जाना है। इसलिए, अभी इस फफूंदनाशी के आयात-शुल्क में कटौती पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा लिट्टे के साथ विवाद को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता लेना

677. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री एस. कृष्ण कुमार :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती उमा गजपति राजू :

श्री हरा भम्बारासु :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस वक्तव्य की जानकारी है कि श्रीलंका सरकार लिट्टे के साथ विवाद को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता लेने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार स्थिति पर सावधानी पूर्वक निगाह रखे हुए है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट बुक उपलब्ध न होना

678. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री पी. सी. थामस :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन और कालीकट में पासपोर्ट-बुक उपलब्ध न होने के कारण पासपोर्ट के लिये बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) इन कार्यालयों में पासपोर्ट बुक उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन कार्यालयों द्वारा प्रतिमास औसतन कितने पासपोर्ट जारी किए गये; और

(ङ) आवेदनों के शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) 31.7.1990 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड में पासपोर्ट पुस्तिकाएं न होने के कारण कोई पासपोर्ट आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। तथापि, पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में लगभग 16,600 पासपोर्ट आवेदन पत्र पासपोर्ट पुस्तिकाएं न होने के कारण लम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) हाल के वर्षों में पासपोर्ट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है इस बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार करने की क्षमता काफी नहीं है।

(घ) 1989 में पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन ने औसतन 12,950 पासपोर्ट प्रतिमाह जारी किये और कोजीकोड कार्यालय ने औसतन 11,834 पासपोर्ट प्रतिमाह जारी किए।

(ङ) दोनों पासपोर्ट कार्यालयों को पासपोर्ट की अतिरिक्त पुस्तिकाएं पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

नासिक जिले में डाक सेवाओं में कटौती

679. **डा. दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नासिक में कितनी मोबाइल डाकघर काउंटर सेवा सुविधाएं तथा कितने उप-डाकघर समाप्त किए गये,

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त सेवा में कितने विभागीय कर्मचारी (पोस्टमैन, सोर्टर आदि सहित) कम किए गए,

(ग) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण में कटौती कर दी गई है तथा उप-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं या तो कम कर दी गई हैं या समाप्त कर दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस संबंध में जानकारी इस प्रकार है :—

(i) बन्द किये गये ग्रामीण सचल डाकघर (जिनमें काउन्टर सुविधा उपलब्ध थी)	217
(ii) बन्द किये गये उप-डाकघर	5

(ख) 5 पद समाप्त कर दिए गए

(ग) कुछ डाकघरों में डाक वितरण में कमी की गई है।

(ख) दोपहर के वितरण के लिये डाक का अनुपात 20% से कम होने के कारण 5 डाकघरों में डाक वितरण में कमी की गई। चलते फिरते डाकघर की सेवा को पूरे देश में बंद करना एक सामान्य कदम था क्योंकि इसको मांग नगण्य थी तथा डाक सेवा पर होने वाले व्यय की तुलना में इसके लाभ काफी कम थे।

सतपुर (महाराष्ट्र) में नये इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

680. डा. दौलत राव सोनूजी अहेर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुर (महाराष्ट्र) में एक नया इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु इस एक्सचेंज को कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपयुक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूरसंचार सुविधाओं के लिए धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

681. श्री वसई चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान बिहार में, जिलावार, कितनी दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई,

(ख) क्या ये सुविधाएं अन्य राज्यों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बराबर है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) क्या सरकार को आगामी वर्षों के दौरान बिहार में दूरसंचार प्रणाली के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का विचार है !

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभाग विभिन्न क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिये एक समान नीति अपनाता है। यह किसी भी क्षेत्र की वास्तविक मांग और प्रत्येक एक्सचेंज क्षेत्र में प्रतीक्षित मांगों पर आधारित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आगामी वर्ष में, विभाग द्वारा बिहार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी। वास्तविक आवंटन, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना पर आधारित है।

विवरण

क्रम सं.	जिलों का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज	नए टेलीफोन कनेक्शन	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	टेलेक्स कनेक्शन	संयुक्त कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1.	औरंगाबाद	—	170	10	—	7
2.	भोजपुर	2	230	15	—	12
3.	भागलपुर	13	1228	15	11	14
4.	बेगूसराय	1	395	10	10	7
5.	छपरा	2	530	9	—	6
6.	धनबाद	3	2693	5	50	2
7.	दुमका	3	360	7	—	4
8.	देवघर	1	530	4	—	1
9.	दरभंगा	1	1510	16	—	13
10.	पूर्वी चम्पारन	1	675	17	—	14
11.	गुमला	1	138	3	—	1
12.	गया	5	1920	18	—	14
13.	गोपालगंज	1	395	4	—	1
14.	गिरीडिह	2	208	10	10	6
15.	गोड्डा	4	140	10	—	1
16.	हजारीबाग	3	922	10	10	7
17.	जहानाबाद	—	85	5	—	2
18.	कटीहार	1	760	10	—	7
19.	खगरिया	—	487	10	—	7
20.	लोहरडंगा	1	215	3	—	1
21.	मुजफ्फरपुर	5	1965	8	15	4

1	2	3	4	5	6	7
22.	मुंगेर	6	1105	8	—	5
23.	माधोपुर	—	253	3	—	1
24.	मधुबनी	2	855	7	—	4
25.	गेसंबा	4	470	10	—	7
26.	नवादा	1	335	67	—	3
27.	पलामू	4	620	17	—	14
28.	पुर्णिया	2	705	14	—	11
29.	पटना	2	10071	8	210	5
30.	रांची	3	5745	13	55	10
31.	रोहतास	—	335	10	—	7
32.	सिंहभूमी	1	865	12	—	8
33.	समस्तीपुर	2	857	10	—	6
34.	सितामढ़ी	—	375	6	—	3
35.	साहेबगंज	2	140	2	—	1
36.	सिवान	2	659	4	—	2
37.	सहरसा	5	615	7	—	4
38.	वैशाली	2	440	5	—	2
39.	प. चम्पारण	1	1063	14	—	10
40.	जमसेदपुर	2	4146	3	50	1
41.	आरा	—	175	4	—	1
42.	किशनगंज	—	130	2	—	1
	कुल	91	45515	364	321	248

आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में समुद्री तूफान से हुआ नुकसान

[अनुवाद]

682. श्री सुधीर गिरि :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री के. चोवका राव :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियार :

श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में समुद्री तूफान से कितना नुकसान हुआ है,

(ख) आंध्र प्रदेश में, अब तक सहायता उपायों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है,

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि भारी वर्षा और बाढ़ों के साथ मई, 1990 में आए समुद्री तूफान से निम्नलिखित नुकसान हुआ है :—

प्रभावित जिले		9
प्रभावित जनसंख्या	:	77.81 लाख
मरे मनुष्यों की संख्या	:	928
मरे पशुओं की संख्या	:	1,56,928
प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	:	4,06 लाख हैक्टेयर
क्षतिग्रस्त हुए मकान	:	13.96 लाख

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि 19.7.1990 तक उन्होंने राहत कार्यों पर 89.39 करोड़ रुपए, पुनर्वास पर 5.90 करोड़ रुपये और सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत और पुनरुद्धार पर 22.10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने 866.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है। एक केन्द्रीय दल ने 15 से 19 जुलाई, 1990 तक अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में मूल्यांकन करने के लिये राज्य का दौरा किया। इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी

[हिन्दी]

683. श्री हरि शंकर महाले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की, वर्गवार संख्या कितनी-कितनी है,

(ख) इनमें से इन संगठनों में कितने-कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत है,

(ग) इन दोनों संगठनों के सभी कर्मचारियों के वेतन भुगतान का कुल वार्षिक खर्च क्या है,

(घ) दोनों में से प्रत्येक संगठन द्वारा सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय और उनके द्वारा किए गए कुल वार्षिक खर्च का ब्योरा क्या है, और

(ङ) इनकी आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) नई दिल्ली नगर, पालिका में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों (श्रेणीवार) की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी-क	—	220
श्रेणी-ख	—	472
श्रेणी-ग	—	6027
श्रेणी-घ	—	7867

(ख) उपरोक्त संख्या में से निम्नलिखित 36 नई दिल्ली नगर पालिका में प्रतिनियुक्ति पर है।

श्रेणी-क	—	10
श्रेणी-ख	—	8
श्रेणी-ग	—	3
श्रेणी-घ	—	15 (कांस्टेबल)

(ग) वर्ष 1990-91 के अनुमान के अनुसार, नई दिल्ली नगर पालिका के स्टाफ के वेतन इत्यादि के भुगतान करने पर 46.3 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका के वर्ष 1990-91 के अनुमानित 178.48 करोड़ रुपए की आमदनी के मुकाबले में इसी अवधि के दौरान 178.35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका अपनी आय बढ़ाने के सभी संभव उपाय कर रही है जैसा कि नीचे दिए गये पिछले 3 वर्षों की प्राप्तियों से पता चलता है :—

1987-88	—	123.59 करोड़ रु.
1988-89	—	143.67 करोड़ रु.
1989-90	—	155.03 करोड़ रु. (अनुमानित)

11. दिल्ली नगर निगम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन के कार्यकरण में सुधार

684. श्री हरिशंकर महाले : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में श्रेणी-वार कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं,

(ख) सारे कर्मचारियों के वेतन आदि पर वार्षिक व्यय कितना हो रहा है,

(ग) प्रशासन के दो संगठनों को सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी होती है और वार्षिक व्यय कितना होता है,

(घ) राजस्व संबंधी आय में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है, और

(ङ) लोगों की समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से इस संस्था के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :

(क)	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	ग्रेड घ	योग
	1592	2599	17464	11341	32796

(ख) 328.27 करोड़ रुपए (वर्ष 1989-90 के दौरान)

(ग) (i) कुल वार्षिक आय-889.75 करोड़ रुपये

(वर्ष, 1989-90 के दौरान राजस्व कर एवं राजस्व-भिन्न कर को मिलाकर)

(ii) कुल वार्षिक खर्च—1483.98 (वर्ष 1989-90 के दौरान)

(घ) 1987-88 में 671.63 करोड़ रुपये और 1988-89 में 810.16 करोड़ रुपए की तुलना में 1989-90 में 889.75 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का श्रेय प्रशासन द्वारा उठाए गए विभिन्न कारणों/उपायों को जाता है जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। 1990-91 के दौरान 1144.45 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) लोगों की समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से एक लोक शिकायत निवारक और अपराध निरोधक एकक स्थापित किया गया है जो भारत सरकार सहित जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करता है। प्राप्त शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए इन शिकायतों को संबंधित एजेन्सियों को भेजा जाता है। आम जनता से संबंधित सभी मुख्य विभागों में एक वरिष्ठ अधिकारी को "शिकायत निराकरण अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है जो कि जन शिकायतों से निपटने के लिये जिम्मेदार होता है। सभी सचिवों/विभागाध्यक्षों को अनुदेश दिए गए हैं कि सभी कार्य दिवसों में एक घण्टे के लिये जनता की कठिनाईयों की सुनवाई करें। आम जनता से सम्बन्धित सभी मुख्य विभागों में समय सारणी निर्धारित की गयी है और विभिन्न गतिविधियों के बारे में आगंतुकों के सूचनार्थ पटिटकाओं पर उन्हें दर्शाया गया है। इसके अलावा, विभागों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सभी कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

प्रशासन द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों के कारण राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई और 1990-91 के लिए उच्च लक्ष्य का निर्धारण किया :—

1. बिक्री कर निर्धारण में परिवर्तन करने के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं को कर निर्धारण के लिये अन्तिम बिन्दु से प्रथम बिन्दु पर लाया गया।

2. ऐयर कन्टेनर और पाईप लाईन से लाई गई वस्तुओं पर टरमिनल टैक्स लगाये जाने का प्रस्ताव।

3. वाहनों पर फीस का संशोधन जैसे पंजीकरण फीस, परमिट फीस, ड्राईविंग लाइसेंस फीस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की फीस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण, मलकीयत का हस्तांतरण और दुपहिए वाहनों एवं निर्माताओं पर एक ही बार रोड टैक्स लेना।

4. अन्तर्राज्यीय वेटिंग टैक्स लगाया जाना।

5. देशी शराब, आई. एम. एफ. एल., बीयर के खुदरा बिक्रय मूल्य में वृद्धि, और विभिन्न प्रकार के लाईसेंस फीस में वृद्धि।

6. सिनेमा हालों में प्रवेश दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मनोरंजन टैक्स एकत्र करने में वृद्धि।

बिहार में सहरसा में डाकघरों का खोला जाना

686. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी बिहार के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर सहरसा में और अधिक डाकघर खोलने और अतिरिक्त दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) डाकघर सहरसा जिले में हाल ही मे पांच नए डाकघर खोले गए हैं। उत्तरी बिहार के बाढ़ से प्रभावित अन्य जिलों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। आठवीं योजना के लिए उपयुक्त मानदण्ड तैयार होते ही बिहार और अन्य राज्यों में डाकघर खोलने के आगे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना है -

दूरसंचार सुविधाएं :

(क) जी हां।

(ख) उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में दूर संचार की निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(i) उत्तरी बिहार में बेहतर एसटीडी सुविधाओं के लिए 1991 92 के दौरान मुजफ्फरपुर में 1000 लाइनों का डिजीटल स्वचालित एक्सचेंज।

(ii) छपरा मोतीहारी और कटिहार के वर्तमान इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैक्स-11 एक्सचेंज के स्थान पर 199 में 2048 लाइनों का डिजीटल इलैक्ट्रानिक आई एल टी एक्सचेंज की स्थापना।

(iii) माधेपुरा और अरारिया जिला मुख्यालयों में वर्तमान 100 लाइनों वाले करबल एक्सचेंजों के स्थान पर 1990-91 में एस टी डी सुविधायुक्त 200 लाइनों के ई एस ए एक्स इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना।

(iv) सहरसा में हाल ही में मार्च, 1990 में 600 लाइनों का एन ई ए एक्स इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किया गया है और अप्रैल, 1900 से जुलाई, 1990 के मध्य 64 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(v) आठवीं योजना अवधि के दौरान सहरसा जिले के सभी पुराने मैक्स-11 एक्सचेंजों के स्थान पर 64 लाइनों के एम आई एल टी किस्म के डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों और 128 पोर्ट के डाक एक्सचेंज की स्थापना।

(vi) सहरसा जिले में आठवी योजना अवधि के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय म प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्ताव योजना की मंजूरी और उपस्कर की समय पर उपलब्धता की शर्त के अधीन है।

(ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नागार्जुन सागर बांध में नौका चालन पर पाबन्दी लगाना

[अनुवाद]

687. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून मौसम में नौका चालन पर पाबन्दी लगाने के संबंधी विशेष दिन क्या निर्धारित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) दिनांक 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार केरल तट पर कितनी मत्स्य नौकाएं पंजीकृत थी,

(घ) क्या केरल राज्य से इस मानसून मौसम में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके मत्स्य नौका चालन के मामले प्रकाश में आए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) केरल सरकार ने 28 जून, 90 से प्रारम्भ होने वाली मानसून अवधि के दौरान की प्रान्तगत जल क्षेत्र में तलों में मछली मारने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। तथापि, केरल सरकार की दिनांक 21 जुलाई, 1990 के राजपत्र की अधिसूचना के द्वारा इसे हटा लिया गया है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) केरल की सरकार ने सरकारी निर्देशों की अवज्ञा के मामले मछली मारने के किसी मामले की सूचना केन्द्र को नहीं दी है।

कश्मीर में बी. बी. सी. पत्रकार का अपहरण

688. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर से एक बी.बी.सी. पत्रकार संवाददाता के कथित अपहरण की जांच की थी, और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि एक अदालत जांच की स्थापना की गई है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट अलग से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है और मामला विचाराधीन है।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म तैयार करना

689. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों/भवनों में लगी भयंकर आग को ध्यान में रखकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म तैयार करके इन्हें सुरक्षित रखने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या विज्ञान भवन, निर्माण भवन आदि में आग से हुई वास्तविक हानि का कोई आकलन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) 'ए' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म तैयार करने के निर्देश पहले से ही विद्यमान है। जिनको स्थाई रूप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आंकलन किया है कि विज्ञान भवन जो कि आग लगने के कारण नष्ट हो गया था, के पुन: निर्माण पर 7.53 करोड़ रुपए का खर्चा आयेगा। निर्माण भवन में लगी आग में कुछ पुरानी फाइलें या तो नष्ट हो गई थी अथवा क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा 4600 रु. को सिविल और विद्युतीय फिटिंग का नुकसान हुआ।

असम में उल्फा की गतिविधियां

690. प्रो. महादेव शिवनकर :

श्री जनार्दन तिवारी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान असम में 'उल्फा' की हिंसात्मक गतिविधियों के कारण जानमाल की कितनी क्षति हुई, और

(ख) सरकार द्वारा इन हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) बताया गया है कि पिछले छ: महीनों के दौरान उल्फा ने 25 व्यक्तियों को मारा। सम्पत्ति के हानि की कोई सूचना नहीं है। तथापि, धन की लूट-खसोट के मामले हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने उल्फा की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें प्रशासनिक तन्त्र को मजबूत करने, छिपने के स्थानों पर छापा मारने, वाहनों की चलती-फिरती और स्थिर जांच करने आदि उपाय सम्मिलित है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है।

अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर बेरोजगार कश्मीरी युवकों को भर्ती करना

691. प्रो. महादेव शिवनकर :

डा. ए. के. पटेल :

श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लगातार अनुपस्थित रहने से रिक्त पड़े पदों पर काश्मीर घाटी के बेरोजगार युवकों को भर्ती करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ख) इस योजना को किस स्तर पर मंजूरी दी गई है,

(ग) क्या ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को आवश्यक नोटिस जारी किए गए हैं;

(घ) क्या कर्मचारियों की वर्तमान अनुपस्थित का कारण घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति का खराब होना है, और यदि हां, तो इन पदों को रिक्त मानने का क्या औचित्य है, और

(ङ) नई भर्ती के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) बहुत से प्रवासी कर्मचारी इस समय घाटी को लौटने के लिए तैयार नहीं है। इस उद्देश्य से कि कार्यालय प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रवास कर गए कर्मचारियों के कारण रिक्त हुए पदों को स्थानीय युवकों की नियुक्ति करके भरा जायेगा। प्रवासी कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर अन्य स्थानों पर लगाया जा रहा है। जब कभी भी वे वापस आएंगे, उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्हें अस्थायी तौर पर अन्य जगहों पर लगाया जा रहा है।

पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारत में प्रवेश करते समय आतंकवादियों की गिरफ्तारी

692. श्री मदन लाल खुराना :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

श्री राजवीर सिंह :

श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने के बाद भारत में प्रवेश करने

की चेष्टा करते हुए पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर कितने घुसपैठिये/आतंकवादी गिरफ्तार किये गये/मारे गये, और

(ख) उनमें से मार्च 1990 से आज तक कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किए गए, वापिस खदेड़े गए एवं जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की राज्य पुलिस को सुपुर्द किये गये घुसपैठियों की संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है। जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर मारे गये व्यक्तियों के बारे में सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है। मारे गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था इस तथ्य का पता लगाना संभव नहीं है। गिरफ्तार किये गये लोगों से काफी लम्बे समय तक पूछताछ करने के बाद यह तथ्य सिद्ध हुआ।

विवरण-1

जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों की संख्या

अवधि	राज्य का नाम	गिरफ्तार किये गए घुसपैठियों की संख्या	वापिस खदेड़े गए घुसपैठियों की संख्या	राज्य पुलिस को सुपुर्द किए गए घुसपैठियों की संख्या
1.1.90 से	जम्मू एवं कश्मीर	24	——	24
30.6.90 तक	पंजाब	2126	1956	172

विवरण 2

जनवरी से जून, 1990 तक की अवधि में सीमा सुरक्षा बल द्वारा जम्मू व कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या।

जम्मू व कश्मीर सीमा	10
पंजाब सीमा	74

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली

[अनुवाद]

693. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परिक्षक ने 31, मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष की दिल्ली नगर निगम की 1990 की अपनी रिपोर्ट सं. 4 में दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में गंभीर तथा सुस्पष्ट अनियमितताओं, गड़बड़ी इत्यादि का पता लगाया है,

(ख) यदि हां, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित अनियमितताओं, गड़बड़ी के संबंध में एवं दिल्ली नगर निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है,

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धन-राशि सम्पत्ति कर के रूप में संगृहीत की गई तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि संगृहीत की गई, और

(घ) सम्पत्ति-कर की कितनी धन-राशि बकाया पड़ी है तथा इसकी उगाही के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोधकान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में फ्लाईओवरों का निर्माण

594. श्री मदन लाल खुराना : क्या परिवहन मन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में बनाए जाने वाले फ्लाईओवरों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इस योजना अवधि में निमित फ्लाई ओवरों का निर्माण न करने/पूरा न करने के क्या कारण है,

(ग) अन्य शेष फ्लाईओवरों का निर्माण न करने/पूरा न करने के क्या कारण हैं,

(घ) कितने फ्लाई ओवर दिल्ली नगर कला आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं, और

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान जिन फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) संवैधानिक रूप से, यह मंत्रालय, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए ही उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों/पुलों का उत्तरदायित्व अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों का होता है। दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम जैसी विभिन्न निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के आधार पर, 15 फ्लाईओवरों/रोड ओवर ब्रिजों के निर्माण कार्य को 7वीं योजना में शामिल किया गया था। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ख) निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 4 फ्लाईओवर पूरे हो गए हैं और उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4 और फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार दूसरे फ्लाई ओवरों पर काम शुरू न होने/कार्य पूरा न होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा स्कीमों को अस्वीकृति/स्वीकृति में विलम्ब।

(ii) अतिक्रमण।

(घ) 5 प्रस्ताव, दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित हैं।

(ङ) 32 फ्लाई ओवरों/रोड ओवर ब्रिज/रोड अन्डर ब्रिजों जिनमें 7वीं योजना के शेष भी शामिल हैं, को अगले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए जाने की योजना है। निष्पादन एजेंसियों द्वारा यथा प्रस्तुत ब्यौरे विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली के लिए सातवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए फ्लाई ओवरों/रोड ओवर ब्रिज/रोड अन्डर ब्रिज के ब्यौरे जैसे कि निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं

1. ओखला के समीप दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन की क्रासिंग पर बाहरी रिंग रोड पर रिंग रोड ओवर ब्रिज (आर ओ बी-22)

2. राजाधार्डन क्रासिंग

3. सफदरजंग क्रासिंग

4. धौलाकुआं क्रासिंग

5. पंजाबी बाग क्रासिंग

6. मंकी ब्रिज के समीप रोड अंडर ब्रिज

7. एस पी मुखर्जी मार्ग को आजाद मार्केट मार्ग से जोड़ने वाला पुल

8. शाहदरा में जी टी रोड के साथ-साथ सहारनपुर शाहदरा रेलवे क्रासिंग पर आर ओ बी

9. लोथियान रोड अंडर ब्रिज

10. जखीरा में आर ओ बी

11. महरौली बदरपुर रोड पर आर यू बी

12. शक्ति नगर में आर यू बी

13. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र को अशोक विहार से जोड़ने वाला आर यू बी

14. पार्क स्ट्रीट और बाबा खड़गसिंह के चौराहे पर ग्रेट सेपेटर

15. तिलक मार्ग और भगवान दास रोड के चौराहे ग्रेट सेप्रेटर

विवरण-2

इस योजना अवधि में निर्मित फ्लाई ओवर/आर ओ बी/आर यू बी के ब्यौरे जैसेकि निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं

(क) पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए

1. एस पी मुखर्जी मार्ग को आजाद मार्केट (चरण-1) को जोड़ने वाला पुल

2. जखीरा में आर ओ बी (आर ओ बी का मुख्य भाग)

3. शक्ति नगर में आर यू बी

4. लोथियान रोड अंडर ब्रिज (तीन स्पेन खोल दिए गए हैं और शेष प्रगति पर है)

(ख) निर्माणाधीन

1. शाहदरा में जी टी रोड के साथ-साथ सहारनपुर शाहदरा रेलवे क्रासिंग पर आर ओ बी

2. महरौली बदरपुर रोड पर ओ यू बी

3. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र को अशोक विहार से जोड़ने वाला आर यू बी

4. खोसला के समीप दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन की क्रासिंग पर बाहरी रिंग रोड पर आर ओ बी-22

विवरण-3

फ्लाई ओवर/आर ओ बी/आर यू बी जिन्हें अगले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए जाने की योजना है के ब्यौरे जैसे कि निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं

1. राजा गार्डन क्रासिंग
2. सफदरजंग क्रासिंग
3. धौलाकुंआ क्रासिंग
4. पंजाबी बाग क्रासिंग
5. मकी ब्रिज के समीप आर यू बी
6. किशन गंज के समीप रोहतक रोड पर अंडर ब्रिज
7. जी टी रोड से विवेक विहार तक आर यू बी
8. समयपुर बादली के समीप रेलवे लाइन पर आर ओ बी
9. जखीरा के समीप रोहतक रोड पर दो स्तरीय क्रासिंग पर आर ओ बी
10. देशबन्धु गुप्ता रोड और रानी झांसी रोड
11. रामा रोड और पटेल नगर रोड
12. मोती नगर रोड
13. कालका जी में रिंग रोड
14. शक्ति नगर चौराहा
15. बादली के समीप औचन्दी रोड
16. आऊटर रिंग रोड— चिराग दिल्ली में जे. पी. टिटो रोड
17. आऊटर रिंग रोड—आई आई टी पर अरबिन्दो मार्ग
18. केन्द्रीय स्कूल के समीप एन्ड्रयूज गंज चौराहा
19. जी टी रोड-शक्ति नगर
20. आऊटर रिंग रोड-रोहतक रोड
21. रिंग रोड-अफ्रीका एवेन्यू
22. सरस्वती विहार के लिए रिंग रोड (वजीरपुर डिपो के समीप)
23. पटेल रोड शंकर रोड-पूसा रोड

24. रिंग रोड-बेला गांव मार्ग

25. रिंग रोड-शांति पथ

26. रिंग रोड-निजामुद्दीन पुल

27. रिंग रोड-राजघाट के समीप

28. रिंग रोड-मायापुरी

29. आऊटर रिंग रोड-मधुबन चौक

30. पार्क स्ट्रीट और बाबा खड़ग सिंह मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सेप्रेटर

31. तिलक मार्ग और भगवानदास रोड के चौराहे पर ग्रेड सेप्रेटर

32. लोनी-वजीराबाद सड़क चौराहा (कार्य पहले ही शुरू हो चुका है)

राजनैतिक औद्योगिक, सांस्कृतिक शिष्टमंडलों और प्रशिक्षार्थियों का विदेशी दौरा

[हिन्दी]

695. **श्री संजय लाल :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा गत छह माह के दौरान अनेक राजनैतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों और प्रशिक्षणार्थियों के दलों को विदेशी दौरों पर भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या एवं इनके दर्जे अर्थात मन्त्रालय स्तर, अधिकारी स्तर और आम जनता के बारे में अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ग) विदेश भेजे गए इन शिष्टमण्डलों में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इन शिष्टमण्डलों को विदेश भेजने पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा खर्च की गई धनराशि की पृथक-पृथक प्रतिशतता कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में बिक्री कर की वसूली

[अनुवाद]

696. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1989-90 के दौरान बिक्री कर की वस्तुत: कितनी वसूली हुई, और वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान हुई वसूली की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री कर को छिपाने/उसकी चोरी करने में सहायता करने और इसके लिए उकसाने के लिए कितने बिक्री कर अधिकारी दोषी पाए गए और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दिल्ली में बिक्री कर की वास्तविक वसूली इस प्रकार है—

1987-88	431·81
1988-89	518.17
1989-90	597·96

(ख) 1987-90 की अवधि के दौरान लेवी तथा कर वसूली और अन्य ड्यूटियों को करने में अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए दोषी पाए गए तथा जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई उन बिक्री कर अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है—

	1987-88	1968-89	1989-90
(i) उन अधिकारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू गई।	42	105	69
(ii) उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें बर्खास्त किये जाने अथवा हटाये जाने का दण्ड दिया गया।	1	4	1
(iii) उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें अन्य दण्ड दिए गए।	37	20	16

तीन बीघा क्षेत्र को बंगलादेश के अन्तरित करने के संबंध में उभरने वाले मामलों की जांच

697. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन बीघा क्षेत्र को बंगलादेश को हस्तांतरित करने के जिन मामलों के उभरने की संभावना है, सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श करके उन मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि तीन बीघा क्षेत्र बंगलादेश को देने पर सारा कुचतीबाड़ी क्षेत्र हमारे देश में अलग हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार 1982 के तीन बीघा पट्टा समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास

698. श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में 1984 के दंगे में शिकार हुए लोगों के लिए जिस प्रकार की एकमुश्त राहत और उनके पुनर्वास की घोषणा की गई थी उसी प्रकार की एकमुश्त राहत और पुनर्वास की सुविधा पंजाब के आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को भी दी गई है,

(ख) यदि हां, तो 1984 के दंगे के शिकार व्यक्तियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को दी गई सहायता की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) पंजाब में कितने व्यक्ति आतंकवादियों के शिकार हुए हैं और उन्हें अभी तक प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है, और

(घ) प्रत्येक वर्ग में अभी तक कितने प्रतिशत पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों और पंजाब में आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास पेकेज।

मद का नाम	पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए व्यक्ति	दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्ति
1	2	3
(i) मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान	50,000/रुपये	20,000/- रुपये

1	2	3
(ii) अक्षमों के लिए एक मुश्त नकद राशि	50,0.0/-रु. 100% अक्षमता के मामले	500/- रु. से 2000/- रु.
(iii) भरण-पोषण भत्ता	1000/- रु. प्रतिमाह	1000/- रु. प्रतिमाह (तदर्थ राहत/पेंशन)
(iv) जख्मी व्यक्तियों की राहत	अंतरंग उपचार के हुए खर्चे की पूर्ण प्रतिपूर्ति और 5000/- रु. का अनुग्रह भुगतान।	जैसा कि मद सं.-II के सामने दिखाया गया है
(v) रोजगार सहायता	आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए परिवार के एक सदस्य को सरकार में नौकरी और जब तक सरकारी विभाग में नहीं रखा जायेगा तब तक 1000/- रु. तक की राशि दी जायेगी।	दंगा प्रभावित व्यक्तियों के विधवाओं/बच्चों को रोजगार देने का प्रावधान और ऐसे रोजगार प्राप्त होने तक 1000/- रु. दिए जायेंगे।
(vi) विवाह अनुदान	आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की पुत्रियों/बहनों के विवाह के लिए 10,000/- रुपए	विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 5000/- रुपए और विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 3000/- रुपए।
(vii) सम्पत्ति की हानि के लिए मुआवजा	एक लाख रुपए	रिहायशी इकाइयाँ — (क) पूरी तरह क्षतिग्रस्त के लिए 20,000/- रुपये (ख) अंशतः क्षतिग्रस्त के लिए 2000 से 10,000/- रुपये व्यापारिक सम्पत्ति जिसका बीमा नहीं किया गया था बीमाकृत बहां बीमा नहीं हुआ 50,000/- रुपये या हानि का 50% जो कम हो।

1	2	3
(viii) ऋण और मुफ्त शिक्षा	आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा।	कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को 100/- रुपये प्रतिमाह और छात्रों को 50/- रुपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कश्मीरी परिवारों की वापसी

699. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आतंकवादियों की गतिविधियों से भयभीत होकर जो कश्मीर परिवार तथाकथित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चले गए थे वे घाटी में वापस आने शुरू हो गए हैं,

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कश्मीरी परिवार पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गये थे; और

(ग) उनमें से अब तक कितने परिवार वापस आ गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में हथियार और गोला बारूद का आना

700. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में 1 दिसम्बर, 1989 से आज तक जब्त किए गए/पकड़े गए/पता किए गये हथियार और गोला बारूद का ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, इसी अवधि के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, और

(ख) जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में सीमा पार से हथियार और गोला बारूद के आने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1·12·86 से 31·7·90 की अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा जब्त किये गये शस्त्रों और गोला बारूद की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत-पाक सीमा पार से शस्त्रों और गोला बारूद की तस्करी को रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर सीमा बाह्य चौकियां निरीक्षण बाकी टावरों, वाहनों, अत्याधुनिक उपकरणों जैसे दूरबीन आदि के साथ-सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और आवश्यक आसूचना व्यवस्था को बढ़ाया गया है। पंजाब के कुछ चुनिंदा सीमा क्षेत्रों के खण्डों को बाड़ और रोशनी की व्यवस्था भी की गई है।

विवरण

1.12.86 से 31.7.90 तक की अवधि के दौरान भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए शस्त्रों और गोला बारूद का विवरण

सीमा	शस्त्रों/गोला बारूद का विवरण	1.12.86 से 31.11.87	12.12.87 से 30.11.88	1.12.88 से 30.11.89	1.12.89 से 31.7.90
1	2	3	4	5	6
जम्मू एवं कश्मीर (आई.बी)	ए.के.-47 राइफल	—	—	4	13
	ए.के.-74 राइफल	—	—	—	21
	स्टेनगन	—	—	—	7
	पिस्तोल	1	1	3	17
	रिवाल्वर	—	—	3	5
	डिटोनेटर	—	—	30	150
	सेफ्टी फ्यूज (मीटर)	—	—	—	92
	गन काटन स्लैब	—	—	—	20
	विस्फोटक (कि. ग्रा.)	—	—	19	125
	पिस्तोल/रिवाल्वर कवीविन किट	—	—	3	47
	कार्डेक्स (मीटर)	—	—	—	84

1	2	3	4	5	6
	मैगजीन एसोटिड	—	—	16	123
	टाईम डिवाईस	—	—	—	1
	चार्जर क्लिपस	—	—	—	16
	एम्यूनिशन एसोटिड (चक्र)	—	4	2787	16450
	रिमोट कंट्रोल	—	—	—	1
	कुल शस्त्र	1	1	10	63
	गोला बारूद	—	4	2787	16450
पंजाब	ए.के.-47 राईफल	—	27	25	69
	ए.के.-74 राईफल	—	—	14	27
	अन्य बोर की राईफल	10	5	4	3
	पिस्तौल/रिवाल्वर	14	42	68	62
	बंदूकें	3	9	9	4
	हल्की मशीनगन	—	1	—	3
	स्टेन	—	2	—	2
	कार्बाईन	—	1	—	—

सब मशीनगन	—	—	—	5
जी.एम.जी.	—	—	—	2
बाजूका	—	—	—	1
राकेट लांचर	—	2	4	2
ग्रेनेड लांचर	—	—	2	—
टैंक विरोधी सुरंग	—	—	1	1
राकेट	—	18	49	23
टैंक विरोधी राकेट	—	—	1	—
राकेट लांचर ट्यूब	—	18	—	7
बम/गोला	—	1	—	5
टाईम डिवाईस	—	—	10	—
नाईट विजन डिवाईसिज	—	2	2	—
डिटोनेटर	—	40	303	73
कारतूस (मोटर)	—	—	42	50
विस्फोटक (कि. ग्रा.)	—	11.5	102	96.5
गन काटन स्लैब	—	—	—	12
हैंड ग्रेनेड	—	44	151	55

1	2	3	4	5	7
	मैनेज फ्यूज	—	11	—	—
	सेफ्टी फ्यूज (मोटर)	—	—	—	111
	टाईम पैंसिल	—	—	—	45
	बुलेट प्रूफ जैकेट	—	—	—	1
	आरमोर पियरसिंग चार्जर	—	—	—	11
	पिस्तौल/राईफल क्लिनिंग किट	—	2	—	15
	बिजली के तार (मोटर)	—	—	—	1
	मैगजीन एसोटिड	45	168	298	366
	एम्यूनिशन एसोटिड (चक्र)	142	37786	36482	38239
	रिमोट कंट्रोल	—	—	—	1
कुल	शस्त्र	27	89	126	180
	गोला बारूद	142	37766	36482	38239

कुछ पहाड़ी स्टेशनों पर कश्मीर विस्थापितों का पुनर्वास

701. श्री गंगा चरण लोधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कश्मीर विस्थापितों को कुछ पहाड़ी स्टेशनों पर पुनर्वास प्रदान करने की योजना बना रही है जैसा कि कश्मीर माइग्रेन्ट्स संघर्ष समिति ने मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

पंजाब की जेलों में बंद व्यक्ति

702. श्रीमती बिमल कौर खालसा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की विभिन्न जेलों में कितने व्यक्ति बंद हैं,

(ख) उनमें से कितने युवकों पर एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और इससे अधिक समय से मुकदमा चल रहा है,

(ग) उनके मुकदमों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या उन्हें जेलों में प्रताड़ित किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या इस संबंध में जांच करवाई गई है, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ङ.) जेल राज्य का विषय है । राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जीवनधारा कूप योजना के लिए वित्तीय आबंटन

703. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "जीवन धारा कूप" योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान की राशि, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त है, जहां कुएं खोदने की लागत अधिक है,

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस अनुदान में वृद्धि करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) दस लाख कुंओं की योजना (एम. डब्ल्यू. एस.) "जीवनधारा कूप" योजना का सही नाम) के कार्यान्वयन के पिछले अनुभव के आधार पर योजना के लिये पर्याप्त धनराशि, कुंओं की खुदाई

की बढ़ती लागत आदि जैसी समस्याओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1.4.90 से प्रभावी केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं का एक संशोधित सैट जारी किया गया है. संशोधित मार्गदर्शिकाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

(1) योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित ग्रुप के लिये रोजगार सृजन करना तथा गौण उद्देश्य के रूप में लक्षित ग्रुप के लिए निशुल्क सिंचाई स्रोतों का निर्माण तथा भूमि विकास करना है। दस लाख, कुएं की योजना निधियों, मजदूरी रोजगार निधियों का एक हिस्सा होने की वजह से केवल खुले कुओं के लिये इस्तेमाल की जा सकती हैं। बशर्ते कि ये ट्यूबवैलों की तुलना में लागत प्रभावी तरीके हों। इस योजना के तहत बोरवेलों और ट्यूबवैलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जहां भौगोलिक पहलुओं के कारण कुओं का निर्माण व्यवहार्य नहीं है, वहां पर दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्धारित निधियों का इस्तेमाल लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं जैसे सिंचाई टैंक, जल एकत्रीकरण ढांचों तथा उनके आवंटन सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को भूमि जिसमे अधिकतम सीमा से फालतू भूमि अथवा भूदान भूमि आदि भी शामिल है के विकास के लिये किया जा सकता है। इस प्रावधान का अपवर्तन न तो किसी अन्य योजना के लिये और ना ही लक्षित ग्रुप के अलावा अन्य वर्गों के लिये किया जा सकता है।

(2) जवाहर रोजगार योजना के तहत एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को कुल आवंटन का 20 प्रतिशत दस लाख कुओं की योजना के लिये निर्धारित है। जवाहर रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिये निर्धारित 15% संसाधनों का इस्तेमाल भी योजना के लिये किया जा सकता है।

(3) दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लागत/क्षेत्र के मानदण्डों का निर्णय एक समिति जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, सचिव (ग्रामीण विकास) सचिव (आयोजना) सचिव (सिंचाई) तथा मुख्य अभियंता लघु सिंचाई शामिल होंगे, द्वारा लिया जायेगा।

(4) लाभार्थियों को अपने श्रम तथा स्थानीय श्रमिकों की मार्फत अपने कुओं का निर्माण कार्य करने को कहा जायेगा जिसके लिये उन्हें भुगतान किया जायेगा। किसी भी हालत में परियोजना अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य ठेकेदार को नहीं सौंपा जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

[हिन्दी]

704. श्री आर. एल. राकेश :

श्री संजय लाल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली" के संबंध में कृषि नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर टिप्पणी की है, जैसा कि दिनांक 2 मई, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों की राय कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कार्यवाही कब करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कृषि नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट रूप दे दी है जिसकी जांच का जा रही है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पुरुषोत्तमन ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री पुरुषोत्तमन का भाषण सुनिए।

श्री जी एम. बनातवाला (पोन्नानी) : कुवैत में हमारे लोग मर रहे है। हम बहुत चिन्तित हैं (व्यवधान) इसमें उनकी जान और सम्मान का प्रश्न अन्तर्निहित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मैंने श्री पुरुषोत्तमन का नाम पुकारा है। मैं आपका नाम भी पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जा रहे हैं, आप इनसे वक्तव्य दिलवाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा तथा सरकार की जानकारी में कुवैत में भारतीयों का कारुणिक तथा दयनीय स्थिति को लाना चाहता हूं। हमें पता चला है कि वहां का तापमान 52 है। और वहां किसी भी घर में न तो बिजली है और न ही पानी दूसरे देश विशेष विमान भेजकर अपने लोगों को ले जाते हैं, हमने दूरदर्शन में यह देखा है। कल, माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा के समक्ष यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया था कि इसके लिए एक अलग सैल स्थापित किया गया है और यहां के दो टेलीफोन नम्बर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन टेलीफोन नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित करके कुवैत में अपने सम्बन्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम संसद सदस्यों ने विदेश मंत्रालय से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया था परन्तु वहां से हमें कोई जानकारी नहीं मिला (व्यवधान)। अन्य देशों की तरह हम यह चाहते हैं कि विदेश मंत्री वहां जाएं और हमारे लोगों का बचाव करें तथा हमारे लोगों को विशेष विमानों द्वारा तुरन्त यहां लाएं। हम अभी और यहीं इस सभा में सरकार से एक आश्वासन चाहते हैं। कुवैत में लगभग 1,72,000 लोग रह रहे हैं जो केरल राज्य से वहां गए हुए हैं। राज्य में पूर्णतया घबराहट और तनाव मौजूद है। हम अब सरकार से एक आश्वासन चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री टी. बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, केरल राज्य में पूर्णतया तनाव व्याप्त है। लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उपयुक्त संचार माध्यम उपलब्ध नहीं है और कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यह काफी गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, हम वहां भारतीय लोगों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे लोगों की रक्षा के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार की ओर से उचित स्थिति व्यक्त की जानी चाहिए (व्यवधान)।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय,जो सैल स्थापित किया गया है वह प्रभावकारी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल संसदीय कार्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे विदेश मन्त्री महोदय से अनुरोध करें कि वे इस सभा में आयें और ...

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह राजनीतिक मसला नहीं है। हम तुरन्त एक आश्वासन चाहते हैं। हम कल दिए गए वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सरकार स्थिति की गम्भीरता को महसूस करती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपकी चिन्ता को समझता हूं। हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मेरे कुछ मित्रों को कुवैत तथा सऊदी अरब में रह रहे लोगों से सीधे कुवैत से नहीं बल्कि अमरीका से टेलीफोन पर कुछ समाचार मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि कुवैत में बसे उनके मित्रों ने उन्हें यह सन्देश दिया है। (व्यवधान)

श्री टी. बशीर : वहां से लोगों को यहां लाने के लिये विशेष विमान भेजे जाने चाहिए। (व्यवधान)। भारत सरकार क्यों चुप है ? (व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : सऊदी अरब से आने वाले लोगों का, जो अन्य देशों के हैं, बचाव कर लिया गया है। वहां का तापमान 51° सेल्सियस है. वहां वातानुकूलित संयंत्र भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पानी और बिजली की कमी है। वे बाहर नहीं जा सकते हैं। ऊंचे तापमान के कारण वहां लोग जल रहे हैं। तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

श्री जी. एम. बनातवाला : सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे लोगों को वहां से लाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका जान और सम्पत्ति की रक्षा की गई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : जो वहां इण्डियन काम करते हैं उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक अनुरोध है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : जब माननीय सदस्यों ने कतिपय मामले उठाए हैं और जब हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो उन्हें हमारी भी बात सुननी चाहिए। केवल मामले को उठाने का क्या लाभ है ? (व्यवधान) यदि आप कोई उत्तर नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री टी. बशीर : हम अपनी भावना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप वहां की स्थिति के बारे में बताईये और पर्याप्त रूप से बताईये। कुवैत में रह रहे हमारे लोगों की दयनीय स्थिति के प्रति यहां पूर्णतया कठोर रवैया अपनाया गया है। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : यह एक बिल्कुल वास्तविक समस्या है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें पर्याप्त सचाई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *पूरी सभा तथा देश को इस बात की चिन्ता है। हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए।*

श्री पी. उपेन्द्र : पूरी सभा माननीय सदस्यों की चिन्ता में भागीदार है। मैंने विदेश मंत्री महोदय को बुलवाया है। वे यहां आकर नवीनतम स्थिति के बारे में बताएंगे। और यदि माननीय सदस्य अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : विदेश मंत्री महोदय कब आ रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : इस विषय पर डिसकशन होनी चाहिए। डेढ़ लाख इण्डियन वहां रहते हैं। उनके बारे में अवश्य सोचा जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। कुवैत में रह रहे हमारे राष्ट्रिकों के बारे में पूरे देश को चिन्ता है। मुझे भी टेलीफोन मिल रहे हैं। सारा देश तथा सभा इस बात के लिए चिंतित है कि कुवैत में हमारे नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई मतभेद नहीं है। मुद्दा यह है कि एक अध्यक्ष क्या कर सकता है। मैं सिर्फ चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री लाल कृष्ण आडवाणी को सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी सभा चिंतित है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : कुवैत के बारे में चिन्तित है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : सदस्यगणों को भी कुवैत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम सभी इस बात से चिन्तित हैं। इस बात पर सभा को विश्वास में अवश्य लिया जाना चाहिए कि भारतीय नागरिकों की वहां क्या स्थिति है और मैं यह बताना चाहूंगा कि हम न सिर्फ कुवैत के बारे में बल्कि कुवैत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी चिन्तित हैं। लाइबेरिया, ईराक, सऊदी अरब में सभी राष्ट्र किसी न किसी प्रकार की समस्या में फंसे हैं इसलिए भी हम सभी चिन्तित हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इनकी बातें सुनिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कृपया सभा को इस मामले तथा सरकार द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति पर शीघ्र चर्चा करने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कुवैत में हमारे लोग काफी संख्या में हैं। समस्या इसलिए आ रही है कि जानकारी नहीं मिल रही है। हमें वहां रहने वाले भारतीयों की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि वहां रहने वाले हमारे नागरिकों तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिये किये गये उपायों के बारे मे शीघ्र एक वक्तव्य जारी किया जाए। यही बात मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में हर व्यक्ति इस बात से चिन्तित हैं। इस मामले पर सदस्यों में कोई मतभेद नहीं है। हमें जानना चाहिए कि स्थिति क्या है।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं समझता हूं कि अब आपने सदन की भावना को समझा है। इराक का कुवैत पर कब्जा, उस क्षेत्र में जहाजों का जाना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का सऊदी अरब में उतरना में मामले इतने गंभीर है कि कल को कुछ भी हो सकता है। यदि युद्ध की स्थिति आ जाती है तो वहां हमारे लोगों का होगा। के राष्ट्र अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए वायुयान भेज रहे हैं। कुवैत में 1½ लाख से ज्यादा भारतीय है। यदि हम यहा सिर्फ मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं और अपने लोगों को वहां से निकालने के लिये कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं या इराक सरकार से उनकी सुरक्षा के लिए बात नहीं करते है तो उन लोगों का क्या होगा ? क्या हम इस मामले पर सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे ? मुझे नये ताऊ की बात पर आश्चर्य हुआ है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : हम आपके चाचा हैं, ताऊ नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे राजनीतिक तरीके से बात कर रहे हैं। वह किसी भी सदस्य का इस प्रकार उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

श्री वसंत साठे : उन्हें हमारे लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हमें सिर्फ चर्चा करनी चाहिए। अब हम चर्चा करने की स्थिति मे नहीं है। हम सिर्फ चर्चा ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी जगह पर बैठे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मामले को राजनीतिक रंग में रहे है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर सभा में मतभेद पैदा न करें। हमें सभा में मतभेद पैदा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे किसी सदस्य का इस प्रकार उल्लेख नहीं कर सकते हैं। यह सटीक नहीं है। यह उनका ड्राइंगरूम नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से पुनः अनुरोध करूंगा विशेषकर श्री साठे जैसे वरिष्ठ सदस्यों से कि वह इस मामले पर सभा में मतभेद पैदा न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था कि एक वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए तथा अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, मैंने तो उनको एल्डर ब्रदर कहा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नेता क्यों नहीं कहा।

श्री वसंत साठे : नेता कहता हूं। आज हमारी आपसे प्रार्थना है, सिर्फ सदन का ही सवाल नहीं है, हम सरकार से चाहते हैं, आप एक्स्टर्नल मिनिस्टर को बुलायें, प्राइम मिनिस्टर को बुलायें या आप खुद कहिए कि हमारे एरोप्लेन जाएंगे और हम अपने लोगों को लायेंगे। हमारे लोगों की जान-माल की रक्षा करने का आश्वासन और कार्यवाही हमें चाहिए। हमें केवल बहस नहीं चाहिए। बहस बहुत हो गई है, बहस क्या करनी है। मैं यह चाहता हूं और यह सदन की मांग है।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

वे जानबूझ कर मामले को मोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, कुवैत में हमारे लोगों की समस्या एक गम्भीर समस्या है जिसपर सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मामले दो हैं। एक मामला पूरे खाड़ी में विस्फोटक स्थिति से जुड़ा है। यह एक अलग मामला है क्योंकि हम इस मामले पर उचित समय पर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु हमारे लोगों और उनकी सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हम कहते हैं कि विदेश मंत्री महोदय को विशेष रूप से कुवैत जाना चाहिए। यह पहला काम है। दूसरे, विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जानी चाहिए और तीसरे, उनसे सम्पर्क बनाने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, आपने ठी टिप्पणी दी है कि सारी सभा इस बात से चिन्तित है। अब तक, निस्संदेह स्थिति खराब है, परन्तु ऐसे संकेत मिले हैं कि मध्य पूर्व में स्थिति अभी और खराब होगी। अतः उसके बारे में उत्सुकता होनी चाहिये और यह चिन्ता बढ़ती भी जायेगी। आप इस समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे क्या आप यहां कोई राजनैतिक

रवैया अपना कर इस समस्या का समाधान करेंगे। मेरे विचार से कोई राजनैतिक रवैया अपनाने से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। समझता हूं कि सभा में चर्चा करना भी कोई लाभदायक नहीं होगा सरकार को हमारे लोगों को वहां से निकालने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए और उसके लिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सभी दलों को विश्वास में लें और हमारे लोगों की मदद के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी, इस बारे में चर्चा करें। दलगत राजनैतिक आधार पर सभा में चर्चाएं करना इस समस्या के समाधान मे लाभदायक नहीं होगा। जो लोग इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं उन्हे यह जान लेना चाहिए कि उनके कार्यों से हमारे लोगों को नुकसान पहुँचेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि विदेश मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, अतः हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमानसेठ (मंजेरी) : हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम कोई वक्तव्य नहीं चाहते। हम विदेश मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि वे लोगों को वहां से वापस लाने तथा उनकी जान बचाने के लिए क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के बाद मैं मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के बारे में आपने जो कुछ कहा है उसका सारी सभा समर्थन करती है। दो-दिन पहले मुझे अपने दोस्त का पता लगाना था। उन्होंने मुझे बताया था कि यह शीघ्र ही उससे सम्पर्क होगा, परन्तु आज मुझे बताया गया है कि वहां कोई टेलीफोन संदेश नही पहुंचता है मुझे उनके माता-पिता तथा पत्नियां से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री मोदय से आज यह जानना चाहता हूं कि वे बचाव के लिए क्या करने जा रहे हैं ? वे वहां कितने विमान भेज रहे हैं ? ईराक के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। ईराक को हमारे सभी संदेशों का उत्तर देना चाहिए। मेरे विचार से अब तक हमारे ईराक मे सम्बन्ध हैं। ये सूचनाएं बहुत ही आवश्यक हैं। यह दलगत मामला नहीं है। यह मामला पूर्णतया दलगत राजनीति से ऊपर है। हमारी जिन्दगी में कुछ मामले दलगत राजनीति से ऊपर होने चाहिए। मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने श्री साठे को ठीक ही फटकारा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको फटकारा नही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैंने श्री कुन्डू को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : काफी संभावना मौजूद है। हम या तो विमान भेज सकते हैं अथवा हम अपने लोगां को वापस लाने के लिये ईराक से विमान देने के लिए कह सकते हैं। हम अपने लोगों

को वापस लाने के लिए अन्य देशों से कह सकते हैं। हम वहां अपने जलपोत भेज सकते हैं। सभी प्रबन्ध किये जाने चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकोष्ठ (सैल) खोला जाना चाहिए और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो लगातार सम्पर्क में रहे। मेरा यही अनुरोध है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल आपकी बात का उत्तर देने के लिए आ गये।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसात) : यह किसी राजनीतिक दल विशेष का मामला नहीं है। यह समस्त देश के लिए काफी चिन्ता का विषय है क्योंकि वहां लाखों भारतीय राष्ट्रिक अत्यन्त असुरक्षा की स्थिति में हैं यह किसी एक दल का मामला नहीं है, यह सभा के सभी वर्गों का मामला है। इस लिए आपको यह महसूस करना चाहिए मैं आपके आकलन से पूर्णतया सहमत हूँ कि स्थिति काफी गम्भीर है और गम्भीरता इस तथ्य के कारण बढ़ी है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सेना उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है और कई अन्य सेनाएं भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया का सारे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रिक एशिया के लगभग सभी देशों में मौजूद हैं और संसद तथा समाज के अन्य वर्ग इस मामले पर संवेदना शून्य नहीं रह सकते।

यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रश्न है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे तुरन्त कुवैत में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थितियां तैयार करें।

अधिक महत्वपूर्ण मामले ये हैं कि पश्चिम एशिया के देशों की ओर बढ़ रही फौजों के को साथ सरकार का क्या रवैया होगा। माननीय विदेश मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे पश्चिम एशिया के क्षेत्र मेंमुकाबले से बचने के बड़े मामले के साथ-साथ तुरन्त कदम उठाने सहित कार्य योजना के बारे में बताए क्योंकि इस क्षेत्र मे शान्ति बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है :

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलोर के हजारों लोग विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकांश लोग वहां आपत्ति में फंसे हैं। उनके माता-पिता, उनकी बहनें, उनके भाईयों को इन लोगों के पते ठिकाने की जानकारी नहीं है वहां विशेष रूप से कुवैती क्षेत्र में गम्भीर स्थिति विद्यमान है और यह स्थिति इस सीमा तक पहुंच रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन की फौजों ने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। वहां एक युद्ध जैसी स्थिति है। लाखों लोगों का जीवन और उनकी सम्पत्ति खतरे में है। हमारी केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उस क्षेत्र से हमारे लोगों को निकालने लिए तुरन्त राहत कदम उठाए। अन्यथा मैं नहीं समझता कि देश सुरक्षित रहेगा। लोग तुरन्त कदम उठाने के लिए आंदोलित हैं। अब विदेश मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, उन्हें यह बताना है कि वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप एक वाक्य में अपनी बात कहिए, इसके बाद मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : इस समय सबसे बड़ी गम्भीर स्थिति यह है कि आज बी. बी. सी. के जरिए मालूम हुआ कि अमरीका का परमाणु युद्ध पोत 'आइजन-हावर' गल्फ में पहुंच गया है। ईराक के पास रासायनिक हथियार है। अमेरिका सेनाएं सऊदी अरब में पहुंच चुकी हैं। किसी भी समय बड़ा भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईराक आदि देशों में जो भारतीय नागरिक है, चाहे सर्विस कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनका जीवन खतरे में है। अन्य देश भी अपने नागरिकों को इन देशों से वापिस बुला रहे है। यहां तक कि इजिप्ट जो कि अरब देश है, वह भी अपने नागरिकों को वहां से वापिस बुला रहा है। इसलिए हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में प्रभाव-शाली कदम उठाए जाएं और भारतीय नागरिकों को वापिस बुलाने की व्यवस्था की जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : महोदय, जब युगाण्डा तथा केन्या में संकट पैदा हुआ था तब श्री मोरारजी देसाई ने हमारे लोगों के बचाव के लिए विमान भेजे थे। जब मालदीव में संकट पैदा हो गया था तो आधी रात को उस देश की रक्षा के लिए हमारी वायुसेना के 40 विमान भेजे गए थे। इसलिए, हम अपनी सभी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर उन्हें हमारे लोगों की रक्षा के लिए क्यों नहीं वहां भेज देते? कृपया इस सुझाव पर विचार करें। (व्यवधान)

डा. विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : मैं पहले उठाए गए मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। मेरा केवल यही मुद्दा है। जब हम सब कुवैत से लोगों को बाहर निकालने के लिए सरकार का सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें बेतुके सुझाव नहीं देने चाहिए। कुवैत में एक लाख 70 हजार भारतीय रह रहे हैं। वहां केवल एक हजार ब्रिटिश लोग रह रहे हैं और ब्रिटिश विमानों द्वारा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। (व्यवधान)। मेरा सुझाव यह है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, कुवैत से लोगों को निकालने के लिए सरकार जो भी कार्यवाही करेगी हम उन सब का समर्थन करते हैं और उसके लिए उड़ानों को रद्द करने सहित देश के भीतर कोई भी अतिशय कदम उठाया जाना है तो वह उठा लिया जाना चाहिए।

परन्तु अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुवैत के अलावा, साऊदी अरब, इराक तथा अन्य स्थानों से लोगों को निकालने का भी सवाल पैदा हो सकता है। इसलिए इन सब बातों के साथ-साथ, गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें गुट-निरपेक्ष नेता के रूप हमें अपनी भूमिका निभानी है और देखना है कि वहां तनाव पैदा न हो, तथा तनाव न बढ़े, अमेरिका को रोका जाए तथा इराक बिना शर्त वहां से हट जाए और इराक ने कुवैत में जो कुछ बनाया है उसे समाप्त करे। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, इस सभा में कोई भी इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दे रहा। हम केवल कार्यवाही योजना के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कुवैत में 1 लाख 72 हजार भारतीय है, यह पंजीकृत संख्या है। वास्तव में, इनकी संख्या इससे भी

कहीं अधिक है। कुवैत में इन पंजीकृत लोगों के अलावा 50 हजार लोग और हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। सरकार को यह बात भी ध्यान मे रखनी चाहिए।

दूसरी बात, यह है कि यदि ब्रिटेन अपने लोगो को लाने के लिए हवाई जहाज भेज सकता है तो हम भी अपने 1 लाख 72 हजार लोगों को कुवैत से ला सकते हैं। हम ऐसा करने में सक्षम है तथा हमें ऐसा करना चाहिए। यह कोई बेतुका सुझाव नहीं है। हमें चार्टर उड़ानों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों को, बीमार तथा बूढ़े लोगों को चार्टर उड़ानों से लाया जा सकता है तथा अन्य लोगों के लिए समुद्री जहाजों की व्यवस्था की जा सकती है। हमारे पास केरल से बहुत से टेलीफोन आते हैं। आज मुझे पांच कालें आई है। मां-बाप टेलीफोन पर रो रहे हैं। एक कह रहा है "मेरी लड़की वहां है। पता नहीं क्या हुआ। कृपया किसी को सूचित करो।" लेकिन हम उन्हें कोई जानकारी नहीं दे पा रहे। एक बात तो यह है। मैं आपकी समस्या जानता हूं कि वहां संचार स्थापित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

हमारे इराक से बहुत अच्छे सम्बन्ध है। इसलिए, आप सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कीजिये।

दूसरी बात यह है कि आप उन्हें वहां से निकालने सम्बन्धी कार्य योजना की अभी घोषणा कीजिये। आप न केवल पंजीकृत बल्कि अपंजीकृत सभी 2,50,000 भारतीयों को कुवैत से यहां लाइये। महोदय, कृपया कुछ कीजिये। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप सद्भावना के रूप में श्री सद्दाम हुसैन से मिलिये तथा अपने लोगों को वापस यहां लाइये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, सात तारीख से लगातार आपके पास पिछले तीन दिन से कालिंग अटेन्शन और बहस के लिए नोटिस आ रहे हैं। कुवैत में क्या हालत हैं, क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उसके लिए पूरी सूचना यहां पर देनी चाहिए। लाख-डेढ़ लाख हिन्दुस्तानी वहां रहते हैं वहां पर युद्ध की स्थिति है और ऐसी स्थिति आस-पास भी हो रहा है, उसके बारे में सदन को इन्फार्म नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय को पहले दिन ही यहां आकर बताना चाहिए। अब तो वे बताएं। वहां के बैंकों ने कुवैत करन्सी को लेने से इंकार कर दिया है। लाखों लोग वहां से रुपया भेज रहे थे। उस रुपए से परिवार चलते थे। क्या उनकी करन्सी लेना बंद कर दिया है और क्या उनका यहां कुछ इंतजाम होगा जो परिवार उस धन से चलते थे तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। उनको कैसे सहायता दी जा रही है। उसके लिए कैसे कदम उठाया है। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दोसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो मुद्दे शामिल है जिन पर हिन्दुस्तान की संसद उन मामलों पर विचार कर लें। हमारे जो हिन्दुस्तानी वहां रहे हैं और उनकी सुरक्षा का मामला और दूसरे मामले के लिए स्पेशल प्लेन भेजना, इस तरह एक उपाय नहीं हो सकता। इसके कई तरीके हो सकते हैं। हिन्दुस्तानियों को सुरक्षा कैसे कर

सकते हैं तो इस बारे में संसद में विचार कर सकते हैं। पार्टी के नेता कर सकते हैं और केबीनेट बैठकें कर सकते हैं। भारत एक मामूली देश नहीं है। भारत निर्गुट देशों का महत्वपूर्ण नेता है और महत्वपूर्ण नेता होने के कारण सऊदी अरब में अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया। वहां महाशक्तियों का क्या रूप है। उस एरिया की क्या परिस्थिति है। कुवैत को इराक ने हड़प किया और अपना भाग घोषित किया। इस पर भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि महाशक्तियों से उनकी कोई बात हो रही है। उस एरिया के अंदर जो कन्ट्रीज है उनसे कोई बात हुई है। और निर्गुट देशों का महत्वपूर्ण नेता होने के नाते भारत ने अब तक क्या अहम् भूमिका निभाई है इस बात की जानकारी देश की संसद को होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसमें सरकार की कमजोरी है। इसलिए सारे मामले को रोककर इस संसद में बहस होनी चाहिए। हमें बहस से पीछे नहीं भागना चाहिए। साठे जी इसको समस्त राजनीतिक मामला बनाकर इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। (व्यवधान)

12.46 म. प.

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

कुवैत में भारतीयों की स्थिति

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इससे शुरू करता हूं कि मैं इस सभा के दुःख से पूरी तरह दुखी हूं। और मैं समझता हूं कि आज हर भारतीय इससे चिन्तित है। यह ऐसा मामला है जिस पर सभी दल चिन्तित है। हमारे नागरिक हमारे देश भाई संख्या लगभग 2 लाख है और जो कुवैत में रहे है, वे इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस देश की अर्थव्यवस्था तथा वहां के जीवन में योगदान बहुत दिया है। मेरे विचार से किसी भी सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह उनकी देखभाल और सुरक्षा करे और यह देखे कि हालत इस हद तक न बिगड़ जाएं कि उनमें से किसी को आघात लगे। महोदय, मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम शुरू से ही इस बारे में चिन्तित रहे है और हम वह सब कुछ करने का प्रयास करते रहे हैं जो मानवीय रूप से सम्भव है। लेकिन कुछेक बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि वहां युद्ध जैसी स्थिति है। इसलिए, विगत चार दिन से संचार की सभी लाइनें कटी पड़ी हैं। कहीं से कोई संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। हवाई अड्डा, समुद्री पत्तन बंद कर दिए गए, टेलीफोन लाइनें काट दी गई है और तार रोक दिए गए है। इसलिए, कुवैत से सीधा सम्पर्क करना सम्भव नहीं है (व्यवधान) मैं आपका शुकर गुजर हूंगा यदि आप मुझे एक मिनट का समय दे। यदि मेरे भाषण में बाधा न डाली जाए और मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए तो मैं समझता हूं मैं आपको यह बता पाऊंगा कि हमारी चिन्ता और आपकी चिन्ता एक ही है। समस्त सभा यह जानने के लिए हमारी प्रतीक्षा में है कि हम क्या करने जा रहे है। कृपया मुझे अवसर दें। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आप पूछना चाहेंगे। मेरे पास जो सूचना, वह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे पास जो भी सूचना है वह राष्ट्र की सूचना है। इसलिए मैं आपको समस्त जानकारी देने को इच्छुक हूं।

हम अप्रत्यक्ष साधनों से उस देश की स्थिति के बारे में सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। हमने हर तरीके का प्रयोग किया है और आज भी विश्व भर में सभी भारतीय दूतावासों को उन मेजबान देशों से सम्पर्क स्थापित करने का और इस बात का पता लगाने कि कोई संचार लाइन उपलब्ध है या नहीं, स्थायी अनुदेश दिया है। हम इराक से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। बगदाद में हमारा पूर्ण दूतावास इराक सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखने का कार्य कर रहा है। हमें दिन में कई बार रिपोर्ट मिल रही हैं। इसलिए, जो कक्ष स्थापित किया गया है, वह न केवल रिपोर्टों, शिकायतों, चिंता तथा पूछताछ के कार्य की देखभाल ही नहीं कर रहा है बल्कि इसके साथ-साथ सतत सम्पर्क भी बनाए हुए है। सौभाग्य से, आज प्रातः लगभग 10.30 बजे (भारतीय समय) कुवैत में हमारे राजदूत ने बहुत अच्छा कार्य किया, अर्थात, वह किसी एमेच्योर फ्रिक्वेंसी पर निकोसिया से सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो गए और उन्होंने हमें सूचना दी है कि कुवैत में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। यह अपने आप में काफी संतोष की बात है। हम उस गति को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं तथा उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इराक सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, कि इराक की सेना को आदेश दे दिए गए हैं वह यह देखे कि भारतीयों की हर हालत में रक्षा की जाये। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भारतीय सुरक्षित हैं। कुछ भारतीय वहां पर ब्रिटिश एयरवेज की पिछली उड़ान से पहुंचे थे। हमें ब्रिटिश एयरवेज तथा इराक सरकार ने बताया है कि वह होटल में ठहरे हैं तथा सुरक्षित हैं। यह आज की स्थिति है। मैंने स्थायी निर्देश दिये हैं, कि हम अब मामले को ईराक सरकार के साथ उठायें। कल से हम उन पर यह जोर देने की कोशिश कर रहे हैं तथा यह कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों को निकाल सकते हैं या नहीं। बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। एक विकल्प यह है कि हम लोगों को आयात होते हुए सड़क मार्ग द्वारा निकाल सकते हैं। परन्तु केवल बात यह है कि उनकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए क्या वह आयात को सामान्य खोलेंगे या नहीं। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारा प्रभाव कार्य नहीं करेगा। ईराक के लोग चाहे सही हों या गलत हों, अपने दृष्टिकोण से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनका हित किसमें सुरक्षित है। अतः यह कठिनाई है। हम इस संभावना का पता लगा रहे हैं कि उन्हें समुद्री मार्ग से निकाल सकते हैं या नहीं। मेरे निर्देश यह हैं कि न केवल उन्हें समुद्री मार्ग से निकाला जाये। यदि संभव हो, तो उनको सीधे भारत न लाया जाये क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा। यदि हम उन्हें पड़ोस के किसी खाड़ी देश में ले जा सकें तो उसके लिये भी हम कोशिश करेंगे परन्तु सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस समय ईराक यह महसूस करता है कि हवाई अड्डा या बन्दरगाह को खोलना या संचार के साधनों को पुनःस्थापित करना सुरक्षित है। सुरंगें बिछायी गयी हैं क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति है।

इस समय आज सुबह एक और सूचना मिली है ईराक-कुवैत सीमा पर दो या तीन कम्पनियों में कुछ भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। एक कम्पनी भारतीय कम्पनी है तथा दूसरी कम्पनी विदेशी है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। यह सूचना हमें आज सुबह ही मिली है।

मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम पैसे में प्रवास साधनों में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जोकि वहां पर साथी नागरिकों की सहायता करने तथा उनकी देखभाल करने के लिये जरूरी है। हम विभिन्न संचार के साधनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश रहे हैं। सऊदी अरब का कुवैत के साथ किसी प्रकार का वायरलैस संपर्क हम उस संपर्क से कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क हो जाये परन्तु इस समय वह भी कार्य नहीं कर रहा है। कल से

स्थिति और खराब हो गयी है जैसाकि मेरे माननीय मित्र जानते होंगे। क्योंकि अमरीका ने कुछ कदम उठाये हैं। मैं इस समय इस स्थिति पर जानबूझकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं समझता हूँ कि यह स्थिति ऐसी है जिस पर गम्भीरता के साथ विश्लेषण करना चाहिये। अतः मेरे लिये जल्दी में कोई बयान देना संभव नहीं है। न ही मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि अखबारों में कोई वक्तव्य दिया जाये, संकट की स्थिति को मेरे लिए संक्षिप्त बयान देना उचित होगा।

जहां तक अन्य बातों का सवाल है आप यह बात ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित करके ईराक के विरुद्ध अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाने को कहा है। इस बात पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश में आधे से अधिक तेल ईराक तथा कुवैत से आता है। यह सब समस्यायें हैं। अतः जब हम स्थिति का अनुमान लगायें तो हम इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखा जाये।

मेरे मित्र श्री मल्होत्रा बैंक खातों के स्थानान्तरण के बारे में कहा है। वहां पर किसी के पास दीनार नहीं हैं। वहां पर दीनार दिये जाने चाहिये। भारतीय बैंको द्वारा दीनार स्वीकार न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि वहां पर दीनार दिये जाते हैं तो उसका स्थानान्तरण स्वाभाविक ही रूप से होगा। वहां पर बैंक कार्य नहीं कर रहे हैं। यह मुख्य बात है। मैं एक बात का आश्वासन देता हूँ कि वहां पर जो भी स्थानान्तरण किया जाता है हम उसे स्वीकार करेंगे।

मेरे माननीय मित्रों ने इस पर पूरी चर्चा की मांग की है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं सभा से आग्रह करूंगा कि इस पर तुरन्त चर्चा न करें क्योंकि यह गम्भीर स्थिति है। सारी स्थिति सम्बन्धी नीति पर कोई बात कहने पर मुझे बाध्य न करें। परन्तु मैं सभा को आश्वासन करता हूं कि हम स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं। हम सारी स्थिति से चिन्तित हैं।

जहां तक भारतीय नागरिकों का सवाल है न केवल भारत के नागरिक बल्कि भारतीय मूल के नागरिक भी हमारी चिन्ता का विषय हैं।

इनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। यह हमारी चिन्ता का विषय है। जो भी संभव है वह हम कर रहे हैं। यह देखने के लिये कि उनका हित सुरक्षित रहे उनके जीवन सुरक्षित रहें। हम सब के मित्र तथा संबंधी वहां हैं। कुछ लोग वहां ऐसे हैं जिनके बारे में मैं निजी रूप से जानता हूं, हालांकि हमने एक सैल की स्थापना की है परन्तु हर व्यक्ति के बारे में पृथक सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे पास कुल मिलाकर सूचना है कि भारतीय वहां पर सुरक्षित हैं। परन्तु मेरे लिये यह संभव नहीं है कि यह सूचना दूं कि क्या यह या वह व्यक्ति सुरक्षित है। कुछ मामले ऐसे हैं जो हमारे लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो महिला है और गर्भावस्था में है। सभी संबंधी एवं मित्र इस बात से चिन्तित थे कि क्या होगा। एक ही परिवार की तीन युवा बहिनें हैं जो ब्रिटिश एयरवेज के हवाई जहाज में थी। उनके परिवार का चिन्तित होना स्वाभाविक मैं भी इन बातों से चिन्तित हूं और यह चिन्ता हम सब की है। यह सरकार तथा विपक्ष का सवाल नहीं है। यह ऐसा सवाल है जिसमें हम सब शामिल हैं तथा हम सब चिन्तित हैं। मैं आपके माध्यम से सभा को का तथा देश को आश्वासन देता हूं कि सरकार उनके

बचाव के लिये हर संभव प्रयास करेगी। यदि मेरे मित्र उनसे संपर्क बनाये रखने के लिये एक समिति का गठन करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। यदि कोई सदस्य मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है और मैं सोचता हूं कि जो हो सकेगा वह करूंगा। वास्तव में मैं कल बयान देना चाहता था तथा सूचना देना चाहता था। दुर्भाग्यवश सारी सभा किसी और बात के लिये चिंतित थी। यह मेरी गलती नहीं थी फिर भी जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था। यदि इस सूचना के देने में चौबीस घंटे की देरी हुई है तो मुझे क्षमा करें। (व्यवधान)

श्री एस. बेंजामिन (बपतला) : हम चाहते हैं कि एक प्रतिनिधिमण्डल वहां जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल आमतौर पर नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा यदि आप सब एक-एक करके बोलें, ताकि मैं उनको ध्यान पूर्वक सुन सकूं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : यह सब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो देश हमारे नागरिकों की सुरक्षा की गारन्टी दे सकता है, वह है ईराक, क्योंकि उसने कुवैत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसलिए इसके पहले कि स्थिति बिगड़ कर युद्ध का रूप ले जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब और ईराक शामिल हों, और हमारे लोग असुरक्षित हो जाए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सद्दाम हुसैन से स्वयं मिलें। मैं समझता हूं कि सद्दाम हुसैन से आपने हाल में भेंट की है और उन्होंने आपसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, जैसा कि टी. वी. समाचार में बताया गया था। इसलिए आप सद्दाम हुसैन से स्वयं क्यों नहीं मिलते और उनका आश्वासन लेते ? उनकी सहायता से आप यह काम कर सकते हैं। कृपया आप ऐसा ही करें।

अध्यक्ष महोदय। अपवाद स्वरूप, मैं प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं, और आप इसे पूर्वादाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच बीच में न बोलें।

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि संचार प्रणाली पूरी तरह विफल हो गई है। मुद्दा यह है कि हमें अमेरिका स्थित अपने मित्रों से यह समाचार मिला है कि वहां स्थिति काफी खराब है। मुझे जानकारी मिली है कि पानी और बिजली के कनेक्शन पूरी तरह बन्द कर दिए हैं। वहां तापमान इतना अधिक है कि यदि विद्युत और जल आपूर्ति न हो तो जीवन काफी कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए यदि हमें अमेरिका के अपने मित्रों से समाचार मिला तो मैं समझता हूं कि सरकार अमेरिका से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि उसको वहां पर एक बेहतर संचार प्रणाली है, वे उस संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मई में बगदाद का दौरा करने का मौका मिला और मैंने पाया कि हमारा दूतावास काफी छोटा है। राजदूत तथा कर्मचारी बहुत योग्य हैं

परन्तु मुझे नहीं लगता कि इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इस समस्या के लिए दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरी बात यह है कि श्री साठे ने यह सुझाव दिया था कि मंत्री महोदय स्वयं बगदाद का दौरा करें। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान स्थिति में यह ठीक होगा परन्तु क्या मंत्री महोदय कम से कम इस क्षेत्र के प्रभारी सचिव को दौरा करने तथा ईराक सरकार को वहां हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर करने के लिए भेजने पर विचार करेंगे।

1.00 म. प.

प्रो. संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा अभी अभी दिये गए वक्तव्य के बारे में काफी चिन्तित हूं। उन्होंने कहा कि हमारे तेल आयात का आधा हिस्सा कुवैत और ईराक से आता है, पिछले दिनों प्रो. मधु दण्डवते ने कहा था कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। श्री गुरुपदस्वामी ने कहा कि चिन्ता की कुछ बात है। इससे देश में भय व्याप्त होगा और काला-बाजारी बढ़ेगी। स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक मन्त्री सभा में परस्पर विरोधी वक्तव्य दे रहा है। इसलिए इससे हमारे लिए समस्या पैदा हो रही है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह कुवैत के साथ सभी संचार सुविधाएं खत्म हो गई हैं। कुवैत से सम्पर्क स्थापित करने की कोई संभावना नहीं है। परन्तु मुझे आशा है कि इराक के साथ सम्पर्क बरकरार है। इसलिए हम इराक से सम्पर्क कर सकते हैं। क्या विदेश मंत्री ने हमारे लोगों को वहां से निकालने, उन्हें अपनी चिन्ता के बारे में बताने तक क्या आपने नागरिकों को वायुमार्ग अथवा समुद्र मार्ग से वापस लाने के लिये प्रधान मंत्री अथवा विदेश मन्त्री से सम्पर्क किया गया है? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री एस. कृष्ण कुमार (क्विलोन) : भारत का गुट निरपेक्ष आन्दोलन में उत्कृष्ट नेतृत्व रहा है पिछले नवम्बर में हमारे प्रधान मंत्री का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी राष्ट्रों में काफी सम्मान किया था। उस समय सभी नेताओं का टेलीफोन पर सम्बन्ध था। परन्तु मैं यह बात विशेषरूप से जानना चाहूंगा कि इस मामले को समाप्त करने के लिये हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री वी. पी. सिंह ने क्या किया है। क्या उन्होंने श्री सद्दाम हुसैन से सीधा सम्पर्क स्थापित किया है? क्या उन्होंने कुवैत में भारतीयों की जान तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिये सरकार तथा राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर कोई राजनीतिक कदम उठाया है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : लाखों की तादाद में सऊदी अरब और कुवैत ईराक में हिन्दुस्तानी हैं और तकरीबन हैदराबाद के सबसे ज्यादा तादाद में हैं। ये लोग मेरी कांसटीट्यूएन्सी के हैं। रोजाना टेलीफोन हो रहे हैं कि वहां से बहुत से खानदान वापिस आना चाहते हैं, उनको लाने का इन्तजाम किया जाए। आप देख रहे हैं कि कई दिन हो चुके हैं, आपने जो टेलीफोन नम्बर दिया है कि इस टेलीफोन से रब्त पैदा किया जाए और उनसे मालूमात हो लेकिन उस टेलीफोन पर कोई मालूमात नहीं दी जा रही है, कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से लाखों लोग परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते

है। परेशानी यह है कि वे लोग वापिस हिन्दुस्तान आना चाहते हैं, उनको लाने का कुछ इन्तजाम किया जाए, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वहां पर बहुत परेशानी है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता। मंत्री महोदय ने स्थिति को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मैं दो सुझाव देना चाहता हूं जिन पर वे विचार करें और ये सुझाव दो स्तर पर है।

हम लोगों के सामने एक समस्या है और यह एक मानवीय समस्या है पंजीकृत या बिना पंजीकृत भारतीय नागरिकों की समस्या है समस्या भारतीय मूल के नागरिकों की है जो उस क्षेत्र में हैं। कुछ समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से उनकी हैं जब कभी भी दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति आती है। यह स्थिति युद्ध के समान है। हम उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। सरकार के विचार के लिये मैं निम्नलिखित सिफारिश करता हूं।

कुवैत एक बहुत छोटा देश है। भारतीय बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैले नहीं है। क्या सरकार भारत के सभी नागरिकों को उन्हें निकालने के लिये एक सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा करेगी ?

दूसरी बात, क्या सरकार इन भारतीयों की इच्छाओं को जानने के प्रस्ताव पर विचार कर सकेगी क्योंकि वहां अनेक भारतीयों की काफी बड़ी सम्पत्ति है और वे अब सम्पत्ति को तुरन्त छोड़ कर नहीं आएंगे। और शायद हमारे दूतावास के कर्मचारी भारतीयों को एक सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा करने के बाद उनकी इच्छा जानने का प्रयास कर सकते हैं कि उनमें से कितने वापस भारत आना चाहते हैं कितने अमिरात जाना चाहते है और कितने अस्थायी तौर पर अम्मान जाना चाहते हैं।

तीसरा सुझाव, जिस पर मैं चाहूंगा कि सरकार विचार करे और जो पहले कही गयी बात की पुष्टि करता है यह है चूंकि यह एक छोटा देश है वहां हमारे लोग भी कम है। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि अमिरात के हमारे लोग उनकी सहायता करें और देखें कि कुवैत में अभी क्या हो रहा है ? कुवैत के साथ आपको सीधे संचार सम्पर्क बनाने में भी कठिनाई है, यदि आप अमिरात के माध्यम से सम्पर्क बनाने की कोशिश करते है, तो यह निकोसिया के माध्यम से रेडियो नेटवर्क बनाने के प्रयास की अपेक्षा दूरी और सुविधा के अनुसार आसान होगा।

दूसरे स्तर पर जो कि भारत द्वारा एक राजनीतिक पहल है, मुझे मन्त्री महोदय की इस बात से सहानुभूति है कि राजनीतिक बहस तभी सार्थक हो सकती है यदि ये बहस समय पर हो और उचित समय पर की गयी हैं। मुझे एक शंका है जो मैं सभा को बताना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनिवार्य प्रतिबन्ध, व्यापार प्रतिरोध, हर संभव आर्थिक प्रतिबंध के लिये सर्वसम्मति से निर्णय लेने तथा दोनों बड़े राष्ट्रीय द्वारा इराक के खिलाफ, न सिर्फ वक्तव्यों पर बल्कि सेना द्वारा संयुक्त आक्रमण का निर्णय लेने के कारण, दोनों बड़ी ताकतें संभवतः संयुक्त कार्यवाही कर रही है। गुट निरपेक्ष या किसी अन्य संगठन के पास ज्यादा विकल्प नहीं रह सकता है, जब कि इस्लामिक सम्मेलन संगठन असफल रहा, अरब लोग भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सका सम्भवत वह इस सुझाव पर दबाव देना चाहती है कि गुट निरपेक्ष देश की कार्यवाही सार्थक हो सकती है। इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि यदि आप इसे व्यापक दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान की घटनाएं

इराक की घटना समुद्री परब के 82वें पद बोर्ड डिविजन वाली सभी का एक प्रभाव है जिसकी हमें गहन और विस्तार पूर्वक जांच करनी चाहिये। इसलिए जबकि मैं भारत सरकार द्वारा आवश्यक राजनीतिक पहल का समर्थन करता हूं मुझे सरकार से इस बात पर तथा मंत्री महोदय की समस्याओं से सहानुभूति है किजब तक स्थिति स्पष्ट न हो हम यह भी नहीं बता सकते कि ये कदम क्या है।

ऐसा कहकर मैं सरकार को यह सुझाव देते हुए इस बात पर बल दूंगा कि उन्होंने एक तंत्र तैयार किया है चाहे विदेश मंत्रालय में या कहीं और सऊदी अरब, कुवैत, अमिरात या किसी और जगह काम करने वाले ज्यादातर भारतीय देश के किसी विशेष राज्य के हैं। विदेश मंत्रालय से सिर्फ दो टेलीफोन करना और केरल के लोगों से इन दो टेलीफोनों पर संपर्क के लिए कहना काफी नहीं है।

यदि आवश्यक हुआ तो आप अपने अधिकारियों को केरल हैदराबाद में क्यों नहीं तैनात करते हैं? जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हमारे ज्यादातर नागरिक हैदराबाद से हैं। उन अधिकारियों को वहां जाने से वहां एक सम्पर्क कार्यालय बनाएं निश्चय ही यह सरकार के लिए असंभव नहीं है। सरकार को जनता तक अवश्य जाना चाहिए, केरल में लोग कठिनाई में हैं, इस बात का कोई तुक नहीं है कि दो टेलीफोन नम्बर हैं। अध्यक्ष महोदय मुझे ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि देश के किसी कोने में टेलीफोन का नम्बर मिलाना कितना कठिन है। इसलिए मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि वे इन राज्यों में विदेश मंत्रालय का एक दल या किसी भी तरह एक सम्मिलित दल तत्काल भेजें ताकि यदि इन राज्यों में किसी नागरिक को कोई परेशानी हो तो वह इस सम्पर्क दल से सम्पर्क कर सके। तब सरकार और जनता के बीच ज्यादा अच्छा सम्बन्ध होगा।

कामगार और ऐसे व्यक्ति जिन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत है के बारे में एक अंतिम सिफारिश है। मुझे विश्वास है कि कुवैत में अच्छी चिकित्सा सुविधा है।

परन्तु ये चिकित्सा सुविधायें सैनिक दबाव में है और सैनिक दबाव से युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, अब आप उस महिला के मामले को सोचिए जो गर्भावस्था के अन्तिम चरण में है या फिर किसी रोगी व्यक्ति के मामले को सोचिए शायद इराक के साथ हमारे निकट सम्बन्ध ही सकती हैं यदि यह वाणिज्यिक सेवा सीधे, खाड़ी और भारत के बीच हमारी काफी सेवाएं हैं जो वहां तक पहुंचने की एक वाणिज्यिक सेवा है मुझे यथाशक्ति कहने की जरूरत नहीं ताकि कुवैत से ऐसे लोगों को निकाला जा सके जिन पर ध्यान दिये जाने की हो आवश्यकता हों, चाहे वे गर्भावस्था के अन्तिम चरण की चाहे वो गर्भावस्था के अन्तिम दिनों में हो चाहे म हिलायें हों या वृद्ध ही या वैसे बच्चे हों जो अपने परिवार से मिलना चाहते हों। ये एक ऐसी बात होगी जिससे केरल या हैदराबाद या किसी और जगह रहने वाले लोग आश्वस्त रहेंगे।

मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। यदि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करे तो मैं आभारी हूंगा।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जो बातें कही गई हैं, उन्हें मैं दोहराना नहीं, ज्यादातर बातें सही हैं। जिस बात की ओर मैं चाहूंगा और मंत्री जी ने नहीं कहा और अभी कुछ

कर मैं चिन्तित होकर कह रहा हूं, जो अरब के लिए अमेरिका को फिक्र नहीं है, वह हमें होनी चाहिए। अरब हमारा पड़ोसी है, अरब समुद्र के उस पार है और हम इस पार हैं, हमारे लोग भी मिले जुले हुए हैं, उसी तरह से सोवियत का भी प्रत्यक्ष रूप से उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना हमारा है, ऐसी स्थिति में अरब में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, उस पर भी हमारा कदम होना चाहिए, एक दोस्ताना हल कि कैसे यह समस्या हल हो जाय। लेकिन अमेरिकी फोज वहां उतर गई है, राष्ट्र संघ की अनुमति से नहीं, किन्हीं दो चार राष्ट्रों की अनुमति से नहीं बल्कि उनका मित्रों ने भी साथ नहीं दिया और वह फोज वहां उतर गई है, वह फौज क्या करेगी, वह पुरानी गन बोट डिप्लोमेसी की याद दिलाती है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में अपनी आजादी के लिये, क्योंकि, कल हमारे लिए भी यह खतरनाक हो सकती है, यह संसार के आरक्षी बल का काम करने के लिये अमेरिका को हक किसने दिया, ऐसी स्थिति में मैं वही मूल समझ रहा हूं, क्योंकि कल जो आने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत सरकार निर्गुट देशों के साथ, अरब लोग के साथ, इनके साथ बातें करके, मैं मुस्लिम कण्ट्राज की बातें नहीं कहूँगा, लेकिन अरब का मामला है, अरब देशों के साथ सीधे सम्पर्क करके आपसी मामला को भी तय करने के लिये कुवैत वगैरह का और खासकर अमेरिकी फोज वहां न रहे, जल्दी चली जाय।

सुरक्षा के बाद में जो सुझाव आये हैं, उनका तो मैं समर्थन करता हूं। इस मामले पर हमें पंगु बनकर नहीं रहना चाहिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी का वक्तव्य सुनकर हमें लगा कि स्थिति अधिक चिन्ताजनक है कि तार टेलीफोन से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है, हमारे विमान वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एयराड्रम्स वहां क्लोज्ड हैं, ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि क्या हम इण्टरनेशनल रेडक्रास की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया की एक मानवीय आधार पर बनी हुई संस्था है और इस समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर, खास तौर से जहां मानवीयता का सम्बन्ध होता है वहां इण्टरनेशनल रेडक्रास सहायक बनती है इसलिये मैं माननीय विदेश मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इण्टरनेशन रेडक्रास की भी सहायता ली जाय जिससे कि हमारे लोग यहां सुरक्षित लौट सकें। मैं इस बात को ठीक नहीं समझता कि माननीय विदेश मन्त्री जी वहां जायं या माननीय प्रधान मंत्री जी वहां जायं। स्थिति ऐसी नहीं है कि वे लोग वहां जायें लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने लोगों की सुरक्षा कर सकें।

अन्तिम बात यह कि जैसा अभी एक मित्र ने भी कहा कि भारत वर्ष को केवल इतनी दूर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। दुनिया के अन्दर अभी हमारा एक हैसियत है। इस युद्ध को कैसे टाला जा सकता है कि यह महाप्रलयकारी युद्ध न हो, इस विषय पर भी भारत सरकार को पहले करनी चाहिए, स्टैण्ड लेना चाहिए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो ही सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहता हूं, वहां की जो सत्ता है उनके पास सेटेलाइट कनेक्शन लिंकेज है (व्यवधान) वह भी काटा हुआ है तो एक बात है कि इराक के साथ हमारे जितने भी अच्छे संबंध हैं, उनका उपयोग करके वहां पर जो सारे भारतीय हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाय और वहां इकट्ठा करके उन्हें जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता हो, जैसा आपने बताया कि

मेडीकल असिस्टेंस है या और भी जितनी आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर अण्डर मिलिट्री प्रोटेक्शन उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें सभी प्रकार की सहायता दी जाय तो मैं समझता हूं कि हमारी चिन्ता कुछ कम हो सकती है।

[अनुवाद]

डा विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : मैं अनिवार्य प्रतिबन्धों का कोई विशेष उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों का प्रयोग करना चाहिए तथा हमें अमेरिका की एकतरफा कार्यवाही का समर्थन नहीं करना चाहिए। अमेरिकियों को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए और जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए वह संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही संयुक्त कार्यवाही होनी चाहिए। जबकि इराक तथा कुवैत की घटनाओं के बारे में हम सभी चिंतित हैं, परन्तु हम अमेरिका को उस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करने देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सभा में इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इराक ने जो किया है, वह आक्रमण ही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बाधा क्यों डाल रहे हैं ? हां तो डा. विप्लव दासगुप्त ? आप अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

डा. विप्लव दास गुप्त : मैं जो बात कह रहा हूं वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं यह है कि इन सभी अनिवार्य प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए तत्काल यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम वे लोग जो दयनीय स्थिति में हैं, जो लोग बीमार हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको उस देश से निकालने के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए। मेरे विचार से जो सुझाव आया है वह व्यवहार्य है और यह कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए। उन्हें निकालने सम्बन्धी अन्य कार्य भी शीघ्र किए जाने चाहिए।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि किसी अन्य पड़ोसी देश के माध्यम से कुवैत में हमारे राजदूत से सूचना प्राप्त हुई है कि कुवैत में हमारे लोग सुरक्षित हैं। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि राजदूत तथा भारत सरकार के बीच कोई सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता है तथा हम यह भी समझ सकते हैं कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां स्थित हमारे राजदूत के लिए वहां रह रहे भारतीयों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है इस बारे में सीधी सूचना प्राप्त करने की भी बिल्कुल संभावना नहीं है। इसलिए, मेरा यह विचार है कि तत्काल कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। यदि मंत्री महोदय अब वहां जा सकते तो हमें अपने दूत को तत्काल कुवैत भेजने की अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को इराक भेजना चाहिए बल्कि वहां से सीधी जानकारी प्राप्त हो सके और वहां रह रहे बड़ी संख्या में हमारे लोगों के बारे में यहां उनके रिश्तेदारों को सूचना दी जा सके। वहां रह रहे लोगों के रिश्तेदारों से हमें यह पता चला है कि ऐसी अफवाहें हैं कि वहां भारतीयों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जैसा कि उल्लेख किया गया कि वहां का तापमान बहुत अधिक है। वहां के हालात बहुत खराब हैं और उन्हें भोजन भी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात को बार-बार कहने के बजाय आप अपने सुझाव दीजिये।

श्री पी. सी. थामस : मेरा यह सुझाव है कि हमें इराक के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा दूत न केवल इराक जाए बल्कि वह सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कुवैत भी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (गोपाल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम नोटिस देने वाले हैं और हम ही आउट हैं। हमको भी समय दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बिना दोहमाए आप अपने सुझाव दीजिए।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : मैं सुझाव नहीं दोहरा रहा हूं। मैं किसी प्रकार की राजनीतिक विचार धारा या ऐसी किसी अन्य बात का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य देते समय पहले ही कहा है कि एमेच्योर रेड़ियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करके और वह भी भारत से नहीं बल्कि निकोसिया से सम्पर्क स्थापित किया गया था परन्तु उन्होंने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि कुवैत में किससे संपर्क स्थापित किया गया था। क्या वह भारतीय राष्ट्रिक था या स्वयं हमारा राजदूत था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हमारे राजदूत।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : हमारे राजदूत से? तो हमारे राजदूत स्वयं ही इस कार्य को सम्भाल रहे हैं। तो फिर, मैं नहीं समझता कि हमें सम्पर्क स्थापित करने में बहुत अधिक कठिनाई होनी चाहिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपकी बात को स्पष्ट कर देता हूं। आज प्रातः निकोसिया में हमारा दूतावास एक एमेच्योर वेवलेंग्थ पर सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो गया था हमारे राजदूत ने संदेश देने का प्रयास किया कि वहां सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने हमें एक वेव लेंग्थ बताई है। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यह वेव लेंग्थ अभी भी काम कर रही है। यदि यह काम कर रही है, तो हम निकोसिया के मार्फत से इसको उपयोग करेंगे।

श्री पी आर कुमार मंगलम : सबसे मुख्य बात यह है कि इस सारे मामलों में भारत से कोई सम्पर्क जो चालू हो, स्थापित किया जाना चाहिए चाहे वह अरब जगत के आस पास से हो अथवा पश्चिमी एशिया में कहीं से भी हो। मेरा सुझाव है कि हमारे पास विदेश में पर्याप्त दूरसंचार व्यवस्था है, जिससे हम वास्तव में सतत संचार के लिए एक फ्रिक्वेंसी का आवटन कर सकते हैं।

जब तक आप सतत् सम्पर्क नहीं स्थापित करते, तब तक आप इस समस्या का समाधान वास्तव में शुरू नहीं कर पायेंगे। यदि आपके पास एमेच्यार फ्रिक्वेंसी है मैं भी एमेच्यार रेडियो आपरेटर हूं तो यह सुनिश्चित करना संभव है कि एक फ्रिक्वेंसी का आवंटन कर दिया जाए। एक बार फ्रिक्वेंसी आवंटित हो जाने पर केरल के लोग भी इस चेनल पर सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे और सूचना प्राप्त कर सकेंगे। यह जरूरी नहीं है कि किसी अधिकारी से यह कहा जाए कि वह केरल या हैदराबाद जाए। उदाहरणार्थ मेरे चुनाव क्षेत्र से लगभग 5000 लोग ऐसे हैं जो कुवैत में काम कर रहे हैं। हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है कि सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोई विशेष फ्रिक्वेंसी आवंटित की गई है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस फ्रिक्वेंसी का आवंटन कौन करता है ?

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : इसका आवंटन अन्तर्राष्ट्रीय एमेच्योर रेडियो एसोसिएशन करती है। यदि यह उच्च फ्रिक्वेंसी रेंज में है जो वे फ्रिक्वेंसी का आवंटन किया जाए तो सूचना प्राप्त करना संभव हो जाता है और यदि आप स्वयं संचार व्यवस्था को बनाए रखते हैं तो मुख्य समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री के. एस राव (मछली पटनम) : माननीय मंत्री महोदय ने आज अपनी आशंका व्यक्त की है क्योंकि वहां सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाया है। कल सऊदी अरब में भी यही स्थिति हो सकती है इससे पहले कि मंत्री महोदय चार या पांच दिन बाद अपनी असमर्थता व्यक्त करें, मेरा उन से अनुरोध है कि सऊदी अरब अथवा उनके अन्य पड़ौसी देशों में जहां ऐसी स्थिति होने की सम्भावना है, सभी लोगों को एक स्थान पर रखने अथवा वहां से उन लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते जाए जो वहां से देश वापस आना चाहते हों। मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूं जो हैदराबाद या उसके आस-पास के हैं और जो सऊदी अरब, इराक या कुवैत में काम कर रहे हैं। यदि मंत्री महोदय ने ऐसी स्थिति होने से एक हफ्ता पहले इसका अनुमान लगा लिया होता तो लोगों को या तो सड़क द्वारा अथवा समुद्री जहाज द्वारा अथवा किसी अन्य साधन द्वारा वहां से निकाला जा सकता था। कम से कम अब मंत्री महोदय देखें कि अन्य दूतावास यह कहने के लिए सावधानी बरतें।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जो कुछ कल कहा था उससे अधिक कुछ नहीं कहा है। सिवाय एक इस तथ्य के कि अब उन्हें सम्पर्क स्थापित करने में सफलता मिली है। परन्तु कोई नई सूचना नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वहां सब सुरक्षित हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : कल भी उन्होंने कहा था कि वहां सब सुरक्षित हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद उन्हें सूचना मिली थी।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : बिना किसी सूचना के उन्होंने कह दिया कि सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं।

मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूँ। बहुत सारे मामले उठाए गए। वे बहुत ही संगत तथा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के रूप में जिसने मामला उठाया था।

मैं एक बात के प्रति चिन्तित हूं, क्या मन्त्री महोदय आज से ही उन्हें कुवैत से निकालने के लिए तैयार है। वह समुद्री जहाजों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। परन्तु फिर उन्होंने कहा है कि रुकावटें लगायी गयी है। अन्य समस्यायें भी हैं। उन्हें डावाडोल नहीं होना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह आज से ही उन्हें कुवैत से निकालने के लिए तैयार हैं। मैं केरल से आ रहा हूँ। पूरे राज्य में आतंक छाया हुआ है। सरकार द्वारा यह बताये जाने के बाद के फलो-फलां नम्बरों से लोग अपने संबंधियों के बारे में पता लगा सकते हैं, ये टेलीफोन नम्बर समाचार पत्र, दूरदर्शन तथा रेडियो पर भी दिये गये, लोगों ने इन टेलीफोन नम्बरों पर संपर्क स्थापित करना शुरु कर दिया। परन्तु उन्हें कोई सूचना या उत्तर नहीं मिला है। तब वे हम संसद सदस्यों से सम्पर्क कर रहे हैं। हम विदेश मंत्रालय से सम्पर्क कर रहे हैं। हम कार्यालय में जाते हैं तथा अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधियों के नाम बताते हैं परन्तु वे कहते हैं कि कोई सूचना नहीं है। परन्तु मेरे राज्य के लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने यह प्रकाशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है कि वह फलां-फलां टेलीफोन नम्बर पर संपर्क स्थापित कर सकता है। अतः लोगों को सरकार पर विश्वास है, संसद सदस्य पर नहीं वे समझते हैं कि उसका सम्बन्धी खतरे मे होगा और इसी कारण संसद-सदस्य कोई सूचना नहीं दे रहा है तथा कुछ नहीं कर रहा है। दो में से एक बात तो है वह हमारे पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई सूचना नहीं थी तो आपने समाचार पत्र में प्रकाशित क्यों किया तथा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में क्या प्रसारित किया।

श्री टी. बशीर (चिरायिंकिल): मैं उन बातों को फिर से नहीं उठाना चाहता हूं जो पहले से ही उठाये जा चुके हैं। मन्त्री महोदय के वक्तव्य से यह पता चलता है कि यह सही है कि सरकार तथा मन्त्री महोदयने विश्व के सभी देशों में हमारे दूतावासों से कहा है कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें। कल और आज दिये गये वक्तव्यों से मैं समझता हूँ कि सरकार, मंत्री अथवा प्रधानमन्त्री ने इराक के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। प्रधान मन्त्री अथवा विदेश मन्त्री ने अब तक इराक से अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। बहुत से मित्रों ने कहा है कि हमारे उनके साथ अच्छे सम्बन्ध है। फिर भी यह देरी क्यों हुई ? मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आज मैंने दूरदर्शन पर देखा था कि ब्रिटिश एयरवेज ने अपने हवाई जहाज भेजे हैं जो ब्रिटिश मूल के लोगों को वहां से ले जायेंगे। यदि यह ब्रिटिश के लिये संभव है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ? हमारे लिए ऐसा करना सम्भव क्यों नहीं है ? ब्रिटिश ने ऐसा कैसे किया ? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं।

आपने कहा था कि आज भी आपको कुछ संदेश मिला है कि भारतीय सुरक्षित हैं। परन्तु केरल के समाचार पत्रों में इस घटना तुरन्त बाद यह समाचार छपा है कि गोली चलाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। समाचार पत्रों में उसका फोटो भी छपा है। क्योंकि जब यह संदेश

उसके घर पहुंचा तो रिपोर्टर लोग उसके घर गए। उसका फोटो लिया तथा समाचार पत्रों में छाप दिया। अतः लोग इस प्रकार की सूचना कि सब लोग सुरक्षित हैं, पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात की जांच करें।

मैं यह कहना चाहूंगा इस मामले में कि समय का बहुत महत्व है। मेरे मित्रों ने कहा है कि अमरीकी तथा अन्य सेनायें वहां आ रही है तथा स्थिति खराब होती जा रही है। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। अतः समय अत्यधिक महत्व है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज ही कुछ करना चाहिए वरना हमारे लिए इस सम्बन्ध में कुछ भी करना मुश्किल हो जायेगा।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : अपने देशवासियों के लिए चिन्ता दिखाना ठीक है परन्तु मैं महसूस करता हूं कि हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अरब देशों में हर पंद्रहवें दिन किसी न किसी के साथ किसी न किसी की लड़ाई चलती रहती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर पन्द्रवें दिन संसद में बैठकर वहां से लोगों को निकालने की बात करें। क्या हम सारे देश में तथा उन लोगों के बीच असुरक्षा की भावना फैला दें। मैं इस विचार का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कौन सा प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री ए. के. राय : महोदय, हम इस सभा के सदस्य किस प्रकार का संदेश मध्य पूर्व के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम न तो ब्रिटिश है और न ही अमरीकी है जिन्हें इन गड़बड़ियों से कुछ लाभ होने वाला है। (व्यवधान) जब स्थिति अच्छी थी तब हम वहां पैसा कमाने गये थे और स्थिति खराब हो गयी है तो हम वहां से वापस लौटना चाहते हैं। क्या यह संदेश हम उन्हें देना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि उस देश में स्थिति खराब है तो अपने लोगों से कहना चाहिए कि उस देश के लोगों के साथ मिलकर स्थिति का मुकाबला करें क्योंकि हम अरब के लोगों को अपना भाई तथा दोस्त मानते हैं। हम ब्रिटिश या अमरीकी नहीं हैं, जो उन लोगों की कठिन स्थिति का लाभ उठायें। अतः अपने लोगों को बता देना चाहिए कि यदि वे सामान्य स्थिति में वहां पैसा कमाने तथा अमीर होने गये थे तो असामान्य स्थिति में भी वहीं रहें तथा स्थिति का बहादुरी के साथ मुकाबला करें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग इस समय कुवैत में मुसीबत में फंसे हुए है। ऐसे मौके पर मानवता और इन्सानियत के नाते पूरे देश की यह जिम्मेदारी बन जाती है और खास तौर से पूरे सदन की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा मन्त्री जी से रिक्वेस्ट है कि दो लाख से ज्यादा लोगों का सवाल है, मन्त्री जी को अपनी जिन्दगी दो लाख लोगों से ऊपर नहीं समझनी चाहिए। दो लाख लोगों का इनको ध्यान रखना चाहिए। जाति और मजहब से ऊपर उठ कर मानवता और इन्सानियत के नाते इनको खुद वहां जाना चाहिए और सही स्थिति का जायजा लेकर पूरे देश के नागरिकों को स्थिति से अवगत करवायें। वहां पर जो बूढ़ी औरतें और बच्चे तथा वृद्ध लोग हैं

उनको वहां से निकाला जाए। जाति और मजहब से ऊपर उठ कर वहां से लोगों को निकाला जाए, ऐसी मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है।

श्री जनार्दन तिवारी (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, भारी तादाद में अमेरिकी सैनिक साऊदी अरब में पहुंच गए हैं और लड़ाकू विमानों से सुसज्जित हैं। यह बात भी तय है कि स्थिति और भयावह हो सकती है तथा बड़ा वार हो सकती है। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि उसे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब तक भारत सरकार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। उसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जोनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक पहलू की ओर नहीं जाऊंगा। यह बड़ा काम्पलीकेटेड मेटर है और विशेषतौर से पावर पालिटिक्स मैटर है। मैं दो-तीन सुझाव दूंगा। पहले तो इनको चाहिए कि औरतों और बच्चों को वहां से निकालें। इराक ने काफी आयल टैन्कर पकड़ रखे हैं। कुवैत के अन्दर वे खाली होंगे, यह इराक से बात कर लें। जिस शर्त पर वे करें उन टैन्कर्स को लेकर पहले स्त्रीयों और बच्चों को बाहर निकालें। मैं और सुझाव दूंगा......

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपके सुझाव पर शक होने लगता है जब वे आपका समर्थन करते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : जी नहीं जब वे मेरा समर्थन करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत कहा है।

[हिन्दी]

दूसरा सुझाव यह है कि कुवैत के अन्दर एक फिश्न नैक है। जो सऊदी अरब है, उसी कारण आयल फील्ड की ओर आता है। अगर उधर डिफेंस परसेप्शन में इराक ने अपने टैन्कर्स और हथियार न लगाए हों तो मर्दों और जवानों को उस ओर से निकालने का प्रयास किया जाए। सऊदी अरब, ओमान और अमीरात में आए। हमारे लिए कमाबकर हमारी बात मानेंगें। कुवैत से काफिला बनाकर लोगों को इकट्ठा करें और काफिला बनाकर दरिया यूफ्रेटिस या उसके किनारे होते हुए हबानिया ले जायें और हबानियां में स्टेजिंग एरिया बना दें। ढाई-तीन लाख लोग वहां इकट्ठे किए जा सकते हैं और फिर साधनों की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। उनको जोर्डन की ओर से और दूसरी ओर से निकालने का प्रयास किया जाए। तीसरा सुझाव यह है कि ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है जो जल्दी हल नहीं होने वाली है, यह समझ लें क्योंकि पावर पालिटिक्स का स्ट्रगल हो रहा है। इसलिए अगर ये विदेश विभाग के सीनियर सेक्रेटरी को इराक में भेजे जो वहां बैठकर सारे इवैक्युएशन की व्यवस्था करे। यह भी करने की व्यवस्था है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इवैक्युएशन फार मिनिस्टर बना दिया जाए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : उसको जनता ने पहले ही एवैक्युएट कर दिया है। वहां पर एक टाप रैंकिंग सेक्रेटरी बनाकर भेजे जो रोज-ब-रोज उनकी स्थिति को देखे तथा अधिकारियों से दोनों ओर से बात करे और इवैक्युएशन की व्यवस्था करें। यह भी सुझाव दूंगा कि अमेरिका से बात करें

क्योंकि अमेरिका सेना भी उदाहरण के ऊपर है। उनके डिफेंस परसंन्यूल में गड़बड़ी न हो और वो तैयार हों कि उसी तरफ से सामान को और लोगों को ले जाया जा सके। यह करने का प्रयास करें। यह मेरे सुझाव हैं और राजनीतिक पहलू और विचार की ओर भी ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्र कुमार गुजराल बोलेंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि मैंने माननीय मित्रों द्वारा उठाये गए मुद्दों को सही भावनाओं में लिया है क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि किस दबाव में वे काम कर रहे हैं और उन्हें कैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार हम सभी जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि हमारा चुनाव क्षेत्र प्रभावित होता है तो हम अपनी भावना व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। मैं इस बात को भी मानता हूं कि यदि कभी-कभी दिए गए सुझाव व्यवहार्य न दिखें तो उन्हें व्यक्त करने का अर्थ यह होता है कि वे कुछ और कहना चाहते हैं और इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए मैं सभी सिफारिशों को सकारात्मक तौर पर लेता हूं लोगों को निकालने के बारे में मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हम शीघ्रातिशीघ्र सभी नागरिकों को निकालना चाहते हैं।

इस कार्य को करने के तरीके पर कतिपय सुझाव आए हैं। सभी सुझावों को मैंने नोट कर लिया है और मैं यह देखूंगा कि कौन सा सुझाव व्यवहार्य है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि वहां युद्ध की स्थिति है और इराक भारतीयों को निकालने में सैनिक सहायता नहीं दे सकता उनकी अपनी समस्या हैं। इसी प्रकार अमेरीकी सेना की है। सऊदी सेना की स्थिति भी यही है। यही स्थिति उन सभी की है जो सही या गलत ढंग से इस समस्या में फंसे हैं। इसलिए मेरे लिए उनके पास जाना और यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि उन सब बातों को भूल जायें और सब से पहले मुझे भारतीयों को निकलने दें। इसलिए इस बात का आप ध्यान में रखें, मुझे गलत न समझें, इससे भारत की चिन्ता कम नहीं होती कि हम लोग सहायता करने को तैयार हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए हम हर सम्भव प्रयास कर सकते हैं। वहां किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजने से कोई खास बात नहीं बनेगी क्योंकि इराक में हमारे राजदूत काफी वरिष्ठ राजदूत हैं तथा उनका रिकार्ड काफी अच्छा रहा है और यही कारण है कि हमने उन्हें वहां उनका कार्य समाप्त होने के बाद भी रखा। आप में से जिसने भी वहां का दौरा किया है, जैसा कि श्री इन्द्रजीत ने किया उन्हें इस बात का पता लगा होगा कि जिस व्यक्ति को हमने वहां रखा है वह सबसे अच्छे राजनयिकों में से है इस बात का श्रेय उन्हें जाता है कि इन विपत्ति के दिनों में हम उनके कार्य से उनके निर्णय और प्रयासों से सन्तुष्ट हैं, जैसा कि हमें विश्वास है।

जहां तक बड़े लोगों का प्रश्न है हमारे राजदूत की वहां बड़े लोगों तक अच्छी पहुंच है श्री सद्दाम हुसेन से अभी बात करना उचित नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि श्री सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारे काम हैं। इसलिए उनसे यहां से फोन पर सम्पर्क बनाना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ राजनीतिक समस्या पैदा हो जाएगी। वहां के लोग युद्ध की स्थिति में हैं, उन्हें सहयोगियों की तलाश है मैं समझता हूं कि हमारे अब प्रधान मंत्री उन्हें फोन करेंगे तो उनका पहला प्रश्न भारतीयों की स्थिति के बारे में नहीं होगा। वे पूछेंगे कि हमारी नीति क्या है। इसलिए अब

तक हमारी नीति स्पष्ट नहीं हो जाती मैं इन्तजार करूंगा और इसलिए मैं सभी बातों को विश्व की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव सैन्य बलों के उतरने तथा पड़ोस पर इसके प्रभाव आदि की बातों को ध्यान में रखुगा। इसलिए कृपया इस बात को समझें और मैं चाहता हूं कि सभा स्थिति को जटिलता को समझे। इस लिए कृपया मुझसे जटिल समस्याओं का आसान समाधान देने के लिए न कहें।

जहां तक किसी एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करने का सम्बन्ध है इसके काफी गम्भीर परिणाम हो सकते है जैसे कि शरणार्थी शिविर खोलना आदि उनके लिए भोजना और पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी कठिनाई है और मैं पुनः कहता हूं कि अभी युद्ध की स्थिति है। यह हमारा अपना देश नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। जहां तक सऊदी अरब और अन्य देशों में रहने वाले व्यक्तियों का प्रश्न है यदि वे आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं क्योंकि संचार व्यवस्था अभी चल रही है। इसलिए यदि वे सऊदी अरब या किसी और देश या खाड़ी से आना चाहते है तो वे आ सकते हैं। वहां उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। यदि कोई व्यक्ति सऊदी अरब या खाड़ी देश से सम्पर्क करता है मैं आप से विश्वास दिलाता हूं उन्हें सभी तरह की सहायता दी जाएगी। परन्तु अभी तक हमें इन देशों के किसी भी व्यक्ति से कोई अनुरोध नहीं मिला है कि लोग वहां से आना चाहते हैं और वे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सभी संचार लाइनें खुली है।

श्री बसन्त साठे : कुल मिलाकर आप जो कह रहे है वह यह है कि आप इस बारे में असहाय है (व्यवधान) आप असहाय है और कुछ नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वर्तमान सरकार को असहाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने कार्यवाही की थी, जब फिजी में गड़बड़ी हुई थी। उस समय वह असहाय थे परन्तु अब ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह समाप्त नहीं कर रहे हैं। श्री निर्मल चटर्जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग मंत्री को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक फ्रीक्वेन्सी स्थापित करने सम्बन्धी श्री कुमार मंगलम के सुझाव का प्रश्न है बात बिल्कुल सही है और मैं इसको तुरन्त देखूंगा और यह भी देखूंगा कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं।

श्री ए. के. राय : मुख्य बात यह है कि क्या... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राय साहब वह समाप्त नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करने दीजिए कि दूसरे

पक्ष के मेरे वरिष्ठ साथी जो बोल रहे हैं वह मेरे निजी मित्र हैं, और उनको समस्या और अनुभव की प्रशंसा करता हूं और मुझे आशा है कि वह अपने अनुभव के अनुसार कार्य करेंगे। वह मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वह राष्ट्रीय हितों का सुरक्षित रखने में मेरी सहायता करें क्योंकि राष्ट्रीय हित दोनों पक्षों के लिए एक ही है। मैं नीति बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वह मेरी निंदा कर सकते हैं परन्तु कृपया देश की निंदा न करें।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हम विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

1.47 म. प.

(इस समय श्री वसंत साठे और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : हम भी विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

(इस समय श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ और श्री जी एम बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गये)

1.48 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत तिब्बत सीमा पुलीस (कार्यालय योचक अराजपत्रित) काडर भर्ती संशोधन नियम 1990

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस (कार्यालय योचक अराजपत्रित) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 26 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 326 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1169/90]

वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाण पत्र) संशोधन नियम 1990

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाण पत्र) संशोधन नियम, 1990, जो 19 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 312 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1170/90]

1.48½ म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.49 म. प.

प्राक्कलन समिति

पहला और चौथा प्रतिवेदन

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) गृह मंत्रालय—लक्षद्वीप के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा के 7०वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गृह मंत्रालय—पूर्व बंगाल से आए प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 70वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1.50 म. प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

13 जुलाई, 1990 को सेंट मेरी कान्वेन्ट स्कूल, गजरौला (मुरादाबाद जिला) उत्तर प्रदेश की साध्वियों (नन्स) पर हमला

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं, 13 जुलाई, 1990 को सेन्ट मेरी कान्वेन्ट स्कूल गजरौला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तथ्यों के बारे में इस सम्माननीय सदन को सूचित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 जुलाई, 1990 को गजरौला पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 12 और 13 जुलाई के मध्यरात्रि के दौरान लोहे की छड़ों और चाकुओं से लैस तीन अज्ञात बदमाश स्कूल के रिहायशी भाग में दाखिल हुए। बदमाशों ने लूट-पाट की। जब परिसर में रहने वाली साध्वियों (नन्स) और नौकरानियों ने शोर मचाया तो उन्हें एक कमरे में बांध दिया गया और उनको दो

गई कि यदि वे शोर मचायेंगी तो उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साध्वियों (नन्सों) के साथ हाथापाई की गई और बताया गया है कि बदमाशों ने दो साध्वियों (नन्स) के साथ बलात्कार किया और उसके बाद तिजोरी को तोड़ा जिसमें से उन्होंने 1 लाख 10 हजार रुपये की राशि ले ली और अन्य सामान जैसे हाथ की घड़ियां हैण्ड-बैग इत्यादि भी ले गए। गजरौला पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 और 376 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। दो साध्वियों (नन्सों) की स्थानीय अस्पताल में डाक्टरी जांच भी की गई लेकिन जांच करने से बलात्कार किए जाने का अपराध सिद्ध नहीं हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि जांच ठीक से नहीं की गई और ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने साध्वियों (नन्सों) के साथ उचित व्यवहार नहीं किया मामले की जांच-पड़ताल चल रही है और अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और हाथ की घड़ियों और 20 हजार रुपये नकद सहित कुछ लूटी हुई सम्पत्ति बरामद की गई। उत्तर प्रदेश सरकार को सी. आई. डी. जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस को सहायता कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जांच-पड़ताल पूरी होने वाली है और जल्दी ही एक अभियोग-पत्र दायर कर दिया जायेगा।

घटना का समाज के सभी वर्गों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 27 जुलाई को स्वयं गजरौला का दौरा किया और उन्हें सान्त्वना देने के उद्देश्य से मदर सुपीरियर और स्कूल के अन्य सदस्यों से बातचीत की और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सेन्ट मेरी कान्वेन्ट स्कूल की चार दीवारी के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये भी स्वीकृत किए। चिकित्सा जांच करने वाले डाक्टर और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का जिम्मेवारी हेड मुहर्रिर को, जिनका व्यवहार उचित नहीं बताया गया था, स्थानान्तरित कर दिया गया है। मुख्य मंत्री ने किसी अन्य अधिकारी की प्रशासनिक चूक को निर्धारित करने के लिए मंडल आयुक्त (डिवीजनल कमीशनर) मुरादाबाद द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए हैं।

गजरौला जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में लगी निर्दोष साध्वियों (नन्स) के साथ हुई इस जघन्य घटना की निन्दा करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को पकड़ा जाय और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जाएं राज्य सरकार के साथ मिलकर कारंवाई करेगी और उसको मानीटर करती रहेगी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप सेन्ट मेरी कान्वेन्ट स्कूल जो 13 जुलाई से बन्द था, पिछले महीने में की 31 तारीख को फिर खुल गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने अपराधी पकड़े गये हैं, इस काण्ड के बाद।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : चार पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं।

———

1.54 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र-(जारी)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध केन्द्र हैदराबाद का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : महोदय मैं श्री नीतीश कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 1171/90]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.55 म. प. पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.55 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.55 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.58 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.58 म.प. पर पुन समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले पर विचार किया जायेगा। श्री पी. आर. कुमारमंगलम।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में छोटे कस्बों के विकास संबंधी योजना को सलेम जिले में तेजी से लागू किए जाने की मांग।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से छोटे कस्बों के लिये एक योजना बनायी है जिसमें सलेम (तमिलनाडु) का चयन किया गया है। इस योजना के लिए ऋण के रूप में लगभग 47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी है। परन्तु धन के न दिये जाने के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। सलेम में भूमिगत जल-निकास परियोजना यातायात सड़क परियोजना, आवास परियोजना लम्बित पड़ी है क्योंकि धन की कमी है तथा उचित तरीके से योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इस परियोजना के लिये सीधे जिम्मेदार शहरी विकास मंत्रालय से इस ओर तुरन्त ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है ताकि योजना के लागू न किये जाने के कारण सलेम के लोगों के होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके।

(दो) चीनी उद्योग के लिये गन्ने की शीघ्र पेराई प्रोत्साहन योजना का पुनरीक्षण किये जाने की मांग

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : महोदय, सरकार ने चीनी उद्योग के लिए शीघ्र पेराई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है ताकि अधिक गन्ने का पेराई हो सके तथा अधिक चीनी का उत्पादन हो सके। यह प्रोत्साहन न केवल अपर्याप्त है, बल्कि इससे चीनी की मिलों का भारी नुकसान होगा। इससे अन्ततः किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा क्योंकि वसूली कम रहेगी चीनी की कम कीमत के कारण पहले से ही नुकसान में वृद्धि हो रही है इसके अलावा चीनी मिलें भी गन्ना उत्पादकों को पूरा मूल्य नहीं दे सकी है।

नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि प्रोत्साहन योजना पर इस दृष्टि से पुनः विचार किया जाये कि चीनी को शत प्रतिशत खुला बिक्री की जाये जिससे गन्ने की शीघ्र पेराई की जाये। अन्यथा जैसा सरकार चाहती है कारखाने तदनुरूप कार्य शुरू नहीं कर सकेंगे तथा अतिरिक्त चीनी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं, कि वह अविलम्ब इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करे जिससे किसानों तथा उप-भोक्ताओं को बचाया जा सके।

(तीन) महाराष्ट्र के माले गांव क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरिशंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालेगांव (नासिक) में जो कि आदिवासी क्षेत्र है, की मालेगांव, सटाणा, चांदवड़, येवला, नांदगांव, कलवण तहसीलों में पानी की अत्यन्त गम्भीर समस्या बनी हुई है। लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। जानवरों को खाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। राज्य सरकार टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रही है, जो कि नहीं के बराबर है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है।

कृपया तुरन्त एक कमेटी गठित करें कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करे। इस इलाके को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर राहत पहुंचाने के लिये सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे, यही मेरा निवेदन है।

(चार) नवम्बर 1989 में पटियाला में आतंकवादियों द्वारा मारे गये चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्व विद्यालय कानपुर के छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग

श्री किशोरी लाल (पतिभपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो हिंसा का वातावरण है, उससे कोई भी देशवासी अछूया नहीं है। सभी लोग इन घटनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। वर्ष 1989 के नवम्बर के महीने में चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर से कुछ छात्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला गये थे। वहां पर उन छात्रों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिणामस्वरूप सारा देश स्तब्ध रह गया था। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के इन छात्रों की हुई हत्याओं से इनके परिवारों को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति शायद कभी नहीं की जा सकती है, परन्तु सरकार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके तथा उन्हें रोजगार आदि में प्राथमिकता देकर के उन परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा निर्वाह कर सकती है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि मृतकों के परिजनों को उसी आधार पर तथा अनुपात में राहत एवं पुनर्वास सुविधाएं तथा मुआवजा प्रदान किया जाये, जिस अनुपात में सरकार यह सुविधाएँ तथा राहत वर्ष 1984 के दिल्ली के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध करा रही है।

(पांच) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की नीति समाप्त किए जाने की मांग

प्रो. प्रेमकुमार धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सेना में जो भर्ती होती है उसका आधार प्रदेश की जनसंख्या बनाया गया है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पंजाब आदि, जो छोटे राज्य हैं और जहां के नौजवान सेना में भर्ती होते थे, उनके रोजगार के साधन कम हो गए हैं। डोगरा और जाट रेजीमेण्ट्स अपनी बहादुरी के लिए जग प्रसिद्ध रही हैं। पिछले युद्धों का अगर रिकार्ड देखा जाए, तो स्वतः यह पता लग जाएगा कि देश की रक्षा के लिए इन प्रदेशों ने, विशेषकर हिमाचल प्रदेश ने बहुत बलिदान दिया है। आज भी इन प्रदेशों के लाखों नौजवान सेना में भर्ती होने और देश की रक्षा में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार हैं, परन्तु जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए गए प्रतिशत के कारण वे सभी भर्ती नहीं हो पाते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेना में भर्ती के लिए जनसंख्या का आधार समाप्त करके जो स्वेच्छा से भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा का अवसर दिया जाए।

(छः) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पान की टोकरियों की बुकिंग पर लगा प्रतिबन्ध हटाये जाने की मांग।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, पश्चिम बंगाल में पान के उत्पादक बहुत अधिक कठिनाई का सामना कर रही हैं क्योंकि रेलवे द्वारा पान की टोकरियों लाने-लेजाने की समस्याओं में कठिनाई के कारण पान उनके उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आयी है।

चूंकि पान के पत्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अतः रेलवे द्वारा इन्हें जल्दी लाने-लेजाने की आवश्यकता होती है। परन्तु मेछेड़ा तथा पांसकुड़ा स्टेशनों से गुजरने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में पार्सल डिब्बों के अपर्याप्त अनियमित रूप से लगाने से पान की टोकरियों के परिवहन में गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर पान की टोकरियों की बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति और खराब हो गयी है। पान उत्पादकों ने 10.8.90 को हावड़ा स्टेशन पर प्रदर्शन करने के लिए पश्चिम बंगाल पान चैषी समिति के झण्डे तले अपने को संगठित किया है।

अतः, मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि हावड़ा स्टेशन पर पान की बुकिंग पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा दें। मैं यह निवेदन करता हूं दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत मेछेड़ा तथा पांसकुड़ा स्टेशनों पर विभिन्न रेल गाड़ियों में खाली पार्सल डिब्बे लगातार भेजें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, मैं इसका पूरी तरह से इनका समर्थन करती हूं। दोनों ही स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

(सात) शाहगंज-मऊ छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का पिछड़ा प्रान्त है। उक्त प्रदेश में विशेषकर पूर्व उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ सबसे पिछड़ा जिला है। उक्त जिले के औद्योगिक विकास, यातायात एवं आवागमन के लिए शाहगंज से मऊ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना अति आवश्यक है। उक्त छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कई आंदोलन भी हुए हैं। आजमगढ़ की विकास गोष्ठी में बोलते हुए रेलवे मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की बात की थी। आजमगढ़ के पांच लाख व्यक्तियों को दिल्ली जाने के लिए कम से कम 150 किलोमीटर दूरी पर जाकर बड़ी लाइन पकड़नी पड़ती है। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में न बदलने से जनता में काफी आक्रोश है। जनहित के दृष्टिकोण से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शाहगंज-मऊ की छोटी लाइन को अतिशीघ्र बड़ी लाइन में बदलने का आदेश दें।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में उत्पादित सेब तथा अन्य फलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने की मांग।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक फल उत्पादक राज्य है। यहां दूसरी फसलें बहुत कम होती हैं। राज्य में जो दूर-दराज के पहाड़ी इलाके हैं, उनमें अधिक मात्रा में सेब और सब्जियां एवं बीज का आलू इत्यादि की काश्त होती है और यहां के किसानों ने फलदार वृक्ष लगाकर अपनी भूमि में जमीन के कटाव को भी बचाया है और परन्तु अब में इसका लाभ लोगों को प्राप्त होता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

हिमाचल प्रदेश के दूसरे भागों में यानी सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में मक्की, जौ, नकदी फसलें और बेमौसमी सब्जियां पैदा करके लोग अपना गुजारा करते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गन्दुम इत्यादि फसलें ज्यादा नहीं होती और लोगों की नकदी फसल, फल और सब्जियां हैं। पिछली सरकार द्वारा लोगों को समर्थन मूल्य सेब का

2.75 रुपए दिया था तथा मलगल, कीनू, सन्तरा और शहद, चिलगोजा, अदरक का समर्थन मूल्य मिलता था परन्तु वर्तमान सरकार ने किसानों का यह समर्थन मूल्य देने की अभी तक कोई उचित घोषणा नहीं की है। जिससे किसान संतुष्ट हो सकें।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत से मैं मांग करता हूं कि सेब का समर्थन मूल्य पांच रुपए हिमाचल प्रदेश के किसानों को दिया जाए तथा अन्य फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर लोगों को लाभान्वित किया जाए तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्रियान्वयन हेतु लिखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एप्रूव्ड टैक्स्ट ही रिकार्ड में जाएगा।

———

3.10 म.प.

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। मैं श्री दलपत सिंह परस्ते को बोलने के लिए बुलाता हूँ।

[हिन्दी]

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यन्त दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परन्तु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर और उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज जब कि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है तो आज उस जवानी के आलम में महिलायें भी होती। लेकिन दुर्भाग्य वश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलायें आज भी जहां की तहां चारदीवारी में बन्द हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जनरल भाषण मत कीजिये, बिल पर बोलिए ताकि और लोगों को भी समय मिल सके।

श्री दलपत सिंह परस्ते : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में न दूं, लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलायें आज भी जहां की तहां हैं, निरक्षरता के अन्धकार में हैं। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहियें चूंकि महिलायें भी आज पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं, अगर एक हाथ इन्सान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलायेगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं,

आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पढ़ाई-लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिये। जैसे आज आप इस सदन मे ही देख लीजिये कि कितनी महिलायें यहां सदस्य है लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं हैं जिस प्रतिशत से उनको यहा होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे नही जानती कि धन्यवाद व्यक्त करूं या शोक व्यक्त करूं क्योंकि सभा में पुरुष तथा स्त्री विशेष पुरुष बड़ी अनुपस्थित है। विशेषकर जब हम राष्ट्रीय महिला आयोग पर विधेयक पर चर्चा कर रहे है। (व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : आप यह नहीं समझती हैं कि यहां पर पुरुष उपस्थित हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपके अनुपात में तथा उनके अनुपात मे फर्क है। (व्यवधान)

मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं रही, या परन्तु मैं एक आम बात कह रही हूं जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उत्पादन की तुलना में महिलाओं की स्थिति सौगुना ज्यादा खराब है जिनपर हम 16 तारीख को चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है जब पिछले सत्र के अन्तिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करती हूं तथा यह चाहती हूं कि समाज और अधिक जागरुक हो तथा सभी दलों के इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के सवाल पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊंगा। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जानता है कि 1971 में हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे सम्बन्धी समिति ने एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। सयाग वश इस समिति की अध्यक्ष इस समिति की सदस्य सचिव वीणा मजूमदार थी जिनके विचार वामपंथी थे। किन्तु इससे उन्हें समस्त से इस निष्कर्ष पर पहुँचने मे कोई बाधा नही हुई कि देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। कि यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते है।

कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या जरूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि न तो महिलाओं की समानता के प्रति संविधानिक वचनबद्धता और नहीं कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते है जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्थाई तन्त्र न हो जो इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसे समुचित स्वायत्तता और पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों। इसलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी।

यह सच है कि इस विधेयक में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो सकती है। किन्तु मैं बेहिचक अपने प्रिय मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूंगा जो दूसरी सभा में हैं और साथ ही प्रिय बहिन उषा को भी बधाई देता हूं जो यहां उपस्थित है।

श्री एस. बी. सिदनाल (बेलगाम) : आप उन सभी सदस्यों को बधाई दे सकते हैं, जो यहां नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया व्यवधान न डालें। जब मैं पीठासीन होती हूं, तो आपको ऐसा करने से मना करती हूं और अब मैं स्वयं भी ऐसा कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इन सब बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय अब आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को हार्दिक बधाई देती हूं। मैं तो यह कहती हूं कि यह विधेयक एक अच्छी शुरूआत है। मैं संस्कृत में कहती हूं अयं आरंभ शुभाय भवतु (संस्कृत) हमे इस विधेयक को इस भावना से लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्या म इसे आज ही आवश्यक संशोधनों सहित पारित करने की अपील करती हूं। भविष्य मे और भी संशोधन किये जा सकते हैं, यह और बात है। मेरा उनसे पुरजोर आग्रह है कि वे इस मामले मे सहयोग दें।

इस बारे में मेरी जिम्मेदारी है—हालांकि मैं इसे पसन्द नहीं करती, फिर भी मैं कांग्रेस (ई) की अन्य गजपति राजू, जो आज यहां नहीं हैं, की आलोचना का उत्तर देने को बाध्य हूं। उन्होंने इस सरकार द्वारा देवराला में सती प्रथा के समर्थक को मंत्री मानकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के विचार से इस विधेयक को लाये जाने के औचित्य का प्रश्न किया था। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह बात साफ कर देना चाहूंगी कि इसका जवाब देना मंत्री जी की जिम्मेदारी है। यदि अब मन्त्री ने किसका नाम लिया गया है, ऐसा किया है, तो वह या तो अपना पद छोड़ दे या चले जाएं। यह बात साफ होनी चाहिए। यही मेरी राय है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यानि अधिकांश लोग और खासकर महिलायें यह चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति सम्पन्न तन्त्र होना चाहिए। हम चाहते है कि ऐसा निर्णय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिये। हमारा यह दृष्टिकोण है, मैं इसे स्पष्ट कर रही हूं। इस दृष्टि से मैं सुधार के लिए कहूंगी।

इससे पूर्व मुझे उमा गजपति राजू से, जो यहां नहीं है, कुछ प्रश्न पूछने है क्योंकि मैं जानती हूं कि वे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यह है। कांग्रेस सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कोई ऐसा विधेयक पारित क्यों नहीं किया? अब तक करीब एक दशक बीत गया है। (व्यवधान) प्रश्न का सीधा उत्तर दिया जाना चाहिये और देना होगा। यदि यह नहीं किया गया और यदि यह सरकार इस विधेयक को ले आई है, तो निश्चित है कि एक अच्छी शुरुआत है जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं।

मैं एक और प्रश्न करना चाहती हूं। यह विधेयक जल्दबाजी में लाया है। हां, निःसंदेह किन्तु उसके बाद हमारे अनुरोध पर सभी महिला संगठनों और सभी महिला सांसदों को विचार विमर्श हेतु बुलाया गया। क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि सिवाय श्रीमती प्रतिमा पाटिल के कहे भी कांग्रेस महिला सांसद उस दिन उपस्थित क्यों नहीं हुई और जो हुई भी तो वह शीघ्र ही चली गई थी? उन्होंने कभी कोई सुझाव नहीं दिया। उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेलबारी) : हमने अपने सुझाव दे दिये है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे जानकारी नहीं है। हम वहां थे, लेकिन आप में से कोई भी वहां नहीं था। यदि आपने सुझाव दिये हैं तो ठीक है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि 'मैं उपस्थित था'। (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी : हमने अपने सुझाव दे दिए थे और अप्रत्यक्षतः हम उपस्थित थे।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे इस दिन उपस्थित नहीं थे। उस दिन विभिन्न संगठनों और विभिन्न दल का प्रत्येक व्यक्ति बोला। स्वैच्छिक संगठनों की बहुत सी कांग्रेसी महिलायें भी वहां थीं। उन्होंने भी अपना सुझाव दिये और उनपर भी चर्चा हुई थी। (व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : क्या उन्हें परामर्श के लिए आमन्त्रित किया गया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निःसंदेह उन्हें जरूर बुलाया गया था। इन सब बातों के आधार पर अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे थोड़ा कुछ बातें कहने दें।

राजनीतिक चालबाजी से प्रेरित आरोप में सिवाय श्रीमती उमा गजपति राजू के सम्बन्ध में कही गई बातों के अलावा बिलकुल अटपटी बातें कही गई है। चालबाजी इस ओर से नहीं की जा रही, अपितु यह पूर्ण रूप से विपक्ष द्वारा ही की जा रही है। मेरी पुनः आप सबसे अपील है कि महिलाओं के हित के इस मामले में जोकि एक अत्यन्त गम्भीर बात है, कोई चालबाजी न करें।

मुझे इस विधेयक की जरूरत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो जाहिर ही है। शुरू में ही मैंने ऐसा कहा था। जैसा कि विधेयक का वर्तमान रूप है, मैंने कहा था कि इसमें कुछ सुधार हो सकते है। मैं शीघ्र ही उन सुझावों के बारे में कहूंगी और अपनी बात खत्म कर दूंगी। एक तो श्री युवराज द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन के बारे में है और दूसरा श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का सुझाव आयोग के गठन और सदस्य संख्या के बारे में। श्री युवराज चाहते है कि 8 सदस्य हो और श्रीमती मालिनी का सुझाव है कि 11 सदस्य हों। इस समय 5 सदस्य है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि वे प्रो. मालिनी भट्टाचार्य के संशोधन पर विचार करें, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। यदि नहीं तो श्री युवराज के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

प्रो. मालिनी द्वारा कुछ संशोधनों के सुझाव दिये गये हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वे आकर उन्हें स्वयं स्पष्ट कर देंगे। किन्तु ये सामान्यता और शक्तियां दिये जाने के बारे में है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे आज नहीं भविष्य में इस बात पर विचार करें कि आयोग के कार्यकरण के साथ-साथ इसमें और क्या सुधार किये जा सकते हैं। चूंकि प्रो. मालिनी स्वयं अपने संशोधनों की चर्चा करेंगी इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी।

मैं सीधे अपने संशोधन पर आती हूं जिन्हें मैं उपयुक्त समय पर प्रस्तुत करूंगी। अब बेहतर यही है कि मैं अपनी बात यथाशीघ्र पूरी करने के लिए अपने संशोधनों को पढ़ूं। यह आयोग के सदस्यों की संख्या के बारे में है। आयोग के सदस्य कौन हों? एक खंड के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर आयोग समय-समय पर समितियां नियुक्त करे। यह समितियां गठित कर सकती है और

इन समितियों के सदस्य आयोग की बैठकों में भाग लें। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय-समय पर किसी समिति का गठन करना आयोग की इच्छा पर छोड़ दिया जाये।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि ऐसा होना चाहिए :

"8. (1) आयोग ऐसी समितियां, जो निम्नलिखित विषायकों पर विचार करेंगी, अर्थात् :—

(क) महिलाओं पर अत्याचार;

(ख) परिवार और समाज में महिलाओं की हैसियत की समता;

(ग) महिलाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके प्रति भेदभाव का समाप्त करने से संबंधित विषय;

(घ) राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की और अधिक भागीदारी से संबंधित विषय;

(ङ) महिलाओ में शिक्षा का अभिवर्धन;

(च) महिलाओं के स्वास्थ्य का, विशिष्ट रूप से प्रसूति और शिशु देखरेख के क्षेत्रों में, संरक्षण;

(छ) महिलाओं के कल्याण से संबंधित विधियों का कार्यान्वय तथा उनमें सुधार;

और ऐसी अन्य समितियां गठित करेगा जो आयोग को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समय-समय पर आवश्यक हों।"

उसका तात्पर्य यह है कि मैं यह चाहती हूं कि ये समितियां स्थायी समितियां बनें ताकि ये आयोग को महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श दे सकें। ताकि सरकार पर वेतन तथा भत्तों का बोझ न पड़े।

मेरा अगला संशोधन यह है :—

"(1क) इन समितियों के सदस्यों मे अखिल भारतीय स्वरूप के महिला संगठनों के प्रतिनिधि होंगे जिन्हें आयोग की बैठकों में हाजिर होने का अधिकार होगा तथा मत देने और वेतन भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।"

ताकि सरकार पर वेतन तथा भत्तों का बोझ न पड़े।

एक माननीय सदस्य : उसमे भत्तों की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि वे सहमत होंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम बिना भत्तों के काम करने के लिए तैयार हैं मैं वित्तीय स्थिति से वाकिफ हूं। इस प्रकार की समितियों की आवश्यकता से जानकार हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैंजामिन, आप अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं। आप कृपया कोई संकेत ले लें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा। परन्तु आप बार-बार मत उठिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने यह संशोधन क्यों पेश किया है? क्योंकि मैंने अनुभव से पता लगाया है कि सर्वोत्तम कानून सर्वोत्तम संविधान वास्तव में स्थिति में सुधार लाने में मदद नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि स्वयं एक आयोग भी तब तक कुछ नहीं कर सकेगा जब तक पूरे देश में एक बड़ा सामाजिक आन्दोलन न हो और वास्तव में स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसी सभी शक्तियां उसमें शामिल न हों। इसीलिए मैं यह संशोधन लाई हूं ताकि अखिल भारतीय स्तर के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। मैं राज्य स्तर पर आयोग तथा निचले स्तरों पर आयोग चाहती हूं। उपयुक्त स्तर पर ऐसी समितियां भी होनी चाहिए। कल्याण मंत्री महोदय तथा उप कल्याण मंत्री महोदय से मेरी पहले ही बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे पहले यह आश्वासन दिया था कि नियमों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि यह आश्वासन आज इस सभा में दिया जाता है कि यह बात निश्चित रूप से नियमों में शामिल कर दी जाएगी तो मैं जो संशोधन पेश करने जा रही हूं उसे वापस ले लूंगी।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि हम सब हमारे देश की महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं कि वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान अधिकार पाने के लिए आगे आएं। लेकिन अभी भी यह केवल दावा ही है। हमारे पूरे इतिहास में हमने महिलाओं का हमेशा बड़ा सम्मान किया है परन्तु उसके साथ ही वास्तविक व्यवहार में हमने न तो अपनी इच्छाओं अथवा अपने दावों को पूरा किया है। महिलाओं को हमारे शेष विश्व की तरह हमारे देश में भी हमेशा परेशानी उठानी पड़ी है। अब विशेषरूप से मुझे हमारे अपने देश में जो कुछ होता है उसकी चिन्ता है। मैं यह नहीं चाहता कि इस विधेयक पर विचार करते समय राजनीति का सहारा लिया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश राजनीति का सहारा लिया गया है। परन्तु मैं अपने माननीय मित्रों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस आयोग की स्थापना करने के पक्ष में हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे मित्र जो कांग्रेसियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान तथा अधिक प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग का कानूनी दर्जा देने के बारे में अपने पहले अनुभव से कोई शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं की है। हमने कानून के द्वारा इसकी स्थापना की थी, परन्तु हमने यह पाया है कि यह आयोग पर्याप्त कार्य नहीं कर सका क्योंकि वह अकेला ऐसा आयोग था। इसलिए हम उसे संवैधानिक दर्जा देना चाहते थे। हमारे मित्र शुरू उप विधेयक का लाए थे और हमने इसे पारित कर दिया था। यह काम करने के बाद वे उस अनुभव को लाभ उठा सकते थे और उसका लाभ इस आयोग को भी दे सकते थे। केवल सांविधिक दर्जा देने की बजाए वे संवैधानिक दर्जा देने के बारे में भी सोच सकते थे। परन्तु फिर भी मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में भावी सरकारों यह आवश्यक नहीं है कि इसी सरकार द्वारा परन्तु किसी भी सरकार द्वारा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा उनके उत्थान के लिए महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के अवसर का लाभ उठाया जाएगा। महोदय ऐसा कह कर उन्होंने एक विचित्र विचारों

प्रक्रिया अपनायी है। पहले जब कभी भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया तो सभा को विधेयक को या तो परिचालित करने या किसी एक सभा या दोनों सभाओं की प्रवर समिति को भेजने का अवसर दिया जाता था। ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया न तो इस सरकार को न ही पिछली सरकार को पसंद आयी। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस आलोचना को ध्यान में रखेगी। महोदय, अन्यथा क्या होगा ? श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि उन्होंने विशेष रूप से विचार के लिए महिला प्रतिनिधियों या हमारी संसद की महिला सदस्यों सहित अनेक महिला संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया है परंतु उनमें से कुछ नही आयीं। यह एक अलग मामला है। उन्होंने इस प्रकार का परामर्श करना आवश्यक क्यों समझा ? यह ठीक था। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। परंतु उन्हें विधेयक को परिचालित करने या प्रवर समिति को भेजने की पहले की प्रक्रिया अपनाना चाहिए थी। तब यह न सिर्फ संसद के महिला सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सदस्यों के लिए भी सरकार तथा विधेयक के प्रायोजक के साथ सहयोग करना संभव होता और वे इस विधेयक के सुधार के लिए अपना सहयोग दे सकते। जो प्रक्रिया उन्होंने अपनायी है वह अच्छी होते हुए भी एक विचित्र प्रक्रिया है।

एक और विचित्र बात है। कोई विधेयक किसी एक मंत्री के नाम पर रखा जाता है और उसमें संशोधन किसी अन्य मंत्री के नाम पर दिया जाता है। और बाद में ऐसा अंतिम विधेयक आता है। यह सही प्रक्रिया नहीं है।

अब इस आयोग को दी जाने वाली शक्तियों और कृत्यों के बारे में बात करें। मैं श्रीमती मुखर्जी के संशोधन का सिर्फ इस बात पर समर्थन नही करता कि उन महिलाओं को जिन्हें मेरे मित्र द्वारा विभिन्न समितियों का सदस्य नियुक्त किया जाता है को यात्रा भत्ता जैसा भत्ता दिया दिया जाना चाहिए। संसद सदस्य अपना भत्ता लेते हैं। सिर्फ उस बात को छोड़कर मैं उनके द्वारा सुझाये संशोधन का समर्थन करता हूं।

मेरे पक्ष की ओर से बोलने वाले मित्रों ने ठीक ही कहा है कि इस आयोग को ज्यादा सकारात्मक शक्तियां ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिए थे और उन्हें वह सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए। यह कुछ हद तक ठीक है, परन्तु यह निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिक शक्तियां तथा विधेयक को और शक्तिशाली बनाने के लिए एक और विधेयक की आवश्यकता होगी। इसके द्वारा महिलाओं पर किये गये अत्याचार अन्याय और हिंसा की जांच की जा सकती है। प्रति दिन हम समाचार पढ़ते है कि किस प्रकार हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमने इतने कानून बनाए हैं। किसी सदस्य ने कहा था कांग्रेस ने क्या किया है ? क्या कांग्रेस ने कल्याण को नहीं बनाया, सारे देश के कल्याण संगठन गठित नहीं किये ? क्या इसका श्रेय उस महान महिला दुर्गाबाई देशमुख को नहीं जाता है चाहे वह कांग्रेस की हो या नहीं, जिन्होने कल्याण संगठन के इस नेटवर्क का गठन किया ? इतना कुछ किया गया परन्तु यह काफी नहीं था। यदि उस समय कोई आयोग होता तो यह और ज्यादा होता परन्तु उस समय ऐसा सुझाव हमारी महिला सदस्यों को देना चाहिए था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक रखना चाहिए था। लेकिन यह नहीं किया गया। यह हम सब की गलती है हमारे जैसे वरिष्ठ लोग भी संसद में कई साल रहे और जो अभी नये आये है यह हम सब की गलती है। मैं सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि इस सभा के इस विधेयक और प्रस्ताव को रखने

के लिए बधाई देना चाहता हूँ। 9 अगस्त एक महान दिन है जब आज के दिन हम देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते है, इस पावन दिवस पर मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाएगा और ज्यादा सच्चे और प्रभावकारी तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किये जाएंगे। जो कि अब तक नहीं किया गया। हालांकि हमारे देश में ऐसे बहुत से समाज-सुधारक हुए हैं जो महिलाओं के हितों के लिए सक्रिय रहे, उनके हक में बोले और उनके लिए काम किया, परन्तु साथ ही उनका यह दुर्भाग्य रहा कि वे आज इस सभा की महिला सदस्यों का साथ नहीं पा सके। अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुषों की समानता के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पिछले चुनाव के समय हमने क्या कहा था? सभी राजनैतिक दलों ने कहा था कि महिलाओं को इतना-इतना आरक्षण दिया जाएगा। किन्तु हुआ क्या? उम्मीदवार तय करते समय वे अपना वायदा पूरा नहीं कर सके। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो विभिन्न राजनैतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों के विरुद्ध पुरुष उम्मीदवार खड़े किए और उन्हें पराजित करवाया। हम सभी दल इस अपराध में शामिल हैं। एक-दूसरे पर आरोप लगाने का क्या लाभ है? कम से कम अब हमें इस विधेयक से नई शुरूआत करनी चाहिए और भविष्य में बेहतर तैयारी तथा बेहतर कार्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : मैं आज इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करती हूं। मैं इस ढंग से अपना भाषण शुरू करना चाहती थी कि जिससे मैं इस सभा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकूं परन्तु आदरणीय प्रो. रंगा के भाषण ने सभा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने पहले यह कहते हुए अपना भाषण शुरू किया कि वे इस विधेयक से अधिक खुश नहीं हैं। परन्तु उन्होंने अपना भाषण इस तरह समाप्त किया जैसा कि मैं आशा करती थी, कि वे यह कह रहे होंगे कि इस विधेयक को उनके दल का पूर्ण समर्थन मिलेगा। पूरे सदन द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के बारे में दो तर्क नहीं हो सकते हैं। वर्षों संघर्ष करने के बाद इस समस्या का अन्त नजदीक है और मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं। इसके अन्दर की छोटी-छोटी खामियों को निश्चित रूप से दूर कर दिया जायेगा परन्तु इस विधेयक का स्पष्ट स्वरूप हम सभी के लिए एक इम्तहान बन जायेगा। इस विधेयक में काट-छांट करने में कुछ समय लगेगा परन्तु शुभ कामनाओं के द्वारा इस भावना के साथ कि हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर यह काम करना है मैं समझती हूं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे जो आज हमने प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है।

महोदय, पांच वर्षों से मैंने ऐसे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है जो महिलाओं की बिक्री के लिए प्रसिद्ध था मैं यह कहूंगा कि वस्तुतः वह बदनाम था। 1981 में यह क्षेत्र श्री अश्वनी सरीन द्वारा लिखे गये—'कमला की बिक्री' शीर्षक लेख के माध्यम से अखबारों की सुर्खियों में था—यहां बैठे हुए सभी सदस्यों को सम्भवतः यह याद होगा। उनके शब्दों में:—

सौदा हुआ था धौलपुर में,
माल की डिलीवरी हुई मुरैना में।

[अनुवाद]

1981 से अब तक मेरे विचार से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। मंजु सक्सेना कांड, उल्हास नगर कांड एक ऐसा काण्ड जिसमें तीन किशोरियां ने अपने मां-बाप को अपने विवाह कराने में असमर्थ पाने पर फांसी लगा ली थी हो चुके हैं। हाल ही में मां-बाप ने अपनी चार बालिकाओं की हत्या का षडयन्त्र किया था। इतनी व्यापक भावानात्मक उद्वेलन हुआ और यह सब हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण हुआ। धौलपुर में यह जो घटना घटी है, निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक प्रभाव युक्त तत्वों का हाथ था हम सरकार से पांच वर्ष तक लड़े किन्तु विफल रहे। इसके तत्काल बाद राजस्थान विधान सभा में जबरदस्त शोर-शराबा हुआ और मैं समझती हूं कि विपक्षी बैंचों पर बैठे मेरे मित्रों को इस मामले की अच्छी जानकारी होगी बयाना में नेता विशेष के एक गांव में आठ वर्षों तक कोई बारात नहीं आई। जांच की गई और पता चला कि परिवार में नवजात कन्या को गला घोट कर मार दिया जाता है। ऐसा हुए डेढ़ वर्ष भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम आज जो कदम उठाने जा रहे हैं, वह आवश्यक हो जाता है। कल, श्रीमती उमा गजपति राजू ने सरकार पर बहुत तेज आक्रमण किया था। मेरे विचार से वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह भी हम सभी की भांति महसूस करती हैं। उन्होंने इन्दिरा महिला रोजगार योजना, इन्दिरा महिला आवास योजना के बारे में कहा। मैंने हाल में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मैं राजस्थान में कई और जगह भी गया। आवास निस्सन्देह बना दिए गए हैं, किन्तु मैं जिन आदिवासी क्षेत्रों में गया वहां मैंने देखा कि इन इन्दिरा आवास योजना विशेष के ठीक बाहर झोंपड़ियां बनी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्योंकर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह सरकार ने किया है। किन्तु हमने बाहर अपनी कुटिया बना ली है और इनमें हम अपना सामान रखते हैं क्यों कि भगवान जाने ये कब धस जाएं। आज मैं यह महसूस करती हूं कि सरकार का आज जो करने का लक्ष्य है यह चुनावी बाजीगरी और चालबाजियों से अलग बात है। इस मामले में मैं समझती हूं कि हम सब एकमत हैं। निस्सन्देह कुछ संशोधन करने होंगे। किन्तु दोनों मंत्रियों से बात चीत करके मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि यह निकाय विशेष शक्तिशाली होगा और उन सभी सुधारों पर स्वतंत्र रूप से ध्यान दे सकेगा जिनका राजनीति करण हो जाता है और जो कभी प्रकाश में नहीं आ पाते।

धौलपुर में बांग्लादेश से आये लोगों का शिविर विशेष है। वहां औरतों को लाया जाता है किन्तु मेरे विचार से यहां अथवा भारत में किसी को उनके होने की जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में पुलिस ने उन पर बलात्कार किए हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जांच पुलिस को ही सौंप दी गई। ऐसी स्थिति में आप निष्पक्षता की आशा हो कैसे कर सकते हैं। मैं यह महसूस करती हूं कि आज हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं यह समझती हूं कि इन मामले में दोनों पक्ष एक होंगे और मैं महसूस करती हूं कि यदि हम इन सब राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ कर उस कार्य में सहयोग दें तो आज ग्राम कई घरों में खुशी फैल जाएगी और कल कई परिवार समाचारों में इस बारे में पढ़कर प्रसन्न हो जाएंगे। अभी मुझे उन सब पर भी विचार करना है जिन्होंने इस विधेयक के विरोध का प्रयास किया है। आज उन्हें अपने घर जाना है और अपनी पत्नियों, पुत्रियों और परिवार की सभी अन्य महिला सदस्यों का सामना करना है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महिला मित्रों का भी ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी।

मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि यह विशेष आयोग महिलाओं के उत्थान के लिए समय-समय पर बहुत कुछ कार्य करेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय कदम है। लेकिन मैं आपके माध्यम यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक भारत वर्ष में रहने वाले सभी वर्ग सभी जातियों और सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति वास्तव में भारत वर्ष में बड़ी दयनीय रही है और कहा गया है कि :

अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी
आंचल में है दूध आंखों में पानी।

पर अब परिस्थिति बदली है और नारियों में भी चेतना आई है और नारियों ने भी नारा दिया है कि :

हम भारत की नारी है
फूल नहीं चिनगारी है।

यह बदला हुआ परिवेश आया है और सौभाग्य से यह वर्ष अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष के नाम से जाना जाता है और संयुक्त राष्ट्र का अन्तरराष्ट्रीय बालिका वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र की 25वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह वर्ष अन्तरराष्ट्रीय बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाए। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि नारी को भारत वर्ष में सम्मान दिया जाना चाहिए। अर्द्धनारीश्वर हमने इनको कहा है और निवेदन यह करना चाहता हूं कि भारत में प्रति एक हजार पुरुषों पर 933 महिलायें हैं, जो अपने आप में नारी जाति के ऊपर हो रहे अत्याचारों का द्योतक है। मुहावनी को भुलावे में रख कर हमारे यहां नारी की कार्यशीलता को महत्व नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 23 करोड़ पुरुषों के मुकाबले में इस देश में केवल साढ़े चार करोड़ महिलायें ही कार्यरत हैं और इनमें से चार करोड़ महिलायें असंगठित क्षेत्र में है। उनको पुरुषों के समान कार्य करने का भुगतान नहीं किया जाता है। यह भारत दुर्गा और सरस्वती का...

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, बहुत सदस्य बोलने के लिए हैं। जनरल भाषण करेंगे, तो मुश्किल होगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं जनरल भाषण नहीं दूंगा, मैं सुझाव दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल के प्रोविजन पर बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे यही निवेदन करना है कि यह सीता, सावित्री और पद्मिनी का देश है। मैं यहां पर कुछ मुद्दे प्रस्तुत करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदया, उनको सुझाव के रूप में लेगी।

मेरा पहला सुझाव यह है कि सिनेमा की प्रचार सामग्री में महिलाओं के अंगों व भाव-भंगिमा के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। हर दुकान पर महिला को साड़ी पहना कर खड़ा किया जायेगा और हर पोस्टर में खड़ा किया जाएगा। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि नव-जात कन्याओं की हत्या-भरतपुर में ब्रजेन्द्रसिंह भ्रूण-हत्या व अग्नि-दाह पर कानूनों का सख्ती से पालन व मृत्यु दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा मेरा कहना यह है कि समान काम के लिए समान वेतन कानून का सख्ती से पालन हो। चौथी मेरी मांग है कि वृन्दावन, वाराणसी व पुरी के विधवा आश्रमों में हो रहे शोषण की विस्तृत जांच व धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखते हुए इन स्थानों पर सरकारी स्तर पर निवास व पोषण की सुविधा हो। पांचवां निवेदन यह है कि गृह कार्य में संलग्न महिलाओं के लिए पुरुष की आय में से एक निश्चित बचत का प्रावधान कर उसको आय कर से मुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार मेरा छठा सुझाव है कि कामकाजी-महिलाओं के वेतन का उनके नाकारा पतियों के हाथ में जाने से रोकने का प्रावधान भी हो। इसी प्रकार पुलिस में महिलाओं की अधिक भर्ती व महिला थानों की स्थापना हो। आठवां सुझाव है कि लोक सभा, राज्य सभा व विधान सभाओं में महिलाओं के स्थानों का प्रतिशत सुरक्षित करना चाहिए। नौवां सुझाव मेरा यह है कि ससुराल व पति की सम्पत्ति में नारी का हिस्सा निश्चित होना चाहिए।

अंत में मैं यह निवेदन आपके द्वारा करना चाहता हूं कि गांवों में महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यही निवेदन करते हुए मैंने इस राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक को सभी वर्ग, सभी जाति और धर्मों के लोगों से जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा है। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री महोदया इन सारे रचनात्मक सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करेंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का स्वागत करती हूं। मेरा यह मत है कि यह शुरूआत है और यह छोटा सा विधान है। इस विधेयक को पिछले सत्र के अन्त में जल्दबाजी में पेश किया गया था और सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा यह आलोचना की गई थी कि कांग्रेसी सदस्य इसके लिए तैयार नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उस दिन मैं भी उपस्थित था।

मेरी मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा आज एक अन्य आरोप यह लगाया गया था कि माननीय सत्यसाची मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई चर्चा में कांग्रेसी सांसदों ने भाग नहीं लिया था। यद्यपि हम उसमें शामिल नहीं हुए थे तो भी हमने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए थे।

यह समस्या हर राज्य में, एक परिवार से दूसरे परिवार में और हर व्यक्ति के मामले में भिन्न है। इस विधेयक के अधिनियम से मैं नहीं समझती कि हम सदियों पुरानी समस्याओं, यहां तक की महिलाओं पर ज्यादतियां तथा अन्य बहुत सी बातें जो आज भी जैसी की तैसी हैं, का समाधान कर सकते हैं।

माननीय प्रसारण मंत्री यहां है। मैं उनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप दूरदर्शन पर दिए जा रहे विज्ञापनों के तरीके से संतुष्ट है? क्या हमारी संस्कृति यही है? क्या आप

इस तरह के विज्ञापनों जिनमें महिलाओं को नंगा दिखाया जाता है, बढ़ावा देना चाहते हैं। सिगरेट का एक अन्य विज्ञापन दिया जा रहा है। आप उस समय ऐसा विज्ञापन दे रहे हैं जब पूरे विश्व में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे कैंसर होता है। एक विज्ञापन है जिसमें महिला को सिगार के साथ दिखाया गया है। क्या यही हमारी संस्कृति है? मेरे विचार से आपने इस तरह के विज्ञापन नहीं देखे हैं। क्या आप एक ऐसा विज्ञापन चाहते हैं जिसमें भारतीय महिला धूम्रपान कर रही हो? क्या इस तरह के विज्ञापनों को न रोकना हमारे लिए शर्म की बात नहीं है।

कांग्रेस राज में भी ऐसे विज्ञापनों को रोका नहीं गया। राष्ट्रपिता गांधी जी ने हमें समान दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है आप वह भूल गए हैं। किसी ने उनका नाम नहीं लिया। आज मेरे लिए यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा विचार था कि मेरे कुछ मित्र हमें समान दर्जा दिलाए जाने के लिए उन्हें याद रखेंगे। उनकी वजह से ही आज हम यहां हैं। अन्यथा, पता नहीं हम कहां होतीं।

कर्नाटक में एक महान सुधारक हुए हैं। मेरे विचार से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र के लोग उन्हें भलीभांति जानते हैं। वे बारहवीं शताब्दी के महान सुधारक थे। उनका था-बासव। उन्होंने महिलाओं को समान अवसर प्रदान किये थे। उन्होंने महिलाओं से संसदीय चुनावों में भाग लेने को कहा था। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के वचन लिखे थे। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार, छुआछूत समानता तथा अन्य सामाजिक सुधार लागू किए। हमारे देश की महिलाएं भी कायर नहीं हैं। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। रानी झांसी, लक्ष्मीबाई तथा चेन्नम्मा जैसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम आरक्षण की पक्षधर नहीं हैं। लेकिन हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे महिलाओं पर होने वाली ज्यादतियों को दूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका एक मिनट और है। मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : कृपया मुझे बीच में मत रोकिये। इस संसद द्वारा बाल विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री अनैतिक व्यापार दमन आदि जैसे बहुत से कानून पारित किए गए हैं, वे कहां तक लाभप्रद है? इन कानूनों के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या अब बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं? हर रोज दहेज के कारण कितनी मौतें हो रही हैं? अब मैं दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या में वृद्धि के बारे में माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ूंगी। मैं इस सरकार या पिछली सरकार की वकालत नहीं कर रही हूं। लेकिन बात यह है कि प्रतिदिन दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है आपको इसके बारे में महसूस करना चाहिए। एक उत्तर में उन्होंने इस प्रकार कहा है :

> "1987 में बलात्कार के 7,767 मामले, 1988 में 8,706, 1989 में 8207 मामले दर्ज किए गये थे। 1987 में अपहरण के 9,016 मामले, 1988 में 9,633 मामले और 1989 में 5202 मामले थे।

1987 में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कुल 16,692 मामले 1988 में 17,836 तथा 1989

में 18,437 मामले हुए जबकि 1987 में दहेज के कारण 1,912 मौतें हुई, 1988 में 2,209 तथा 1989 में 3,829 मौते हुई······"

माननीय मंत्री द्वारा ये आंकड़े राज्य सभा में दिये गये थे। इससे पता चलता है कि इस विधेयक के अधिनियमन के बावजूद दहेज सम्बन्धी मौतों में वृद्धि हुई है। अत:, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इन विधेयकों अथवा अधिनियमनों को पारित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

4. म. प.

इस विधान में केवल पांच सदस्यों का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दस मिनट बोल चुकी है। कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या आप यह समझते हैं कि पांच सदस्य बैठकर विभिन्न राज्यों की समस्याएं जान जाएंगे। मैं अपने राज्य तथा महाराष्ट्र का उल्लेख करूंगी पता नहीं माननीय उपाध्यक्ष इतने सहृदय क्यों नहीं है। मैं उनके राज्य महाराष्ट्र का उल्लेख कर रही हूं। वहीं भी देवदासी प्रथा प्रचलित है। यदि मैं इसकी संख्या बतऊंगी तो उन्हें हैरानी होगी। मेरे विचार से उत्तरी राज्यों में दासीप्रथा नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में भी यह प्रथा है। यह प्रथा इन राज्यों में बहुत अधिक प्रचलित है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं समाचार पत्रों की कतरनें दूंगी। बेलगाम जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के पास है वहां भी यह प्रथा है। वहां 4700 परिवार ऐसे हैं जो देवदासी प्रथा से जुड़े हुए हैं और बीजापुर में ऐसे 4600 परिवार हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के एक गांव में 60 प्रतिशत परिवारों में यह प्रथा है। धारवाड़ और अन्य स्थानों पर मैं उनकी संख्या हजारों में है। जिन चार से लेकर 20 वर्ष की लड़कियों को देवदासियां बनाने के लिए ले जाया जाता है उनकी संख्या 3000 है। क्या हम इस समाज में इस तरह की कुप्रथाओं से लज्जित नहीं है? इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि ये समस्याएं हर राज्य में अलग-अलग है। ऐसा समुदाय है जिसमें प्रसूति-काल में महिलाओं को मरुस्थल में फेंक दिया जाता है। उन्हें झोपड़ी में अकेला रखा जाता है और उसकी देख रेख उसे भोजन देने के लिए उसके साथ कोई नहीं होता। खाना बाहर से फेंका जाता है। केवल 10 दिनों बाद उसे देखा जाता है। आजकल भी महिला की यही दशा है।

यदि आप तमिलनाडु जायें तो आप पायेंगे कि दहेज की समस्या के कारण माता से नवजात बालिका को विष देकर अथवा उसके मुख में किसा घास क कुछ बाज डालकर अपनी उसकी हत्या करने को कहा जाता है। इसी लिए मैंने कहा था यह समस्या राज्य दर राज्य विभिन्न प्रकार की है।

4.02 म. प.

[डा. तम्बिदुरै पीठासीन हुए]

मेरा यह सुझाव है कि हमें दोनों सभाओं से सदस्यों को लेकर अवश्य ही एक विशेषज्ञ निकाय गठित किया जाए जो हर राज्य में आये समस्याओं का पता लगाये, आंकड़े एकत्र करे और

ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करें । जब तक हम उनका पुनर्वास नहीं करेंगे हम इस कानून से कुछ भी नहीं कर सकेंगे । इस विधेयक में आपने जो 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वह पर्याप्त नहीं होगा । कर्नाटक में देवदासियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम है । हम कह नहीं सकते कि यह कितना सफल सिद्ध होगा । यदि आप कहते हैं कि 25 महिलाओं की देख-भाल की जानी है तो इसके क्या मायने हैं ? उनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा ? उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा ? आप उन परिवारों का पुनर्वास किस प्रकार करेंगे ? आप उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर कैसे उठायेंगे ? हम सभी बातों को देखना होगा । अतः हमें एक विशेषज्ञ गठित करने का प्रयास करना चाहिए जो हर राज्य में जाए संगठनों से मुलाकात करे, आंकड़े एकत्र करें और उनके पुनर्वास हेतु अथवा ऐसे कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित धनराशि का जायजा ले । आप हमारे समाज की ऐसी बुराईयों का उन्मूलन किस प्रकार करेंगे ? आप महिलाओं पर अत्याचार का उन्मूलन कैसे करेंगे ? कानूनी सहायता के बारे में क्या विचार है ? न्यायालय तो है किन्तु महिलाओं की समस्याओं को कौन सुनेगा ? कोई नहीं सुनेगा ।

कल मेरी बहन कह रही थी एक पुरुष प्रधान समाज है । हां यह एक पुरुष प्रधान समाज है क्योंकि कोई भी महिलाओं की देखभाल के लिए आगे नहीं आता कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती यदि मिलती भी है तो क्या यह उनके लिए होगी जो जरूरत मन्द हैं ?

कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक इस चर्चा में हस्तक्षेप किया । मैं इस आशा से उन्हें सुनती रही कि वे यह घोषणा करेंगे कि जहां एक ओर मण्डल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा ।

भारी तादाद में महिलायें बेरोजगार हैं । उनमें से बहुत सी शिक्षित हैं । उन्हें नौकरियां क्यों नहीं मिलती ? मन्त्री महोदय उन्हें स्वाधीन बनायें ताकि हमें हर समय पुरुष की आज्ञा का पालन न करना पड़े । यदि महिलायें स्वाधीन हो गईं तो वे अपने मामले की पैरवी कर सकेंगी । हमें उन्हें अच्छा वातावरण देना चाहिए । क्योंकि मैंने आपको बताया वे सर्वप्रथम गुरु हैं । उन्हें भावी देश का पालन पोषण करना होता है । बच्चों को पढ़ाना होता है । आप कैसा वातावरण तैयार कर रहे हैं ? यदि आप गांवों में जायें तो आप पायेंगे कि पति मदिरापान के लिए पैसा लेने के लिए पत्नी को पीट रहा है । अब तक तो वहां ऐसा ही वातावरण है । मेरे विचार से हमें इस वातावरण को जारी नहीं रहने देना चाहिए । क्या हो रहा है ? उपयुक्त वातावरण के अभाव में महिलायें कष्ट उठा रही हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में एक प्रतिनिधि होना चाहिए और निम्नतम स्तर पर एक जिला समिति होनी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये समिति गठित की जानी चाहिये और इसमें महिला संगठनों जैसी विभिन्न संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

हम खेतों में काम कर रही महिलाओं को भूल रहे हैं । खेतों में काम कर रही लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं को वहां प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । उन्हें समान वेतन नहीं मिल रहा है ।

आप उन महिलाओं के मामले में क्या करेंगे जिन्हें समान कार्य के बावजूद पुरुषों के समान मजूरी नहीं मिल रही है ?

वे कांग्रेस (आई) को दोष दे रही हैं और कह रही है कि कांग्रेस (आई) ने कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए यह संवर्षी योजना किसने दी ? क्या यह महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से लाभकार नहीं होगी ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया ? क्या हमारी महिलाओं को राष्ट्रीयकरण के कारण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है ? क्या वे मवेशी गाय, बैल आदि नहीं खरीद रही हैं ? वे बहुत कुछ कर रही हैं। क्या आप हमसे खुश नहीं हैं ? हमारे पूर्व प्रधान मंत्री पंचायतराज विधेयक लाये। क्या उन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया ? क्या हमसे यह जाहिर नहीं होता कि हम निम्नतम स्तर पर महिलाओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं ? हम उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं।

यह कानून लाकर और पांच सदस्यों का एक आयोग बनाकर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल सकेंगे ? उन्हें लाभ नहीं मिलेंगे।

इन सब अभ्युक्तियों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करती हूं। यह शुरुआत भर है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उपयुक्त उपाय करेंगे।

सभापति महोदय : कुमारी उमा भारती।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मेरा एक सूचना का प्रश्न है। (हिन्दी) ट्रेजरी बेंचिज बिल्कुल खाली हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके सदस्य किसान रैली में भाग लेने गए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : सभापति जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज लन्च से पहले करीब 2.00 बजे मैं स्पीकर साहब से मिली हूं। उनसे मैंने कहा था कि कल 4.00 बजे 193 के अन्तर्गत ऐट्रोसिटी पर चर्चा हुई थी और अधूरी रह गयी थी। मैंने उनसे कहा था कि आज के बिजनेस में इसको सबसे बाद में रखा है। उन्होंने कहा था कि कल भी इसे चार बजे लिया था और आज भी चार बजे लेंगे। अब उसको कब लेंगे। इतना गम्भीर मामला है और आप उसको सबसे बाद में लेना चाहते हैं। उसे पहले लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम कार्य सूची के अनुसार मदों को ले रहे हैं। हम इस विधेयक के बाद आपके अनुरोध पर विचार करेंगे। आपको सुबह ही इस मुद्दे को उठाना चाहिये था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : स्पीकर साहब ने कहा था कि इसको पहले लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : सभापति जी, हम जानना चाहते हैं कि ऐट्रोसिटी के मामले को कब लेंगे ?

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : ऐट्रोसिटी का इतना गम्भीर मामला है । मैं तो बजे के करीब स्पीकर साहब से मिली हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया मुझे मालूम नहीं कि आपके और अध्यक्ष महोदय के बीच क्या बातचीत हुई है । मैं कार्यसूची के अनुसार चल रहा हूं । यदि आप सभी यह महसूस करते हैं कि इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करने के बाद इस चर्चा को शुरू किया जा सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जिस बिल पर डिसकशन चल रहा है, वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और एस. सी. एस. टी. का डिसकशन रूल नं. 193 के अन्दर हो रहा है । हमारे सदस्य यह चाहते हैं कि एस. सी. एस. टी. के ऊपर जो डिसकशन होता है तो उसका असर बाहर भी पड़े । माननीय सदस्य यही चाहते है कि छः बजे के बाद डिसकशन होगा तो उसका असर बाहर नहीं पड़ेगा । वह समय पर होना चाहिए और लिस्ट आफ बिजनेस में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए । यह हमारी कंसेन्शन है । (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हमने पहले ही कहा था कि दो बजे डिसकशन शुरू होना चाहिए, लेकिन चार बजे का समय तय हुआ था । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : कल ये सदस्य रात देर तक बैठना नहीं चाहते थे जोकि अ. जा. और अ. ज. जा. पर अत्याचार सम्बन्धी चर्चा के लिए जरूरी था। इसलिए मैं इस बात [पर बल देती हूं कि राष्ट्रीय आयोग विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी की जानी चाहिए और आज ही विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : उन्होंने निर्णय लिया है कि वे किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे । (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : नियम 173 के अन्तर्गत अ. जा. और अ. ज. जा. पर देश में अत्याचार संबंधी चर्चा काफी महत्वपूर्ण है । यही कारण है कि जब चर्चा की मांग की गई तो हम तुरन्त सहमत हो गए । कार्य मंत्रणा समिति ने समय नियत किया और इस पर चर्चा कल ही शुरू हो गई (व्यवधान) वास्तव में मैंने कल पुरजोर अनुरोध किया था कि हमें देर तक बैठक करनी चाहिए जो तथा देश में अ.जा. और अ. ज. जा. पर अत्याचार पर चर्चा समाप्त करती थी । परन्तु विपक्ष के सदस्यों ने कल देर तक बैठने से इनकार कर दिया और आज जानते हैं कि ऐसा नियम है कि सरकारी कार्य समाप्त करने के बाद ही आप देर तक बैठक कर सकते हैं और अ. जा. तथा अ. ज. जा. पर चर्चा समाप्त कर सकते हैं । मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि हमें मामले को उठाना चाहिए । यह एक काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और तीन दिन के बाद भी हम एक कानून को पूरा नहीं कर सके । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक पर चर्चा पूरी करें⋯(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : हमने कल कहा था कि 6 बजे के बाद चर्चा नहीं चलेगी, फिर आज इसे क्यों शाम को लेने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आर. एन. राकेश : आप अभी हरिजनों पर अत्याचार पर चर्चा शुरू करवा दें और 6 बजे तक खत्म करवा दें। उसके बाद सारा बिजनेस आज का पास कर लेते हैं।

कुमारी मायावती : हम महिला आयोग बिल 6 बजे के बाद लेने को तैयार हैं और रात तक बैठकर उसे पास करेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हमने इसीलिए कल इसे 6 बजे के बाद नहीं लिया। हमें आज चेयर से अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था

[अनुवाद]

आप सरकारी कार्य को 6 म. प. के बाद शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा और दो बजे के बाद हम इसको शुरू करा सकते हैं। हमारा कल भी यही आब्जेक्शन था कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर रात को चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री पी. उपेन्द्र : यह जानबूझ कर का सवाल नहीं है, यह कम है। (व्यवधान)

श्रीरामलाल राही (मिसरिख) : यह महत्वपूर्ण विषय है, यह 6 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए, अगर 6 बजे के बाद ही आज इसको लेना है तो हम कल ही इसे पूरा न कर लेते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी विधेयक आज ही पारित किया जाना चाहिए। अ. जा. तथा अ. ज. जा. की महिलाएं उत्पीड़ित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों मुद्दे उठाए जाएं। परन्तु हम चाहते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए और इसके बाद अगला मुद्दा उठाया जाए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आगरा के अन्दर औरतों की इज्जत लूटी गई, क्या यह अत्याचार नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : अगर संसदीय कार्य मंत्री यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि कल इसको लंच के बाद ले लिया जायेगा तो हम आज आपका बिजनेस पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय मुझे उनके सुझाओं पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि पता नहीं कितने वक्ताओं को अभी बोलना है दो विकल्प है जैसा कि उन्होंने बताया आज हम लोग सरकारी कार्य समाप्त कर सकते है और हम तुरन्त देश में अ. जा. तथा अ. ज. जा. पर अत्याचार पर चर्चा कर सकते है।

श्री जसपाल सिंह : हम सहमत हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आप हां या न में जवाब दें, सम सोचेंगे यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री रामलाल राही : कननान आफिशियसड़े है, कहीं ऐसा न हो कि यह कल भी न हो पाये।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, यहां दो विकल्प है। कुछ सदस्यों को अभी बोलना है। पांच बजे हम इस विधेयक को सभा द्वारा मतदान के लिए रखेंगे और इसके तत्काल बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे और हम इस प्रकार कार्य कर सकते है। इस विषय पर चर्चा या जो कुछ भी वे चाहें हम कर सकते है। मुझे पता नहीं कितने वक्ताओं को अभी बोलना है। (व्यवधान) महोदय एक मिनट। पांच बजे हम इस विधेयक को मत के लिए रखेंगे। इसके बाद एक घटे, डेढ़ घटे, या दो घटे या फिर जितना समय वे चाहें इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान) अब सिर्फ दो घंटे का समय बचा है। पांच बजे तक यह समाप्त हो जाएगा।

श्री पी. कुमार मगलम : आप समय देख रहे हैं।

श्री पी. उपेन्द्र : आप समय नहीं देखते है। आप समाचार देखते हैं। इस विधेयक पर आज सिर्फ दो घटे का समय नियत किया गया है। पांच बजे दो घटे का समय समाप्त हो जाएगा। हम पांच बजे मतदान कर सकते है। यदि चर्चा नहीं समाप्त होती है और वे इस पर और अधिक समय चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसे जारी रहने दें। छः बजे के बाद मतदान करें या जितने बजे आप लोग चाहें। इसके बाद हम कल अ. जा. तथा अ. ज. जा. पर अत्याचार सम्बन्धी चर्चा शुरू कर सकते हैं। महोदय आप निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री जी ने यहां पर जो कहा है हम लोग भी यह चाहते है कि यह बिल जिस पर डिस्कशन हो रही है, आज पास हो। इस बिल की महत्ता को देखते हुए हमारी बहुत सारी बहिनें और इस सदन के माननीय सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते है। उनकी इच्छा को न दबाया जाये और यदि आपको यह बिल जल्दी पास करना है तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने मेम्बर्स को रेस्ट्रेन कर सकते है कि वे इस बिल में पार्टिसिपेट न करें। हम तो चाहेंगे कि वे पार्टिसिपेट करें लेकिन जल्दी पास करने में हम आपको को-आपरेट करेंगे। इस बिल

के पास करने में कल भी करना चाहते थे और आज भी करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से यह इम्प्रेशन देना न्यायसगत नही है, बिलकुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी कल बैठना नहीं चाहती थी या बात नहीं करना चाहती थी। (व्यवधान)

हमने कल भी कहा था कि हम केवल एस. सी. एण्ड एस. टी. पर होने वाली एट्रोसिटोज पर केवल बहस ही नहीं करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो बहस करें वह मीडिया के द्वारा बाहर तक पहुँच सके ताकि उसका असर पब्लिक पर पड़ सके। उसके ऊपर हम असर डालना चाहते हैं, इसलिए ऐसे समय में बहस होनी चाहिये जो उचित समय हो ताकि मीडिया उसको ठीक तरह से कैरी कर सके, ठीक तरीके से बेटेज दे सके। इसलिए हमने यह सुझाव दिया कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में इसको प्रायरिटी दी जानी चाहिये थी जो नहीं दी जा सकी है। माननीय मंत्री जी... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : यही नियम है, हम इसे स्वीकार करते हैं तथा हम यही करते रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : उपेन्द्र जी, ट्रेडीशन तो यह है कि चार घण्टे हरिजनों पर हुई एट्रोसिटोज पर डिस्कशन होनी चाहिये जो नहीं हुई है।

श्री पी. उपेन्द्र : हम करेंगे।

[अनुवाद]

मैं इसके लिये तैयार हूं। हमने इससे इन्कार नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : एस.सी.एस.टी. के मामले में ट्रेडीशन को नहीं, उसकी महत्ता को देखते हुए समय निर्धारित करते हैं और हाऊस इस बात को निर्धारित कर सकता है कि किस समय उस पर डिस्कशन हो सकती है जो आपसी सहमति से हल किया जा सकता था लेकिन लिस्ट आफ बिजनेस जो बनती है वह आपकी सलाह के अनुसार बनती है और उसके अनुसार काम होता है। इसलिए आपने इस आईटम को लास्ट में डाला, फलतः मायावती जी को और हमारे पक्ष के सदस्यों को आब्जेक्शन था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बाधा-मीडिया के रूप में मेहरबानी करके आप इस विषय को प्राथमिकता दें और आज जो इस समय विषय पर डिस्कशन चल रही है, हमारी बहिनों को पार्टिसिपेट करने दें लेकिन कल इसको लिस्ट आफ बिजनेस में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

श्री पी. उपेन्द्र : लेकिन वुमेन बिल आज ही खतम किया जाये।

श्री हरीश रावत : मेहरबानी करके आप ऐसे मामले में पालिटिकल ऐंगल न लें और ब्लेम करने की आदत छोड़िये। आप पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आप हमारा को-आप्रेशन चाहते हैं। यदि आप हर मामले में ब्लेम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए टालरेट करना मुश्किल होगा, यह आपको समझना पड़ेगा।

श्री भगवान सिंह : लेकिन एट्रोसिटीज वाले मामले को जरूर लेना होगा...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जब नियम 193 के अधीन चर्चा होती है तो उसकी अवधि दो घंटे की होती है तथा कल दो घंटे का समय दिया जा चुका है। किन्तु जब बहुत से सदस्यों ने बोलने की इच्छा प्रकट की तो हमारी पार्टी ने यह मांग की थी कि उनको समय दिया जाया जाए। इस स्थिति में भी यह महसूस किया गया कि इसे आज 6 बजे के बाद लिया जाएगा। उन्होंने भी ऐसा कहा है। (व्यवधान) आप चिल्लाकर सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे है।(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आप वकील जरूर बनिये, मगर ऐसे वकील बनिये जिससे कि मुवक्किल को फायदा हो सके। आप तो नुकसान कर रहे। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल सिंह (कोटा) : कल जब इस विषय पर बहस हो रही थी तो कांग्रेस दल के केवल 6 सदस्य सदन में मौजूद थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर सीरियस नहीं है। केवल 6 मैम्बर्स थे। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : अभी जैसा मेरे बगल में बैठे हुए कुछ जिम्मेदार माननीय सदस्यों ने कहा कि नियम 193 के अन्तर्गत हरिजनों पर होने वाले अत्याचार से सम्बन्धित मामले पर केवल दो घण्टे की बहस होनी चाहिये थी, लेकिन दो घण्टे से ज्यादा उसके लिये समय फिक्स किया गया है। मैं उन माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि जिस दिन (व्यवधान) आप पहले मेरी बात तो सुनिये (व्यवधान) जिस दिन सदन 7 तारीख को आरम्भ हुआ था तो मैंने पहले दिन ही आगरा में हुए काण्ड को लेकर यह कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति दीजिये, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को इस काण्ड पर अपना स्टेटमेंट सदन में देना चाहिये। मैंने इस विषय को 7 तारीख को ही लेने पर जोर दिया। कल जब इस पर दो घण्टे का समय दिया गया तो उस दो घण्टे की चर्चा में भी बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया गया था। मैं सभापति जी, आपकी मार्फत पी. उपेन्द्र साहब को यह बताना चाहती हूं कि जैसा उन्होंने अभी बताया, यदि वे अपने सहयोगी दलों से सलाह मशवरा करके यह प्रोमिस करते हैं कि आज एवजेक्ट 5.90 बजे महिलाओं से सम्बन्धित विधेयक पास हो जायेगा (व्यवधान) आप सुनिये तो (व्यवधान) यदि आज 5.00 बजे महिला आयोग से सम्बन्धित विधेयक पास नहीं होता है, आपके सहयोगी दल इस पर लम्बी चर्चा चाहते हैं तो आप इस विधेयक को कल लें, लेकिन हरिजनों पर एट्रोसिटीज से सम्बन्धित मामला बहुत गम्भीर है, आज भी हजारों लोग अपने गांव छोड़कर आगरा शहर के किनारे, बरसात के मौसम में, आसमान के नीचे पड़े हैं, इसलिये एट्रोसिटीज का मामला अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण और गम्भीर है, आप इस मामले को पहले डिस्कशन के लिये लीजिये, मेरी रिक्वैस्ट है, आप इस पर आज ही चर्चा शुरू कराइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय। मैं आपकी बात पहले ही सुन चुका हूं। कृपया समय नष्ट न करें। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर. एल. राकेश : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य यह भावना रखते हैं कि एट्रोसिटीज आन हरिजन से सम्बन्धित चर्चा के लिये मात्र दो घण्टे ही रखे गये हैं, उनके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिये कि हरिजनों पर अत्याचार का मामला कोई साधारण मामला नहीं है, हरिजन इस देश में सदियों से पिसते आये हैं, हिन्दुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग, यदि आज भी, अपने बहुसंख्यक होने के बल से, हरिजनों का उपहास करते रहेंगे तो हरिजनों को आज तो क्या कभी भी इस देश में न्याय नहीं मिल सकेगा। हम इस सदन में सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिये आते हैं, हमें हरिजनों की समस्याएं समझकर उन्हें हल करना है। मुझे आशा है कि हमारे साथी इस मामले पर इस तरह का एटीट्यूड नहीं अपनायेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यदि हम प्रचार माध्यमों का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री हरीश रावत के तर्कों को स्वीकार कर लेते हैं तो कल संसद की बैठक 2 बजे के बाद नहीं होगी। क्योंकि इसके बाद प्रचार माध्यम उपलब्ध नहीं हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय नष्ट मत कीजिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। क्या मैं सदस्यों से अध्यक्ष-पीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध कर सकता हूं ? यदि आप इसी प्रकार से चर्चा करते रहे तो मैं सभा की कार्यवाही ठीक से नहीं चला सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो माहौल बना है, दुख तो बाजू पर गया लेकिन मजाक जैसा माहौल बन गया है। कल जब इस पर बहस करने के लिए हमने कांग्रेस वालों से प्रार्थना की, मंहगाई पर बात थी तो रात के आठ बजे तक बैठे रहे लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति पर जब चर्चा होने वाली थी तो हाउस ऐडजोर्न करवा दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय के अलावा किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि हम कल इस मद को प्रमुखता देंगे तथा आज राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक को पारित होने दीजिए। यह मेरा फिर से अनुरोध है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : यह बताईये कि कल कितने बजे शुरू होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इसको वरीयता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो कहा है। माननीय सदस्यों ने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मेरा सुझाव है कि कल दो बजे शुरू होना चाहिए। यदि दो बजे शुरू नहीं करेंगे तो हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये कुमारी उमा भारती।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूं यद्यपि मैं यह बात यहां कहूं, ऐसा चाहती हूं कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब न तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत पड़े, न ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न किसी मंडल आयोग की जरूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की जरूरत पड़ती है इसका मतलब है कि समाज में कहीं न कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके और पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ-साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती हूं कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा अहसान किया गया है बल्कि मैं मानती हूं कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जो कम आंका गया है उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को कोई नई शक्ति मिल रही है। हां—कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलायें स्वयं अपनी शक्ति का अन्दाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मनःस्थिति लोगों की बनी, जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जान-बूझ कर के कम आंका गया है। अन्यथा, आज भी उदाहरण के रूप में देखा गया है कि महिलायें, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलायें पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसके उदाहरण के रूप में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मायावती जी के रूप में देख लिया है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मदन लाल खुराना जी ने मेरी शक्ति को समझा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने शक्ति को देखा, माया को नहीं देखा। ···(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे कोई मामला हो अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनो-विनोद कर सकते हैं—सदन की परिपाटी में मनो-विनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है—लेकिन मनो-विनोद इस सीमा तक न ले जायें, जिससे किसी विषय की गम्भीरता कम हो जाये। मैं कल से यह बात देख रही हूं, जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनो-विनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ और मैं इस बात के लिए चकित रह गई, जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर उपस्थित हैं, वे बीच-बीच में इस प्रकार के मनो-विनोद, हास्य-परिहास से क्या साबित करना चाहते हैं। क्या महिलाओं के बारे में वे संकुचित और विकृत दृष्टिकोण रखते हैं? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है···(व्यवधान)···संक्षेप में मुझे मेरी बात कह लेने दें और अपनी बात को समाप्त कह लेने दें। (व्यवधान)···रही बात, मनो-विनोद की, तो इसके लिए समय निकाला जा सकता है। आपस में आप लोग बाहर लॉबी में एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंस सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, आज भी समाज में हम इस बात को देख सकते हैं कि महिलायें पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली हैं, अगर शारीरिक तुलना की बात छोड़ दी जाए। जहां तक शरीर की बात है. शरीर की दृष्टि से जो शक्तिशाली होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन यह पशुओं की दुनिया में होता है यह मनुष्यों की दुनिया में नहीं होता है। मनुष्यों की दुनिया में जो बुद्धि और भावना से ताकतवर होता है, वही ताकतवर होगा और यह बात महिलाओं में देखी जा सकती है। मान लीजिए, किसी का पति गुजर जाए, तो आप विधवा महिला को बहुत शक्ति के साथ अपना निर्वाह करते हुए देख सकते हैं, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद पतियों की क्या हालत होती है, वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह बहुत सारे लोगों को मालूम है।···(व्यवधान)···

श्री जयपाल सिंह : आपको दोनों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे मेडिकल स्टोर मे सिर दर्द, कैंसर और बुखार आदि की दवायें दी जाती हैं, लेकिन दवाई बेचने वाले के लिए यह जरूरी नहीं होता कि उस ने स्वयं भी उन बीमारियों को भुगता हो। इसकी उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके सामने उल्लेख कर रही थी कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वे अपनी शक्ति को अनुभव करें, जो शक्ति उनके अन्दर निहित है। आप लोग यह मानते हैं कि इस विधेयक के आने के बाद भी महिलाओं को तब तक लाभ नहीं होगा, जब तक गांवों में रहने वाली अनपढ़ महिलाओं को. जिनको यह जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि हमारे बारे में भी इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, कोई ऐसी योजना बनाई जाए. जो अनपढ़ महिलायें हैं उन तक यह बात पहुंच सके कि इस नई सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिए हुए हैं। जब तक गांव की महिलाओं तक यह बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि असली शोषण तो उन महिलाओं का ही होता है, जिनको कि यह ज्ञान ही नहीं है कि उनका क्या अधिकार है, क्या सम्मान है? यद्यपि इस विधेयक के आने के बाद भी कई महिलाओं ने मुझसे बाहर कहा कि इस विधेयक के आने के बाद भी इसमें समय लगेगा कि भारत की महिलायें

अमेरिका की महिलाओं की बराबरी कर सकेंगी या नहीं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक के आने के पहले भी पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, जिसमें मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान आज की तारीख तक यहां होता रहा है—एक मां के रूप में, बहन के रूप में, और एक बेटी के रूप में, जो इज्जत हिन्दुस्तान की औरतों को मिली है मैं समझती हूं कि इस बात का दावा किसी भी देश की महिलायें नहीं कर सकती हैं क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति में तो महिलाओं को इतने सम्मान की दृष्टि से देखा गया है कि राम का जन्म साल में एक बार होता है, जन्माष्टमी साल में एक बार होती है, शिवरात्रि साल में एक बार होती है, लेकिन नवरात्रि नौ दिन के लिये होती है और नवरात्रे साल में दो बार होते हैं। इसलिये भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है कि महिलाओं का भारत की संस्कृति में, भारत की विचारधारा में बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है।

मुझे लगता है कि जब हम तथाकथित पश्चिम की मानसिकता से ग्रस्त हुए, उसके बाद में महिलायें ज्यादा संकुचित दृष्टिकोण से देखी गई। मुझे लगता है कि अब वह अवसर आ गया है जब यह विधेयक यहां पास होगा और उन महिलाओं को जिनको कि अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है, मैंने आवस कहा कि इस विधेयक के द्वारा उनको शक्ति नहीं दी जा रही है बल्कि उनको उनकी शक्ति का अनुभव कराया जा रहा है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा उनको सम्मान प्राप्त होगा, जिसके लिये भारत की महिलायें आज तक आतुर थीं।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई, लखनऊ और कानपुर में जहां-जहां क्लिनिक बने हुए हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं के टेस्ट होते हैं और यह पता लगाया जाता है कि गर्भ में बालक है या बालिका। मेरा एक निवेदन यह भी है कि यह आश्चर्य की है बात कि इन गांव के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि यह लोग अन्धविश्वास से घिरे हुए हैं या पुराने रीति-रिवाजों से अकड़े हुए हैं। लेकिन आप उन शहर के लोगों को क्या कहेंगे, दिल्ली के डाक्टरों और इंजीनियरों का क्या कहेंगे, बड़े-बड़े आई पी एस आफिसर्स को क्या कहेंगे जिनकी पत्नियां गर्भ में चेक करवाती है कि उनके गर्भ में बालक है या बालिका और यदि बालिका होती है तो उसको गर्भ में से निकलवा कर उसकी हत्या करवा दी जाती है। मैं तो यह समझती हूं कि ऐसे लोगों के हाथों से उनकी डिग्री छीन लेनी चाहिये। ऐसे लोगों के पढ़े-लिखे होने का क्या फायदा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप सख्त से सख्त नियम बनाइये कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ का जो परीक्षण करेंगे, ऐसे क्लिनिक चलाने वालों को और उन डाक्टर्स को जो यह परीक्षण करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। अगर यह बात नहीं हुई तो गांव में उतना शोषण नहीं हुआ, जितना कि शहरों में हो रहा है। (व्यवधान) मैं भी इस बात से सहमत हूं कि शहर में अगर कोई महिला विधवा होने के बाद दोबारा विवाह कर ले तो उसको कुछ भर्त्सना की दृष्टि से तो देखा जाता है लेकिन यदि गांव में ऐसा हो जावे तो उसको भर्त्सना और निंदा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। (व्यवधान) गांव में रहने वाली महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है, लेकिन पर्दे में रह कर भी वे अपने पति को रिमोट कंट्रोल से चलाती है और अपने पूरे घर को चलाती है। अब शहर की महिलाओं को देखिये—कलकत्ता जैसे शहर की महिलायें जो घर में ही परीक्षण कराती हैं कि उनके गर्भ में बालक है या बालिका। मैं उन महिलाओं को कहीं ज्यादा संकीर्ण, ज्यादा घटिया मनोवृत्ति का मानती हूं और

ऐसा मानती हूँ कि इस प्रकार की महिलायें इस देश के लिए कलंक है क्योंकि अगर नारी ही नारी का सम्मान नहीं करेगी तो हम अन्य लोगों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह नारी का सम्मान करें।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि एक महिला के द्वारा जो इस विधेयक को यहां पर लाया गया है, उस अन्धेरे में जीने वाली प्रत्येक महिला को यह ज्ञान हो जायेगा कि इस विधेयक के द्वारा उनको क्या अधिकार दिये गये हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, महिला आयोग बिल इस सदन में 22 मई को लाया गया और 28 जुलाई को हमारी सरकार ने एक कान्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें पूरे देश से लोगों को और महिलाओं के क्षेत्र में अगुवा लोगों को आमन्त्रित किया। उस कान्फ्रेंस में इस विधेयक पर पूरा विचार-विमर्श किया गया और वहां प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर मंत्री महोदय ने यहां पर संशोधन प्रस्तुत किए हैं। माननीय हरीश रावत जी का भाषण मैंने सुना और ऐसा लगा कि उन्होंने विधेयक का और मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अवलोकन नहीं किया है। और भी कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में भ्रांतियां बताई। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। इससे पूर्व कांग्रेस शासन में महिला सुधार के बारे में, महिला-कल्याण के बारे में कई आयोग स्थापित हुए होंगे, कितनी ही कमेटियां बनी होंगी, लेकिन आज तक उसका कोई ठोस स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। यह पहला अवसर है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार यह क्रांतिकारी कदम उठाया और इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय, पहले इस विधेयक के अनुसार 5 सदस्यीय आयोग की बात थी और उसमें यह प्रावधान था कि इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं का सहवरण किया जाएगा लेकिन अब संशोधन प्रस्तुत करके उस 5 सदस्यीय आयोग को बढ़ाकर 7 सदस्यीय करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें एक महिला अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह से इस आयोग को ठोस स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर विचार-विमर्श करते समय कहा कि इस आयोग को अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मैं इस विचार से सहमत हूं, लेकिन यह पहला कदम है, और इसको स्टेट्यूटरी प्रदान किया गया है, उससे यह अपने आप शक्तिशाली है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अट्रासिटीज, जुल्म और अन्याय जो राज्यों के अंदर होता है, उसमें केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करता, परन्तु इस विधेयक के अन्दर यह प्रावधान है कि आयोग को ऐसे राज्यों में, ऐसे स्थानों पर जहां पर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, किसी प्रकार की जुल्म-ज्यादती हुई है, वहां जाने का अधिकार होगा और इस संबंध में जो रिपोर्ट आयोग प्रस्तुत करेगा, उसको राज्य सरकार को विधान सभा पटल पर रखना अनिवार्य होगा। आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, इनवेस्टीगेट करके, एग्जामिन करके, उस रिपोर्ट को उस राज्य की विधानसभा के सभापटल पर रखा जाएगा, इस तरह का प्रावधान इस

विधेयक के अन्दर है, जो इस विधेयक की शक्ति को बढ़ाता है। यह भी प्रावधान है कि इस आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा।

इस प्रकार हर रूप से यह आयोग अपने आप में शक्तिशाली है, इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस विधेयक को पेश किया है।

विधेयक की एक धारा यह है कि चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, महिलाओं के बारे में कोई भी मेजर पालिसी डिसीजन लिया जाएगा तो इस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा। मानना होगा। इस प्रकार मंत्री जी ने इस आयोग को और इस विधेयक को एक प्रकार से इस तरह उसे ठोस रूप प्रदान किया है। मैं मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा। सभापति जी, जैसे उमा भारती जी ने कहा कि एक नारी को वस्तु के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया था। एक नारी को मां के रूप में देखा जाए, बहन के रूप में देखा जाए, बेटी के रूप में देखा जाए। भारतीय संस्कृति में, समाज में एक वात्सल्य की मूर्ति होती है, मां का कितना आदर होता है। मैं उमा भारती जी से पूर्णतया सहमत हूं कि यह एक पाश्चात्य देश की भावना है, जो होड़ लगी हुई है उसकी नकल करना है आज उसका ही परिणाम है कि यहां पर जो माननीय महिला सदस्य हैं उनके भी मन में बार-बार यह विचार उत्पन्न होता है कि उनको भारत के समाज के अन्दर पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप गांवों में जाइये, शहरों में जाइये, परिवार में जाइये मां की बहुत इज्जत होती है, बहन का कितना प्यार मिलता है और बेटी को किस लालन-पालन से बड़ा करके उसके भविष्य के लिए पिता सब कुछ करता है। केवल छोटी-मोटी वारदातें होती हैं उन वारदातों को लेकर भारतीय पुरुष को बदनाम करना मैं उचित नहीं समझता।

सभापति जी, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा और इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। आज जब कभी भी वलदियत लिखने का अवसर आता है तो हमेशा अपने नाम के साथ पिता के नाम की वलदियत रखी जाती है। मैं चाहता हूं कि नारी को पूर्ण सम्मान देने के लिए, महत्व प्रदान करने के लिए वलदियत के आगे कोई भी व्यक्ति पिता की ऐवज में माता का नाम रखना चाहे तो रख सके, सरकार इस तरह का कानून यहां प्रस्तुत करके, कानून के अन्दर संशोधन करके अधिकार दें ताकि इच्छानुसार कोई भी व्यक्ति वलदियत मां के नाम पर रख सके। मैं एक बार पुनः, इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया, इसके लिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस विधेयक को जो समर्थन प्राप्त हुआ है उससे यह साबित हो जाता है कि यह कितना महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी विधेयक है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन फार विमेन बिल आया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। लेकिन इसमें जो कमियां हैं इसको पार्लियामेंटलाइज करें। मैं यहां कल से भाषण सुन रही हूं। इसको सीरियसनेस कम मिलती है। हर सदस्य इसको पार्लियामेंटलाइज करना चाहता है। यह हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिये जो बिल लाना है यह कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। महिलाओं को हजारों सालों से जो कमियां हैं, समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सीरियसली आप देखें और सुनें तभी जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया है उसको हमें सीरियसनेस मिलेगी।

एक बात और है, जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है इसमें टाईम-बाउन्ड प्रोग्राम नहीं है। जो कमीशन आप चलाना चाहते है उसके लिये टाईम-बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए। एक बात और है, इस देश में जितने, धर्म और जातियां हैं, लेकिन यह सारे धर्मों और जातियों के लिये एपलीकेबल नहीं है, यह एक धर्म के लिये एपलीकेबल है। इसमें अगर एक जाति और एक धर्म के लिये एप्लीकेबल है तो आप सोच लीजिये। हमारे देश में बहुत धर्म और बहुत जातियां हैं। उनके अलग-अलग पर्सनल ला हैं तो यह बिल किसके लिये होगा। महिलाएं तो महिलाएं ही हैं। जो पर्सनल लाज है तो उसके लिये तकलीफ उठानी पड़ती है। मुस्लिम भाईयों के बारे में कहना चाहती हूं। उनका ऐसा ला है कि वे चार-पांच शादियां कर सकते है। वहां कोई रोकने वाला नहीं है। यह उनका पर्सनल ला है और हिन्दू धर्म मे एक ही शादी करते हैं। कुछ ट्राइबल और जातियां हैं जिनके कई महिलाओं से शादी होती है या कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि महिलाओं को इस देश में स्थान दिया है। लेकिन इस देश में महिलाओं को दबाकर घर में रखा जाता है। जो काम्प्रीहेन्सिव बिल आप लाना चाहते हैं तो वह काम्प्रीहेन्सिव बिल लाइये। फिर मैं इस बिल का समर्थन करना चाहती हूं। मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

[अनुवाद]

इस विधेयक को जाति तथा धर्म का विचार किए बिना प्रत्येक भारतीय महिला पर लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

यह तो बना ही चाहिए। फार वूमेन सिटीजन, इसको इन्कलयुड करना चाहिए। पर्सनल ला को हम देखते हैं तो पता लगता है कि कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। पर्सनल ला के जरिये कोई भी हिन्दू, मुस्लिम या कोई भी महिला कोर्ट में नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि कामन सिविल कोड होना चाहिये। क्रिमिनल ला हो तो कोई भी कहने वाला नहीं है। काम सिविल कोड से पूरे देश की महिलाओं का फायदा हो सकता है इससे महिलाओं को कुछ न कुछ नतीजा मिलेगा। जब प्रधान मंत्री जी थे तो हमने कहा था, उसको इस बिल में मेन्शन नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि कामन सिविल कोड इन्कल्युड कर दीजिए। (व्यवधान) महिलाओं की समस्याओं को आप सीरियसली देख लीजिये। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। हमारे देश की महिलाएं और हम सब एक ही हैं। हमारे देश की आजादी के बाद सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को श्री देशमुख जी ने शुरू किया था। उससे अरबन और रूरल एरियाज की मदद की गई। (व्यवधान)

5.00 म. प.

महिलाओं के लिये हमने बहुत से काम किये है और भी काम अभी करने है जिसके लिये हम यहां बैठे है और उनके लिये परसपेक्टिव प्लान लाने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिए। जो महिलायें घरों में ही रहती हैं और सिर्फ बच्चे पैदा करना या गृहिणी बनकर रहना ही उनका जीवन है उनको भी जागृत करना है। पहले सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था, उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टरी बनी, उसके आने के बाद हमने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया और इन्दिरा जी के आने के लिए वूमैन वेलफेयर मिनिस्टरी बनाई गई। 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था उसमें हमने वूमैन फाइनेंस कार्पोरेशन शुरू किया जिसके बहुत गांवों में महिलाओं को रोजगार

उपलब्ध कराने के लिए पैसा दिया गया। यह मैं आपको अपनी पार्टी के महिलाओं के लिये किये गए कामों को गिना रही हूं, हम जितना महिलाओं के लिये कर सकते थे, हमने किया। उसके बाद हमने दहेज प्रथा विरोधी कानून पास किया, फिर इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट पास किया, जो बलात्कार करते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा देने का कानून इसी सदन में हमने पास किया। सारे देश के जितने वेलफेयर फैमिली आर्गेनाइजेशन हैं, वालेंटियर आर्गेनाइजेशन है या और जितने महिलाओं से सम्बन्धित संगठन हैं उनसे हम मीटिंग करते हैं और उनकी राय लेकर हमने महिलाओं के कल्याण के लिए काम किए। पंचायती राज से महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सती प्रथा के विरोध में कानून पास किया गया और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सारे काम हमारी पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। लेकिन अभी महिलाओं के लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह गम्भीर मामला है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर व्यवधान ही हो रहा है। पर्सनल ला के बारे में मैं कहना चाहती हूं इसमें हमें और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कामन सिविल कोड होना चाहिए। इस पर काफी बहस भी हो चुकी है, आप भी इस पर विचार करें। महिला आयोग विधेयक में मुझे लगता है कि आप 5 सदस्यों को लेंगे, जबकि मेरा अनुरोध है कि आप हरेक राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें दें, अगर नहीं दे सकें तो कम से कम 15 सदस्य इसमें होने चाहिएं। और उसके बाद हर स्टेट में उस कमीशन का एक विंग बना दिया जाए जिसमें महिलाओं को लाभ मिल सकता है। महिलाओं की प्राब्लम्स होती है, उनको सुनने के लिए स्टेट में एक विंग होना जरूरी है जिसमें हर स्टेट से आप एक एक रिप्रेजेंटेटिव लें। सैन्ट्रल सोशिल वेलफेयर बोर्ड में भी एम. पी. का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कमेटी बने, उसमें दो एम. पी. का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक रूलिंग पार्टी से हो और दूसरा आपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। ये दोनों एम. पी. लोकसभा के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस ओर जरा ध्यान दें। मुझे याद है कि ऊषा जी के मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलायी थी जिसमें हम सब लोग गए थे। और यही कहा था कि एक सरकार को दूसरी सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही सीरियस मामला है। इस विषय पर हम जरा सोचें क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ कहा गया है लेकिन किया कुछ नहीं गया, यही बात कहने के लिए मैंने अनुरोध किया है। इन्दिरा रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना हैं जिसमें महिलाओं को बहुत सा काम करने के लिए इन्ट्रोड्यूस किया था। इसमें वुमैन एम्प्लायमेंट के लिए भी कहा गया कि इक्वल वेजेज टू इक्वल वर्क। इसके अलावा इन्डस्ट्री में तथा अन्य महिलाओं से संबंधित प्रोग्रामों में योजनायें बनायी गयी हैं। इसलिए यह सोशिल चेंज प्रोग्राम है जो कानून चलता है। यह जो नेशनल वुमैन का जो कमीशन चाहते हैं, उस पर जरा ध्यान से और पर्सनली डिस्कस करने के लिए चेयरमैन को राईट्स देने चाहियें कि चेयरमैन किस को अपायन्ट करे, किस स्टेट में इन्क्वायरी के लिए किसको भेजे, यह सब पावर चेयरमैन को को मिलना चाहिये नहीं तो इसका कोई उपयोग नहीं है।

अतः मेरा अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आपको कोशिश करनी चाहिये। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं लेकिन जो सुझाव दिये हैं, उनको इस बिल में इन्क्लूड करने के लिए विशेष आग्रह करती हूं।

[अनुवाद[

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, महिला आयोग के महत्व के संबंध

में कोई दो राय नहीं सकती। (व्यवधान) मैंने भी पिछली लोकसभा के दौरान महिलाओं के लिए एक आयोग स्थापित करने के संबंध में इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति ने मेरे विधेयक को 'क' श्रेणी में रखा था। किन्तु दुर्भाग्य से इस विधेयक के 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद इसे चर्चा के लिए नहीं रखा जा सका। मुझे आशा है कि इस आयोग का हमारे हमारे समाज के बारे में गहरी समझ होगी। अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है तथा बहुत से लोगों की दृष्टि में इसे महिला होना एक अभिशाप है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है तथा बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति अनगिनत पाप करता है तो उसे स्त्री के रूप में फिर से जन्म लेना पड़ता है। अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विश्वास बने हुए हैं तथा इनसे स्त्रियों की स्थिति का और स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने की जरूरत का पता चलता है। सभा में यह पहले ही कहा जा चुका है कि मां के गर्भ में बच्चे के सेक्स का पता लगाने के लिए मेडीकल परीक्षण किया जाता है तथा इसके बाद गर्भपात कराये जाते हैं। 1982 में बम्बई में एक सर्वेक्षण किया गया था तथा यह पाया गया था 8000 गर्भपातों में से 79991 गर्भपात बालिका भ्रूणों के थे, इसलिए ऐसी हालत है। और समाज के विभिन्न वर्गों में स्त्रियों की स्थिति संबंधी हमारी नितांत अज्ञानता को देखें तथा इसलिए मैं यह कहता हूं कि हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति संबंधी प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है।

मेरे सामने बैठे एक माननीय सदस्य ने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए यहां तक कह दिया कि यह कानून समुचित नहीं है। इससे सारी स्थिति के बारे में अज्ञानता का पता चलता है। आज का सभ्य संसार मुस्लिम कानून की महानता तथा मुस्लिम कानून में महिलाओं को दी गई स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। एक अध्ययन होना चाहिए। अतः मैं कहता हूं कि एक आयोग का गठन किया जाना चाहिये। हम लोग एक अध्ययन करेंगे और इन्शाअल्लाह अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए विषय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा।

मुझे डर है कि हमारी अभागी महिलाओं को यह असहाय आयोग दिया गया है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। आशा है कि यह आयोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की भी जांच करेगा। यह एक अच्छी बात है। परन्तु यह व्यवस्था कितनी बेदिली से तथा हिचकिचाते हुए की गई है। इस आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि यह महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की जांच करेगा। परन्तु आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार नहीं दिये गये हैं। एक असहाय तथा कमजोर आयोग बनाया गया है। मुझे इस बात की शिकायत है। हमें अल्पसंख्यक आयोग का अनुभव है। कितना निराशाजनक अल्पसंख्यक आयोग है यह सरकार के एक विभाग को पत्र लिखता है और वह विभाग उत्तर देने की परवाह नहीं करता है। और ऐसा उन्होंने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है जो कि सभापटल पर रखा गया है। एक सही आयोग होना चाहिये जोकि महिलाओं की शिकायतों को दूर कर सके। आयोग का काम केवल अध्ययन करना जांच करना तथा प्रतिवेदन देना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसके पास परियोजनायें शुरू करने की शक्ति भी होनी चाहिये उसके पास स्वयं ही महिलाओं के कल्याण के लिए परियोजनाओं को शुरू करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे सामने समाज में परित्यक्त महिलाओं की समस्या है। हमारे सामने महिलाओं के कम साक्षर होने की समस्या है। आयोग को स्वयं परियोजनायें शुरू करने की शक्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमें विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को देखना चाहिये। सभापति की नियुक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में से की जानी चाहिए जैसाकि सरकार उचित समझे। महोदय, सभापति की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण बात है। इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। इस विधेयक में कुछ दिशानिर्देश जोड़े जाने चाहिए कि किस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा सूची तैयार की जाएगी। परन्तु इस पहलू पर कोई रोशनी नहीं डाली गयी है। अतः विधेयक के प्रावधानों की क्षमता के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि विधेयक के अन्तर्गत बनाए जाने वाले प्रथम नियमों को विधेयक के साथ नहीं रखा गया है। यह पता नहीं है कि वह सूची किस तरह से तैयार की जाएगी जिसमें से सभापति की नियुक्ति की जानी है तथा यह विधेयक में भी नहीं दिया गया है प्रक्रिया के तौर पर नियमों के प्रथम सेट को विधेयक के साथ नहीं रखा गया है अतः विधेयक का वह महत्वपूर्ण क्षेत्र जो विधेयक की प्रभावकारिता निर्धारित करेगा वह पूरी तरह से अन्धेरे में है।

5.17 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी सभा में कोई विधेयक लाया जाता है विधेयक को ठीक से समझने के लिए नियमों के प्रथम सेट को भी विधेयक के साथ हमेशा लगाया जाना चाहिए। यह उन सब की मांग है जो हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र तथा कानून के शासन की सफलता चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उप खण्ड 3 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आयोग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तब इस समुदाय का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिये। यह अच्छी व्यवस्था है। मैं अल्पसंख्यकों के लिए भी अर्थात मुसलमानों के लिए जो बहुत अधिक संख्या में हैं इसी प्रकार की व्यवस्था करने की जबरदस्त सिफारिश करता हूँ। हमें राष्ट्रीय आयोग में उनकी शिकायतों पर भी चर्चा करनी चाहिए तथा यदि राष्ट्रीय आयोग में कोई मुस्लिम महिला नहीं है तो ऐसी मुस्लिम महिला को इस आयोग मे रखना चाहिए जिसे इस समुदाय का विश्वास प्राप्त हो इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हम महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं परन्तु इस विधेयक में महिला आयोग के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं दिखाया गया है। आयोग के किसी भी सदस्य तथा सभापति की सेवायें सरकार द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। कुछ पैसा देकर उन्हें भेजा जा सकता है। इस तरह हम नियुक्त किए जाने वाले उस आयोग को यह सम्मान दे रहे है। हम महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की बात करते है परन्तु वापस भेजने के आदेश हम अपने पास रखते है। एक सदस्य को तीन महीने का वेतन देकर इसलिए त्याग पत्र देने को कहा जा सकता है। क्योंकि उनके विचार पसन्द नहीं है, तथा उनका कार्यकरण सरकार को मंजूर नहीं है। या उनके अनुसार नहीं है। यह तरीका नहीं है यह वह सम्मान नहीं है जिससे आयोग के साथ बरताव किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमिल वेग शास्त्री (बोलोवत) : उपाध्यक्ष महोदय, बनारसाना मो पनि की सम्पत्ति में

पत्नी का अधिकार मानते हैं या नहीं मानते है। यदि मानते है तो वे इस बिल में संशोधन दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं पूरी चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं सती पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं देवदासी प्रथा पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं उन सब बातों पर चर्चा करने को तैयार हूं जिनका आपने जिक्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनातवाला से निवेदन करता हूं कि वह कुछ समय प्रतीक्षा करें। वह, इस विधेयक पर बोल रहे हैं कृपया उनको बोलने दें। कृपया विषयेतर मामला न लायें तथा विषय से न हटें। यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं तथा वह चाहते है कि आप अवश्य बोले, तो मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। उनको बोलने के बीच में व्यवधान खड़ा करने में कोई लाभ नहीं है।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप कुछ गलतफहमी में है। वे मुझे विषय से नहीं हटा सकते हैं। उन्होंने अपने को विषय से हटा लिया है। खैर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आप खण्ड पांच को देखें। उनके कितने कर्मचारी होंगे ? उनके कितने अधिकारी होंगे ? आयोग को यह निर्णय करना चाहिये कि उसे कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तथा आयोग को जितने कर्मचारी चाहिये, उन्हें मिलने चाहिए यहां सरकार जितने कर्मचारी उचित समझेगी आयोग को प्रदान करेगी। क्या मजेदार तरीका है ? हमने आयोग के प्रति यह असम्मान दिखाया है।

जैसाकि मैंने आपसे पहले कहा है कि आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत भी शक्तियां नहीं प्रदान की गयी हैं।

अब आप महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट देने की बात करिए। खण्ड 10 (i) में बहुत ही लापरवाहीपूर्ण रूख अपनाया गया है। परन्तु हमको बताया गया है कि आयोग आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हम मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें आयोग अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए यह अनिवार्य बना देना चाहिये कि वह समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में कम से कम वर्ष में एक रिपोर्ट दें, जोकि इस सभा में प्रस्तुत की जाए तथा इस पर चर्चा की जा सके।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह प्रतिवेदन में दिया गया है। आप उसे देखिये।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं वार्षिक प्रतिवेदन की बात नहीं कर रहा हूं। कृपया मुझे विषय से हटाने से पहले विधेयक को समझने की कोशिश कीजिए मैं विषय से नहीं हटा हूं। आप विषय से हटे हैं। मैं विभिन्न रिपोर्टों की बात कर रहा हूं। कि सारी बातों को इतनी लापरवाही से लिया गया है। मुझे डर है कि इस तरह का आयोग कोई अच्छाई नहीं कर पायेगा।

मैं चाहता था कि सरकार महिलाओं के कल्याण हेतु कुछ प्रभावी विधान लाती जिसमें महिलाओं के लिए चिन्ता होती तथा जिसमें आयोग को उचित शक्तियां प्रदान की गई होती।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

जिस परिवार में नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। यह वैदिक युग के अन्दर हमारे भारत के अन्दर महामन्त्र है। मातृदेवो भवः, पितृ देवो भवः—माता को देवता के रूप में पूजा जाता था। माता को देवता के रूप में पूजा जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, "याज्ञवल्क्य" में "गार्गी" के आपस के शास्त्रार्थ इस बात के भी प्रतीक हैं कि किस प्रकार से इस इतिहास के अन्दर महान विद्वान महिलायें होती थीं, कितना उनका आदर होता था। दुर्भाग्य केवल इस बात का है कि मध्य काल में हमारे उन मूल्यों का ह्रास हुआ और इतना ह्रास हुआ कि जिस समय इस राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ तो महिलाओं का बचाव के लिए महिलाओं के साथ शनैः-शनैः अत्याचार प्रारम्भ हो गये। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिस राष्ट्र के अन्दर वैदिक काल में उत्कर्ष था अमेरिका जैसे अपने आपको पढ़े-लिखे स्टेच्युट आफ लिबर्टी लगाने वाले राष्ट्र ने भी महिलाओं को उस समय (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा, कृपया विधेयक के बारे में बोलिए। संभवतः इस सभा में विधेयक के उपबन्धों के बारे में बोलने के लिए आपकी तुलना में अन्य कोई भी व्यक्ति अधिक योग्य नहीं हैं। कृपया, सामान्य भाषण न दीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : स्टेच्यूट आफ लिबर्टी को लगा करके दुनिया में स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटने वाले राष्ट्र अमेरिका में भी महिलाओं को मतदान देने के लिये, मतदाता बनने के लिये संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ में हमने महिलाओं का उद्धार करने में, उनको पूर्ण रूप से मताधिकार के साथ-साथ पूर्ण अधिकार देने का भी प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि समाज ने महिलाओं के साथ में अन्याय किया, अत्याचार किया। आज भी इस युग के अन्दर दो दिन पहले मेरे पास आसाम के बोडो जाति के कुछ युवक आये, उन्होंने 66 लड़कियों की एक लिस्ट दी, वह 66 लड़कियां 10 साल से 16 साल के बीच की हैं, जिनके साथ रात्रि के तीसरे पहर में बलात्कार करने के लिये असाम रायफल्स के लोगों ने गैंगरेप किया और इस प्रकार के गैंगरेप के केस एक जगह पर नहीं बल्कि सारे राष्ट्र में होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि किसी भी जाति में, किसी भी बिरादरी में महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया जाता, यह इस देश के लिये सबसे बड़ा अभिशाप है, हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लड़की के जन्म होने पर ही उसका गला घोंट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ब्यावर, राजस्थान में एक परिवार में 70 साल तक कोई लड़की जिन्दा नहीं रही, वहां पर लड़की का जन्म होते ही उसको मार दिया गया।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोग को,

जो आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, यह राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक एक महान क्रांतिकारी कदम है और मैं शासकीय दल को इसके लिये अभिनन्दन करना चाहता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्रांतिकारी कदम को उठाकर महिलाओं के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। उस वर्ष में, उस शताब्दी में, जब हम सामाजिक न्याय शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस विधेयक के अन्दर, क्रांतिकारी विधेयक होते हुए भी, इसमें कुछ कमियां हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-रचनात्मक दृष्टिकोण से और सर्जनात्मक दृष्टिकोण से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं। एक बात तो यह है कि यह तो स्वीकार कर लिया गया और मुझे बताया गया कि इसको अंततोगत्वा संविधान में संशोधन करके जिस प्रकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार से दर्जा इसमे दिया जायेगा। लेकिन जब तक यह नहीं होगा तब तक इसकी कुछ धारायें मन को बहुत खटकने वाली हैं, वेदना करने वाली हैं। ऐसे महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष को हायर एंड फायर, तीन महीने का नोटिस देकर निकाल दिया जाये, आज के युग में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, संविधान की धारा 311 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन इस अखिल भारतीय आयोग के अध्यक्ष को इस प्रकार से निकाल दिया जाये, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को, एक बादली को, एक मिल के अन्दर काम करने वाले साधारण केजुवल लेबर को भी इस प्रकार से नहीं निकाला जा सकता है, जिस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है, यह दुर्भाग्य है, इसमें बदल होना चाहिए। इस प्रकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो धारा 16 है वह बाधक है। स्वायत्तता, एटोनोमी आयोग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ताकि वह निर्भीकता के साथ अपना कार्य कर सके। ताकि वह निर्भीकता के साथ कार्य कर सके, लेकिन इसमें क्या किया गया है, केन्द्र सरकार जो भी आदेश देगी, उस आदेश का पालन करना इस आयोग का कर्तव्य होगा। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्र सरकार के प्रति किसी प्रकार से आस्था में कमी हो, लेकिन आयोग स्वायत्त हो, आटोनामस हो, इसके लिए आवश्यक है कि धारा 16 को समाप्त कर दिया जाए, जिसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयोग की अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, महिला-हितों की रक्षा के लिए कुछ एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसको दी जाएं, यह भी आवश्यक है, क्योंकि केवल सिफारिशें करना ही पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस आयोग को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मशीनरी दी जाए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स गवर्नमेंट तय कर दे, नियमों में प्रिसक्राइब कर दे, उससे आयोग की स्वायत्तता में कमी आ जाएगी, लेकिन इस बात को अवश्य स्वीकार करता हूं कि इसकी स्वायत्तता तभी रहेगी जब उसको निकालने का अधिकार केन्द्र सरकार को नहीं होगा।

एक बहुत बड़ी कमी है इस इस विधेयक मे और वह यह है कि देश में केन्द्र-शासित राज्य बहुत कम हैं, केन्द्र शासित विभाग बहुत कम हैं, 95 परसेंट देश राज्यों बटा हुआ है, इसलिए इसमें यह प्रावधान होना चाहिए था कि इसी प्रकार से राज्यों में आयोग और उप आयोग बनेंगे और उनको भी यह अधिकार दिए जाएंगे। जब तक यह नहीं होता तब तक सारे राष्ट्र के अंदर महिलाओं को उचित अधिकार देने का जो संकल्प लिया गया गया है, पोलीटिकल विल मेनीफेस्टेशन किया है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना तो आवश्यक है हो, इसके साथ साथ उसके इंप्लीमेंटेशन का भी निश्चित समय दिया जाना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं तो आयोग की रिपोर्ट अधिकतर अलमारियों में रखी रह जाती है और शैल्फ की शोभा बढ़ाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सदन में अभी कहा गया, कुछ महिला सदस्यों द्वारा भी कहा गया कि यूनीफार्म सिविल कोड होना चाहिए, ताकि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो सकें। हमारे संविधान के महान निर्माताओं ने, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, जेल की सींखचों में रहे, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अन्दर यूनीफार्म सिविल कोड का प्रावधान रखा है, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्थान पर एक जाति के अंदर महिला को मेंटीनेंस दिया जाता है और दूसरी जाति में दो जून की रोटी के लिए तड़पने के लिए महिला को फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे मजहबी कानून में 125 धारा लागू नहीं हो सकती और सरेआम बंबई की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले की प्रतियां जलाई जाती हैं। अभी एक सम्मानीय सदस्य बनातवाला (मुस्लिम लीग) चेलेंज कर रहे थे कि उनके यहां मजहबी मुसलमान कानून में महिलाओं का सबसे अधिक आदर होता है, यदि उनके यहां ऐसा है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है और हम भी उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन आदर किस तरह का होता है, सिनेमा देखने जाएंगी तो कोड़े लगाए जाएंगे, बुर्का नहीं रखेगी, इस प्रकार सदन में बैठेंगी तो कोड़े लगाकर उनको सजा दी जाएगी, क्या यही आदर की कल्पना है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे चेलेंज करना चाहते हैं तो मैं उनके चेलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात के साथ कि इस वाद-विवाद को टेलीविजन पर दिखाया जाए और अंततोगत्वा एक दूसरे के मजहब में महिलाओं से संबंधित अच्छी बातों को माना जाए और भारत की महिलाओं का उत्थान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस राष्ट्र के अन्दर हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने हमेशा से महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया है। न केवल इस राष्ट्र में बल्कि शेक्सपियर ने भी हेमलेट में लिखा है-

[अनुवाद]

"बेवफाई का दूसरा नाम औरत है।"

[हिन्दी]

महाकवि तुलसी दास जी ने भी लिखा है—

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।

श्री मैथली शरण गुप्त जी ने भी नारी को सबला नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि—

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

इसी तरह से श्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा-"नारी तुम केवल श्रद्धा हो।" क्या श्रद्धा से ही नारी का सम्मान होता है? नारी के साथ उसके अधिकारों का भी सम्मान हो सकता है।

लेकिन मथुरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश में आन्दोलन होने के कारण बाद भी एक जेल की सीखचों में पड़ी महिला के साथ बलात्कार करने वालों को छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने, सरेआम फांसी दहेज हत्या में दी है व 'सती' को अवैध घोषित किया है। आप बम्बई से आते हैं, क्या जानते हैं उल्लास नगर के अन्दर —

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए।

श्री गुमान मल लोढा : यदि हम अपनी वेदना इस सदन में नहीं कहेंगे तो कौन सा स्थान है जहां कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐट्रोसिटीज पर जब चर्चा होगी तब आप बोल सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढा : उल्लास नगर के एक स्कूल में दिन-दहाड़े दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को शिक्षिका के सामने, पुलिस के दो कांस्टेबल बाहर थे, तेल डाल कर धू-धू करके जला जला दिया। उसे कोई बचा नहीं सका। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र के अन्दर एक स्थान रानी के अन्दर चार लड़कियों को मारने के लिए पिता और माता ने स्वीकृति दे दी, उन्होंने सोचा कि ये लड़कियां हमारे ऊपर भार बन जायेंगी। षडयंत्र किया अपहरण करवाया व एक का कत्ल हो गया तीन सिसक रही हैं। पिता ने अवैध बताया। मेरे दर्शन में अवैध संतान नहीं बल्कि माता-पिता हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक कितना प्रभावी है, यह बताए। आपके क्या संशोधन हैं, यह बताइये, बाकी सारी चीजें न कहिए। इस बारे में दूसरे सदस्यों ने चर्चा की है तथा और मेम्बरस भी बोलना चाहते हैं।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कमीशन प्रभावशाली है, इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका मेंबर करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षा दी जाती है उसी तरह चेयर परसन और सदस्यों के टेन्योर की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि यह न हो कि कभी भी किसी सरकार या मंत्री की इच्छा पर उनको निकाल कर फेंक दिया जाए। यह कमीशननारी समाज और महिला समाज की स्थिति में बदलाव लाएगा। इसके साथ-साथ यह भी देखना होगा कि इस कमीशन में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जो नियम बनते है, वे किसी प्रक्रिया से बनाए जाए। चेयर-परसन नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का होना चाहिए। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय लेकर, देश के महिला समाज की जितनी संस्थाएं है उनके प्रतिनिधियों की राय ले कर नियुक्त करें। मैं चाहता हूँ कि यह नियुक्ति इस प्रकार से न हो जैसे राज्यपाल गृह मंत्री के यहां मिलने आए, उनको प्रसन्नता हो गयी, उसी समय फरमान निकाल दिया गया, जैसे पहले निकाले जाते थे, उपाध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी आफ सर्विस होनी चाहिए, कांस्टीच्यूशनल स्टेटस होना चाहिए। यदि यह हो जाता है तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और समाज के अन्दर जो कुरीतियां है, बुराइयां है, वे बुराइयां चाहे सती प्रथा के रूप में हों, दहेज हत्या के रूप में हो, अन्य प्रकार से हो, लड़कियों को मारने के रूप में हो, परीक्षा करके गर्भपात करवाने के रूप में हो, वे समाप्त हो सकेंगी। प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा की है और मंत्री जी ने भी कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संवैधानिक स्टेटस देने के लिए एक और बिल लाया

जाएगा। जिस समय संवैधानिक स्टेटस के लिए बिल लाया जाएगा, संवैधानिक संशोधन होगा, उस समय मैं फिर निवेदन करूंगा।

[अनुवाद]

श्री के. आर. नारायणन (ओट्टापलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने इस अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक विधेयक में पुरुषों के लिए भी कुछ अधिकार स्वीकार किये हैं।

इस विधेयक को एक ऐतिहासिक शुरूआत बताया गया है। मैं इस पर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश में महिलाओं को अधिक अधिकार देने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अपने समाज में सुधार लाने के लिए कतिपय शुरूआतें की हैं। आखिरकार यह विधेयक प्रथमतया: खुद में संविधान के अंतर्गत दिये गये अधिकारों ऐसे अधिकारों का उल्लंघन रोकने को सुरक्षा प्रदान करता है। अत: एवं इस ऐतिहासिक तथ्य को याद करना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान के निर्माताओं और हमारी पहली संसदों ने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया है और हमारे समाज में महिलाओं के स्तर के इस महत्वपूर्ण विषय पर काफी विचार किया था। जवाहर लाल नेहरू देवताओं का उदाहरण देते हुए यह कहा करते थे कि किसी समाज का औचित्य समाज में महिलाओं के स्तर से मापा जाता है। उनका मापनेका यही तरीका था। परन्तु समाज ने स्वयं अपने प्रभुत्व व अपनी बुराइयों व अपनी परम्पराओं व अविश्वासों द्वारा इस संसद तथा अनेकों सरकारों के महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारों को कार्यान्वित करने में बाधायें पहुंचायी है।

कोई भी आदमी इस तथ्य को नहीं भुला सकता है कि किस तरह कट्टरपंथियों ने इस सभा में हिन्दू कोड विधेयक को पारित करने के जवाहरलाल तथा डा. अम्बेडकर के प्रयास को असफल किया था। अत: हम केवल तकनीकी समस्याओं का सामना ही नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की व्यापक सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मैं एक या दो बातें कहना चाहूंगा जो हो सकता है तकनीकी रूप से इस विधेयक के लिए संगत न हों। परन्तु हमें एक आयोग के उत्सुकतापूर्वक और उपयुक्त रूप से काम करने के लिए एक उचित सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है। यदि हमारे समाज में सामन्तवाद की ताकतें साम्प्रदायवाद की ताकतें, जातिवाद की ताकतें प्रबल और आक्रामक ढंग से सफल है तो मैं यह नहीं समझता कि आपके द्वारा इस प्रकार के आयोग को आश्चर्य जनक तंत्र अथवा दर्जा देने से इस देश में महिलाओं के वास्तविक स्तर पर आखिरकार कोई प्रभाव पड़ेगा। हमें अपने दिलों को टटोलना है और अपने समाज को परखना है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या ये ताकतें आज इस देश में प्रबल नहीं है और वे प्रबल क्यों हैं। मैं इसको और गहराई में नहीं जाना चाहता। इसमें राजनीति हो सकती है। परन्तु मैं निश्चित रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह आयोग पूर्णतया निष्प्रभावी होगा यदि सरकार और समाज इसके कार्यक्रम के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान नहीं कर पाते हैं जोकि प्रतिकूल वातावरण न होकर के अनुकूल वातावरण हो क्योंकि महिलाओं का शोषण पूर्णतया एक व्यक्तिगत क्षेत्र नहीं है। यह शक्तिशाली वर्ग द्वारा मानवता के कमजोर वर्गों के शोषण का एक अभिन्न अंग है। यह पुरुषों द्वारा हो सकता है। मेरे विचार में यह समाज के मुख्य वर्ग का हावी होना है। मेरा विश्वास है कि हमारे समाज की अधिकांश बुराइयां, चाहे वह सम्प्रदायवाद है, चाहे वह जातिवाद है, चाहे वह इस देश में सामन्तवादी ताकतों का बोलबाला है, हमारे समाज

में महिलाओं के दुर्व्यवहार से परस्पर सम्बंध हैं । वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं कि महिलाओं के साथ भेदभाव पुरुष द्वारा खोजा गया सबसे उच्च और कुत्सित रूप है ।

जब आप इस बारे में थोड़ा-सा भी सोचते हैं तो आप यह समझ जाएंगे कि यह पक्षपात अथवा दुर्व्यवहार किसी दूसरी जाति दूसरे समुदाय के साथ नहीं किया जा रहा है बल्कि यह दुर्व्यवहार, यह भेदभाव यह अन्याय आपके अपने रक्त व मांस के साथ ही किया जा रहा है । यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्रपिता, अन्य जाति अथवा अन्य समुदाय या अन्य धर्म के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार नहीं कर सकता किन्तु आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करता है तो आपको पूछना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, हम भेदभाव के क्या कारण हैं । इसीलिए मैं यह महसूस करता हूं कि जहां एक ओर आयोग को विभिन्न तरीकों से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए वहीं सरकार और समग्र समाज के बीच समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए और यह कार्य है इस देश की जनता के विवेक को जागृत करना ताकि इस अन्याय और व्यापक असमानता से निपटा जा सके । मैं जानता हूं कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने इसका उल्लेख किया था । जब तक देश में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं होती—इस देश में एक सामाजिक आन्दोलन नहीं होता—मेरे विचार से ऐसा सरकार, राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों की सहायता से करना होगा । और इस आयोग को और इसके विभिन्न कार्यों को सचमुच प्रभावी बनाने के लिए ऐसा कोई आन्दोलन नहीं चलाया जाता, तो हम केवल इस विधेयक पारित तो कर देंगे किन्तु हमारे वस्तुतः कोई विशेष लाभ नहीं होगा । मैं यह महसूस करता हूं कि आयोग का दर्जा ऊंचा किया जाना चाहिए, इसे एक संवैधानिक निकाय बना देना चाहिए । इसे इसके कार्य तथा शक्तियों के अनुरूप कारगर बनाया जाना चाहिए । इसे दण्डात्मक शक्तियां दी जानी चाहिए इसका सम्मानजनक दर्जा होना चाहिए और मेरे विचार से हर बात उन लोगों पर निर्भर करेगी जो इस आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे । इस देश में हमने अनेक आयोग गठित किए हैं । क्या वे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक तथा दृढ़ता से कर पायेंगे यह सब इस पर निर्भर करेगा कि आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य किन्हें चुना जाता है । इसलिए इन लोगों को नियुक्त करने का भारी दायित्व माननीय मंत्री महोदय पर है । मेरे विचार से इन लोगों के चयन की जिम्मेदारी उन्हें अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए । उन्हें इनका चयन करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त पेनल बनाना चाहिए । इस देश में कुलपतियों का चयन भी ऐसे उच्चाधिकार प्राप्त पेनलों द्वारा किया जाता है । तो फिर इस तरह के सांविधिक आयोग के लिए क्यों नहीं ? मेरा विश्वास है कि इसके कानूनी तथा अन्य पहलुओं के अलावा, इस आयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इस आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य किस तरह के लोगों को नियुक्त करते हैं । हमें राजनीतिक अपवादों तथा अन्य स्वार्थों से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को इसका सदस्य तथा अध्यक्ष नियुक्त करना होगा जो न केवल प्रतिष्ठित हों बल्कि जो निष्पक्ष हों, जो अपना निष्पक्ष निर्णय लेने का साहस रखते हों ।

मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा । रंगाजी ने उल्लेख किया है कि आज 9 अगस्त है अर्थात आज के दिन 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की घोषणा की गई थी । आज 'पुरुष प्रभुत्व रोको आन्दोलन' दिवस होना चाहिए ।

मैं महिलाओं के बारे में महात्मा गांधी की सूझबूझ, समाज में उनकी भूमिका के बारे में गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मेरा पक्का विश्वास है कि

वे आधुनिक भारत में मुक्तिदाता थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा, मैं उनमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा :

> "महिला पुरुष की सहकारी है और प्रकृति ने उसे पुरुष के समान मानसिक क्षमता दी है। उसे पुरुष के छोटे से छोटे कार्य में भागीदार होने का अधिकार है तथा उसे पुरुष जैसी स्वतंत्रता का अधिकार है। कुप्रथाओं के बल पर अज्ञानी तथा गुणहीन पुरुष भी महिलाओं पर अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं जिसके वे न तो पात्र हैं और न ही उनमें वह श्रेष्ठता है।"

मुझे आशा है कि आयोग इस उद्देश्य की पूर्ति करते समय अपने कार्यकरण को भी प्रभावी माध्यम बना सकता है। यह विधेयक पेश करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है, यह काफी प्रभावकारी नहीं है। हमें इस आयोग को और मजबूत बनाने और इसे हमारे समाज में फैली इस बुराई, जिसके साथ-साथ अन्य बुराइयां पनपती हैं, को समाप्त करने के लिए इसे ताकत प्रदान करनी होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्होंने नेहरूजी और अम्बेडकर जी के बारे में ऐतिहासिक रूप से जिक्र किया है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगी कि महिलाओं के संगठनों ने एक लाख हस्ताक्षर करवा कर पंडित नेहरू को दिए थे जिसके फलस्वरूप उन्होंने हिन्दू कोड बिल पारित कराया था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का संशोधनों सहित समर्थन करती हूं तथा इसका स्वागत करती हूं। वस्तुतः मैंने स्वयं ने इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन रखे थे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये संशोधन व्यापक रूप से मंत्री महोदय द्वारा लाए गए संशोधनों के अनुरूप हैं। वस्तुतः, मेरे संशोधन उस सर्वसम्मति पर आधारित थे जो विभिन्न महिला संगठनों के बीच हुई सहमति तथा उस विचार-विमर्श से उत्पन्न हुए जो इन संगठन ने सरकार से किया था। इसलिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सरकारी संशोधनों में इसी सर्वसम्मति को दर्शाया गया है।

कुछेक छोटी-मोटी बातें ऐसी हैं जहां इस तरह का हस्तक्षेप नहीं है, उनका जिक्र मैं बाद में करूंगी। लेकिन, मैं अपनी शुरूआत यह करते हुए करूंगी कि हम इस विधेयक को पारित करना संघर्ष का अंत नहीं मानते बल्कि महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष के नए चरण की शुरूआत मानते हैं। जैसाकि मेरी मित्र श्रीमती सुभाषिनी अली ने पहले कहा है कि हम ऐसा नहीं मानते कि आयोग के पास ऐसा कोई जादुई फारमूला होगा जिससे वह एक रात में ही महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा, बल्कि हम इस आयोग को एक हथियार के रूप में मानते हैं, एक ऐसा हथियार जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसे ताक पर भी रखा जा सकता है। लेकिन यह न केवल महिला संगठनों के पास हथियार है, यह उस हर व्यक्ति के हाथ में हथियार है जो मानवीय समानता के सिद्धान्त में विश्वास रखता है

प्रतिपक्ष की एक महिला सदस्या ने जैसाकि कल कहा था कि यह विधेयक जब यह अधिनियम बन जाएगा, सरकार तथा आयोग आमने-सामने आ जायेंगे। मेरे विचार से उनकी बात

बिल्कुल सही है। इस तरह का विवाद होगा और इस तरह के विवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग हैं। हम सरकार के आभारी हैं कि उसने समय के अनुसार ऐसा कदम उठाया है और उसने विचार-विमर्श हेतु इन अवसरों का लाभ उठाया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को वहां इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। आप अध्यक्षपीठ की ओर पीठ किए खड़े हैं, जिसकी अनुमति नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे विचार से ऐसे विवाद स्वस्थ विवाद हैं जिससे हम लोकतंत्र के रास्ते पर पर आगे बढ़ सकते हैं और नियमों तथा विनियमों को बनाने, नियुक्तियों के मामले में, आयोग के कार्यकरण के मामले में भी बार-बार इन विवादों के माध्यम से हम संसद से बाहर विचार-विमर्श कर पाएंगे और संसद से बाहर लोकतांत्रिक ताकतों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर सकते हैं।

इस आयोग का वास्तविक परीक्षा की घड़ी उस समय शुरू होगी जब यह काम करना शुरू कर देगा उस समय निस्संदेह यह पता चलेगा कि क्या यह केन्द्रीकृत अफसरशाही का निकाय बन जाएगा, और यह निचले स्तर तक उन महिलाओं तक अपनी शाखाओं का विस्तार कैसे करेगा जिनको इस आयोग की सहायता की आवश्यकता है। मैं महिलाओं के सबसे गरीब वर्ग के बारे में सोच रही हूं। ये महिलाएं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की भी हो सकती हैं। अन्य महिलाएं भी हो सकती हैं जो पर्दे में रहती हैं और जिनकी कोई आवाज नहीं है जो आयोग तक नहीं पहुंच सकती। क्या यह आयोग उन महिलाओं तक पहुंच पायेगा ?

यही प्रश्न हम पूछ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र की उन महिलाओं का क्या होगा जिनके बारे में यह कहा जा सकता है एक पुरुष सुबह से शाम तक काम करता है परन्तु एक महिला का काम कभी पूरा नहीं होता ? ये महिलाएं इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास अपनी शिकायतों को उठाने के लिए समय नहीं होता। क्या आयोग इन महिलाओं तक जा पायेगा ? यही सवाल है और ऐसा तभी किया जा सकता है बशर्ते यह राष्ट्र स्तरीय आयोग की शाखाएं राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर हों। निस्संदेह हम जानते हैं कि इस विधेयक में ही इसे शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि राज्य आयोग का गठन राज्य द्वारा किया जाना है, परन्तु क्या कुछ ऐसे खर्च की घोषणा करना सम्भव होगा जिसका केन्द्र सरकार द्वारा भी वहन किया जाएगा यदि राज्य सरकारें इस तरह के आयोग गठित करती हैं, यह ऐसा मामला है जिसका हमें पता लगाना है।

मेरा विचार है सरकार इस पर विचार करेगी। विधेयक में एक ऐसा खण्ड है जिसमें यह कहा गया है कि जहां रिपोर्ट का सम्बन्ध राज्य सरकार से हो, वहां इसे राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान में रखा जाएगा। मैं समझती हूं कि यह इस प्रक्रिया की शुरूआत है, परन्तु इस प्रक्रिया को न केवल राज्य स्तर तक आगे ले बढ़ाना है, बल्कि बाद में जिला स्तर, खण्ड स्तर तक ले जाना है और इस आयोग को अपनी अपनी जड़ें वहीं तक जमानी होंगी। और मेरे विचार से ऐसे राज्य जिन्हें अपने स्तर पर स्वयं महिलाओं की समस्याओं से निपटना है उनको भी इससे लाभ होगा यदि राज्य स्तर पर ऐसा आयोग हो। शायद उन मामलों को छोड़कर जहां किसी राज्य में सत्ताधारी दल ऐसे आयोग के कार्यपालन में रोड़े अटकाना चाहती है, जहां सत्ताधारी दल महिलाओं पर हमला करने वाले के रूप में है अथवा वह महिलाओं पर इस तरह के हमले का समर्थन करता है जैसाकि त्रिपुरा में उजन मैदान के मामले में हुआ है। ऐसे मामलों के अतिरिक्त मेरे विचार से

राज्यों को लाभ पहुंचेगा। (व्यवधान) हां, पश्चिम बंगाल में भी दुर्भाग्य से महिलाओं पर हमले हुये हैं, किन्तु इसमें एक अन्तर है। त्रिपुरा में तो शासन अपराधियों को शरण और यहां तक कि पुरस्कार भी देता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केरल में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आप इस बात से आश्वस्त रहें कि हम जहां कहीं भी होंगे, इस पर चर्चा होगी, अपराधी पकड़े जायेंगे उन्हें अदालत के सामने लाया जाएगा, उनके जैसे भी राजनीतिक सम्बन्ध हों, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। क्या आप त्रिपुरा के मामले में ऐसा ही आश्वासन दे सकते हैं ? (व्यवधान)

अंतिम बात, हमने इस आयोग की स्वस्तता की मांग की है, किन्तु यह स्वायत्तता संपूर्ण स्वायत्तता नहीं है यह एक सापेक्ष स्वायत्तता है ताकि आयोग उन विशिष्ट कार्यों ठीक प्रकार से कर सके जो उसे सौंपे गए हैं। हम स्वायत्तता चाहते थे। अब इस स्थिति में मैं यह महसूस करती हूं कि बेहतर होता यदि इस अधिनियम को सांविधानिक दर्जा दे दिया गया होता हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

मैं यह भी महसूस करती हूं कि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो सकती थी। हमारा इस सरकार में बहुत विश्वास है। जिस तरह से महिलाओं संबंधी विधेयक पर हर स्तर पर चर्चा की गई है उससे यह पता चलता है कि सरकार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाये रखेगी, किन्तु जब तक इसके लिए आधारभूत संरचना न हो, इसके दुरुपयोग की हमेशा आशंका बनी रहेगी। सात से अधिक व्यक्तियों के अपेक्षाकृत बड़े निकाय की मांग इस तथ्य से उत्पन्न नहीं होती कि 11 व्यक्ति देश की संपूर्ण महिला आबादी का सात सदस्यों से बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तर्क यह नहीं है। तर्क यह है कि यदि अपेक्षाकृत बड़ा निकाय होता, तो

6.00 म. प.

सदस्य अपनी विशेषज्ञता विशेष से नारी जीवन के अधिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर पाते। आयोग के सदस्यों से जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता अपेक्षित है, उनमें 'महिला संबंधी' अध्ययन और अनुसंधान तथा प्रचार माध्यम को शामिल नहीं किया गया है। विशेषज्ञता के ये दो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और खण्ड 10 (ख) में जहां आयोग के निरीक्षण के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, उसमें मेरे विचार से कारखानों और महिलाओं के अन्य कार्य क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि हम देखते हैं कि केवल कारावासों में ही नहीं बल्कि अपने कार्य-स्थानों में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप महिलाओं के भेदभाव दर्जे की सम्पूर्ण समस्या में यह देख सकते हैं कि इसका एक पहलू है एक तरफ विकास जिसमें मानव संसाधनों का ध्यान नहीं रखा जाता। हम देखते हैं कि बड़ी परियोजनायें जारी हैं और उसके परिणामस्वरूप लोगों की उपेक्षा हो गयी है और जनकी महत्व समाप्त हो गया है प्रायः एक मामले विशेष में हम यह देखते हैं कि पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के रवैये से पूर्वाग्रहग्रस्त और दृष्टिदोषपीड़ित थी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ यही हो रहा है। ऐसा क्यों है कि महिलाओं को 8 से 10 घंटे काम करने को कहा जाता है और उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता जबकि संविधान में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान है ? किन्तु केवल नाममात्र की मानदेय, एक असम्मानपूर्ण मानदेय दिया जा

रहा है। महिलाओं का इस प्रकार का अपमान केवल इसलिए किया जाता है कि औरत मुख्यधारा से हटा दिया गया है उसकी उपेक्षा कर दी गयी है और उन्हें भिखारियों की भांति समझा जाता है क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखा जाता है जिनकी श्रमशक्ति का अवमूल्यन हो चुका है। अतः यह निस्संदेह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयोग को कार्य करना होगा इस समय में इस पर आगे चर्चा नहीं करूंगी किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि चूंकि आयोग की शक्तियों के बारे में प्रश्न उठा है, इसलिए, संशोधनों में तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को जोड़ना होगा। मुझे ऐसा लगा है कि कुछ सदस्यों ने संभवतः इन संशोधनों को ठीक से पढ़ा नहीं है। एक यह कि आयोग को दीवानी अदालत की शक्तियां दी जायेंगी। यह संशोधनों में है, तदन्तर उन्हें आयोजना प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा आयोजना के चरण में ही उनसे परामर्श किया जायेगा और 16वें अनुच्छेद को, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा आयोग का मार्ग निर्देशन किया जायेगा, एक नये अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आयोजना प्रक्रिया में आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

अंततः, मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार आयोजना प्रक्रिया में आयोग को शामिल करना जितना महत्वपूर्ण है, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में संसद के प्रति सरकार की जवाब देही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इसके लिए जांच करने की स्वतन्त्रता भी अत्यन्त आवश्यक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं उन कुछ अधिनियमों के बारे में केवल एक या दो बातें कहूंगी जो चर्चा से उभरे हैं उनमें एक है सती निवारण अधिनियम सती निवारण अधिनियम की एक धारा में यह कहा गया है कि जो कोई सती होने अथवा सती होने का प्रयास करेगा उसे दण्डित किया जायेगा। आप देखिए अधिनियम के अंतर्गत स्वयं पीड़ित व्यक्ति को ही दण्डित किया जाता है। सती को आत्म-हत्या के मामले के रूप में दर्ज किया गया है न कि हत्या के मामले के रूप में। मेरे विचार से सती के मुद्दे पर जो सदस्य मुखर के, उन्हें इस अधिनियम की इस धारा विशेष को हटाने की मांग में मेरा साथ देना चाहिए। मैं समझती हूं कि यदि ऐसा कोई आयोग होता तो किसी भी अधिनियम में ऐसी धारा नहीं होती। मेरी दृष्टि से आयोग सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य कर सकता है। यदि ऐसा अधिनियम बनाने से पहले महिलाओं की आवाज सुन ली गई होती, तो मुझे पूरा यकीन है कि कानून की किताब में ऐसी धारा नहीं आती।

इसी प्रकार मैं समझती हूं हम मुस्लिम महिला अधिनियम पर भी विचार करें। इस अधिनियम से किसे लाभ हुआ है? क्या इस अधिनियम से मुस्लिम महिलाओं को लाभ पहुंचा है? उत्तर है नहीं। क्या इस अधिनियम से मुस्लिम पुरुषों का हित हुआ है? आप पश्चिम बंगाल के उस गरीब खेतीहर मजदूर की सोचिये जिसकी बेटी अथवा बहिन उसके पास लौट आई है और उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। आप अलीगढ़ के उस दुकानदार की सोचिये जिसकी बहिन बिना किसी आजीविका के उसके पास लौट आई है। अधिनियम से गरीब मुसलमान का भी हित नहीं हुआ। अतः इस अधिनियम से इस अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों का भी हित नहीं हुआ। तो यह किसलिये कायम है? क्या सिर्फ इसलिये कि सरकार और जनता के बीच कोई सेतु नहीं है। सरकार और जनता के बीच एक दूरी बनी हुई है।

चूंकि यह समान नागरिक संहिता का प्रश्न यहां एक बार फिर से आ गया है, यह हमारे संविधान की शासन नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है और हम वामपंथी एक लम्बे अर्से से इसके

लिये मांग करते आ रहे हैं। मैं कहूंगी कि समान नागरिक संहिता के मामले में भी हमें इसी सिद्धांत का अनुपालन करना होगा हिन्दू संहिता में ही स्त्रियों के प्रति अनेक अन्याय किए गए हैं। संरक्षक अधिनियम को देखिये, बालविवाह (निषेध) अधिनियम देखिये। इनमें अनेक भेदभाव किये गये हैं। इसी प्रकार यदि आप मुस्लिम पर्सनल ला (शरीयत) क्रिश्चियन पर्सनल ला, पारसी पर्सनल ला को देखें, तो पाएंगे कि उनमें भी भेदभाव किये गये हैं। इसलिये हमें समान नागरिक संहिता में विभिन्न स्वीय विधियों (पर्सनल ला) में इन सभी अच्छी बातों को एक साथ लाना है और हमें विभिन्न स्वीय विधियों में सभी बुरी बातों, घटिया बातों को छोड़ना है।

यह बहुसंख्यकों की संहिता को अल्पसंख्यकों पर थोपने का प्रश्न नहीं है। ऐसा जनमत से करना होगा। यह सरकार और जनता के बीच चर्चा से होगा। मुझे आशा है कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग सतत चर्चा, सतत मत सम्प्रेषण द्वारा हर चरण पर जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करेगा और अपने मतों को लेकर सरकार पर दबाव डालता रहेगा और यह दबाव संसद के बाहर से भी डालना होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामकृष्ण यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, दुर्बलता तेरा ही नाम नारी है, यह परिभाषा है (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक को निपटाने तक काम जारी रखने पर सहमत होगी। मेरे पास चार या पांच सदस्यों की सूची है और मंत्री भी उत्तर दे सकते हैं।

मैं समझता हूं हम इसे पूरा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

प्रो पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : कल इसे पारित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे मतदान के लिए रखूं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : इस बारे में एकमत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर मतदान चाहते हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम लोग यहां 11 बजे से हैं। यह ठीक बात नहीं है। हम इसे कल पारित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक के महत्व को समझना चाहिए। क्या आप इस पर अनुमति चाहते हैं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम समझते नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इसे मतदान के लिए रखा जाये ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : परम्परा यह नहीं है,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन आप कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा करते समय सदस्या ने गरिमा बनाये रखी है, और सभी सदस्यगण विशेष कर उन महिला सदस्यों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने चर्चा के स्तर को इतना ऊंचा किया है, एक अच्छा माहौल बनाया गया है उस माहौल को क्यों खराब करें। हम एक घंटे के लिए और बैठे,

प्रो. पी. जे. कुरियन : हमारा माहौल काफी अच्छा है आप हमें जबरदस्ती क्यों बैठाना चाहते हैं ? हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। हम इसे कल पारित करना चाहते हैं और पारित करेंगे। आप हमें जबरदस्ती क्यों बैठाना चाहते हैं ? हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप लोगों के बीच की बात है। यदि सत्तारूढ़ दल मतदान चाहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है,

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : थोड़ी देर पहले सभा में इस बात पर सहमति हुई थी कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो सेशन की शुरुआत है। शुरुआत में ही इस तरीके से एक्सटैंड करने लग जायेंगे, तो बात कैसे बनेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहो क्या कुछ महत्वपूर्ण मामले रखे जायेंगे।

श्री हरीश रावत : शुरु से ही यह एक अच्छी प्रथा नहीं रही है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हफ्ते में एक बिल भी पास नहीं हुआ है। बिल पास नहीं होने देते हैं और हम पर डिसकशन के लिए तैयार हो जाते हैं। घण्टे भर में यह बिल पास होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय राज्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बात को तय कर लें कि क्या आज ही इस बिल को पास करना जरूरी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सत्तारूढ़ दल तथा आपके दल के बीच की बात है। निर्णय आप लें। मैं सभा पर छोड़ता हूँ कि आप ज्यादा देर के लिए करते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक गलत परम्परा न डालें। यदि वोटिंग होगा, तो हमेशा आपको एक्सटेंशन के लिए वोटिंग करना होगा। (व्यवधान) गलत परंपरा मत डालिये। हमेशा यह परम्परा रही है कि हाऊस को एक्सटेंड किया गया है। इस प्रकार से यदि आप करते रहेंगे तो यह आप अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हम बराबर आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु यह आप अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन अब मैं कह रहा हूँ तो आपको चुप हो जाना चाहिए। यही परम्परा है। मैं सभी दलों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा माहौल न बनाएं जिसमें विधेयक का महत्व कम होता नजर आए। यदि आप एक घंटे के लिए बैठते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। मैं सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध करता हूं कि यदि आप आपस में निर्णय करना चाहते हैं तो सरकार और विपक्ष को मामले पर निर्णय लेना चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : इस तरीके से ये हमसे कोआपरेटर चाहते हैं। क्या यही तरीका है इनका हमसे कोआपरेशन लेने का ? क्या इस तरीके से ये हमारी आवाज को दबा देंगे, इस तरीके से हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। आप अपने मेम्बरों को बात करने का तरीका सिखाइये।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय आपने ठीक ही कहा है कि माहौल अच्छा है और हम सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उस पक्ष के सदस्यों की तरह हमारे पक्ष के सदस्य भी इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं परन्तु सभा का समय सहमति से बढ़ाना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं। पिछले 10 वर्षों से मैं सदस्य हूं। कभी भी एक तरफा निर्णय पर समय नहीं बढ़ाया गया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, आप लोग बैठ जाइये। यहां पर सभी मेम्बर बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत अण्डरस्टेंडिंग रखते हैं। आप उनको बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं पुनः यह बात दोहरा रहा हूं कि हम सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं और इसे पारित करना चाहते हैं। हम इसका समर्थन करेंगे और इसके पक्ष में मतदान करेंगे यह वचनबद्धता है। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त आप क्या चाहते हैं। परन्तु अब तक सभा का समय सहमति से बढ़ाया गया। सभा का समय 6 म. म. के बाद बिन सहमति के नहीं बढ़ाया जाता है। आपने समय बढ़ाने के लिए कहा है। हमारे कुछ अपने कारण हैं। अभी हम यहां बैठें हैं हमें बाहर भी जाना पड़ सकता है। हमें और भी कार्य है। कुछ अपने कारणों में से हम समय बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए। जिसका आपने गलत अर्थ निकाला। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम विधेयक का विरोध करेंगे। हम आपसे डरते नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित करें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने इसकी यहां घोषणा की है और सभा का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, हम इसके लिए तैयार हैं और इससे सहमत है। परन्तु एक शर्त पर कि इसे पूर्वोदाहरण न बनाया जाये। आज के बाद सभा का समय परम्परा और सहमति से बढ़ाया जाना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय के सुझाव और निदेश को इसी शर्त पर मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इसका मतलब यह है कि आप आज के लिए सहमत हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुरियन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने शुक्रिया अदा किया, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि यह कंवेंशन या प्रिसीडेंट की बात नहीं है, कंवेंशन और कस्टम जो हैं, उसी तरह से आगे चलता जाएगा। आपने जो समझदारी बताई, उसके लिए आपका शुक्रिया। चूंकि वे बोल रहे हैं मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा और उसके तत्काल बाद में आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें समय दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, "औरत का दूसरा नाम अबला है।" यह परिभाषा हमारे देश की महिलाओं पर भी एक तरह से लागू कर दी गई है। किसी समाज या किसी व्यक्ति को दुर्बल बनाना हो तो स्त्री के सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिये जाने चाहिए, इसी बात को मानते हुए हमारे देश के अन्दर भी महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार छीन लिए गए। यह काम समाज के

धार्मिक रूढ़िवादियों द्वारा किया गया और महिलाओं को इस स्थिति में पहुंचाया गया। इसका सारा अपयश हमारे धर्मग्रंथों को, मठाधीशों और मुल्लाओं को जाता है। जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था, इससे पहले हिन्दू धर्म शास्त्रों में लिखा जाता था—

"स्त्री शूद्रो न धीयताम्।"

महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा कि—

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,
नारी सुभाव सत्य को कहहिं, अवगुण आठ सदा उर रहहिं।

इन सारी मान्यताओं को मानते हुए हमारा समाज चल रहा था, लेकिन हमारे संविधान के निर्माता डा. अंबेडकर ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया, लेकिन संविधान को चलाने वालों ने महिलाओं के साथ पूरा न्याय नहीं किया, उनकी नीयत साफ नहीं रही। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में आज भी महिलाओं के बारे में किसी राजनेता की नीयत साफ नहीं है। यदि हमारी नीयत साफ रही होती और राजनीति में हमारी महिलाओं को टिकट देने वाले लोगों ने ऐसा सोचा होता तो हमारे यहां महिलायें बराबर संख्या में आयी होतीं। इतनी नहीं तो कम से कम आधी या एक तिहाई आयी होतीं। लेकिन मैं देखता हूं, मंत्रालय में मंत्रियों की इतनी संख्या है, लेकिन केवल दो महिलायें मंत्री हैं। हमारी इतनी संख्या है जिसमें 25 महिलायें हैं। हमारी नीयत साफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं केवल कानून बनाने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक नीयत साफ नहीं होती है तब तक महिलाओं के हक नहीं मिल सकते, उनकी प्रगति नहीं हो सकती और सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए राज-काज चलाने वाले जो लोग हैं उनको ईमानदारी से, सच्चाई से राजनीति में उन्हें स्थान देना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, प्रधान मन्त्री बनाना चाहिए, विरोधी दल का नेता बनाना चाहिए और राजनीतिक अधिकार देने चाहिए। सामाजिक जीवन में भी सामाजिक संगठन हैं उनमें इनका हिस्सा होना चाहिए। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस महिला आयोग का जो गठन हुआ है उसकी अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर ज्यादातर अत्याचार होते हैं। अगर महिला आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति की महिला हो तो ज्यादा अच्छा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आयोग बनाया गया है, इससे ज्यादातर अभिजात वर्ग की महिलाओं का कल्याण होने की संभावना है। गांव के गरीब किसान मजदूर की बेटियों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यक महिलायें हैं, मुस्लिम धर्म की महिलायें हैं, उन पर विशेष रूप से अत्याचार होते हैं। उन महिलाओं को भी इस संगठन में स्थान दिया जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि जब तक इस आयोग को इतने अधिकार न दिये जाएं जिससे यह गारण्टी हो सके कि हमारी महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिया जा रहा है, इसमें साझेदारी दी जा रही है तब तक भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। हम नेताओं से अपील करते हैं कि नीयत साफ बनायें और औरतों को बराबर का अधिकार दें।

———

6.27 म. प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कुवैत में भारतीयों की स्थिति

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी तथा सभा की अनुमति से सभा को कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में बताते हुए कुछ हर्ष हो रहा है। हमने अपने राजदूत से सम्पर्क स्थापित किया है तथा हमें बताया गया है कि भारतीय समुदाय के सभी लोग सुरक्षित तथा कुशलतापूर्वक हैं। 5-6 लोगों के मारे जाने के बारे में अपुष्ट समाचार थे किन्तु इराकी अधिकारियों ने उनको विश्वास दिलाया है कि यह बात सच नहीं है किन्तु वे इसकी पुष्टि नहीं कर सके हैं जिसे वे कल तक करने की कोशिश करेंगे।

ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानों के भारतीय राष्ट्रीयता वाले यात्रियों को एक कुवैती होटल में ठहराया गया है तथा वे सुरक्षित और कुशलतापूर्वक हैं। वहां खाद्य पदार्थों अथवा पानी की कोई कमी नहीं है तथा वहां विद्युत-आपूर्ति में बाधा नही पड़ी है। सभी सुविधाएं सामान्य रूप से काम कर रही है। दुकानें खुली हुई हैं तथा व्यापार चल रहा है।

हमारे राजदूत ने जिन इराकी कमांडरों तथा कुवैतियों से भेंट की है वे अत्यन्त शिष्ट और सभ्य हैं तथा कुछ लोगों द्वारा लूट की घटनाओं को छोड़कर आज तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।

कुछ स्थानीय प्रतिरोध हुआ है किन्तु ऐसी घटनाएं छुट-पुट हैं तथा उनका कोई असर नहीं है। मैं आपको यह संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। उनके साथ संपर्क स्थापित हो गया है तथा हम संपर्क बनाए हुए हैं। अब और अधिक जानकारी मिलने लगेगी तथा मैं उसे सभा के सामने रखता रहूंगा। मैंने सोचा कि मुझे इस सभा में आना चाहिए क्योंकि मुझे यहां सभा में सबके द्वारा की जा रही चिन्ता का पता है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिमी) : शीघ्र कारंवाई के लिए बधाई।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्योंकि मुझे सभा तथा देश की चिन्ता का पता है मैंने सोचा कि मैं सभा की बैठक समाप्त होने से पहले यहां आऊं तथा आपको यह जानकारी दूं।

———

6.30 म.प

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक (जारी)

[हिन्दी]

श्रीमती जे. जमुना (राजामुन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी औरतों और पुरुषों ने राष्ट्रीय महिला आयोग बिल के बारे में काफी बातें कही हैं। अभी मेरी बहन

उमा भारती ने बहुत अच्छी बात कही है। इससे पहले वे भी उसके बारे में बोल चुकी हैं। वह है कि प्रेगनेंट वूमेन्स पर इमूनोसेन्टीसिस टैस्ट करना है। मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि स्टेट में इसको बैन किया जाए। लेकिन पता नहीं कि उस मामले का क्या हो गया। उसके बारे में उमा भारती ने अभी बताया। मैं उनकी राय का समर्थन करती हूं। उन्होंने बताया कि शहरों में जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वे बच्चों को पेट में ही मार देती हैं। इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर गांव की औरतें रहती हैं वे बच्चों पैदा होने के बाद जहर देकर मार डालती हैं : इसको रोकने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। उनको एजुकेट करना चाहिए यह बहुत सीरियस बात है। सारी औरतों को इकट्ठा होकर कुछ न कुछ करना चाहिए। पहले तो सरकार इसके बारे में सोचकर सारे स्टेटस में इसे बैन करना चाहिए। अभी श्रीमती मालिनी जी ने बताया कि कुछ औरतों के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। जब मीटिंग रखी गई तो कांग्रेस की तरफ से कोई औरत नहीं आई और उनमे पार्टिसिपेट नहीं किया। उस वक्त हम लोग अपनी कांस्टीच्युएंसी में घूम रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको इस बिल के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब इन्दिरा जी थीं तो उन्होंने औरतों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया था। जब जब यहां पर इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो मैं कुरियन साहब को बोल कर बाहर गई थी। यह तो एक गंभीर बात हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दिलचस्पी नहीं है। नेशनल कमीशन फार वूमेन बिल को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी विधेयक लाने के लिए सरकार की पहल का स्वागत करता हूं किन्तु यह देखना बाकी है कि कितने कारगर ढंग से लागू किया जाता है।

महोदय, हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों में भारी वृद्धि हुई है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हमारे देश की महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए भी कुछ करने में भी असफल रही है कि अभी आशा बाकी है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि आयोग संविधान में तथा अन्य कानूनों में महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए सुरक्षोपायों से सम्बद्ध सभी मामलों का अध्ययन, जांच तथा पुनरीक्षा करेगा तथा सुरक्षोपायों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करेगा। महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित न किए जाने की आयोग द्वारा पुनरीक्षा की जाएगी।

इन सभी उद्देश्यों का एक ही अर्थ है। कांग्रेस के पिछले शासनकाल में भी भारतीय महिलाओं के लिए बहुत से कल्याणकारी कानून पारित किए गए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कानून हिन्दू कोड संशोधन विधेयक, 1956 है जिसमें सन्तान हीन विधवा स्त्री को अपनी पसन्द के लड़के अथवा लड़की को गोद लेने तथा गोद ली हुई सन्तान को अपनी सारी सम्पत्ति देने का सुनिश्चित अधिकार प्रदान किया गया है। 1956 से पहले सन्तानहीन विधवा स्त्री के साथ सब प्रकार से दुर्व्यवहार तथा उसका अनादर किया जाता था तथा कानून में इस परिवर्तन से उनको आशा की किरण दिखाई दी है। स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कुछ कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया गया है।

संविधान में महिलाओं के लिए प्रदान किए सुरक्षोपायों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकारी तंत्र होना चाहिए। यह सरकार के लिए शब्दाडम्बर के बजाय कदम उठाने तथा भारतीय महिलाओं के लिए ठोस परिणाम दिखाने का समय है।

इसके बाद मैं सरकार से समान कोड बिल पारित करने का अनुरोध करता हूँ। आप जानते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता सबके लिए है। तो महिलाओं के लिए भी समान सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? महिलाओं के लिए भी सिविल कोड होना चाहिए। महिलाओं की उन्नति के लिए एक समान कोड बेहतर है।

मैं यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती है।

श्री पलाई के. एम. मंथ्यू (इडुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूँ। चूंकि आप समय के बारे में बहुत सख्त हैं इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा तथा मैं वह बात नहीं दोहराऊंगा जो इस सभा में पहले ही कह दी गई है।

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं के लिये किसी कार्यक्रम का आधारभूत तथा एक मात्र उद्देश्य महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में और अधिक भागीदारी देकर उनका पूर्ण उद्धार करना होना चाहिये। प्रश्न यह है कि : अब महिलाओं को किस दासता से मुक्त किया जाना है? जीवन के हर क्षेत्र तथा समाज की प्रत्येक संस्था में उनकी निम्न स्थिति सबसे प्रमुख दासता है। यहां मेरा आशय आर्थिक निर्भरता, सामाजिक असमानता तथा शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन तथा राजनैतिक असमानता से भी है। उनको इससे मुक्त करने के लिये हमें सबसे पहले साक्षरता का प्रसार करना है। हमें उनको शिक्षा प्रदान करना है। तत्पश्चात, हमें उनकी आमदनी बढ़ाकर उनकी सहायता करनी है। इन कठिनाइयों अथवा निर्भरता पर काबू पाने के लिए पहले हमें उनको शिक्षित करना तथा तत्पश्चात उनको रोजगार देकर उनकी आमदनी को बढ़ानी है।

मैं यह विचार रखने के लिए यह भूमिका बांध रहा हूं कि यह विधेयक इन बातों के बारे में बहुत गम्भीर नहीं है। आयोग की स्थिति, शक्तियां, कृत्य तथा गठन के विश्लेषण से मेरे कथन का पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, तथा मैं यह बात संक्षेप में कहूंगा। पहले मैं आयोग की स्थिति तथा गठन की बात करता हूं। यहां पहले ही कहा जा चुका है कि इस आयोग को सरकार की भी भूल-चूक के लिए उनसे जबाब तलब करने की स्वायतता तथा शक्तियां देकर संवैधानिक निकाय बनाया जाए। सरकार सदस्यों की नियुक्ति करती है तथा अपनी इच्छानुसार सरकार इन सदस्यों की सेवाओं को समाप्त कर सकती है। इसका यह तात्पर्य है कि यह सदस्य सहायता तथा धन लिए सरकार पर निर्भर करते है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए हमें इस संस्था को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति की तरह स्वायत्तशाली बनाना चाहिये। सारी बातों को कुछ निम्न तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए।

मैं आयोग में निहित शक्तियों तथा इसके कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जैसा कि

सुझाव दिया जा चुका है आयोग को महिलाओं के हितों तथा अधिकारों से संबंधित मामलों में उनका प्रहरी बनना चाहिये तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में यह विधेयक बहुत ही अपर्याप्त है। शायद यह अपर्याप्त से भी ज्यादा खराब है। यह केवल सरकारी नियन्त्रण वाली संस्था है, क्योंकि यह स्वायत्तशासी नहीं है। यदि विधेयक को इसी रूप में पारित किया जाता है तथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो यह महिला संगठनों और आन्दोलनों ने पिछले 15 से 20 वर्षों में जो प्राप्त किया है उसे समाप्त कर देगा। मुझे इस बात का डर है।

आयोग संविधानिक अधिकारों तथा अन्य कानूनों के उल्लंघन के रोक लगाने संबंधित कानूनों का हवाला देने तथा सुधार लाते समय तथा नीतियां बनाते समय सुझाव देने योग्य होना चाहिये। आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों तथा न्यायालय निर्णयों के उल्लंघन रोकने योग्य होना चाहिये। ताकि महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के प्रति सम्मान पैदा हो सके। इसके पास महिलाओं सम्बन्धी मामलों के उल्लंघन कानून कार्यान्वित न करने तथा कानूनों में कमियों की जांच तथा पुनरीक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। यह सब बातें विधेयक में नहीं दी गयी हैं। आयोग को सरकारी एजेन्सियों से सूचना प्राप्त करने की पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए तथा जब भी यह महिलाओं से संबंधित कानून तथा नीतियां बनायी जायें तो इस परामर्श किया जाये। आयोग को सरकार की नीतियां संबंधी सिफारिशें करने का अधिकार होना चाहिए। यह सभी बातें विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं दी गयी हैं। इसको कानूनों का उल्लंघन करने की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिये तथा सम्बन्धित एजेन्सियों से कार्यवाही करने की मांग करने का अधिकार होना चाहिये। इसको सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिये। कानूनों नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू न किए जाने की स्थिति में इसको स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। इसे उन कारणों का पता लगाने का अधिकार होना चाहिये जो उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं जैसेकि आवास की कमी, कड़ी मेहनत तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कमियां आदि तथा पता लगाने के बाद आयोग को सभी संबंधित एजेन्सियां जिसमें सरकार भी सम्मिलित है से इनको लागू करने में सहायता मिलनी चाहिये। संक्षेप में, जैसाकि कई सदस्यों द्वारा दोहराया गया है, महिलाएँ परिवार में तथा समाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

उनका छोटा क्षेत्र उनके निर्भर रहने के कारण है। स्वैच्छिक संगठनों की भी भूमिका है जिसके बारे में आयोग को निर्देश दिये जायें। यह बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी (व्यवधान)

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : उपाध्यक्ष जी, हमने भी बोलने की इच्छा प्रकट की थी, लिस्ट दी थी, हमें आपने मौका नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को दिया गया टाइम ओवर हो चुका है, अब टाइम नहीं है, कैसे सबको मौका दिया जा सकता है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद : जब और लोगों को मौका दिया गया है, हम भी इस विधेयक पर महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं, हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी दूसरे सब्जैक्ट पर बोलिये, यह जरुरी नहीं कि आप हर सब्जैक्ट पर बोलें।

श्री रामेश्वर प्रसाद : हम महिलाओं के हित में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव संक्षेप में देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को जितना टाइम दिया गया था, उतना ही मैं दे सकता हूं। अब आप बैठ जाइये। छोटी पार्टियों को ज्यादा टाइम नहीं रहता है, उसमें हमारी भी मजबूरी है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : हम भी इस सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें दो-तीन महत्वपूर्ण सुझाव इस विधेयक पर देने हैं। यदि आप हमें टाइम नहीं देंगे तो वह हमारे राइट का हनन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस शर्त पर टाइम दे रहा हूं कि आप जो कुछ भी बोलेंगे उसमें नये प्वाइंटस हो होने चाहिये, पुराने प्वाइंटस नहीं होने चाहिये।

[अनुवाद]

सब लोग चाहते हैं कि मैं उनको समय दूं, परन्तु समय कहां है। यदि नई बातें हों तो मैं अवश्य समय दे सकता हूं परन्तु आप लोग बात को दोहरायेंगे नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद : उपाध्यक्ष जी सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग पर विचार हो रहा है लेकिन आज जब हम अपने समाज की स्थिति पर गौर करते है, उसमें महिलाओं की स्थिति का सिंहावलोकन करते हैं, उसकी सामाजिक संरचना को देखते हैं तो उसमे ऐसी स्थिति है कि महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों को आर्थिक अधिकारों को और सामाजिक अधिकारों को छीना जा रहा है। क्या यह राष्ट्रीय महिला आयोग समाज मे महिलाओं के जिन अधिकारों को छीना जा रहा है, उन स्थितियों को तोड़ने मे कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पायेगा। हम पाते है कि यह आयोग उस भूमिका को नहीं निभा पायेगा, ऐसा नहीं कर सकेगा। जैसा इसमे प्रावधान है, हर तीन महीने बाद सदस्यो को निष्कासित कर दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में, मेरा सुझाव है कि हर सदस्य की अवधि बढ़ा कर 6 साल की जानी चाहिये, 6 साल के बाद उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक महिला आयोग के सदस्यो के चुनाव का तात्लुक है, चाहे अध्यक्ष की ओर से नामित किया जाय या सरकार की ओर से, परन्तु इस आयोग में विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा सभी पदाधिकारियों का चुनाव हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, यह मेरा सुझाव है। तभी यह आयोग महिलाओं के हित में कारगर भूमिका अदा कर पायेगा। तीसरा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जितनी शाखाएं हों, वे गांव-गांव तक फैली हों, हर गांव में इसकी एक शाखा गठित की जाये ताकि सचमुच में समाज में या देश में महिलाओं की जो पितृ सत्तात्मक स्थिति है, उस पितृ-सत्तात्मक स्थिति को तोड़ा जा सके। एक सुझाव मेरा यह है कि यह आयोग जो भी रिपोर्ट दे, चाहे वह किसी विधान सभा को पेश करे, लोकसभा को पेश करे, किसी न्यायालय को दे, तीन महीने की

अवधि में उस पर निर्णय ले लिया जाये ताकि सही मायनों में यह आयोग महिलाओं के हित में कारगर भूमिका निभा सके। इस आयोग का काम समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना हो, वह पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, यही मैं चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक या दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि आयोग के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिये जिससे वह यह जांच कर सके कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कुछ मामलों में की जा रही जांच कैसे की जा रही है। अब तक हम महिलाओं पर हो रहे सामान्य अत्याचार के संबंध में आयोग को दी जाने वाली शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं समझता हूं कि आयोग को इतनी शक्तियां दी जानी चाहिये जिससे वह उन मामलों के बारे में भी पूछताछ कर सके जिसकी जांच पुलिस भी कर रही है। भारत में बहुत से स्थानों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हाल ही में हमारे सामने गवरौला की घटना सामने आयी है। वहां पर मंत्री की रिपोर्ट में एक शिकायत यह भी है जोकि अभी सभा में रखी गयी है, कि बलात्कार की शिकार नर्नों को जिस डाक्टर के पास ले जाया गया था उसने ठीक जांच नहीं की थी। उसने रिपोर्ट दी कि बलात्कार का कोई लक्षण नहीं है। यदि ऐसा कोई आयोग होता तो क्या ऐसा आयोग यदि इसे जांच करने के अधिकार दिये जाते तो वह चाहे तो कार्यवाही करने में सफल न होता ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि आयोग जांच कार्य की निगरानी करे। कृपया दूसरी बात कहें। जांच करने के अधिकार दिये जाने चाहिये। अब आप दूसरी बात पर आये।

श्री पी. सी. थामस : मैं यह कहूंगा कि जांच की निगरानी का अधिकार दिया जाना चाहिये। इसलिये धारा 16 को हटा देना चाहिये।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : इस पर एक संशोधन दिया गया है।

श्री पी. सी. थामस : यदि सरकार की ओर से संशोधन है तो ठीक है, नहीं तो मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत अधिक है।

सामान्यत: मैं कहना चाहूंगा कि आयोग को कुछ और शक्तियां दी जानी चाहिये। सरकारी संशोधन में यह देखा गया है कि दीवानी न्यायालय के जांच करने के अधिकार के बारे में कुछ प्रावधान है परन्तु मैं यह कहूंगा कि आयोग को कुछ व्यापक शक्तियां दी जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि केबिनेट की बैठक चल रही है, मुझे वहां भी जाना है। मैं तमाम पक्ष के माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने एक स्वर से इस विधेयक का समर्थन किया है। जो साथी समर्थन नहीं कर पाए हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो संशोधन है उसको देखा नहीं है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं कि 22 तारीख को यह विधेयक पेश किया गया था, आप जानते हैं कि मंत्रालय की जिम्मेदारी मेरे माथे पर सौंपी गई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे जितनी जल्दी हो सके, निभाने का काम करूं। इसलिए चाहे अनुसूचित जाति,

पिछड़ी जाति, महिलाओं, अल्पसंख्यक, हैंडीकैप, लेबर का विधेयक हो, लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट का हो, कंसट्रक्शन लेबरर्स का मामला हो, चाहे सैन्ट्रल लेजिस्लेशन फोर एग्रीकल्चर का मामला हो, हमारा सब फ्रंट पर काम चल रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि जो काम हम साल भर में नहीं कर सकते वह दस साल में भी नहीं कर सकते हैं और दस साल में जो काम नहीं कर सकता वह 100 साल में भी नहीं हो सकता है। मई में जिम्मे-जिम्मे इस मंत्रालय का कार्यभार आया और 22 मई को हमने पार्लियामेंट में विधेयक मूव किया। उस विधेयक में बहुत सी कमियाँ थीं। श्रीमती गीता मुखर्जी यहां हैं और सभी माननीय सदस्य हैं, उस समय भी मैंने अमेंडमेंट मूव किया था, हमारा सिर्फ इतना ही इनटेंशन था कि जल्दी हो इसको मूव करें यदि पार्लियामेंट में मूव हो गया तो उसमें अमेंडमेंट लाकर हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। यदि मूव ही नहीं हो पाता तब फिर वह चक्कर में फंसा रहता, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। हमारी इनटेंशन थी कि पार्लियामेंट में विधेयक को पेश कर दें और उसके बाद जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों के मुताबिक हम इसे दुरुस्त कर देंगे। आज हमने दुरुस्त करने का काम किया है। दुरुस्त करने से पहले हम चाहते थे कि पार्लियामेंट में कोई चीज लाने से पहले आपस में सारे साथियों से औपचारिक अनौपचारिक रूप से बातचीत की जाए ताकि चूंकि हम लोगों में कोई दो मत नहीं हों। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां दल का मामला आता है लेकिन इन सारी चीजों में दलगत भावना से ऊपर उठ कर सभी पार्टी सोचती हैं। हमने पहले छोटी-मोटी मीटिंग की। और 28 जुलाई को हमने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का मंत्रालय की तरफ से आयोजन किया। उसमें हमने अपनी तरफ से क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि कितने ओरगनाईजेशन्स हैं, कहां हैं, लेकिन मैंने मंत्रालय को हिदायत दी थी कि जितनी भी महिला सांसद हैं, जितने भी इमपार्टेन्ट महिला संगठन है, बिना कोई भेदभाव किए, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, बिना दलगत भावना लाए तमाम लोगों को आप इनवाईट कीजिए और इनवीटेशन देकर हम लोगों ने खुले तौर पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श करने के बाद मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जो भी सुझाव आये हैं, उन सुझावों में से 95 प्रतिशत सुझावों को हमने माना है। अगर इसमें 100 प्रतिशत सुझावों को मानने की बात भी कहें तो कोई आपत्ति उसको कहने में नहीं होगी, चूंकि पांच प्रतिशत इसलिये है क्योंकि पांच प्रतिशत यहां नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी चीजों को रूल्स में जोड़ने की जरूरत है।

गीता मुखर्जी जी ने अमेंडमेंट दिया है, वह सारे के सारे रूल्स के लिए हैं। उन्होंने कमेटी के बारे में पूछा है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम कमेटी बनायेंगे। बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया है कि स्टेट्स में भी इस तरह का कमीशन होना चाहिये। हम भी इस पक्की राय के हैं लेकिन हम स्टेट्स के ऊपर इस बारे में दबाव नहीं डाल सकते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है और कहा कमीशन बनाने का काम करें, इसके अलावा जो भी शंकायें उत्पन्न की गई हैं, उसमें ऐसी कोई बात शंका करने की नहीं है।

अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला उठाया गया पहले यह तय हुआ था कि पैनल के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। अब यह तय किया है कि पैनल नहीं होगा। अब उसको सीधे सरकार नियुक्त करेगी। पहले क्वालिफिकेशन का मामला भी रखा गया था। हमने कहा कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसकी काम में डेडिकेशन होनी चाहिए कोई जरूरी नहीं कि कोई पी. एच. डी. हो और उसको सोशल वर्क के बारे में कोई जानकारी हो न हो तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

एस सी. एस. टी. का पहले यह मामला था कि यदि हम उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग नहीं लायेंगे तो उनको वह अधिकार दिये जायेंगे जो दूसरे सदस्यों को प्राप्त होंगे। हमने उसको खत्म कर दिया। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को अक्सर इसमें करना है। इसकी फीस जो पहले पांच रुपया था, उसको बढ़ा कर सात रुपया करने का निर्णय लिया है। उसमें यह भी है कि उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सदस्या विशिष्ट रूप से रहेंगी।

हटाने की प्रक्रिया के मामले में पहले तीन महीने का नोटिस देकर हटाने की बात थी लेकिन महिला संगठनों की तरफ से बहुत विरोध हुआ। अब हटाने की प्रक्रिया तीन महीने नहीं रहेगी। जिस तरीके से दूसरे सर्विस कमीशन हैं और उनमें जो नियम हैं वही इनके ऊपर लागू होंगे। नियम बहुत बड़े हैं। कोई किसी को आसानी से या किसी मेम्बर या चेयरमैन को नहीं हटा सकता है। तीन महीने का महीने का मामला भी खत्म हो गया है। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन को अधिकार दिये गये हैं वह सारे के सारे अधिकार इसको दिये गये हैं। आयोग के लिए सिविल न्यायालय की सारी की सारी शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में वह भाग ले सकेगा और सलाह देगा। संघ और राज्य के अधीन महिलाओं की प्रगति के सम्बन्ध में भी यह मूल्यांकन करेगा। अगर कोई बात नहीं मानेगा तो बात न मानने पर उसका जवाब देना होगा। संसद में उसके ऊपर बहस होगी और सिफारिश सरकार को मंजूर होती उसकी सूचना देनी होगी।

केन्द्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीति विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। डायरेक्शन की बात भी यहां उठी है। वह समय-समय पर डायरेक्शन जारी करेगा। उसमें सेंटर की डायरेक्शन नहीं रहेगी। वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। जो राज्य सरकार से संबंधित मामला होगा उसके बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। फिर वहां असेम्बली में उसके ऊपर बहस हो सकती है। ये सारे के सारे अधिकार उसमें दिये गये हैं।

पी. सी. थामस, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और गीता मुखर्जी आदि के मैंने विचार सुने। जो संशोधन माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं अगर वह गौर से और गहराई से देखें तो वह पायेंगे कि सारे के सारे उसमें सम्मिलित हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है निश्चित रूप से हम उसको रूल्स में जोड़ने का काम करेंगे।

डिसेंटरलाइजेशन का मामला भी उठाया गया। हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। कमीशन को कमेटी बनाने का अधिकार होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट कमेटी बना कर वह कार्य का संचालन कर सकते हैं। संविधान की धारा में इनके जो राइट्स हैं उसके आधार पर उन राइट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है।

आंगनवाड़ी के संबंध में भी माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान दिलाया। वह विषय इससे संबंधित नहीं है लेकिन निश्चित रूप से यह गम्भीर मामला है। हम उसको गम्भीरतापूर्वक ले रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सिज की कमी है। हमारी अपनी इच्छा है कि किसी भी व्यक्ति को मीनिमम वेजिस ऐक्ट से कम मजदूरी न मिले।

7.00 म. प.

लेकिन दुर्भाग्य से जो आगनवाड़ी की महिलायें है या जो सेविकायें है या जो हेल्पर्स हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं माना गया, उनको जो काम दिया गया था उसी में यह लिख दिया गया है कि यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, वालेण्टरी आर्गनाइजेशन के समान उनको दर्जा दिया गया है लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमसे जितनी दूर तक बन सकेगा, हम निश्चित रूप से आगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी हैल्पर्स के लिए भी करने का काम करेंगे इस लिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के मेरे जिम्मे जितने भी काम हैं···

श्री राम धन (लालगंज) : सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता है।

श्री राम विलास पासवान : ठीक कह रहे हैं। रामधन जी का आरोप ठीक है कि जो पैसा जा रहा है, सारा का सारा अधिकांश पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है तो हमारी दोनों चीजें रहेंगी, जहां हम उनको पैसा देंगे तो फिर उसका मोनेटरिंग सिस्टम भी उसको ठीक करना पड़ेगा और जिन उद्देश्यों के लिए उन को लगाया गया है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो, इसको भी देखना होगा, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर डेडीकेटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं और हमसे जो चीज भी हो सकेगी, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दलित लोगों के लिए, कमजोर तबकों के लिए, हम निश्चित रूप से उसके लिए कटिबद्ध हैं।

अत: हम सारे माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि जिन्होंने जो संशोधन मूव किये है, वह सब के सब अपने संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पास करने का कार्य करें। जो बची हुई थोड़ी बहुत चीज है उसको हम रूल्स वगैरह में जोड़ कर ठीक ठाक कर देंगे। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स है उनको आप मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत वेज देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : वह इसमें नहीं आता है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : दूसरी बात, महिलाओं के लिए आप जो कमीशन बनाना चाहते हैं उससे पर्सनल ला में हर्डल बनेगी तो आप क्या करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : यह महिला कमीशन का मामला है, यह उसमें नहीं आता है।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : कमीशन की कार्यवाही में फिर क्या होगा ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर विचारार्थ एक संशोधन श्री गिरधारी भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह इस सभा में उपस्थित नहीं है। मैं इसको सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को उस पर 3 अगस्त 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड दो-परिभाषायें संशोधन किये गये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 और 3, "और धारा 3 का उपधारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य" का लोप करें। (1)

(राम विलास पासवान) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खण्ड दो संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड दो, संशोधित में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 - राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन **संशोधन किया गया :**

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 से 36 और पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो;

(ख) पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जिन्हें विधि या विधायन, व्यवसाय संघ आंदोलन, ऐसे उद्योग या संगठन के प्रबन्ध जो महिलाओं को नियोजन सम्भाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित है, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्ता भी है), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव है, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु उनमें से कम से कम एक-एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जो क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य-सचिव, जो—

(i) प्रबन्ध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, या

(ii) ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।" (20)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रही हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नीताला द्वारा वह संशोधन की सूचनायें दी गई हैं वह उपस्थित नहीं है।

श्री वर्मा, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह महिलाओं के लिए बिल लाया गया है, लेकिन बिल में महिलाओं के स्थान को छीना जा रहा है। इसमें आप एक हरिजन और एक आदिवासी व्यक्ति को पद-स्थापित करेंगे, उसकी जगह एक महिला होना चाहिए, नहीं तो फिर आप महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इसमें पुरुषों की सहभागिता के बजाए महिलाओं को सहभागी होना चाहिए। इतनी बात कहते हुए मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री युवराज, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री युवराज (कटिहार) : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा दिया गया।

[अनुवाद]

खण्ड 4, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य (जो ऐसे सदस्य-सचिव से भिन्न है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है) केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को, अध्यक्ष या उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृत चित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति के पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर है :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।" (21)

(राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी क्या आप अपना संशोधन पेश कर रही हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नीताला द्वारा संशोधन की सूचना दी गई है। वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5—आयोग के अधिकारी और कर्मचारी संशोधन किया गया।

पृष्ठ 3, पंक्ति 24, "आयोग के अधिकारियों" के स्थान पर "आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों" प्रतिस्थापित किया जाये। (22)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 संशोधित रूप विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6—वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री द्वारा एक संशोधन सं. 23, रखा गया है।

संशोधित किया गया :

पृष्ठ 3 खण्ड 6, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना।

खंड 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाये—

"6 अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, धारा 11 की उपधारा (1) निर्दिष्ट अनुदानों में से अनुदानों में से संदत्त किये जायेंगे। (23)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा खण्ड 8 में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रख कर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं। मुझे आशा है कि आश्वासन के अनुसार ये नियम अधिनियम में समाविष्ट हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 9

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10—आयोग के कृत्य

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री द्वारा खण्ड 10 में चार संशोधन दिये गये हैं, संशोधन सं. 24,25,26 और 27। शेष संशोधन नहीं रखे जा रहे हैं।

संशोधन किये गये।

पृष्ठ 4, पंक्ति 8, "10" के स्थान पर "10 (1)" रखें। (24)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा;

(कक) उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्टें प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को पेश करना;

(ककक) ऐसे रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशाओं में सुधार करने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना।" (25)

पृष्ठ 4, पंक्ति 44 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

"(च) महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना;

(चच) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।" (26)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के खण्ड (कक) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को यदि कोई हों, स्वीकार न किये जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(3) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका संबंध किसी राज्य सरकार से है वहां आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की एक प्रति ऐसी राज्य सरकार को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को यदि कोई हों, स्वीकार न किये जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन के साथ राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगी।

(4) आयोग के खण्ड (क) या उपधारा (1) के खंड (घ) के उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत, किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायलय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।" (27)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 11 से 14 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 से 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा खण्ड 14क (नया) के अन्तःस्थापन का प्रस्ताव करने वाले संशोधन संख्या 18 को विचार के लिए रखता हूं। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16—केन्द्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6, खण्ड 16, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"16 केन्द्रीय सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।" (28)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा खण्ड 16क (नया) के अन्तःस्थापन का प्रस्ताव करने वाले संशोधन संख्या 4 को विचार के लिए रखता हूं। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

खण्ड 17—नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए

पृष्ठ 6, पंक्ति 21-22 का लोप करें। (29)

पृष्ठ 6, पंक्ति 23, "उपधारा (4)" के स्थान पर

"उपधारा (5)" प्रतिस्थापित की जाए। (30)

पृष्ठ 6, पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(गग) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय।" (31)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 1 को विचार के लिए रखता हूं। संशोधन संख्या 7 श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रही हैं?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

मैं सभी माननीय सदस्यों का होल-हार्टेडली धन्यवाद देना चाहता हूं।

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : मैं सर्वप्रथम माननीय पासवान जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बड़े कारगर ढंग से अमेंडमेंट प्रस्तुत किए। सभी माननीय सदस्यों का और खासकर अपनी बहनों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि पार्टी का ख्याल न करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे, सहयोग दिया और आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा जब यह बिल पास हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.20 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 10 अगस्त 1990/19 श्रावण 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-6

पी० एस० एस० 48/8/3/90 (एम०)
210

© 1990 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।